राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-(II) आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दूसरा दिवस (संख्या-2

शुक्रवार,

दिनांक 30 जून, 1989

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आज की जो डाक है, जो हमें मिला करती है वह मिली नहीं हम लोगों को।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : मिली है हम लोगों को।

श्री भंवरलाल शर्मा : हम आप के लिए तो कह ही नहीं रहे हैं, सब के लिए कह रहा हूं मैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : समय पर डाक कभी नहीं मिलती, रात को तीन और चार बजे आ कर डाक डाल कर जाते हैं। (व्यवधान)

आपके सचिवालय की व्यवस्था सारी गड़बड़ा रही है, माननीय सदस्यों की डाक का कोई ध्यान नहीं रखा जाता।····(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : डाक तो एक दिन पहले पहुंचनी चाहिए।

श्री रमजान खां (पुष्कर) : शाम को ही मिल जानी चाहिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सुबह चार बजे आकर डाक डालकर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुझे अफसोस है इस बात का, मैं पुछवा रहा हूं। एक्शन होगा, सीरियस एक्शन होगा।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : विधान सभा आहूत होने का नोटिस मुझे पांच दिन बाद मिला।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : रात को आठ बजे तक डाक हमको मिल जानी चाहिए। आज बहुत से लोगों को मिली नहीं और बहुत-सों को सुबह आठ बजे मिली है। और आज आपने दो एक्ट और रख दिये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी जांच करा रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज ही उन को पास कराने का रख दिया।

श्री अध्यक्ष : I am taking serious action about it. अभी मैं दिखवा लेता हूं।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : इसमें संशोधन कैसे देंगे हम ?

श्री अध्यक्ष : I am taking very serious action about it.

मैं खुद इस को टालरेट नहीं कर सकता, माननीय सदस्य, मैं खुद टालरेट नहीं करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

भूतपूर्व महाराजा स्वर्गीय करणीसिंह की भूमि का बेचान

22. **श्री घनश्याम तिवाडी** (सीकर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा स्व. श्री करणीसिंह के नाम पर कितने मुरब्बे गंगानगर में थे और इन मुरब्बों को किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना, कितने-कितने मूल्य पर बेचा गया ?

नाम, पिता का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सारे बेचान का पंजीकरण हुआ है ? यदि हां, तो कब-कब और कितने-कितने मूल्य का ?

(3) जिन व्यक्तियों ने यह मुरब्बे खरीदे हैं उनमें राजस्थान के बाहर के कितने व्यक्ति हैं ? उनके नाम पते, स्थान का नाम दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मन्त्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) बीकानेर के भूतपूर्व महाराजा स्वर्गीय श्री करणीसिंह के नाम पर गंगानगर तहसील में 525 बीघा 19 बिस्वा भूमि चक 1-ई छोटी में थी। इस भूमि का बेचान अन्य व्यक्तियों के नाम नहीं किया गया है अपितु जरिये हिब्बानामा एवं तमलीकनामा हस्तान्तरण किया गया जिस की सूची 'क' साथ प्रेषित है।

(2) जी हां। विवरण सूची 'क' में अंकित है।

(3) जी नहीं, राजस्थान के बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री घनश्याम तिवाडी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह सूची जो आप ने दी है अधूरी दी है। उनके नाम से 525 बीघा 19 बिस्वा जमीन थी और आपने जो सूची दी है उसके हिसाब से करीब पौने चार सौ बीघा जमीन होती है। और आपने यह जो सूची दी है इसमें हिब्बानामा और तमलीकनामा के नाम से ही दी है जो कि चार आदमियों की है। इसके अलावा इकरारनामा करके अन्य किसी प्रकार से जो दी है उसमें 39 आदमी है जिनमें सेना भी है। न तो सेना की लिस्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपने दी और न उन 38 आदमियों की लिस्ट दी। मैं चाहता हूं कि उन 38 आदमियों के नामों की लिस्ट आप हमको पढ़कर सुनायें और बाकी 125 बीघा जमीन किस के नाम से है वह पढ़कर सुनायें। यह भी बतायें कि गंगानगर के बाहर जो माल्टा फार्म है वह फार्म इस जमीन के अन्तर्गत है या बगीचा भूमि के अन्तर्गत अलग से है। यह बातें स्पष्ट करें ताकि आगे का प्रश्न पूछा जा सके क्योंकि अधूरी है सूची।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या करणीसिंहजी ने कोई जमीन बेची, करणीसिंहजी ने कोई जमीन नहीं बेची। उन्होंने, जैसे गिफ्ट डीड करते हैं वैसे हिब्बानामा और तमलीकनामा करके चार आदमियों को जमीन हस्तान्तरित की जिसमें महारानी सुशीला कुमारी पत्नी श्री करणी सिंह को 139 बीघा 6 बिस्वा, 13-3-1953 को तमलीकनामा करके हस्तान्तरित की। दूसरी भूमि इन्होंने नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री करणी सिंह को 109 बीघा 2 बिस्वा 13-3-1953 को तमलीकनामा करके हस्तान्तरित की। तीसरी भूमि मधुलिका पुत्री श्री करणी सिंह को हिब्बानामा करके 51 बीघा 7 बिस्वा 28-3-1958 को हस्तान्तरित की। चौथी, राजश्री कुमारी पुत्री श्री करणी सिंह को 100 बीघा 28-3-1958 को हस्तान्तरित की। 126 बीघा 4 बिस्वा, जो आप 525 बीघा के बारे में हिसाब कर रहे थे, करणी सिंहजी के नाम से रह गयी, वह उन्होंने अपने पास रखी थी। उसके बाद जैसा आप ने बताया, यह जमीन आज की तारीख में जो भी उनके वारिस हैं उनके पास हैं। आप कहें तो 39 लोगों के पूरे नाम पढ़ कर सुना दूं।

महाराजा करणी सिंहजी के नाम से आज भी 2 बीघा 14 बिस्वा जमीन चढ़ी हुई हैं। नरेन्द्र सिंहजी को 50 बीघा 17 बिस्वा जमीन श्री मनोहर सिंह को 2-9-1972 को 14,380 रुपये में बेची। फिर महेन्द्र सिंह को 22-3-1979 को 31,500 रुपये में बेची। तीसरा गुरदेव सिंह वगैरह : 22-3-1979 को 52,500 रुपये में, राजवंश सिंह : 22-3-1979 को 56,000 रुपये में

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : 1988 के बाद की बता दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो सब 1979 के ही हैं।

उसके बाद मलकीत सिंह, बेअंतसिंह। 22-3-1979, उसके बाद गुरजन्ट सिंह : 6-3-1979, गुरलाल सिंह : 6-3-1979, 49,000 रुपये, हरजिन्दर सिंह : 8-3-1979, 49,000 रुपये, उसके बाद बलदेव सिंह को, मनोहर सिंह को 5 बीघा 17 बिस्वा जमीन और आगे हस्तान्तरित की। उसके बाद श्रीमती पद्मिनी 25 बीघा और उसके बाद उन्होंने कनक लता को बेची। आज यह जमीन कनक लता और पद्मिनी के नाम से है। श्री पूरण सिंह : 43 बीघा, महेन्द्र सिंह, जगनेन्द्र सिंह, बलदेव सिंह, गुरदेव सिंह, गुरजंटसिंह, राजश्री कुमारीजी : इनको 6-5-1982 को बेची। उसके बाद महिपेन्द्र सिंह 49

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बीघा 6 बिस्वा 3-9-1972 को 50,000 रुपये में बेची। करणी सिंह फाउण्डेशन ट्रस्ट, बीकानेर को 29-7-1985 को हस्तान्तरित की गयी 28 बीघा 14 बिस्वा। इसके बाद मधुलिका पुत्री श्री करणीसिंह : 49 बीघा 12 बिस्वा जमीन, करतार सिंह, गुरबचन सिंह, सुन्दर सिंह और रवीन्द्रपाल सिंह : चारों को जमीन 2-9-1972 को, 1-9-1972 को, 7-9-1972 को और 6-9-1972 को 35,980 रुपये, 31,000 33,600 रुपये और 29,400 रुपये में बेची गयी। इसके बाद मोहन सिंह को 58 बीघा 5 बिस्वा आमना 6-9-1972 को 42,000 रुपये और 37,000 रुपये में···

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : प्रति बीघा या कुल ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह है 28 बीघा 5 बिस्वा। सन् 1972 में।

श्री लालचन्द डूडी : 46 हजार की ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सन् 1972 में।

श्री लालचन्द डूडी : हां, हां, 1972 में 46,000 की ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसके बाद जसवन्त कुमारी, 40,000 में 20 बीघा, उसके बाद गुरमीत सिंह : 17,780 में 6 बीघा 2 बिस्वा, उसके बाद सुशीला देवी, अर्जुनदास को 1-9-1972 को 42,000 और 2-9-72 को 28,000 में 25 बीघा और 18 बीघा 14 बिस्वा। आज भी राजमाता सुदर्शन कुमारीजी के नाम से 53 बीघा और 5 बीघा जमीन पड़ी हुई है। हेमन्त कुमारी, सरूप बाई : 50 हजार रुपये में 3-5-1972 को 20 बीघा जमीन बेची गयी। करणी सिंह फाउण्डेशन ट्रस्ट, बीकानेर : 29-7-1985 को 30 बीघा उनके नाम से चढ़ी हुई है। यह पूरी डिटेल मैंने आप को बता दी।

श्री घनश्याम तिवाडी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न इस सम्बन्ध में करना चाहूँगा। पहला तो यह है कि यह जो लिस्ट इन्होंने दी है इस लिस्ट में आधे से अधिक व्यक्ति राजस्थान के बाहर के नागरिक हैं, बोनाफाइड रेजिडेण्ट राजस्थान के नहीं हैं···

श्री बुलाकीदास कल्ला : कौन-कौन से ?

श्री घनश्याम तिवाडी : बता रहा हूं, दूसरा मुझे यह कहना है कि जो यह जमीन बेची गयी, जितनी कीमत पर रजिस्ट्रियां की गयी हैं वह कीमत बहुत कम है और नियमों के विपरीत, 1-1 लाख रुपये की जो जमीन थी उसको दो-दो हजार रुपये बीघा में बेचा गया है, तीसरा मेरा यह कहना है कि गंगानगर में आम चर्चा है कि 1988 के बाद में स्वर्ण सिंह और अन्य दो व्यक्तियों के नाम से जमीन बेची गयी है वह फिरोजपुर के निवासी हैं, राजस्थान के रेजीडेण्ट नहीं। माल्टो का माल गंगानगर जिले से निकाल रहे हैं, वहां की जमीन बेची गयी है, गैर कानूनी

(श्री घनश्याम तिवाडी)

ढंग से इकरारनामा करा लिया गया है, आम चर्चा यह है कि यह जमीन+ + + बेनामी अपने नाम करा ली राजस्थान में आम बात है लेकिन आम चुनावों को देखते हुए, इस बात को छिपाया जा रहा है....

इस राजस्थान को+ + + जागीर समझ कर चाहे वह बल्देव प्लाजा बनवा दो, आप चाहे गंगानगर की जमीन बिकवादो, चाहे आर्यावृत प्लाईवुड का कारखाना उनको दिलवा दो। राजस्थान को इन तीनों लोगों की जागीर समझकर इनको बेचा जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए इस प्रश्न को पूछा है, इसका साफ जवाब दीजिए। गैर कानूनी ढंग से आपने जो इकरार नामे करवाये हैं जो पजेशन्स किये गये हैं वह राजस्थान के बाहर के जो लोग हैं उन लोगों से आप जमीन खाली करवायेंगे, या नहीं करवायेंगे उसकी जांच करवा कर वास्तविकता का पता लगायेंगे या नहीं लगायेंगे कि जमीन वास्तव में उनको दी गयी है या नहीं दी गयी है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बाहर के किसी भी व्यक्ति को कोई जमीन नहीं बेची गयी है बल्कि हमारे पास रेकार्ड है उसके आधार पर 19-7-85 के बाद किसी भी तरह की कोई जमीन बेची नहीं गयी है, न तो बूटासिंहजी के नाम से, न रामनिवासजी के नाम से और न जाखड़ साहब के नाम से, कोई जमीन नहीं है। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति सदन के माननीय सदस्य....

श्री घनश्याम तिवाडी : + + +

श्री बुलाकीदास कल्ला : उनके बारे में अपन को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि राजस्थान के बाहर के किसी भी व्यक्ति को कोई जमीन बेची नहीं जा सकती है और इसका हस्तांतरण नहीं हुआ है। जो इन्होंने एक दो नाम बताये हैं वह हस्तांतरण 1979 में हुये हैं। 1979 में जनता पार्टी राज में थी, कांग्रेस का राज नहीं था, इसलिए मैं समझता हूं कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जो भी बातें कह रहे हैं, उनके पास जानकारी अधूरी है, जानकारी पूरी नहीं है, अधिकांश जो हस्तांतरण हुये हैं वही प्रायः 1979 के है....(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या इस महाराजा की जमीन को....

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : किसकी गलती है, कहां ट्रांसफर हुये....बूटासिंह ज के नाम से या....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं है।

श्री नवरंगसिंह : जांच करवा लीजिये।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(6)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ज़बर्दस्ती काहे को चार्ज लगा रहे हैं, अगर आपके नोटिस में कोई बात है तो आप दीजिये।

श्री शोपतसिंह : क्या राज्य सरकार द्वारा बीकानेर महाराजा को सीलिंग एक्ट के तहत उनको जमीन के सम्बन्ध में कोई नोटिसेज दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री शोपतसिंह : अलग से कैसे है, अध्यक्ष महोदय, सीलिंग से कवर होता है, यह कैसे नहीं होता है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग खातेदारों के नाम से जो जमीन सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अधिगृहीत की गयी वह 17 बीघा 1 बिस्वा जमीन है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री चम्पालाल बाँठिया : प्रश्न संख्या 23। (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के इम्पोरटेण्ट सवाल को आप ओवरलुक चाहते हैं। राजाओं की जमीन को सीलिंग से बचाने के लिये आप सहयोग दे रहे हैं, आगे पास ऑन कर रहे हैं ?

श्री अश्कअली टाक (जन-सम्पर्क राज्य मंत्री) : जनता पार्टी के राज में हुआ था।

श्री शोपतसिंह : राजा के नाम से गंगानगर में कितनी जमीन थी ?

श्री अध्यक्ष : आपके पास क्या तथ्य है ?

श्री शोपतसिंह : हमारे पास तथ्य यह है कि हमने उस जमीन को देखा है···

(व्यवधान)

मैं एक सप्लीमैण्टरी करना चाहूंगा, कि करणीसिंह महाराजा के नाम से गंगानगर के अन्दर कुल कितने बीघा जमीन थी ?

श्री सी. पी. जोशी : 525 बीघा 19 बिस्वा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 525 बीघा 19 बिस्वा जमीन 1951 में उनके पास थी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, रिलेवेण्ट क्वेश्चन यह है कि क्या इस बेचान के लिये कलक्टर की इजाजत ली गयी थी ? मुझे जानकारी है कि कलक्टर की इजाजत नहीं ली गयी थी।

दूसरा, प्रश्न यह है कि यह पर्सनल कल्टीवेशन में जमीन नहीं थी इसलिये लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट है उस एक्ट के तहत आज तक आपने कोई नोटिसेज नहीं दिये हैं। सीलिंग लॉ इस पर लागू नहीं होता है, लैण्ड ओनर्स एस्टेट एक्ट लागू होता है इस पर। तीसरी बात यह है कि वहां पर सारी कृषि शेयर होती है, उनको पिछले पांच सालों में रिजेक्ट कर दिया। कई कालोनीज उसकी बसी हुयी है, रेजिडेन्शियल पावर्स हैं उनके पास, 30–35 सालों से बसे हुये हैं, उनको रिजेक्ट करने के बाद, इकरारनामा से जमीन बेची और

(श्री केदारनाथ)

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जो बात बोल रहे हैं, बल्देवसिंह, मोहनसिंह आदि फिरोजपुर और मोगा जिले के हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 1972 से लेकर 1985 तक का हिसाब दिया। मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि महाराजा बीकानेर ने जिस जमीन को अपनी पुत्रियों के नाम पर गिफ्ट में दी है, क्या यह सही है कि 1988 में इस जमीन को राजस्थान के बाहर के व्यक्तियों को बेची गयी है और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास आज जो वर्तमान स्थिति है... मैं बता रहा हूँ उसमें करणीसिंह जी के परिवार के पास आज की स्थिति बता रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सुन लिया हमने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह आपके राजश्री के नाम से 26 बीघा 8 बिस्वा....

श्री अध्यक्ष : यह आपने जवाब दिया उसमें सही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजमाता सुदर्शन कुमारी के नाम से 53 बीघा 5 बिस्वा, सुशीला देवी के पास 18 बीघा 14 बिस्वा और करणीसिंह फाउण्डेशन ट्रस्ट के पास 30 बीघा जमीन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मेरा क्वेश्चन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 324 बीघा जमीन सेना ने अवाप्त कर ली।

श्री शोपत सिंह : सेना कैसे अवाप्त कर सकती है ? सीलिंग एक्ट के तहत राज्य सरकार की जमीन है, सीलिंग एक्ट से फालतू जमीन राज्य सरकार में वेस्ट करेगी, उससे ज्यादा सीलिंग की जमीन महाराजा कैसे दे सकता है, मुआवजा किसे मिलेगा, राजा को मिलेगा या सरकार को मिलेगा ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अलग-अलग खातेदारों के नाम से जो सीलिंग में जमीन आती है उसकी मैंने पोजीशन बतायी है, अधिगृहीत की गयी है...

श्री सी. पी. जोशी : वह प्रश्न क्या कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज्ड कर रहे हैं, शोपतसिंह जी।

श्री नवरंगसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, फिर जांच की घोषणा क्यों नहीं करते हैं ? सारे प्रकरण की जांच करवा दें, पता चल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि स्वर्गीय महाराजा बीकानेर द्वारा गिफ्ट की गयी या बेची गयी अब तक जो बेचान या विक्रय हो रहा है इस भूमि के सम्बन्ध में कभी राजस्थान सरकार ने लैण्ड ग्रानर्स एस्टेट एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने जैसा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बताया कि सबसे पहले करणीसिंह जी ने किसी भी नाम से जमीन बेची····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह मत कहिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने तमलीक नामा और हिब्बा नामा कर अपने परिवार के लोगों दो फिर उनके परिवार के लोगों ने बेचना शुरू किया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा क्वेश्चन समझ लीजिये कि भूतपूर्व महाराजा बीकानेर ने उनके परिवार के लोगों को जो उन्होंने गिफ्ट में या किसी प्रकार से भूमि बांटी है और उन्होंने इसको दूसरे लोगों को बेचान किया हैं, क्या इस सारी कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने लैण्ड आनर्स एस्टेट एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ? और खास तौर से उसके बाद में लैण्ड आनर्स एस्टेट एक्ट, 1984 में अमेण्डमेण्ट जो गया और अमेण्डमैण्ट इसी परपज से लाया गया था, उसके बाद में आज तक कोई कार्यवाही की है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अलग से प्रश्न है···· (व्यवधान)

उन्होंने केवल यही पूछा था कि विक्रय नामा हुआ या नहीं हुआ वह मैंने बता दिया ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं था ।

श्री शोपतसिंह : समाजवाद और गरीबों की बात करने वाली सरकार और लोगों को डूब मरना चाहिये कि एक बीघा जमीन इस स्तर से नहीं ले सके जिसके पास 500 बीघा जमीन थी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ज्यादातर हस्तान्तरण जनता पार्टी के शासन में हुये हैं आपने शायद सुना नहीं है ।

श्री नवरंगसिंह : फिर जांच से क्यों कतराते हैं, जांच कराने की घोषणा करें ।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा घपला है । इस तरह की रजिस्ट्रियां हुई हैं और आम आदमियों की जो हुई हैं 7-7-88 हजार बीघे के हिसाब से, उन रजिस्ट्रियों के खिलाफ नोटिसेज आये हैं कि रजिस्टेशन फीस कम दी है इस बात पर नोटिसेज आकर जमीनें खारिज हो रही है । उन्होंने यह जमीन एक्वायर की है और यह जमीन गंगानगर के कलेजे के ऊपर है और जिसकी कीमत 1 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से पड़ती है वह जमीन दो दो हजार रुपये बीघे के हिसाब से बेची गयी । इसके अन्दर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी हुयी, इस जमीन के रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी हुई और इस जमीन को अनवान्टेड लोगों को जिनकी खातेदारी हक नहीं है । उन लोगों को इकरार नामे के हिसाब से काबिज किया जा रहा है. बहुत क्लियर मामला है, आपके रेकार्ड में नहीं है पर गंगानगर का आम आदमी जानता है कि इस सारे घपले के पीछे XXX

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज करेंगे । बिना आधार के आरोप नहीं लगायें ।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तमाम राजाओं की जमीन इसी तरह से खुर्द-खुर्द कर दी है और इन कांग्रेसी नेताओं ने कई होटलों के नाम से ....

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जनता पार्टी के राज में ज्यादा रजिस्ट्रियां हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : ज्यों ही + + + इनको स्प्रिंग लग जाती है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई सब्सटेंस होना चाहिए किसी भी चार्ज को लगाने से पहले ।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये इन लोगों को बचाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन तथ्यों को कान्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं । I am very sorry.

श्री लालचन्द डूडी : + + +

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिना सब्सटेंस के I will not allow it. कृपया इनका एक्सपंज कर दें । (व्यवधान) माननीय सदस्य बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगायें ।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन की चोरी किस तरह से की जा रही है । सारी बेनामी तरीके से की जा रही है । यह सब बेनामी हिसाब से ....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय एक बेनामी का उदाहरण रखें तो सही सदन के पटल के ऊपर ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज मिढ़ा : + + + ।

श्री अध्यक्ष : इसे एक्सपंज कर दें कृपया । (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाडी : बेनामी है कि नहीं है, राज्य सरकार जांच करेगी । जांच करके पता लगायेगी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में एक सबूत दे दें । मैं जांच करवा लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह अपने आप में सबूत नहीं है कि उसी जगह पर 10 हजार, 15 हजार रुपये बीघा में बिकने वाली जमीन के ऊपर नोटिसेज आकर सारी जमीनों को खारिज किया जा रहा है और यह जमीन दो हजार रुपये बीघा में बिक रही हैं । यह सारा काम हो रहा है । क्या यह सबूत नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 23

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

नाहटा अस्पताल, बालोतरा

23. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा के राजकीय नाहटा अस्पताल का उचित संधारण नहीं होने से पूरे अस्पताल क्षेत्र में भयंकर दुर्गन्ध रहती है और भवन में अनेक स्थानों पर दरारें आ रही हैं ?

(2) विभाग ने अब तक इसकी देख-रेख सार्वजनिक निर्माण विभाग को क्यों नहीं सौंपी ? यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग इसे लेने में आनाकानी और विलम्ब कर रहा है तो इस भवन की देखभाल, मरम्मत, सफेदी का दायित्व किसका है ?

(3) इस भवन में अस्पताल कब से चल रहा है और अब तक इसकी मरम्मत सफेदी व देखरेख में कितनी धन राशि व्यय हो चुकी है ?

चिकित्सा मन्त्री (**श्री माधव सिंह दीवान**) : (1) जी हां, कुछ स्थानों पर हल्की दरारें हैं।

(2) भवन की देखरेख सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन में कुछ कमियां ठीक न हो तब तक लेने से इन्कार कर रहा है। इन कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही जारी है।

(3) इस भवन में अस्पताल 27-3-82 से चल रहा है तथा अभी तक इसके रख-रखाव पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है।

श्री चम्पालाल बांठिया : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा और मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि 27-3-82 से इस भवन में औषधालय चल रहा है लेकिन इस भवन में अस्पताल 78-79 से चल रहा है। 82 में तो तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने उसका फिर से उद्घाटन किया लेकिन अस्पताल 78-79 से चल रहा है। अब 10-11 वर्ष से इस भवन के ऊपर एक पैसा भी सरकार ने नहीं लगाया। यह खुद मंजूर करते हैं कि हल्की दरारें हैं लेकिन जाकर के देखने से मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की भवन की स्थिति है। वहां कोई इन्सान खड़ा नहीं रह सकता। इस तरह से बदबू मार रहा है सारा सड़ांध से भरा हुआ है और वहां पर पूरे जिले के, आधे जिले के मरीज आते हैं। 50 बैडेड हास्पिटल है, रेफरल अस्पताल है लेकिन 70 बैड वहां हैं। लोगों को वहाँ पर मुंह, नाक पर रूमाल बांधकर जाना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति है और ये कह रहे हैं, कार्यवाही सार्वजनिक निर्माण विभाग को अपने हाथ में लेने की चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दो वर्ष पूर्व तत्कालीन मन्त्री श्री देवपुराजी वहां पर आये थे और उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग इस भवन को ले लेगा लेकिन कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक उस भवन को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हाथ में नहीं लिया। इसके क्या कारण हैं। एक प्रश्न सप्लीमेंटरी और मैं करना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : चम्पालाल जी, भाषण दे रहे है आप ।

श्री चम्पालाल बांठिया : नहीं, भाषण क्या सप्लीमेंटरी कर रहा हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अब तक क्यों नहीं लिया जबकि तीन चार बार यह आश्वासन दे चुके थे ? और कई भवन इस तरह के बने हुए हैं जहां पर बिजली की फिटिंग भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बात वही आ गयी । प्रश्न छोटा सा है आप भाषण मत करो । (व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो दरारें स्वीकार की गयी हैं उन दरारों का पता कब चल गया ? क्योंकि यह अस्पताल एक गड्डे में आया हुआ है और उसके कारण वहां पानी का कोई निकास नहीं है । दरारें बड़ी होती जा रही हैं । इससे पेशेन्ट्स और शहर के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है । बालोतरा में एकमात्र अस्पताल है सारे एरिया में और इसके कारण वहां पर आपरेशन कराने में लोग डरते हैं कि कब यह भवन गिर पड़ेगा । मैं यह जानना चाहूँगा यह दरारें कब आयीं और आपको पता कब चला ? और यह खतरनाक स्थिति है । दूसरा, मैं सबसे इम्पार्टेंट सवाल यह पूछना चाहता हूं कि यह पी.डब्ल्यू.डी. की कुछ कमियां रह गयीं, यह रह गयीं । इससे हमको कुछ मतलब नहीं है । पिछले 10 साल में कमियां रह गयीं तो आपकी तो कमियां रहेंगी । आप तो यह बतायें कि यह दरारें कब तक ठीक करा देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम जी ।

(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की क्या यह नीति है कि भवन जो दान-दाता दान में दे रहा है उसको पी.डब्ल्यू. डी. के लेने के पहले ही उसमें औषधालय चालू कर देते हैं या बाद में करते हैं ? दूसरा मेरा यह है कि जब तक आपका भवन यह पी.डब्ल्यू.डी. नहीं लेती तब तक आप इसमें कोई खर्चा करते हैं या नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : भाभड़ा जी ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सारे राजस्थान के लिए है कि आपकी भवन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है ? इस प्रक्रिया को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे यह सब राजस्थान में जितने भी भवन भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए दिये गये हैं उनको बीसियों, पच्चीसों वर्षों से अधिग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि भवन बनाकर दान-दाता दे देता है आप इसमें काम शुरू कर देते हैं और पी.डब्ल्यू. डी. की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वह पूरी होती नहीं है । इस बीच में भवन में टूट-फूट हो जाती है । वह टूट-फूट तब तक ठीक नहीं होगी जब तक पी.डब्ल्यू.डी. नहीं लेगी । यह जो प्रक्रिया सारे राजस्थान में चल रही है उसके कारण सारे राजस्थान में यह स्थिति बनी हुई है कि जिन लोगों ने भी दान-दाताओं ने भवन बनाकर दिये हैं न तो उनका मेंटेनेन्स होता है, न सरकार उनको ग्रहण करती है । इसीलिए मैं मन्त्री

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि भवन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या आप सरल करेंगे। जैसे ही विभाग उसमें काम शुरू करे उनको अधिग्रहीत मान लिया जायेगा। इसमें ऐसा परिवर्तन करने की मंशा है या नहीं। (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहेंगे कि 1983 में उसका पुर्नउद्घाटन करने वाले मुख्य मंत्रीजी कौन थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि इसमें मामूली दरारें हैं। क्या आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस बात का प्रमाणपत्र लिया है कि इस प्रकार की दरारें रहने से ह्यूमन लाइफ को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री माधव सिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इस बात का तो मुझे खेद है कि 82 में जब अस्पताल चालू हो गया, वह 88 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द नहीं किया। इस बीच में मैंने इसकी कारेस्पोंडेन्स वगैरह देखीं तो दोनों विभागों के बीच में काफी पत्राचार हो रहा है और इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से सुधारी जाय इस बाबत कल ही मैंने एक मीटिंग ली। इसकी बाबत मैं आपको निवेदन कर दूंगा। प्रक्रिया वाकई बड़ी जटिल है। इसकी प्लिंथ लेवल जमीन से सिर्फ एक फुट ही ऊंची है और गटर ऊंची बनने के कारण बाथरूम से, लेटरिन से पानी बाहर नहीं जा रहा है। वाकई गन्दगी ज्यादा है और इस बात को मैं सदन के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर इस सारी स्थिति को ठीक करके इस तरह की व्यवस्था कर दी जायेगी ताकि मरीजों को तकलीफ नहीं हो। (व्यवधान) मैं खुद मौके पर जाकर इस व्यवस्था को देख लूंगा। 70 हजार रुपये कलेक्टर ने स्पेशल अपने फण्ड से इसके लिए स्वीकृत किये हैं इसकी एक महीने के अन्दर-अन्दर जो गटर की व्यवस्था है उसको ठीक कर दी जायेगी। ....(व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता ने जो सवाल उठाया है, बहुत ही महत्व-पूर्ण सवाल है। मैंने एक्स. ई. एन. को, जब यह प्रश्न आया, बुलवा लिया था। उसका कहना है कि बिल्डिग में जो दरारें पड़ी हैं वह लाइफ के लिए डेन्जरस नहीं हैं। हालांकि बिल्डिग ट्रस्ट ने बनवाई, उसमें पी.डब्ल्यू.डी. का इन्वाल्वमेंट नहीं था अभी जरूर उसकी फाउण्डेशन का सेटलमेंट नहीं हुआ है।.... (व्यवधान) परन्तु उसको मैंने जैसा आपको निवेदन किया एक महीने के अन्दर उसका निराकरण करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया। नेक्स्ट, श्री शिवनारायण (तारांकित प्रश्न संख्या 24) (अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

श्री हरिकुमार औदिच्य ।

लघु सीमान्त कृषकों के लिए कुए

25. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 में अकाल राहत कार्य में लघु सीमांत कृषकों के लिए कितने कुए खुदाये गये व कितने कुए अभी अपूर्ण हैं ?

(2) क्या सरकार इन कुओं को पूरा करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री (श्री नारायण सिंह) : (1) वर्ष 1988-89 में अकाल राहत कार्य में लघु एवं सीमांत कृषकों के विभागीय आंकड़ों के अनुसार 45759 कुए खुदवाये गये एवं 7322 कुए अपूर्ण रहे।

(2) जी हां।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न के पहले भाग में बताया कि 45759 कुए खुदवाये गये, एक तो आपने उसका मापदण्ड क्या रखा है। दूसरा यह बताइये कि इन कुओं के खोदने में राज्य सरकार का कितना पैसा व्यय हुआ। दूसरा, 7322 कुए अपूर्ण रहने की बात आपने कही है, इसका क्या कारण है। यह अपूर्ण क्यों रहे। क्या इनकी खुदाई के बारे में राज्य सरकार या विभाग के पास किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायतें बराबर आई हैं और आई हैं तो राज्य सरकार ने इसकी क्या कार्यवाही की। दूसरे प्रश्न के बारे में, मेरा प्रश्न तो स्पष्ट था कि क्या सरकार इन कुओं को पूरा करने का इरादा रखती है। आपने उत्तर दिया, जी हां। बाद में शायद आपने पढ़ा नहीं, यदि हां तो कब तक। और इसको चालू करने के लिए अपूर्ण कुओं को पूरा करने के लिए सरकार कोई पंचवर्षीय योजना बनायेगी या अभी चलने वाली कई योजनायें आपके पास आई हैं इन योजनाओं में इसको ले करके पूरा करेगी। तथा हजार लोगों की कुन्डी में घुन लगा रखा है आपने, उनको कब तक राहत मिलेगी। एक बात तो आप यह बताइये।

दूसरी बात यह है, क्या यह सही है कि आपने अकाल के नाम पर किसानों को प्रलोभन देकर, फुसलाकर कि उनको आर्थिक लाभ मिलेगा, और वह लाभ नहीं मिल पाया, इसके बारे में सरकार बेसुध हो गई। उनके लिए सरकार कोई कार्य करने का विचार रखती है ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, 7322 कुए जो अपूर्ण रह गये हैं इनको पूर्ण कराने के लिए जीवन धारा और आर. एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत निर्देश दिये गये हैं यह शीघ्र ही पूरे होंगे, ऐसी उम्मींद है। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दीजिये, बीच में इण्टरप्शन नहीं।

श्री नारायण सिंह : एस.एस.ओ. ने इस सम्बन्ध में सभी जिलाधीशों को यह निर्देश दे दिये हैं कि मापदण्ड निर्धारित किया गया है। उनके अनुसार इन कुओं को जो फेमिन के अन्दर अधूरे रह गये हैं, पूरा करवाया जायगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने जवाब तो दिया ही नहीं कि अधूरे क्यों रहे और क्या कारण थे और क्या भ्रष्टाचार की शिकायतें आपके पास आई थी और यह कुएं कब तक पूरे हो जायेंगे। जीवनधारा और ऐसी योजनायें तो आपकी चलती रहेंगी।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं आई। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आयेगी तो इसकी जांच कराऊंगा। (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : क्या कलक्टर्स के पास और बी.डी. ओज. के पास इस बात की शिकायतें आई हैं। इनमें बीस-बीस साल पहले पुराने कुएं जो बने हुए हैं उनके नाम से पैसा उठा लिया गया और इसमें कांग्रेस के प्रभावशाली नेता इस पैसे को उठाकर खा गये। क्या आप इसका सर्वे करायेंगे कि क्या इन 45 हजार कुएं के अन्दर कितने फर्जी कुओं के नाम से पैसा उठाया गया और उसमें कौन-कौन लोग सम्मिलित थे, कई प्रधान सम्मिलित थे, कई कांग्रेस के पदाधिकारी सम्मिलित थे और वह सारा का सारा फर्जी लोन उठा कर खा गये। आप उनको पूरा करवाने के लिए आर.एल.ई.जी.पी., एन.आर.ई.पी. की बात करते हैं, वह तो जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित हो गया. आप पैसा कहां से देंगे। सदन को मंत्रीजी गुमराह नहीं करें। आप अस्योरेन्स दीजिए कि कितने समय के अन्दर इन कुओं को पूरा करा देंगे और इनका सर्वे करायेंगे, जांच करायेंगे कि कितने फर्जी लोग यह पैसा उठाकर खा गये। क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाडी।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी भी वही बात कहेंगे जो नाथूसिंहजी ने कही है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री नारायण सिंह : यही कि कितनी शिकायतें····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कुएं खुदवाये गये उनमें नये कुए कितने खुदवाये गये और कितने पुराने कुओं की मरम्मत कराई गई, एक प्रश्न। दूसरा, मैं यह जानकारी करना चाहूँगा कि जो नये कुएं खुदवाये गये, क्या यह सही है कि इनमें 5 प्रतिशत से ज्यादा किसी कुएं से सिंचाई नहीं हुई। सारे कुएं बेकार पड़े हैं। क्या यह आपने जांच कराई है। जांच तो कराई है लेकिन आपकी जानकारी में है तो बता दें।

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने जो बात कही है वह इसमें नहीं है इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री नाथूसिंह : इन्होंने इनके लिए कुए खुदवाये, जनता इनके लिए कुएं खुदवा रही है।

श्री नारायण सिंह : यह आपका भ्रम है। (व्यवधान)

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : एक कुएं को खोदने में कितनी लागत आती है। पानी निकालने में कितनी लागत आती है यह कृपया बताइये। जिलेवार कितना पैसा खर्च होता है। यह बताइये तो आपको पता चलेगा कि एक लाख रुपये में कुआ बनता है। आपने उन बेचारों को रुला दिया और उनकी माली हालत जो पहले थी उससे भी बदतर कर दी क्योंकि उनके कुए पूरे नहीं हुए और पानी हुआ नहीं, 15-15 हजार रुपये देकर उनको बरबाद कर दिया। पाली जिले में कोई 2300 कुए खोदे जिनमें से सौ कुओं में भी पानी नहीं आया आज तक। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह (रूपवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : ग्राउण्ड वाटर जो आपके पास डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट ली नहीं।

श्री अध्यक्ष : अपने आप बोल रहे हैं, आप भी बोलिये।

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ किसान जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, उन किसानों से फाइलें भरवा ली गई, कुछ को राज्य सरकार की तरफ से मदद मिल गई, कुछ ने अपने घर से लागत लगाई। इसमें लोगों ने दस-बीस पन्द्रह हजार रुपये तो खर्च कर दिये लेकिन आज तक राज्य सरकार से कोई भी, किसी तरह की मदद नहीं मिली। क्या उन लोगों के कुओं को जिनका पैसा लग गया, राज्य सरकार पूरा कराने का इरादा रखती है ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने मापदण्ड की बात कही। नाबार्ड ने नार्म्स तय कर रखे हैं उसके आधार पर फेमिन में, कुओं की जितनी गहराई होगी, उसके अनुसार पैसा होगा, उसी आधार पर दिया गया है। जहां तक अधूरे कुओं को पूरा कराने का सवाल है उसमें हम निश्चित रूप से इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि उन कुओं को जो अधूरे रह गये हैं, पूरा कराया जाय। इसमें कारण उन लोगों का भी है, कुछ कुएं तो फेमिन बन्द होने से कम समय में शुरू हुए वह पूरे नहीं हो सके। उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। 54 हजार कुओं में से सात हजार कुएं अधूरे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार का.... (व्यवधान)

इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने बताया कि 45 हजार कुएं खोदे हैं, उनमें से कितने कुओं में पानी आया। आपने उन किसानों को कहीं का नहीं रखा। आप जवाब को गोलमाल कर रहे हैं। यह बताइये, कब तक पूरा कर देंगे और उनको पानी मिलेगा या नहीं। आप राउण्ड

(16)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

अबाउट जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय इन्होंने जवाब नहीं दिया सप्लीमेंट्री का। क्या जवाब दिया इन्होंने। मैंने पूछा कि कितना रुपया खर्च हुआ, यह आपने बताया ही नहीं। उन कुओं को कब तक पूरा करा देंगे, यह आप बताना नहीं चाहते।....

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह : यह आप पढ़ लीजिए, आपने कहीं भी यह नहीं पूछा। ....(व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कहते हैं राजस्थान में 60 हजार कुएं खोदे हैं....

श्री नारायण सिंह : आपके सवाल में कहीं भी कितना रुपया खर्च हुआ यह नहीं पूछा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मंत्री महोदय, आप कामनसेन्स को भी काम में लीजिए। आप कहते हैं पूछा नहीं, आपका क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 26, आयुर्वेद मंत्रीजी।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : माननीय अध्यक्षजी, यह क्या जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, गरीबों का खा गये, और आप कहते हैं जवाब देंगे, कुएं खुदे ही नहीं, पेमेंट हो गया। पटवारी कानूनगो मिलकर पैसे डकार गये....

श्री मांगीलाल आर्य : आपके कहने से कुछ नहीं होगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मंत्री महोदय, आप जानकारी प्राप्त कर ले।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : पेमेंट हो गये, कोई कुआ खुदा नहीं। सदन को आप गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 26।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : आज तक उनको पैसा नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, आप इन कागजों के आधार पर जवाब देना चाहते हैं जिन लोगों ने कुएं नहीं लगवाये उनको पूरा पेमेंट हो गया। जिन लोगों ने काम किया आज दिन तक पेमेंट नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं किया जाये।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : XXX

श्री हरिकुमार औदिच्य : XXX अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। एक मिनट बैठ कर सुनिये आप।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : जबरदस्ती बोल रहे हैं आप। कौन सी जगह कौन सा कुआ नहीं खुदा कर गड़बड़ है यह इनको दें, मुझे दें, आप जनरल चीज बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : 25 परसेन्ट कुएं नहीं खुदे हैं आप जाच करवा लीजिए।

श्री नवनीत लाल नीनामा : कुओं की सूची है मेरे पास में। मैं नाम बताने को तैयार हूँ। जिला बांसवाड़ा मैं यह हालत हुई है····

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न का जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं····

श्री नवनीत लाल नीनामा : किसानों को आज दिन तक पेमेंट नहीं किया गया है पंचायत समिति पीपलखूंट, जिला बांसवाड़ा। यही हालत है। सूची आपके सामने दिखा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं. 26।

आयुर्वेद विभाग में रिक्त पद

26. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में कौन-कौन से पद कब-कब से किन-किन कारणों से रिक्त चले आ रहे हैं।

(2) राज्य में कितने पद डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद के व कितने जिला आयुर्वेद अधिकारियों के स्वीकृत हैं? उनमें से कितने पदों पर कौन-कौन व्यक्ति कार्यरत हैं?

(3) उक्त अधिकारियों में से किन-किन पर कब-कब से किन-किन आरोपों में विभागीय स्तर पर क्या कार्यवाही चल रही है?

(4) क्या यह सही है कि कुछ मामले ऐसे भी हैं जो अदालतों व भ्रष्टाचार से सम्बन्धित हैं? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं अदालतों में दिया गया? अब वे मामले कब तक अदालतों में दे दिये जावेंगे?

आयुर्वेद राज्य मंत्री (श्री मांगीलाल आर्य) : (1) आयुर्वेद विभाग में रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विभाग में 6 डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद के एवं 25 पद जिला आयुर्वेद अधिकारियों के स्वीकृत हैं, इनमें से 3 उप निदेशक पदों पर तथा 21 जिला आयुर्वेद अधिकारियों के पदों पर व्यक्ति कार्यरत हैं। कार्यरत व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही चल रही है, उनका विवरण सदन के पटल पर रख गया है।

(4) जो गबन, रिश्वत एवं अपराधिक

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित किया गया।

(श्री मांगीलाल आर्य)

प्रकृति के प्रकरण होते हैं, उन्हें न्यायालय में भी दिया जाता है। प्रश्न के भाग सं. 2 में प्रस्तुत सूची में ऐसे प्रकरण नहीं होने के कारण न्यायालयीय कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझ कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इसमें श्री अधिकतर के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत मेजर पैनल्टी दी जा सकती है। सूची के क्रम संख्या 8 पर अंकित श्री ओमप्रकाश गोस्वामी के विरुद्ध रिश्वत का प्रकरण होने से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा अदालती कार्यवाही की जा रही है। क्रम सं. 7 पर अंकित श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता के प्रकरण में प्राथमिक जांच में गंभीर आरोप पाये जाने पर इनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही करने पर विचार किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग में जैसा कि आपने सूची दी है डाइरेक्टर का पद 9 माह से रिक्त है। डिप्टी डाइरेक्टर के 6 पद में से 3 पद रिक्त हैं और तीन में से भी दो पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। इन्सपेक्टर के 26 पदों में से 5 पद रिक्त चल रहे हैं और 10 इन्सपेक्टरों पर भ्रष्टाचार के मुकदमें चल रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, कृपा करके यह बतायें कि आपने प्रश्न नं. 2 में जो कहा है कि एण्टी करप्शन को हम इसलिये मुकदमे नहीं दे सकते क्योंकि गम्भीर मामले नहीं हैं। आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि गजानन्द रावल जो जाति से ब्राह्मण था शैडयूल्ड कास्ट का बनकर चूरू में डिप्टी डाइरेक्टर ने इसको नियुक्ति दी और जो व्यक्ति आज की तारीख में ईरान में रहता है, जिस दिन से उसको नियुक्ति दी, वह भारत का नागरिक नहीं है वह ईरान का नागरिक है और उसके बावजूद गजानन्द का छोटा भाई आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो क्या इसे एन्टीकरप्शन और भ्रष्टाचार की संज्ञा में नहीं रख सकते। क्या यह सही है कि 12 वर्ष से, चूरू में जो काण्ड घटा, यह 12 साल पहले का काण्ड था। 12 साल से आपने उस व्यक्ति को धारा 16 सी. सी. के तहत उस पर मुकदमा कायम कर रखा है 12 साल में आप निर्णय नहीं ले सके। यह निर्णय क्या इसलिये नहीं ले सके माननीय मंत्री महोदय, जो माननीय डिप्टी डाइरेक्टर साहब है इनको मुख्य चिकित्सक से बढ़ाकर इस भ्रष्टाचार के बाद गलत नियुक्ति देने के बाद इनको इन्सपेक्टर बनाया। इतना बड़ा गम्भीर आरोप होने के बाद जोधपुर में, माननीय मंत्री महोदय, 80 औषधालयों में से 43 औषधालयों में 82 उपवैद्यों की नियुक्ति इस व्यक्ति ने दे दी। जब कि वहां पद नहीं है। क्या यह धारा 16 सी. सी. का केवल मात्र मामला था। क्या यह सही नहीं है। माननीय मंत्री जी, 1982 के अन्दर इन्हीं महाशय पर एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने अजमेर के अन्दर अजमेर जिलाधीश के द्वारा नियमों के खिलाफ नियुक्तियां देने के कारण इन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम किया गया और क्या यह सही नहीं है मंत्री महोदय, कि आप और आपका विभाग 6 लाख रुपये की थैलो के आधार पर इस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आप आयुर्वेद विभाग का डाइरेक्टर बनाने का षडयन्त्र नहीं कर रहे हैं ? डी. पी. सी. को भी क्या इस व्यक्ति ने खरीद नहीं लिया है ? माननीय मंत्री महोदय, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में एक भी ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में डाइरेक्टर का पद 9 महीने तक भरा नहीं जाता हो, केवल आयुर्वेद विभाग आपके कारण चू-चू का मुरब्बा हो गया है। वैद्यों के पद खाली हैं, इन्सपैक्टर के पद खाली पड़े हुए हैं, आखिरकार आप कर क्या रहे हैं। आपका पी. ए. आपके नाम पर, आपकी पत्नी के नाम पर सरे आम रोजी-रोटी कमा रहा है। यह सारे जवाब आप देने की कृपा करें।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने इस तरह के बिल्कुल निराधार आरोप लगाये हैं····

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आपने ही कहा है। गजानन्द रावल क्या गुजराती ब्राह्मण नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी, सुनिये तो सही। (व्यवधान) इस प्रश्न पर सप्लीमेंट्री करने वाले कृपया जोशी जी से इजाजत लें।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक निदेशक के पद को भरने का सवाल है, निदेशक का पद भरने के लिये दो बार डी. पी. सी. बैठी थी और डी.पी. सी. बैठने के उपरान्त हुआ यह कि राम निवास जोशी जो उप निदेशक हैं उन्होंने न्यायालय में एक रिट दायर कर दी और वह रिट दायर की श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज के खिलाफ जो कि पांचवें नम्बर पर हैं वह शामिल हो सकें। और श्री राम निवास जोशी 6 नम्बर पर था····

श्री दाऊदयाल जोशी : 6 महिने हो गये।····

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये।

श्री मांगीलाल आर्य : डी. पी. सी. के नियमानुसार एक पद के लिये पांच व्यक्तियों में से ही किसी एक को चयनित किया जा सकता है। श्री राम निवास का नम्बर छठा आता था मगर जब हाईकोर्ट ने इस तरह का निर्देश दे दिया कि चयन के लिये श्री राम निवास जोशी को भी शामिल किया जाये, मगर उनका नाम छठे नम्बर पर आता है और नियमानुसार उनका नाम आ नहीं सकता। इसके साथ हाईकोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि डी. पी. सी. जो निर्णय ले किन्तु इसमें अन्तिम निर्णय हाईकोर्ट का ही होगा। इस कारण डी. पी. सी. ने मामले को रोक दिया कि आखिरी निर्णय हाईकोर्ट का ही होगा तो पहले हाईकोर्ट निर्णय कर दे कि श्री जोशी का नाम सम्मिलित किया जाये अथवा जिसके नाम की चुनौती दी है उसका निर्णय होने के बाद ही निर्णय हो सकता है। यही वजह है कि निदेशक का पद आज तक नहीं भरा गया है।

अध्यक्ष महोदय, उप निदेशक का जहां तक प्रश्न है, पात्रता सूची में श्री गणपत लाल और श्री गिरराज किशोर दो हैं। दिनांक 1-10-1988 को जब डी. पी. सी.

(श्री मांगीलाल आर्य)

बैठी तो उसमें यह गलती हो गई कि श्री गणपतलाल आर्य जो प्रथम था वह उसमें सेकिण्ड आ गया और दूसरा प्रथम पर चला गया। इस कारण डी. पी. सी. के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिये वापिस डी. पी. सी. की बैठक बुलायी गयी है। निर्णय होने के बाद उप निदेशक का पद भरा जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : 1982 के बाद डी. पी. सी. आज तक नहीं बैठी है। और किसी विभाग में हुआ है क्या ?

श्री मांगीलाल आर्य : चार जिला आयुर्वेद के अधिकारियों के पदों····

श्री अध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री मांगीलाल आर्य : ···पर चयन हेतु डी. पी. सी. की बैठक बुलायी जा रही है। सहायक निदेशक के पद नियम में संवर्ग में नहीं होने के कारण इन पर नियमित चयन संभव नहीं हो पाया है। पद को संवर्गित किये जाने बाबत वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और लोक सेवा आयोग से सहमति प्राप्त कर ली गयी है और नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

उप निदेशक और मेडिकल आफिसर के पद को भी नियमों में संवर्गित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक के 245 और यूनानी चिकित्सक के 25 पद रिक्त हैं। इसके लिये विभाग द्वारा विज्ञापन दिया गया था। चयन किया जा कर पत्रावली आगे चली गयी है और जल्दी ही नियुक्ति कर दी जायेगी। होम्योपैथिक चिकित्सक के लिये निदेशालय द्वारा 1981 में 25 पद नियुक्ति हेतु विज्ञापित किये गये। एक चयन समिति का भी गठन किया गया था। इसमें चार वर्ष वाले डिप्लोमा प्राप्त आशार्थियों का चयन इसलिये नहीं किया गया कि इस डिप्लोमा का केन्द्रीय परिषद एक्ट में नहीं है····

श्री शोपत सिंह : बहुत हो गया। स्टेटमेंट मत दीजिये।

एक माननीय सदस्य : सप्लीमेंटरी का जवाब है। जितना लम्बा प्रश्न है, उतना लम्बा उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह जो डिप्टी डायरेक्टर श्री जोशी है, इनके विरुद्ध टोंक में जो नियुक्तियां हुई थी उन से पैसा लेकर नियुक्ति करने का मामला ए. सी. डी. में है। दूसरा, कई जगह पैसा लेकर नियुक्ति करने का मामला भी इनके विरुद्ध ए. सी. डी. में है। क्या यह सही है कि इनको चार्जशीट बना कर दे दी गई है। चार्जशीट के आधार पर इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। तीसरा प्रश्न, होम्योपैथी के 80 में से 31 पद और यूनानी के 76 में से 25 पद रिक्त है, इनको कब तक भरा जायेगा। चौथा सवाल यह है, क्या यह सही है कि यह जो औषधियां होती है इनके लिये एक

(श्री नाथू सिंह)

ड्रग इन्स्पेक्टर होता है, कन्ट्रोलर, विश्लेषक का पद कई साल से खाली है। इस पर नियुक्ति नहीं होने से फर्जी दवाइयां बिक रही है। इस पर क्या कन्ट्रोल है। आखिरी सवाल, 4500 तबादले आपने किये हैं। इसमें से कितने आपने केन्सिल किये हैं। आपने पैसा लेकर यह किया है। पहले ट्रान्सफर करते हैं। पैसा लेकर ट्रान्सफर केन्सिल करते हैं। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे। मैं 500 आदमियों को लाकर खड़ा कर सकता हूं, जो एफिडेविट देने के लिये तैयार हैं। तीन दिन पहले ट्रान्सफर और तीन दिन बाद केन्सिल पैसे के आधार पर किये गये हैं या आप बताइये किस आधार पर केन्सिल किये हैं। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आया है, इनके डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर सिवाय पैसे के नहीं होता है। इनका जो सेक्रेटरी है उसने इनके नाम से पैसे लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाया हूँ....

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं लाया हूँ, आपकी जानकारी में पैसे लिये हैं आपके डिपार्टमेंट में आपके नाम से पैसे लिये गये हैं। बिना पैसे के नहीं होता है। सीकर में ट्रान्सफर बिना पैसे के नहीं होता है।

एक माननीय सदस्य : नाम बताओ।

श्री नाथू सिंह : स्तीफा देंगे, क्या लिखित में दे देंगे ?

एक माननीय सदस्य : मैं लिखित में देता हूं, पांच मामले मेरे पास में हैं।

श्री भंवराराम सूपका : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है।

एक माननीय सदस्य : यह आरोप असत्य है। इनका काम नहीं होता है इसलिये...

श्री भंवरा राम सूपका : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य बार-बार निराधार आरोप सेन्ट्रल के कांग्रेस लीडर्स पर, मंत्रियों पर लगाते है। इनके पास न तो कोई प्रूफ है। ये कभी श्री बूटासिंह पर, कभी श्री राम निवास पर आरोप लगाते हैं.... (व्यवधान) या तो आप सबूत पेश करिये वरना जनता ने राज दिया है.... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य देने को तैयार हूं। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने दौलतपुरा के वैद्य श्री शर्मा का ट्रान्सफर करवाने के लिये अपनी ताकत पैसे सहित काम में ली है। यह तथ्य है। जांच करवाइये। कई बार उसका ट्रान्सफर हुआ और कई बार उसको केन्सिल किया गया। दूसरा तथ्य देता हूं। रतनगढ़ में, मालपुर में एक वैद्य पिछले दो, तीन साल से बिलकुल नहीं जाता है। सरदारशहर में रहता है जिसकी शिकायत मंत्री जी के पास चार महिने से लगातार मैंने पत्र देकर, वहां की जनता ने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

पत्र देकर की, मगर वह वैद्य अभी तक वहीं सरदारशहर में बैठा है, जाता नहीं है। उसके खिलाफ जांच होती नहीं। मतलब साफ है। उसने पैसा दिया है। और तथ्य दूं। (व्यवधान)

श्री भंवराराम : यह सरासर असत्य है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय मंत्री जी। आप बैठिये। आप बैठिये। टाइम बहुत हो गया, माननीय सदस्य। समय हो गया।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा ट्रांसफर कराने में विपक्ष के माननीय सदस्यों का हाथ है। आप ही लोगों का हाथ है। इन्होंने ट्रांसफर कराये हैं और बदनाम करते हैं। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो + + + तबादले तो पांच हजार से पच्चीस हजार रुपये देने पर ही होते हैं, माननीय सदस्य। तबादले तो केवल इनके किये हैं।

श्री अमरचन्द : आप जनता को धोखा देकर यहां आकर, बैठकर यहां पर भी आरोप लगा रहे हो, आप अपनी इन आदतों को रोकिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

माननीय सदस्यों को मैं यह कहूंगा कि रिश्वत जैसे अगर सीरियस चार्जेज किसी पर लगाये जाते हैं तो उसकी पूर्व सूचना देनी चाहिये। (व्यवधान)

एकदम नहीं करना चाहिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, चार्जेज तो नहीं लगाने चाहिये लेकिन यह बीमारी इनकी रग-रग में बस गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये, टाइम हो गया।

श्री मोतीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर का मामला असेम्बली में आया है, सवाईमाधोपुर के के. के. शर्मा, एस. पी. का जनता की शिकायतों पर ट्रांसफर हुआ उसके बाद उन्होंने क्षेत्र में हर थानेदार को कहा, मैं पांच लाख रुपये सी. एम. को देकर आया हूँ, एक महीने में मुझे पांच लाख रुपया लाकर दे दो। सवाईमाधोपुर में प्रत्येक थाने पर अपने चहेते ए.एस.आई. और थानेदार को तैनात किया है कि मेरा पांच लाख रुपया....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कहां है, आप कहां बोल गये। आप काहे पर बोल रहे हैं। नोट नहीं किया जाय।

श्री मोतीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : नाट रेलेवेन्ट। नोट नहीं किया जाय। माननीय मंत्री जी।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सी. पी. जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी। माननीय मंत्री जी।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : आप भी बोल लेते।

(व्यवधान)

किरोड़ीलाल जी, बोलेंगे नहीं। नहीं, अब नहीं। मैं नहीं करता हूं।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : XXX

श्री रमजान खां : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। डा. किरोड़ी लाल। बहुत टाइम हो गया। डा. किरोड़ी लाल जी।

श्री किरोड़ीलाल मीणा : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने पदों की सूची इन्होंने दी है, सदन के पटल पर रखी है, क्या यह सही है कि काफी लम्बे समय से अनुसूचित जाति, जनजाति के पद रिक्त पड़े हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन पदों को भरा जाना नितान्त आवश्यक है ? जो इन्होंने सूची दी है चतुर्थ श्रेणी और बाकी के कर्मचारियों की, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का प्रतिबंध होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो सरकार एक तरफ तो घोषणा यह कर रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायगी, माननीय मंत्री महोदय, स्पष्ट करें कि कितने पद रिक्त हैं और कब तक अनुसूचित जाति, जनजाति के पदों को भर दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है। माननीय मंत्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या आपके विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं···

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी ने जो 6 लाख रुपये की बात कही है, शायद इन्होंने कोई पैसे गिने हों और वह थैली इन्होंने दी है तो मुझे पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी, टाइम बहुत हो गया। 12 बजकर 10 मिनट होने को हैं। बहुत हो गया।

श्री मांगीलाल आर्य : निदेशक के पद पर कोर्ट से स्टे के कारण रुकी हुई है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। कृपया नोट करेंगे।

श्री मांगीलाल आर्य : उसके हिसाब से डी. पी. सी. बैठेगी। डी. पी. सी. के निर्णय के मुताबिक निदेशक का पद भरा जायगा। इस कारण न कोई सोचने की बात है, यह बिलकुल निराधार बात है।

दूसरा, जितने भी पैसों की बात है, नाथूसिंह जी बात कर रहे हैं, नाथूसिंह जी ने अपने क्षेत्र में ट्रांसफर कराये हैं, इन्होंने कितने रुपये दिये ? कितने पैसे दिये ? मेरे पास इनकी डिजायर हैं। आप चाहेंगे तो डिजायर पेश कर दूंगा जो जो भी यहां

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(२५)

(श्री मांगीलाल आर्य)

पर बोल रहे हैं। इनकी तो जलन यह है कि साहब····(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक भी ट्रांसफर नहीं कराया। या तो आप इस्तीफा दे या मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, होते हैं, क्यों नहीं करवायेंगे। नहीं, होता है, करवाइये।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मैंने एक भी ट्रांसफर कराया हो तो मैं इस्तीफा दूंगा या यह इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष : करवाइयेगा, क्यों नहीं करवाइयेगा।

श्री नाथू सिंह : आप बिलकुल असत्य बोल रहे हो। लाखों रुपये लूट कर खा गये।

श्री मांगीलाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी नियमानुसार जो मैंने आपसे निवेदन किया, जो भी पोस्ट रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भर दिया जायगा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात बताइये। नहीं तो असत्य दिलासा दे रही है सरकार कि स्पेशल भर्ती की जा रही है जबकि दो सौ पद रिक्त पड़े हुए हैं उन पर कब तक भर्ती कर दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : सदन की कार्यवाही चलने देना चाहते क्या? क्या चाहते हैं आप?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

तारवा लिफ्ट योजना

24. **श्री शिव नारायण** (बांरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चम्बल दाईं नहर पर तहसील मांगरोल पंचायत समिति अन्ता में नम्बर 7 ब्लाक तारवा लिफ्ट योजना प्रस्तावित है?

(2) यदि हां, तो कब से? काश्तकारों के हित में इसकी कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी।

(3) अब तक इसे मंजूरी नहीं मिलने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह स्कीम राज्य सरकार के पत्र क्रमांक नं. एफ–3 (जी. एल) ए. एस. आई./सैल/478, 499 दिनांक 31-1-79 के द्वारा अन्य लिफ्ट स्कीमों के साथ ही केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। चालू लिफ्ट योजनाओं के अलावा चम्बल की नई लिफ्ट योजनाओं के लिये वर्तमान

(सिंचाई मंत्री)

में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण इस योजना की स्वीकृति अभी सम्भव नहीं है।

(3) वर्तमान में पानी की उपलब्धि नहीं होने के कारण।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन क्षेत्र का प्रतिशत

31. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक वनों का क्या-क्या प्रतिशत रहा ? यह प्रतिशत गिरा है तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य में वर्ष 1954-55 से 1986-87 तक वन क्षेत्र के प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। वन क्षेत्र में कमी होने का मुख्य कारण नहरों एवं बांधों के निर्माण हेतु वन भूमि मुक्त करना, वन क्षेत्र में खनन कार्य, सड़क निर्माण, अतिक्रमण एवं कृषि हेतु वन भूमि का आवंटन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें।

ग्राम आंवा (सांगोद) में पशु चिकित्सालय

32. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की तहसील सांगोद के तहत ग्राम आंवा में पशु औषधालय खोलने हेतु क्या कोई प्रार्थना-पत्र मन्त्री महोदय को दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने पशु औषधालय के लिये भवन बना दिया है ? यदि हां, तो ग्राम में कब तक पशु औषधालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की सांगोद तहसील के ग्राम आंवा में पशु औषधालय की स्थापना करने हेतु प्रार्थना पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है। विभागीय मापदण्डों के आधार पर आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है।

(2) प्रार्थना पत्र में ग्राम वासियों द्वारा भवन बना कर देने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर

33. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में कुल कितने शौचालय हैं ? प्रत्येक वार्ड अनुसार सूची सदन की मेज

(श्री बिरदमल सिंघवी)

पर रखें। इनमें से किन-किन शौचालय का फ्लश सिस्टम खराब है? उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा?

(2) इसी अस्पताल के कौन-कौन से उपकरण, जैसे एक्स-रे, ई. सी. जी. मशीन लिफ्ट आदि खराब पड़े हैं? इन्हें कब तक ठीक करा दिया जावेगा? जो उपकरण अब ठीक भी हैं वे पिछले 1 वर्ष में कब से कब तक खराब पड़े रहे? उनके तुरन्त ठीक न होने के क्या कारण रहे?

(3) क्या यह सही है कि अस्थि वार्ड में रोगियों की संख्या बढ़ती आबादी व दुर्घटनाओं के कारण निरन्तर तीव्रगति से बढ़ रही है? क्या राज्य सरकार इस विभाग में अधिक पद स्वीकृत करेगी? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब तक स्वीकृत होकर भर दिये जायेंगे?

(4) क्या अस्थि विभाग में मरीजों के बैड्स के बीच केवल 2-2 फीट का अन्तर ही है जिससे ट्रोली जाने में, मरीजों को सुविधा कराने में बड़ी परेशानी होती है? क्या अस्थि विभाग के मरीजों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जावेगी? यदि हां, तो क्या व कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर महात्मा गांधी चिकित्सालय में कुल 88 शौचालय हैं (सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।) बच्चों के वार्ड एवं आर.आर.सी. के दो शौचालय के फ्लस सिस्टम खराब है, जिनके ठीक कराने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में 6 एक्स-रे मशीन एवं 3 ई.सी. जी. मशीनें खराब हैं। जिनको शीघ्र ठीक करवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस चिकित्सालय में दो लिफ्ट हैं और दोनों कार्यरत हैं। जो उपकरण अब ठीक है, उनमें कोबाल्ट थैरेपी मशीन दिनांक 19-12-88 से 9-5-89 तक खराब रही थी। क्योंकि इसके पार्ट्स फर्म के यहां उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे शीघ्र ठीक नहीं कराया जा सका था।

(3) जी, हां। अस्थि वार्ड में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्थि वार्ड में चिकित्सकों के अधिक पदों का स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(4) अस्थि विभाग में मरीजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वार्ड में जगह की कमी है। अतः बैड्स के बीच में कम अन्तर है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए इस साल प्लान बजट में 60 बैडस का ट्रोमा वार्ड बनवाने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस पर शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

ग्राम सीसवाली (बारां) की पशु डिस्पेन्सरी में स्टाफ

34. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां

(श्री शिवनारायण)

तहसील, जिला कोटा की सीसवाली ग्राम पंचायत की पशु डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्रमोन्नत डिस्पेन्सरी में डाक्टर एवं स्टाफ अभी तक नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो अब कब तक लगा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । पशु औषधालय सीसवाली को राजकीय आदेश संख्या एफ. 2 (22) कृषि–6/88 दिनांक 27-1-89 द्वारा पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(2) पशु औधषालय, सीसवाली को क्रमोन्नत किये जाने के फलस्वरूप वहां एक सहायक पशु शल्य चिकित्सक का नया पद सृजित हुआ है जिस पर डा. पुष्पेन्द्र कुमार ऐरन को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.वी. 5 (1) स्था/अ/1732 दिनांक 3-6-89 द्वारा पद स्थापित कर दिया गया है । अन्य स्टाफ उक्त औधषालय में पूर्व से ही कार्यरत हैं ।

खनिज विभाग, बून्दी का मास्टर प्लान

35. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मंडी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खनिज विभाग बूंदी द्वारा खण्ड 1 व 2 का सेन्ड स्टोन खनन क्षेत्र का कोई मास्टर प्लान अधिकृत रूप से तैयार किया गया है ? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) खनिज अभियन्ता कोटा के कार्य क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर रायल्टी वसूल करने की क्या प्रक्रिया है ?

(3) क्या एस. टी. पी. के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति दी जाती है ? यदि हां तो इस प्रकार एस. टी. पी. के कितने मामले निर्णित किये गये तथा कितने विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) खनि अभियन्ता खण्ड प्रथम तथा खनि अभियन्ता, खण्ड द्वितीय बूंदी दोनों कार्यालयों के अन्तर्गत सैण्डस्टोन के क्षेत्रों के 150 मास्टर प्लान हैं । इतनी बड़ी संख्या में मास्टर प्लान की प्रतियां उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

(2) भवन निर्माण हेतु उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर रायल्टी वसूल करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है—

1. खनिज के खनन क्षेत्र से निर्गमन के समय ही रायल्टी वसूल की जाती है । पट्टाधारी लाइसेन्सी की रायल्टी राशि आवश्यकतानुसार अग्रिम के रूप में जमा करवाकर रवन्ना जारी किये जाते हैं, जिनके आधार पर ही वह खनिज का निर्गमन कर सकता है ।

2. बजरी के लिए रायल्टी वसूली ठेके दिये हुए हैं ।

3. सरकारी निर्माण कार्य में सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी 'जी' शिड्यूल में

(खनिज राज्य मन्त्री)

अंकित मात्रा के अनुसार रायल्टी वसूल की जाती है।

(3) जी हां, 1984 से अब तक 4942 एस.टी.पी. के मामले निर्णित किये गये हैं। समय-समय पर 619 नोटिस जारी किये गये जिनमें से 47 मामले निपटा दिये गये हैं, तथा शेष 572 विचाराधीन हैं।

भरतपुर जिले में अकाल राहत कार्य

36. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष भरतपुर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने कार्य पूर्ण हुए हैं? तथा इन कार्यों पर कितनी धन राशि खर्च हुई?

(2) जिले में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक सीमा क्या-क्या थी और कुल कितने श्रमिक लगाये गये? अगर कम लगाये तो क्या-क्या कारण रहे?

(3) शेष कार्यों को पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार के क्या प्रस्ताव हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संवत 2044 में भरतपुर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 3073 कार्य स्वीकृत किये गये थे, इनमें से 1110 कार्य चालू कराये गये। 742 कार्य पूर्ण हुए तथा 368 कार्य अपूर्ण रहें। इन कार्यों पर 762.03 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिनमें 440.48 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(2) जिले में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक सीमा 25000 निर्धारित की गई थी, जिसमें अधिकतम श्रमिक 16000 तक लगाये गये। राहत कार्यों के लिए स्वीकृत मजदूरी दर कम होने के कारण, स्थानीय मजदूर उपलब्ध नहीं हुए।

(3) अभाव वर्ष संवत 2044 के शेष कार्यों को विशिष्ठ योजना संगठन के माध्यम से चल रही विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया की वन भूमि पर अवैध भवन निर्माण

37. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में वन भूमि पर अवैध भवन निर्माण हुए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब से किस किस व्यक्ति द्वारा उक्त अवैध निर्माण किये गये? कृपया व्यक्ति का नाम, स्थान, अवैध कब्जे करने की तिथि, भूमि का क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग ने इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां तो किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या एवं कब-कब तथा

(श्री कुबेर सिंह)

वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार जनहित में हर निर्माण को तुरन्त हटाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी हां, अवैध भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर दिया गया है।

(3) जी हां, अवैध भवन निर्माण हटाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

तहसील पचपदरा में पोस्त डोडा सेवन के परमिट

38. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचपदरा तहसील में किस-किस गांव के किन-किन लोगों को कितनी मात्रा में पोस्त डोडा सेवन के विभाग द्वारा कब तक परमिट जारी किये गये ?

(2) पोस्त डोडा की बिक्री की क्या व्यवस्था है और किस भाव से कितना एक व्यक्ति को एक साथ डोडा उपलब्ध कराया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि जनवरी से अप्रेल 1989 तक पोस्त डोडा की काला बाजारी जोरों पर थी और एक किलो के 50 रुपये तक लिये गये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(4) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पचपदरा तहसील के जिन लोगों को डोडा पोस्त के परमिट जारी किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। सूची में बतलाये गये सभी परमिट 15-5-87 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किये गये थे, जिनका वर्ष 1989-90 के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है।

(2) परमिटधारियों को डोडा पोस्त की बिक्री हेतु रिटेल डोडा पोस्त दुकानों के परमिट जारी किये हुए हैं। डोडा पोस्त के विक्रय मूल्य पर राज्य सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोटोपिक सब्स्टेन्सेस नियम, 1985 के फार्म एन.डी.पी.एस.एल. 8 की शर्त सं. 4 के अनुसार एक व्यक्ति को एक बार में अधिक से अधिक दो कि.ग्रा. डोडा पोस्त तक दिया जा सकता है, परन्तु एक माह में वह उतनी ही मात्रा क्रय कर सकेगा जितनी के लिए उसे परमिट जारी किया गया है।

(आबकारी मन्त्री)

(3) माह जनवरी, 89 से अप्रेल, 89 तक पोस्त डोडा की काला बाजारी होने की कोई शिकायत विभाग से प्राप्त नहीं हुई है, न ही विभाग की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य आया है।

(4) प्रश्न के क्र.सं. 2 एवं 3 के उत्तर के सन्दर्भ में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में खालों हेतु केन्द्रीय सहायता

39. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में खालों के निर्माण के कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लेने के लिए केन्द्र सरकार ने कब-कब स्वीकृति दी तथा इस कार्य के लिए भारत सरकार से किस रूप में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई ?

उत्तर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में खालों के निर्माण के कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत लेने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1988-89 में स्वीकृति दी। इस कार्य के लिए वर्ष 1988-89 में केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में 22 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भरतपुर में स्वीकृत कार्य

40. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 4 वर्षों में भरतपुर जिले में सिंचाई विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यह कार्य तखमीने के अनुसार कितने समय में पूर्ण होने थे ? इन कार्यों के पूर्ण होने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ? इन कार्यों की प्रगति की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षों में जिला भरतपुर के तहत 4 कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत अनुमानित लागत 41.52 लाख रु. के स्वीकृत हुए। विवरण इस प्रकार है :—

1. मैनपुरा बांध	8.64 लाख रु.
2. निथार बांध	6.76 ,,
3. घाटरी	6.12 ,,
4. गोवर्धन ड्रेन के फ्लड वाटर का उपयोग	20.00 ,,
योग	41.52 ,,

(सिंचाई मन्त्री)

(2) उक्त चार योजनाओं में से घाटरी लघु सिंचाई योजना तकनीकी उपादेय नहीं होने के कारण सम्भव नहीं है। अन्य तीन योजनाओं के तखमीनों की जांच की जा रही है, जिनके अनुसार लगभग 800 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई के लिए 1991-92 तक कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव हैं। प्रशासनिक स्वीकृति व धन राशि नहीं होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं हुए हैं।

आबकारी विभाग का ठेकेदारों में बकाया

41. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबकारी विभाग की किस-किस ठेकेदार में किस-किस वर्ष से कितनी-कितनी बकाया है ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इस बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही हो रही है संक्षिप्त विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन ठेकेदारों का कोई पता नहीं मिल रहा है या ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं जिनमें कितनी-कितनी बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबकारी, राजस्व की कुल बकाया वर्ष 1986-87 के अन्त तक रु. 702.09 लाख की है। जिलेवार व वर्षवार सूची परिशिष्ट 1 संलग्न है। किस-किस ठेकेदार में कितनी-कितनी बकाया है इसकी सूची प्रश्न सं. 2 के सम्बन्ध में बताई गई सूचना में नामवार बकाया की राशि अंकित हैं।

(2) प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी से सम्बन्धित बकाया की नामवार सूचना के साथ ही वसूली के सम्बन्ध में वर्तमान में की जा रही कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए जिलेवार सूचियां संलग्न हैं।

(3) जिन ठेकेदारों के पते उपलब्ध नहीं हैं उनसे वसूल योग्य राशि 99,20,109.71 रु. आंके गये हैं। यह बकाया निम्न जिला अधिकारियों के कार्य क्षेत्र की है—

1. जयपुर नगर	59,23,099.91
2. जयपुर ग्रामीण	5,24,376.04
3. कोटा	17,13,342.16
4. सवाई माधोपुर	2,88,135.60
5. बीकानेर	14,71,156.00
	99,20,109.71

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय चिकित्सालय, भादरा के प्रभारी चिकित्सक द्वारा बलात्कार

42. श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री लालचन्द डूडी)

(1) क्या प्रभारी चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय भादरा द्वारा किसी हरिजन महिला के साथ किये गये बलात्कार के सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच विचाराधीन है ?

(2) क्या जांच करीब दो वर्ष से चल रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच रपट क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं होता है।

टेलीफोन ऑपरेटर्स की पदोन्नति

43. श्री माणक डाणी (ब्यावर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चिकित्सा विभाग में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स को कनिष्ठ लिपिक के समकक्ष मानते हुए कनिष्ठ, लिपिकों की वरिष्ठता सूची में इन्हें सम्मिलित कर लिया गया था ? यदि हां, तो सरकार व विभाग के ऐसे आदेश व अन्तिम वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त टेलीफोन आपरेटर्स को भी कनिष्ठ लिपिकों के समान ही पदोन्नति देने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो अब तक कितने टेलीफोन आपरेटर्स को पदोन्नति देकर उच्च लिपिक बनाया गया अथवा उच्च लिपिक (यू. डी. सी.) की वेतन श्रृंखला दी गयी ? यदि नहीं दी गयी तो क्यों ? पदोन्नत आपरेटर्स की सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या विभाग के द्वारा सन् 1987 से 1989 के मध्य जारी की गई पदोन्नति सूचियों में टेलीफोन आपरेटर्स को सम्मिलित नहीं करने से टेलीफोन कर्मचारियों में असन्तोष है ? यदि हां, तो उनमें व्याप्त असन्तोष समाप्त करने हेतु क्या प्रयत्न किये ? यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों के मांग पत्र पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(4) विभाग द्वारा जारी सूची क्रम सं. 88/6526 दिनांक 15-3-1988 में टेलीफोन आपरेटर्स (कनिष्ठ लिपिक) को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ?

(5) विभाग द्वारा क्रमांक इ'जी/पदो/व. लि./88/843 दिनांक 29-8-88 को जारी की गयी वरिष्ठ लिपिकों की सूची में वरिष्ठ संख्या 817/832,834 को शामिल किया गया है, जबकि टेलीफोन आपरेटर संख्या 5ए, 26ए, 26बी एवं उसके आगे के नम्बरों को शामिल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, आदेश एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, विभाग द्वारा अभी तक

(चिकित्सा मन्त्री)

इस संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियम-1957 के नियम-6 में किये गये संशोधन के अनुसार डी.पी.सी. द्वारा ऐसे व्यक्तियों का यू.डी.सी. के पद हेतु विचार किया जाकर पदोन्नति की जावेगी। डी.पी.सी. की बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

(3) यह स्वाभाविक है कि पात्र कर्मचारियों को यथा समय पदोन्नति का अवसर नहीं मिलने पर असन्तोष होता है। परन्तु विभाग इस सम्बन्ध में पूर्णतया सजग है तथा शीघ्र यू.डी.सी. के पद पर पदोन्नति डी.पी.सी. द्वारा दिलाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या 6526 दिनांक 15-3-88 यह आदेश है जो कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित है टेलीफोन आपरेटर्स (कनिष्ठ लिपिक) का सूची में सम्मिलित नहीं करने के कारण इस प्रश्न के भाग दो में वर्णित है।

(5) इसका उत्तर भाग दो में दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

टोडारायसिंह क्षेत्र में सिचाई सम्बन्धी कार्य

44. **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी 1985 से लेकर अब तक टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल कितनी राशि का कार्य, कहां-कहां करवाया गया ? कृपया पंचायत वार, कार्य का नाम एवं उस पर जनवरी 1985 के पश्चात् कितनी राशि खर्च हुई व कितनी राशि शेष है का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों पर कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई थी व कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ?

उत्तर

(1) सिंचाई खण्ड टोंक के अन्तर्गत टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 85 से मई, 1989 तक कुल राशि 176.18 लाख के विभिन्न मदों में जो कार्य कराये गये हैं उसकी सूचना तालिका में मदवार संलग्न है। तहसीलवार बांधों की सूचना एवं उन पर जनवरी 85 से मई 89 तक जो खर्च किये गये है वह तालिका में मदवार दर्शाया है। प्राप्त हुई धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।

(2) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनवरी, 85 से मई 89 तक 83.72 लाख रु. आवंटित किये गये हैं उसमें से 79.92 लाख रु. खर्च कर दिये गये हैं शेष राशि 3.80 लाख वर्ष 1989-90 के प्रथम चार माह के लिए आवंटित है वह शेष है। यह बोटूण्दा एवं शोहदरा कार्य जो कि प्रगति पर है पर खर्च की जावेगी। एन.आर.ई.पी. अकाल राहत मदों के बन्धवार बजट

(सिंचाई मन्त्री)

का आवंटन नहीं होता है अतः कुल प्राप्त राशि के अनुसार ही खर्च किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9देखें।)

बाड़मेर जिले में सघन वन क्षेत्र

45. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है ? क्या उनमें सघन वन क्षेत्र भी है ?

(2) क्या यह सही है कि जिले में वन क्षेत्र घटता जा रहा है ? यदि हां, तो वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में 1986-87 में 1.8 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। जिले में सघन वन नहीं हैं।

(2) जी नहीं। जिले में वन क्षेत्र में कमी नहीं हुई है।

जहाजपुर तहसील के छात्रावास

46. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जहाजपुर तहसील में छात्रावासों के प्रबन्ध एवं प्रवेश हेतु सलाहकार समितियों की बैठकें कब-कब हुई उनमें कौन-कौन से सदस्यों को कब-कब आमंत्रित किया गया है ? जहाजपुर के अनुदानित छात्रावासों के सलाहकार समिति के किन-किन सदस्यों को कब-कब किसने मनोनीत किया एवं उन्हें कब-कब आमन्त्रित किया गया ? उस सूचना-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्राप्ति हस्ताक्षरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में प्रति छात्र नकद राशि के बजाय उस राशि की सामग्री मात्रा निर्धारित करने की पुरानी व्यवस्था को लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को जब से नकद राशि का प्रावधान किया तब से घपलेबाजी ज्यादा होने की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मंहगाई की बढ़ती स्थिति में राशि के बजाय निर्धारित मात्रा में प्रत्येक छात्र को कपड़े, खाद्यान्न आदि देने की नीति क्रियान्वित करेगी ?

उत्तर

(1) जहाजपुर तहसील में संचालित छात्रावासों के प्रबन्ध एवं प्रवेश सलाहकार समितियों की आयोजित बैठकों एवं उनमें आमन्त्रित सदस्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ'), जहाजपुर तहसील में राजस्थान में आदिम जाति सेवक संघ द्वारा केवल एक अनुदानित छात्रावास संचालित है जिसके लिए गठित सलाहकार समिति के लिए राज्य कर्मचारी तथा समाज सेवी के मनोनयन आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है। (परिशिष्ट ब एवं

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

स") उक्त सदस्यों को आयोजित ठकों बैमें आमन्त्रित करने हेतु प्रसारित सूचना परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है। बैठक की सूचना की प्राप्ति रसीद प्रमाणित प्रतिलिपि परिशिष्ट 'घ' पर उपलब्ध है"।

(2) छात्रावासों में छात्रों को नकद राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। नियमानुसार राशि गठित समिति के खाते में जमा कराई जाती है एवं समिति द्वारा छात्रों को सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर कार्य

47. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितना व्यय करने का लक्ष्य था तथा कितना व्यय किया गया ?

(2) वर्ष 1988-89 में नहर के द्वितीय चरण की कितनी कि. मी. लम्बी वितरक प्रणाली पक्की की गई तथा कितने हेक्टर में पक्के खालों का निर्माण किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहर कार्यों पर कुल 60 करोड़ रु. का बजट प्रावधान था जिसे बाद में संशोधित करके 51.80 करोड़ रु. रखा गया। कुल व्यय 51.69 करोड़ रु. हुआ है जिसका समायोजन हो रहा है।

(2) वर्ष 1988-89 में नहर के द्वितीय चरण में 166.55 कि.मी. लम्बी वितरण प्रणाली पक्की (लाइनिंग) की गई तथा 30,163 हेक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण किया गया।

जोधपुर शहर के चिकित्सालयों का विस्तार

48. **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर के महिलाबाग व नवचौकिया के चिकित्सालय के विस्तार हेतु क्या कोई प्रस्ताव जोधपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां से निदेशालय जयपुर में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये दोनों अस्पताल बहुत ही पुराने हैं जबकि जोधपुर की आबादी 60-70 हजार भी नहीं थी ? क्या अब जोधपुर शहर के भीतरी भाग की आबादी ही 3 लाख से ऊपर हो गई है ?

(3) राज्य सरकार इनके विस्तार-सुधार हेतु क्या कदम उठा रही है।

(4) क्या इन चिकित्सालयों के विस्तार हेतु दानदाताओं ने भी सहयोग के

(श्री बिरदमल सिंघवी)

प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है व निर्णय कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) नवचौकिया चिकित्सालय के विस्तार हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर से प्राप्त प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। महिला बाल चिकित्सालय के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ?

(2) जी हां।

(3) वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) नवचौकिया चिकित्सालय के विस्तार हेतु अंजलि मोहनोत स्मृति संस्थान, जोधपुर द्वारा दान प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी उपयोगिता एवं आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। महिला बाग चिकित्सालय के विस्तार हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा दानदाताओं से सम्पर्क किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

खनिज विभाग को आय

49. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में लैण्ड टैक्स से 1985-86, 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में प्रधान खनिज व अप्रधान खनिजों से पृथकशः कितनी-कितनी आमदनी हुई ? 1987-88 में प्रारम्भ में इस कर से कितनी आय का अनुमान लगाया गया था और इन दो वर्षों में इससे वास्तविक आय कितनी हुई ?

(2) दिनांक 5-5-1987 से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रधान खनिजों पर बढ़ाई गई रायल्टी की दरों तथा डेडरेन्ट वर्ष 1987-88, 1988-89 में प्रधान खनिजों पर लैण्ड टैक्स से कितनी आय हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि प्रधान खनिजों पर रायल्टी की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप खनिज पट्टाधारियों पर पड़ने वाले भार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगाये स्थानीय करों को उसी स्तर पर रखा जावे जो 5-5-1987 से पूर्व थे ?

(4) यदि हां, तो राज्य सरकार इस सुझाव को कब तक कार्यान्वित कर देगी ?

(5) क्या राज्य सरकार का अप्रधान खनिजों पर भी रायल्टी आदि की दरों में वृद्धि करने का विचार है ? यदि हां, तो इन पर सुझावों की रूपरेखा क्या है ?

उत्तर

(1) प्रधान व अप्रधान खनिजों से लैण्ड-टैक्स से होने वाली आय का वर्षवार विवरण इस प्रकार है—

वर्ष	वास्तविक आय (लाखों में)
1985-86	72.61
1986-87	342.72

(खनिज राज्य मन्त्री)

1987-88	474.00
1988-89	567.00

(2) वर्ष 1987-88 में लैण्ड टैक्स से 400 लाख रुपये आय का अनुमान (लक्ष्य) रखा गया था।

प्रधान खनिजों पर लैण्ड टैक्स से होने वाली आय का ब्यौरा पृथक् से नहीं रखा जाता है। लैण्ड टैक्स का एक पट्टेधारी के पास कुल धृत क्षेत्रों त अनुसार आँकलन किया जाता है जिनमें प्रधान व अप्रधान खनिजों के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं।

(3) जी हां।

(4) राज्य के राजस्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रधान खनिज पर डेडरेन्ट व रायल्टी की दरों में वृद्धि के कारण लैण्ड टैक्स की दरों में कमी करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) राज्य सरकार ने अप्रधान खनिजों पर रायल्टी की दरों में फिलहाल वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है रायल्टी की दरें 1 जनवरी, 1988 से लागू की गई है। नियमानुसार 3 वर्ष की अवधि समाप्ति से पूर्व रायल्टी दरों में संशोधन सम्भव नहीं है। अगला संशोधन 1 जनवरी, 1991 के पश्चात् हो सकेगा।

सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों के अंकेक्षण पर कार्यवाही

50. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किस-किस जिले के सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

(2) सन् 1988-89 में किस-किस जिले में कितने-कितने प्रतिशत वसूली हुई है ?

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार किस-किस बैंक में कितनी-कितनी धनराशि के गबन एवं दुरुपयोग के मामले हैं ?

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कितनी-कितनी धनराशि का अभी तक समायोजन नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की जिलेवार बकाया की स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) वर्ष 1988-89 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों में दिनांक 16-6-89 तक की वसूली की स्थिति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों में गबन व दुरुपयोग के मामलों की स्थिति परिशिष्ट 'स' पर अंकित है।

(4) समायोजन का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है जैसे-जैसे लेखों का

(सहकारिता मन्त्री)

मिलान होता जाता है वैसे-वैसे समायोजन का कार्य चलता रहता है। ऑडिट प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

घटिया और नकली दवाओं के नमूनों की जांच

51. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की घटिया और नकली दवाओं के सेम्पल लेने तथा उनका विश्लेषण करने की क्या व्यवस्था है ?

(2) प्रत्येक दवा निरीक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने जांच नमूने लेने का निर्देश है ?

(3) दिनांक 31-12-88 तक कितने नमूने जांच के लिए लम्बित हैं ?

(4) इन नमूनों का विश्लेषण करने हेतु दवा विश्लेषक के कितने पद हैं व एक को एक माह में कितने नमूने अधिकतम करने के निर्देश हैं ?

(5) क्या राज्य में सहायक दवा नियन्त्रक का कोई पद है ? यदि हां, तो कब से कौन-कौन इस पद पर कब-कब रहे व वर्तमान में कौन कब से इस पद पर है ?

उत्तर

(1) औषधियों के सेम्पल औषधि निरीक्षक द्वारा लिए जाते हैं तथा उनका विश्लेषण राजकीय विश्लेषण प्रयोगशाला, जयपुर में किया जाता है। भारत सरकार की गाजियाबाद तथा कलकत्ता स्थित विश्लेषण शालाओं से भी पूर्व अनुमति प्राप्त कर सेम्पलों का विश्लेषण कराया जाता है।

(2) प्रत्येक औषधि निरीक्षक के प्रारम्भ में 5 नमने प्रतिमाह लेने के निर्देश थे, किन्तु भारत सरकार की विश्लेषण प्रयोगशालाओं द्वारा नमूने लिए जाने से मना करने पर तथा जयपुर स्थित प्रयोगशाला में नमूने विश्लेषण हेतु बकाया होने से वह संख्या घटाकर 2 नमूने प्रति माह कर दी गई है। (विश्लेषण सुविधाओं को अधिक उपलब्धता होने पर वर्तमान संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी)

(3) राजकीय विश्लेषण, राजस्थान, जयपुर, सी.आई.पी.एल., गाजियाबाद तथा सी.डी.एल. कलकत्ता में दिनांक 31-12-88 तक 662 सेम्पल जांच हेतु लम्बित चल रहे हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

राजकीय विश्लेषक, जयपुर	496 सेम्पल
सी.आई.पी.एल, गाजियाबाद	130 सेम्पल
सी.डी.एल. कलकत्ता	26 सेम्पल
कुल	662 सेम्पल

(चिकित्सा मन्त्री)

(4) सेम्पलों के विश्लेषण हेतु राज्य में ड्रग एनालिस्ट के दो पद स्वीकृत है। नमूने विश्लेषण की कोई सीमा वर्तमान में निर्धारित नहीं है।

(5) राज्य में दो पद सहायक दवा नियन्त्रक के स्वीकृत है, जिनके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. एक पद वरिष्ठ औषधि निरीक्षक का वर्ष 1979 में बदल कर सहायक औषधि नियन्त्रक कर दिया गया जिस पर श्री अश्वनी कुमार ने दिनांक 1-8-86 तक कार्य किया। तत्पश्चात् इस पद के विरुद्ध श्री देवकृष्ण श्रृंगी, औषधि निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।

2. दूसरा पद 26-8-85 को स्वीकृत हुआ। इस पद के विरुद्ध श्री पी.एन. सारस्वत, औषधि निरीक्षक दिनांक 27-11-87 से कार्य कर रहे हैं।

कोटा जिले के अस्पतालों में एक्सरे फोटो कापी.

52. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के किन ऐलोपैथिक अस्पतालों में एक्स-रे की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(2) गत तीन वर्षों में क्या एक्स-रे किए जाने के बाद इकट्ठ किये हुए एक्स-रे फोटो कापी को नीलाम किया गया ? यदि हां, तो कहां-कहां, कब-कब, कितने-कितने में ? यदि नहीं, तो कुल कितने किलो फोटो कापियां किन-किन स्थानों पर सुरक्षित पड़ी हुई हैं ? उनका विभाग क्या उपयोग करना चाहता है तथा कब तक ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में एम. बी. एस. चिकित्सालय, कोटा तथा राजकीय चिकित्सालय, बारां में एक्स-रे सुविधा उपलब्ध है।

(2) जी हां, इस्तेमाल की गई एक्स-रे प्लेटों की नीलामी का विवरण इस प्रकार है—

संख्या	नीलामी तिथि	कीमत
एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा	29-1-85	2,000
यथा	14-3-85	1,960
राज. चिकित्सालय, बारां	4-11-86	450
यथा	11-11-87	172

वर्तमान में एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा में लगभग 100 किलोग्राम तथा राजकीय चिकित्सा बारां में 10 किलोग्राम फोटो कापियां पड़ी हुई हैं, जिन्हें नियमानुसार नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है।

जूनियर स्पेशियलिस्ट्स का चयन

53. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(1) क्या यह सही है कि जूनियर स्पेशियलिस्ट चिकित्सक के चयन में सिर्फ सर्विस सीनियोरिटी को ही मुख्य आधार माना जाता है तथा पी. जी. के अनुभव को महत्व नहीं दिया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त–विशिष्ट योग्यता रखने वाले डाक्टर्स को उक्त पद हेतु योग्य मानकर अनुभवहीन डाक्टर्स से योग्य माने जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए नियमों में निम्न प्रकार से योग्यता निर्धारित है : —

I. सम्बन्धित विशिष्ठ विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

II. चिकित्सा अधिकारी पद पर 8 वर्ष की सेवा होनी चाहिए जिसमें से तीन वर्ष की सेवा संबंधित विशिष्ठ विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् होनी चाहिए ।

(2) उपरोक्त योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है।

शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 स्थगित

ऊंटड़ा गांव तक सड़क का निर्माण

55. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1986-87, 1987-88 में राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से ऊंटड़ा गांव तक कच्ची सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य करवाया गया ?

(2) यदि हां, तो इस सड़क का अब तक डामरीकरण नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ? अब सरकार इस सड़क का कब तक डामरीकरण कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। संवत् 2042 एवं सम्वत् 2043 के अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत मैटल/ग्रेवल सड़क का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करवाया गया था ।

(2) वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण उक्त सड़क का डामरीकरण कराना संभव नहीं हो सका ।

रेंजरों के विरुद्ध शिकायतें

56. **श्री हरिश्चन्द्र कुमावत** (नांवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कुचामन सिटी तहसील नांवा में वर्ष 1987 में श्री गंगासिंह को रेन्जर पद पर लगाया गया था तथा दो ढाई महीने बाद ही उनका स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री हरिश्चन्द्र कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि श्री गंगासिंह के स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया व उसके बाद उसे वहा नर्सरी प्रभारी का काम सौंप दिया व अभी तक उसे वेतन भुगतान नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या कुचामन में रेंजर पद पर तैनात श्री नरपतसिंह के विरुद्ध सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने के संबंध में गंभीर शिकायतें प्रस्तुत हुई हैं तथा सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा तथा दोषी को कब तक दंडित किया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री नरपतसिंह के स्थानान्तरण के बाद वहां श्री रमेशचन्द भार्गव को रेंजर के पद पर लगा दिया गय है जिनके विरुद्ध भी आर.डी.एफ. (ग्राम पालडी) में फर्जी मस्ट्रोल बनाने की शिकायत है जिसकी जांच भी सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? उसका क्या परिणाम है।

(5) कुचामन सिटी में एक ही रेंजर का पद है तथा श्री गंगासिंह ने न्यायालय से अपने स्थानान्तरण आदेश पर रोकादेश प्राप्त कर लिया है जिस कारण उसे हटाया नहीं जा सकता तो दूसरे व्यक्ति को वहां इस पद पर लगाकर बजट के विरुद्ध क्यों भार बढ़ाया जा रहा है ? क्या उसी के कारण श्री गंगासिंह के वेतन भुगतान में दिक्कत आ रही है ? यदि हां, तो उस कठिनाई को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, जनहित में स्थानान्तरण किया गया।

(2) जी हां। कुचामन रेंज में क्षेत्रीय का एक ही पद स्वीकृत होने के कारण श्री गंगासिंह का वेतन समय पर भुगतान नहीं हो सका। वेतन भुगतान के लिए आवश्यक कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां, जांच अभी सतर्कता वन विभाग द्वारा की जा रही है।

(4) जी हां। निदेशक, सतर्कता वन विभाग द्वारा की जा रही है।

(5) जनहित में श्री गंगासिंह का स्थानान्तरण कुचामन से अन्यत्र किया गया था और केवल न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उन्हें कुचामन रखा गया है। वेतन भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 57
(स्थगित)

लक्ष्मणगढ़ शहर की सड़कों की मरम्मत

58. श्री केसरदेव महरड़ा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (सीकर) शहर में जाने वाली मुख्य सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं तथा आये दिन दुर्घटनाएं होने की सम्भावना बनी रहती है ?

(श्री केसरदेव महरड़ा) :

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सड़कों की मरम्मत आवश्यकतानुसार कराई जाती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की स्थिति ठीक है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 59
(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर की सिंचाई क्षमता

60. सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर में स्टेज (1) व स्टेज (2) में कितनी-कितनी सिंचाई क्षमता का 1 अप्रेल, 1985 से अब तक किस-किस वर्ष में निर्माण हो चुका है ?

(2) इस सिंचाई क्षमता का किस-किस वर्ष में कितना-कितना उपयोग हुआ है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर में स्टेज–I व स्टेज-II में 1 अप्रेल, 85 से अब तक सृजित सिंचाई क्षमता का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	वर्ष के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)	कुल सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)	वर्ष के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)	कुल सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)
	स्टेज–I		स्टेज–II	
1985–86	1·50	566·50	13·00	60·00
1986–87	2·10	568·60	16·00	76·00
1987–88	1·88	570·48	23·00	99·00
1988–89	3·49	573·97	17·00	116·00

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) उपरोक्त सिंचाई क्षमता का निम्न प्रकार वर्षवार उपयोग हुआ :—

वर्ष	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	सिंचित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
	स्टेज–I	स्टेज–II
1985–86	463428	2160
1986–87	523240	4715
1987–88	374875	7030
1988–89	551025	11173

गंगा-यमुना नदियों के पानी में राज्य का हिस्सा

61. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार गंगा तथा यमुना नदी के पानी में राज्य का कितना-कितना हिस्सा मानती है ?

(2) इन नदियों के पानी से राज्य की कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई संभव है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(3) इन नदियों से कहां-कहां से पानी लेने के प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिये हैं ? नक्शा सदन की मेज पर रखें ।

(4) इन नदियों के पानी में राज्य की हिस्सेदारी के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं तथा इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ? इन नदियों के पानी की हिस्सेदारी के निर्धारण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने गंगा नदी के अधिकाय बाढ़ जल में 12 एम. ए. एफ. एवं यमुना नदी के जल में 2·55 एम. ए. एफ. पानी प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है ।

(2) गंगा नदी के अधिकाय बाढ़ जल से, लगभग 36 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र चूरू, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में एवं लगभग 18 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर जिलों में सिंचाई करना पानी मिलने पर संभव हो सकेगा ।

यमुना नदी के जल से लगभग 1·82 लाख हैक्टर कृषि योग्य क्षेत्र चूरू और झुंझुनूं जिलों में एवं 3·03 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में सिंचाई करना पानी मिलने पर संभव हो सकेगा । प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं होने के कारण जिलेवार विवरण देना वर्तमान में संभव नहीं है ।

(3) गंगाजल को लाने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना (चूरू, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों के लिए) के अनुसार गंगा पर हरिद्वार के निकट बैराज बनाकर उससे एक फीडर निकाल कर हरियाणा के क्षेत्र से गुजारते हुए राजस्थान की सीमा तक लाना है ।

(५५)

(सिंचाई मंत्री)

अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं जयपुर जिलों के लिए प्रस्तावित, योजना के अनुसार गंगा नदी पर बिजनौर के पास एक नये बैराज का निर्माण कर यमुना नदी पर ओखला बैराज तक गंगा के पानी को लाना है। ओखला बैराज से वर्तमान में पानी प्राप्त करने वाली गुडगांव कैनाल और आगरा कैनाल को सुधार कर/क्षमता बढ़ाकर चारों जिलों के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। वर्तमान में थोड़ा गंगाजल अपर गंगा नहर से ओखला बैराज तक लाया जाता है।

यमुना नदी के जल को ताजेवाला हैड-वर्क्स एवं ओखला बैराज से हरियाणा प्रदेश में से होकर राजस्थान में लाने का प्रस्ताव है। नक्शा संलग्न है।

(4) गंगा बाढ़ नियंत्रण मण्डल की आठवीं (6-7-82) में गंगा के अधिकाय बाढ़ जल को राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली राज्यों में उपयोग की संभावनाओं की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन हेतु निर्णय किया गया। समिति 12-5-83 को गठित की गई।

विशेषज्ञ समिति की ग्यारहवीं एवं अन्तिम बैठक दिनांक 11-2-86 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया गया एवं सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिये। प्रतिवेदन के अनुसार अधिकाय बाढ़ जल के विषय में मंतव्य नहीं हो सका अतः समिति को दिये गये विषयों पर विचार विमर्श नहीं हो सका। अध्यक्ष बाढ़ गंगा नियंत्रण आयोग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल संसाधन सचिव भारत सरकार को मार्च 1986 में प्रेषित कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा इस पर आगे कार्य-वाही अपेक्षित हैं। यमुना जल बंटवारे हेतु, भारत सरकार ने अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिस ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1982 में दी। इस रिपोर्ट के विरुद्ध विभिन्न राज्यों द्वारा एतराज उठाये गये और सारा प्रकरण दूसरी विशेषज्ञ समिति को वर्ष 83 में सौंपा गया, जिसने राजस्थान की मांग एवं अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर विचार किया। समिति के प्रतिवेदन को अप्रेल 85 में अन्तिम रूप दिया गया और प्रतिवेदन जुलाई 1985 में भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया। केन्द्र सरकार को रिपोर्ट पर अपना निर्णय देना है जो अपेक्षित है। राज्य सरकार प्रयत्नशील है कि अब जब राष्ट्रीय जल नीति बनाई जा चुकी है, कमी वाले क्षेत्रों के लिए नदी जल का बंटवारा न्यायोचित ढंग से हो। राज्य सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि भारत सरकार गंगा एवं यमुना जल का बंटवारा राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार जल्दी से जल्दी करें। इसमें राज्य सरकार के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं है।

अन्ता-सांगोद सड़क

62. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अन्ता-सांगोद सड़क का गत वर्ष 6·5 किलोमीटर का टुकड़ा मंजूर किया गया था ? मंजूर शुदा कार्य में से कितना कार्य पूर्ण हुआ और बाकी का कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(श्री शिवनारायण)

(2) इस वर्ष में 6·5 किलोमीटर से आगे के कितने कि. मी. सड़क का कार्य मंजूर किया गया ? यदि नहीं किया गया तो इस अधूरी सड़क के अगले कि.मी. सड़क की कब तक स्वीकृति की जावेगी ?

(3) क्या इस सड़क की समस्त पुलिया पक्की बनी हुई है ? यदि हां, तो अन्ता-सांगोद सड़क को अन्ता सेन्दी पर्वन की पुलिया तक के कि. मी. पक्के बनाने की स्वीकृति कब तक दी जावेगी।

उत्तर

(1) जी हां। अन्ता-सांगोद रोड पर 6·5 कि. मी. का टुकड़ा वर्ष 1987–88 में आर. एल. ई. जी. पी. में स्वीकृत हुआ था जिसके अन्तर्गत 5 किमी. मिट्टी का कार्य व एक लेयर की गिट्टी खान पर तुड़वाई गई थी। आर. एल. ई. जी. पी. योजना बन्द हो जाने के कारण शेष कार्य पूरा नहीं किया जा सका। उपरोक्त कार्य के अलावा भी वर्ष 1987–88 में अन्ता-सांगोद सड़क पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 2·50 कि. मी. सड़क का एवं आर. एल. ई. जी. पी. में 3 कि. मी. सड़क का कार्य स्वीकृत हुआ था जिसके तहत सांगोद से परवन नदी तक 2·5 कि. मी. डामर की एवं 1·5 कि.मी. मेटल की सड़क पूर्ण करवा दी है। आर.एल.ई. जी. पी. का कार्य योजना बन्द होने से बन्द हो गया है एवं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्य पूर्ण हो गया है।

(2) जी नहीं। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण 6·50 कि. मी. से आगे के कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है एवं और स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं। इस सड़क पर 11 पुलियायें बनी हुई हैं एवं 11 पुलियायें बनाना शेष रहता है। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण आगे पुलियायें बवाने की स्वीकृति देना संभव नहीं हो पा रहा है।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विजयनगर (गंगानगर) चिकित्सालय के डाक्टर के विरुद्ध शिकायतें

63. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला गंगानगर की विजयनगर डिस्पेन्सरी के डॉक्टर के खिलाफ शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो कितनी एवं उनकी जांच किसने की तथा क्या कार्यवाही कि गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस डॉक्टर को पहले श्री विजयनगर से शिकायतों पर हटाया गया था ? यदि हां, तो पुनः श्री विजयनगर में लगाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, विजयनगर डिस्पेंसरी के डॉक्टर के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी जांच डॉ0 के. एल. तंवर, कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी. बी.) गंगानगर द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(46)

(चिकित्सा मंत्री)

(2) प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किया गया था। वर्तमान में डॉक्टर का स्थानान्तरण विजयनगर से गंगानगर कर दिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री किरोड़ीलाल मीणा, श्री मोतीलाल मीणा, श्री मांगीलाल मेघवाल, श्री हरीश शर्मा, श्री जगन्नाथ वर्मा, श्री नवनीत लाल नीनामा, श्री गणेश लाल बैरागी, श्री हीरालाल आर्य और श्री ग्यारसीलाल परिडवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई माधोपुर के थाना कोतवाली सवाई माधोपुर के अन्तर्गत ग्राम रावड में बाबा कचीदावाले द्वारा अवयस्क युवती के साथ बलात्कार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के कई शहरों एवं कस्बों में अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवा के नाम पर 50-50 प्रतिशत अल्कोहल वाली शराब बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर के मध्य स्थित अमरूदों के बाग की सरकारी भूमि पर चारदीवारी बनाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से रीको द्वारा कोर्ट के आदेशों के विपरीत प्लाइवुड लि. नाम की बीमार इकाई को बेच कर सरकार को हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(5) श्री लालचन्द डूडी, श्री शोपत सिंह, श्री भंवरलाल शर्मा (99), श्री चुन्नी लाल इन्दलिया और श्री केदार नाथ शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर जिले में गत वर्ष आई भयंकर बाढ़ एवं इस वर्ष हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुई क्षति का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं, असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

1. श्री हरजीराम बुरड़क
2. श्री गिरधारीलाल भार्गव
3. श्री माणक डागी
4. श्री नत्थीसिंह
5. श्री हीरासिंह चौहान
6. श्री नवरंग सिंह
7. श्री प्रभूलाल मीणा
8. श्री चम्पालाल बांठिया
9. श्रीमती उजला अरोड़ा
10. श्री भंवरलाल शर्मा (98)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों की ओर से उनके द्वारा जो 295 के प्रस्ताव दिये गये हैं उनको पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : पाइंट ऑफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हाई कोर्ट में महर्षि मनु की मूर्ति लगाये जाने के विरोध में एक स्थगन प्रस्ताव आज सुबह साढ़े सात बजे दिया है जिसका उल्लेख आपने नहीं किया है। पूरे प्रदेश में इस सवाल को लेकर भयंकर असन्तोष है। किसी भी समय कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और यह भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के सर्वथा विपरीत है जिसमें शूद्रों के लिए वर्ण-व्यवस्था को बनाये रखने वाले आज प्रदेश के सर्वोच्च न्याय मंदिर के अन्दर मनु महाराज की कोर्ट नं0 1 में मूर्ति लगाया जाना देश के संविधान का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोहन प्रकाश जी, आप उसको न्याय मंदिर मानते हैं और यह हाई कोर्ट के परिसर में है इसलिए इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। कोई बात हो तो अपन वहां डिस्कस कर लें।

श्री मोहन प्रकाश : इससे बड़ी बात क्या होगी। यह भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। मनु स्मृति का अध्याय मैं पढ़ कर सुनाता हूँ कि कोई शूद्र···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चैम्बर में बात कर लें। कोई बात होगी तो चैम्बर में डिस्कस कर लेंगे।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है?

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है इसमें इसको रेफर नहीं किया है।

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसा नहीं है जिसको टाला जा सके। भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना और भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत अगर कहीं भी कोई काम हो रहा है इस प्रदेश के अन्दर···· (व्यवधान)

क्या मनु स्मृति में जितनी दण्ड व्यवस्था है उनको आप लागू करना चाहते हैं? न्याय के प्रतीक के रूप में उस मूर्ति को लगा दिया गया है···

श्री अध्यक्ष : इसको देखेंगे····

(व्यवधान)

श्री विजयसिंह (रूपबास) : उस मूर्ति को यहां स्थापित करना गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें। (व्यवधान) मनु की मूर्ति को हाईकोर्ट में लगाया जा रहा है। जिसने देश का संविधान बनाया उसकी मूर्ति को बाहर लगा दिया और जो हरिजनों के खिलाफ था उसकी मूर्ति को अन्दर लगाया जा रहा है यह बात गलत है। आप इसकी व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति की बजाय डा. अम्बेडकर की मूर्ति को लगाना चाहिए । डा. अम्बेडकर की मूर्ति को तो एक कोर्नर में लगाया है जब कि मनु की मूर्ति को उसके अन्दर लगाने का प्रस्ताव है इसलिए मेरा निवेदन है कि हाई कोर्ट का एक स्टेटस है । मैं जानता हैं लेकिन वहां मूर्ति लगाने का काम या इस तरह का काम सरकार की इजाजत के बिना हाई कोर्ट नहीं कर सकता इसलिए आप इसकी अनुमति दीजिए ।

श्री विजयसिंह : आप इस पर व्यवस्था दें, जिसने परमीशन दी और परमीशन दी उनको रोका जाय । जो कानून का ज्ञाता है जिसने भारत का संविधान बनाया भारत की व्यवस्था के लिए उसकी मूर्ति वहां होनी चाहिए । उसको तो बाहर कर दिया और जो एस. सी., एस. टी. के विरोध में था उसको लगाया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें । श्री लालचन्द डूडी ।

श्री विजयसिंह : इस पर व्यवस्था दें अध्यक्ष महोदय, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी । (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : यह भारतीय समाज का अपमान है संविधान का अपमान है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पाइंट ऑफ आर्डर ।

श्री मोहन प्रकाश : कांग्रेस (आई) के नगर के अध्यक्ष उस मूर्ति को लगा रहे थे, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मोहन प्रकाश जी, कृपया बैठें । (व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र और भारतीय सभ्यता की मूल भावना के विरोध में अगर कोई कार्य होगा तो हम लोग चुप नहीं रह सकते ।

श्री अध्यक्ष : मोहन प्रकाश जी, आप बिराजिए, सुन लिया आपको । (व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : मैं यह जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस पर आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी । यह हाई कोर्ट परिसर में है ।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, हाई कोर्ट के परिसर में है लेकिन हम इसकी चर्चा कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई अच्छी चीज नहीं है । दिस इज नॉट गुड । श्री लालचन्द डूडी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था । मेरा निवेदन यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में जब बन्द का आयोजन हो रहा है । राजस्थान के प्रत्येक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नगर में जब बन्द का आयोजन हो रहा है। (व्यवधान) मोगा में पिछले रविवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा पर 27 लोगों की हत्याएं कर दी गई और 22 लोग घायल हो गये, बमबारी की गई, अंधाधुंध बमबारी की गई। तो जब सम्पूर्ण राजस्थान के नगर बन्द हो रहे हैं, हिन्दुस्तान में सब नगर जब बन्द हो रहे हैं तो जन प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, इनको आतंकवाद की उस गतिविधि की भर्त्सना करनी चाहिए और 27 लोग जो शाखा में थे, उन लोगों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, उन 27 लोगों को इस सदन के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए यह मेरी आपसे मांग है····

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मोगा वाला काण्ड है, यह सम्पूर्ण देश का काण्ड है, इस सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि यह सारा सदन सर्वसम्मति से आतंकवादियों की भर्त्सना करें और 27 लोगों को श्रद्धांजलि दे, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : आज सारा राजस्थान चिन्तित है।····

श्री अध्यक्ष : सभी भर्त्सना ही करेंगे तारीफ कोई नहीं करता है। भर्त्सना ही होती है हमेशा।

श्री दाऊदयाल जोशी : 29 तारीख को जिस दिन बन्द था आज भी राजस्थान बन्द है। कृपा करके आतंकवादियों की....

श्री अध्यक्ष : इसकी तो हमेशा ही भर्त्सना होती है कोई नई चीज नहीं है।

श्री मोहन प्रकाश : चूंकि आतंकवादी राजस्थान को.... (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : चूंकि राजस्थान का....(व्यवधान) इन हत्याओं में शामिल है इसलिए यह और भी चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, यह मसला माननीय सदस्यों ने उठाया है यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रस्ताव को पास करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह कोई जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है यह देश का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसकी हमेशा ही भर्त्सना होती है कोई तारीफ होती है क्या ? कोई नई चीज है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे वाले प्रस्ताव को···· (व्यवधान) भर्त्सना की जानी चाहिए। 27 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिये। यह मैं समझता हूं राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का सवाल है।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : 27 लोगों को ही क्यों ? अब तक मरे उन सभी को

(श्री गोपत सिंह)

श्रद्धांजलि अर्पित करो। 27 को ही क्यों? आज पंजाब में जो घटनाएं हो रही हैं वे सारे के सारे शहीद हैं, आज 27 अकेले ही शहीद क्यों? उन सब को श्रद्धांजलि अर्पित करो।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी भी मेरी बात से सहमत होंगे। आपने अभी तक श्रीमुख से एक शब्द भी नहीं निकाला। माननीय गृह मंत्रीजी आपके मुख से इस प्रकार का प्रस्ताव आना चाहिए। आप गृह मंत्री हैं और राजस्थान भर में इस प्रकार की आग लगी हुई है, देश में आग लगी है। आप पर प्रथम बार जिम्मेवारी पड़ी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी खड़े हों और इस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ भर्त्सना का प्रस्ताव लाये और 27 लोगों को सदन में श्रद्धांजलि दें यही मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : सादुल शहर वालों को भी साथ में गिन लो। सिर्फ पंजाब वाले 27 ही क्यों? सादुल शहर वालों को क्यों भूल रहे है?

श्री अशोक गहलोत (गृह मंत्री) : अभी जयपुर के माननीय सदस्य महोदय जो बातें कह रहे थे उसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले लम्बे अर्से से पंजाब में हत्याएं हो रही है और किसी इन्सान की हत्या होती है चाहे वह किसी वर्ग का, किसी धर्म का, किसी जाति का हो, किसी राजनैतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला हो, उसकी भर्त्सना सभी को करनी चाहिए उसमें कोई दो राय नहीं है। लम्बे अर्से से हत्याएं पहले भी हुई है, मेरी जानकारी में नहीं है कि शायद माननीय सदस्य ने पहले कभी इस प्रकार के प्रस्ताव की कोई मांग की हो और ये ऐसे मामले हैं जिसमें कि सभी पार्टियां सम्मिलित होकर संवेदना व्यक्त करती है, ऐसे आतंकवादियों की कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा की जाती है और मैं समझता हूं ऐसे मुद्दे पर सभी पक्षों के लोगों को एक होकर के एक सी आवाज उठानी चाहिए जिससे कि आतंकवादियों से मुकाबला करने में मदद मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी। ....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : आपने नहीं अलाऊ किया लेकिन गृह मन्त्री जी ने यह साबित कर दिया कि यह हाउस भी संवेदनशील है।

श्री अध्यक्ष : यह सब के लिए है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सारी जनता संवेदनशील है हाउस नहीं है। हाउस में जब सवाल आता है तो आप इन्कार कर देते हैं और आज जब गृह मन्त्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। समाप्त कर दिया। कृपया विराजें। इस तरह से यह गलत बात है।....(व्यवधान) माननीय श्री नाथूसिंह जी।....(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

नाट अलाउड। किसी का नोट नहीं करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : XXX

श्री हरिकुमार औदिच्य : XXX

श्री मोहनप्रकाश : XXX

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : किसी का नोट नहीं किया जा रहा है। श्री लालचन्द डूडी को टाइम दे रहा हूँ।....(व्यवधान).... लालचन्द डूडी का नोट किया जाय।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मुण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शोपत सिंहजी कृपया बिराजें। माननीय शास्त्रीजी का लिखा जाय।

श्री महेन्द्र शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं उन्होंने इस विषय को आपके सम्मुख रखा। जिसकी गम्भीरता यह है कि यदि आज कहीं कोई बम रख दे और आपकी जानकारी में आ जाय उस पर विचार नहीं करें आप। एक तरफ भयंकर गैस लीक हो रही हो और आपकी जानकारी में आ जाय क्या उस पर सदन विचार नहीं करेगा। कहीं बहुत बड़ी हत्या काण्ड होने की सम्भावना हो और इस सदन में बात आ जाय तो क्या आप विचार नहीं करेंगे? उन्होंने एक विषय आपके सामने रखा था कि हाईकोर्ट में पूर्ति रखवाये जाने से जो उसके परिणाम होंगे, जो भावनायें लोगों की उत्तेजित होगी उस स्थिति के सम्बन्ध में आप सदन में क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते?

श्री अध्यक्ष : मैंने क्लोज कर दिया, माननीय शास्त्रीजी मैंने क्लोज कर दिया है। Don't take undue time, No, no, Mr. Shastri.....(व्यवधान)....फिर व्यवस्था का सवाल क्या हुआ। क्या महत्व रह जाता है।....(व्यवधान)....नोट नहीं किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री जगतसिंह दायमा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द डूडी।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था कि गंगानगर जिले में गत वर्ष आयी भयंकर बाढ़ एवं इस वर्ष हुई ओलावृष्टि के बारे में, इस हाउस के चलने के पहले जो पिछला हाउस चला था उसके अन्दर किसान संघर्ष समिति का जो आन्दोलन चला था और उसके बारे में राज्य सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों के बारे में, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री लालचन्द डूडी)

गंगानगर जिले के अन्दर बहुत तकड़ा आन्दोलन चला था, कम से कम 80 हजार आदमी पैदल चलकर गंगानगर पहुंचे थे। 24 घण्टे का वहां धरना गंगानगर जिले के अन्दर दिया था, किसानों ने। किसानों की जो समस्यायें थी जिसके अन्दर बाढ़ और दूसरी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर यह मामला डिस्कस हुआ, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया। इसमें कहीं कोई तसल्ली नहीं दी गई।

(12.30 म.प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

सभापतिजी, गंगानगर जिले के लोगों ने फैसला किया। सारे आन्दोलन, भूख हड़ताल, धरने, पैदल यात्रायें और हाउस के अन्दर सारी बातों के होने के बाद सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी, तो गंगानगर के लोगों ने तो टैक्स कैम्पेन का फैसला किया और गंगानगर के लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे। सब प्रकार के आंदोलन चल रहे थे जोर-शोर से। लेकिन उसी बीच एक घटना हो गयी, सार्दुलशहर के अन्दर बैंक-डकैती पड़ी, उग्रवादियों ने कितने लोगों को वहां मारा, बुरी हालत पैदा की, हम लोगों ने बैठ कर बात की। प्रोफेसर केदार और भैरों सिंहजी ने बात की कि इस स्थिति में जो आतंकवादी राजस्थान के अन्दर घुस गये हैं, गंगानगर जिले में आन्दोलन को थोड़ा धीमा करना चाहिए ताकि प्रशासन और पुलिस का ध्यान आन्दोलन की तरफ न बंटे और सारा का सारा ध्यान आतंकवादियों की तरफ चला जाये। यह सोच कर हमारी संघर्ष समिति ने इस आन्दोलन को तेज नहीं किया। इसका मतलब सरकार यह नहीं समझे कि हमारा आन्दोलन स्थगित हो गया है, समाप्त हो गया है। लार्जर इन्टरेस्ट के साथ हम लोग लगे रहे लेकिन सरकार ने क्या किया ?

ओलावृष्टि के बारे में माननीय श्री दीवान साहब और माथुर साहब और वहां गये मौका देखने के लिए और घोषणा की कि हम ओलावृष्टि का मुआवजा देंगे। ओलावृष्टि का मुआवजा देने की घोषणा की। आज मेरे प्रश्न के जवाब में आया कि किस तरह की यह घोषणा कर रही है। किस तरह का मुआवजा दे रही है, दो सौ रुपये प्रति हैक्टेयर, एक बीघा पर कितना पड़ा ? उसमें लोगों ने चना बोया था तीन किलो। तीन किलो चना। यह घोषणा की है, राज्य सरकार ने कि हम तीन बीघा चने के हिसाब से मुआवजा देंगे। यह मुआवजा देना नहीं है। यह चूरू और गंगानगर जिले के किसानों की इज्जत लेने को मामला है और, वह भी केवल सीमांत किसानों की। इन्होंने जवाब दिया है कि 41102 हेक्टेयर की रबी की फसलें नष्ट हुई, गंगानगर के 259 गांवों की और मुआवजा दिया है तीस हजार रुपये। यह उनको मुआवजा देना नहीं है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ है। बाढ़ का मामला है। सरकार ने कहा था कि जिस एरिया के अन्दर बाढ़ आयेगी जो ट्यूब वेल्स बाढ़ से खराब हुए हैं, उन ट्यूब वेल्स का मिनिमम चार्ज नहीं लेंगे। सरकार ने

(श्री लालचन्द डूडी)

घोषणा की है और मुख्य मन्त्री ने घोषणा की है। चार दफा जब उनसे जाकर मिले तब घोषणा यह की, और यह है नोटिस। यह बिल उन किसानों के पास गये हैं, जिनके ट्यूब वेल खराब हो गये। जिनके ट्यूब वेल्स बाढ़ की वजह से खराब हो गये, जिसके लिए सरकार ने कहा था मिनिमम चार्ज नहीं लेंगे और मिनिमम चार्ज के ये बिल गये हैं सरदार उधम सिंह और ये बिल गया है दूसरा स्वरूप सिंह को। इसी तरह के कितने ही बिल वहां गये। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि जो जमीनें बाढ़ की वजह से खराब हो गयीं, फसलें खराब हो गयीं थी, उनकी जमीनों के लगान नहीं लेंगे। हर्जाना नहीं लेंगे। यह कुर्की के नोटिसेज हैं तहसीलदार विजयनगर के। विजयनगर का तहसीलदार जमीन कुर्क करने के नोटिसेज दे रहा है कि आपने लगान नहीं चुकाया, आपके ऊपर बकाया है, आपके ऊपर लगान बकाया है। सरकार घोषणा कर रही है कि जमीन खराब हो गयी, फसल खराब हो गयी, लगान नहीं लेंगे और उसी सरकार का तहसीलदार उस जमीन को नीलाम करने के नोटिसेज दे रहा है। किस बात को मानें ? कल मैंने अखबार में पढ़ा हमारे वयोवृद्ध नेता कुम्भाराम जी का स्टेटमेंट था कि गंगानगर के किसान के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, उस हिसाब से गंगानगर का किसान सोच सकता है कि राजस्थान की बजाय हम लोग हरियाणा में चले जायें तो ठीक है। वहां मुआवजा मिलता हैं, फसल खराब होती है तो और, डीजल पर टैक्स नहीं लगता है, यहां डीजल पर टैक्स है, वहां एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पर टैक्स नहीं लगता यहां पर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स पर टैक्स है, वहां इंसेक्टीसाइड्स, पेस्टीसाइड्स पर टैक्स नहीं है, यहां पर इनके ऊपर टैक्स है। वहां फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा मिलता है। वहां पर किसान जहां-कहीं पर जाकर अनाज बेचे, उसको छूट है। वहां पर 65 वर्ष के आदमियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिलती है। वहां हर गांव में स्कूल है, हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है, हर गांव बिजली से जुड़ा हुआ है, हर गांव में अस्पताल हैं और राजस्थान के अन्दर यह चीजें तो दूर रही, हमारे यहां प्रकृति की तरफ से और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, यह जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, तो हरियाणा में जाने का अगर राजस्थान के आदमियों ने मन बना लिया कि हम राजस्थान का अन्याय सहने की बजाय, हरियाणा में मिलने का आन्दोलन करेंगे और अगर उसने आन्दोलन कर दिया और हरियाणा के वह लोग, यदि इस राजस्थान की सरकार को न मान कर हरियाणा की सरकार में चल दिये, तो यह इस माथुर सरकार के माथे पर काला धब्बा होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बात देना चाहता हूँ कि किसानों से कम से कम आपने जो वायदे किये हैं, जो आपने आश्वासन दिये हैं, उन आश्वासनों को तो पूरा कीजिए। वरना यह आश्वासन आप बन्द कीजिये, आप असत्य मत बोलिये, इस पवित्र सदन के अन्दर असत्य मत बोलिये। पब्लिक के अन्दर जाकर असत्य मत बोलिये, इन गंगानगर के किसानों के साथ अन्याय मत

(श्री लालचन्द डूडी)

कीजिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

श्री सभापति : श्री शोपत सिंह ।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगानगर आखिरकार इस कांग्रेस सरकार की जागीर नहीं है और अभी भादरा से आने वाले माननीय सदस्य लालचन्दजी डूडी कह रहे थे और उन्होंने इस बात की चर्चा की, श्री कुम्भारामजी की, जो जनता दल के नेता हैं, कि अगर हमारे साथ गंगानगर जिले के लोगों के साथ सरकार ने सहानुभूति का कोई रुख नहीं और दिखाया इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया, कि गंगानगर जिला जैसे कोई उपनिवेश हो, तो हम हरियाणा में मिल जायेंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । कोई भी कौम अगर लड़ने वाली नहीं है, तो वह कहीं चली जाये, इसीलिए मैं इस बात से सहमत नहीं होते हुए अपनी बात बता देना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के लोगों के साथ, गंगानगर जिले के किसानों के साथ इस तरह भेदभाव किया गया तो निश्चित रूप से गंगानगर का किसान लड़ेगा और, गंगानगर के किसानों ने इस बात को साबित किया हैं । सन् 1970 का आन्दोलन, जिसमें हमारे 18 बच्चे शहीद हुए, जिसमें 20 हजार लोग जेल में गये, हजारों महिलायें जेलों में रहीं, वह गंगानगर जिला है । हमारे सब्र का प्याला अब भर गया है । हमने विधान सभा में इस मामले को रखा, हमने जिलाधीश के सामने प्रदर्शन किये, हमने गंगानगर जिले को बन्द रखा, पर राजस्थान की पागल सरकार के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा । बहुत गम्भीरता से तो हम बताना चाहते हैं कि इनके नतीजे तो आने वाले चुनावों में मिलेंगे ही, अगर हम आपसे बता दें, हम गुलाम नहीं है, हम हर बात में अगर वहां का किसान जमीन बेचना चाहे, तो आपको परमीशन लेनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अगर उसकी खातेदारी जमीन है, तो उसको जाना पड़ेगा, अगर उसकी सरकार ने जमीन नीलाम कर दी और उसका पट्टा ले लिया तो कलक्टर के यहां पर जाना पड़ेगा, जगह-जगह पटवारी से लेकर कलक्टर तक घूस देनी पड़ेगी, उसको लाइसेन्स बनाना पड़ेगा, अगर उसको दूसरी जगह स्कूल में कहीं विद्यार्थी को एडमिशन लेना पड़ा, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र, बाकी राजस्थान में मूल-पत्र की कोई जरूरत नहीं है, मगर मूल निवासी का प्रमाण पत्र लेने के लिए वहां के विद्यार्थी को 20 जगह भटकना पड़ेगा । वहां के भूमिहीन किसान को जमीन मिलेगी नहीं । राजस्थान के अन्दर लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, जो काबिले काश्त है, वहां पर पानी पहुंच गया । मगर गंगानगर जिले के काश्तकार को नहीं मिला । गंगानगर जिले का किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है तो उसको अधिकार नहीं है । उसको जमीन की मंजूरी लेनी पड़ेगी । अगर वहां पर घग्घर नदी की बाढ़ ने किसानों को तबाह कर दिया तो मुआवजा तो दूर रहा, पंजाब को मुआवजा मिला, हरियाणा को मुआवजा मिला, जम्मू और कश्मीर को मुआवजा मिला····

(श्री शोपत सिंह)

हिमालय प्रदेश में मुआवजा मिला मगर माननीय सभापति महोदय, गंगानगर जिले के किसानों को पांच लाख रुपया मिला। 50 रुपये बीघा के हिसाब से, वह भी सीमान्त किसानों को। सीमान्त किसानों की डेफिनेशन क्या है गंगानगर में? मैं आपको बताना चाहता हूं–तीन बीघा। तीन बीघा कमाण्ड लैण्ड, तीन बीघा जमीन का जो काश्तकार है उसको मुआवजा मिलेगा। अगर उसकी जमीन घग्घर नदी की बाढ़ से तबाह हो गई तो तीन बीघा वाले को कन्सेशन मिलेगा और वह भी पचास रूपया बीघा। अगर ओलावृष्टि से तबाह हो गया तो आप सीमान्त किसानों को दोगे, यह किस तरह का तरीका है? अभी हमारे दो मन्त्री गये, पचास हजार हेक्टेयर जमीन में ओलावृष्टि ने हमारी फसल तबाह की है। उस वक्त तबाह की है जब किसान अपनी फसल घर लाने वाला था। एक हफ्ते, दो दिन में, चार दिन में उसकी फसल घर आने वाली थी। ऐसे मौके के ऊपर उसकी फसल तबाह की। माननीय सभापति महोदय, आपको बाकी राजस्थान से गंगानगर जिले को कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। वह सिंचित इलाका है। हमारी फसल लेने से पहले हमको पांच सौ रुपये बीघा पर इनवेस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें खाद डालते हैं, उसमें दवा डालते हैं, उसकी अच्छी पिलाई करते हैं, उसकी अच्छी खुदाई करते हैं, उसकी खर-पतवार निकालते हैं। इस तरह का खर्चा गंगानगर जिले के आम किसान को उसकी पैदावर करने से पहले पांच सौ रुपया बीघा खर्च करना पड़ता है। अगर ऐसी हालत में वहां के किसानों की फसल बाढ़ से तबाह हो जाय, अगर ऐसी हालत में उस इलाके के किसानों की फसल ओलावृष्टि से तबाह हो जाय। पड़ोस के राज्य पंजाब और हरियाणा के अन्दर चार सौ रुपया और पांच सौ रुपया बीघा के हिसाब से अगर वहां की सरकार देती हो और अगर हम वहां जाते हैं तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। वहां पर और यहां पर डीजल के भाव में कितना फर्क है रेट का. आपको ध्यान होगा–एक रुपये का। यहां की मण्डी में हमारा किसान अनाज नहीं बेचना चाहता, पड़ौस के पंजाब और हरियाणा में बेचना पसन्द नहीं करेगा। वह सहूलियत जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलती हैं, वह हमारी मण्डियों में सहूलियत हमको नहीं मिलती। हर मामले में, अगर उनकी बस पर चढ़ें तो हमको चढ़ते हुए शर्म आती है हमारी बसों को देखकर के।

कल हमारे मन्त्रिमण्डल के सदस्य, शायद अशोकजी भी जायेंगे, गृहमन्त्री महोदय भी जायेंगे, अखबारों में जैसा कि पढ़ा है–मुख्य मन्त्रीजी पधारने वाले हैं वहां पर और दूसरे मन्त्री महोदय भी वहां पर जाने वाले हैं। कोई किसान मेले का आयोजन किया है। मैं आप से एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि अभी भाई लाल चन्द जी ने कहा कि हमने सादुलशहर में उग्रवादियों की घटना के बाद अपने आन्दोलन को कुछ मन्द किया, हमने उसको कुछ शांत किया और हम नहीं चाहते थे कि हमारी पुलिस और प्रशासन का ध्यान हमारे आन्दोलन की बनिस्पत उधर से बंट

(श्री शोपत सिंह)

जायें। आज गंगानगर जिला भी एक मिनी पंजाब है जिसकी वन फोर्थ पोपुलेशन पंजाबियों की है। ज्यों-ज्यों पंजाब के अन्दर उग्रवादियों पर दबाव पड़ेगा, उनकी शेल्टर की जगह गंगानगर जिला बनेगा। इस लिहाज से, इस परिप्रेक्ष्य में हमने आंदोलन को एक बार थोड़ा रोका कि मौका दें इस सरकार को। बहुत अच्छी बात है, अगर इस विधान सभा के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी को कुछ शर्म महसूस होती हो, अगर इस विधान सभा में कुछ कहते हुए यह कुछ शर्मा रहे हों, कोई फायदा दूसरे उठा लें। कल घोषणा करें, दो तीन तारीख तक हम आपको मौका देंगे। माननीय सभापति महोदय, वह चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जाकर घोषणा करें, हमारा एक मकसद है कि गंगानगर जिले के किसान के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। एक उपनिवेश की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो इलाका नदी की बाढ़ से डूब गया, उनका सिंचाई कर माफ होना चाहिए। आप उनका सिंचाई कर वसूल कर रहे हैं····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : बस लास्ट में कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, जो इलाका घग्घर नदी की बाढ़ से तबाह हो गया उनका हर्जाना वसूल हो, उनका लगान वसूल हो और 87 के अकाल के अन्दर हमारी कपास की फसल का जो खराबा छोड़ा गया पचास फीसदी, उस फसल का भी अगर लगान वसूल होता हो तो यह बहुत ही शर्म की बात है। गंगानगर जिले के अन्दर बाकी इलाकों की बनिस्पत दूसरे कानून हैं लगान के। हुई-बुई का कानून है। अगर किसान बोता है, अगर किसान की फसल होती है तो उस पर लगान लगेगा। जब किसान के खेतों में पैदावर नहीं हुई, जब किसान के खेतों से खराबा छोड़ दिया, आपने घोषणा की है, तो आप उस जमीन का लगान किस तरह से वसूल करते हैं? कौन-सा ऐसा अधिकार है? मिनिमम गारन्टी, बिजली की मैं बात कर रहा हूँ। बिजली के बारे में बाकी इलाकों की हालत अलग है। गंगानगर जिले का सिंचित एरिया, जहां पर लोग अपने साधनों से बिजली के ट्यूब वेल्स लगाना चाहते हैं कि क्राइसेज के मौके पर, कभी नहर बन्द हो जाय, कभी वर्षा कम हो तो हम अपने ट्यूब वेल्स से फसल बचा सकें। वहां पर किसानों से मिनिमम चार्जेज वसूल करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचित एरिया के अन्दर अगर कोई किसान ट्यूबवेल लगाता है तो उसको उसी चार्ज से, जितनी बिजली खर्च करता है उसी हिसाब से उससे वसूल होना चाहिए। ये सारे सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी और भी सदस्य बोलेंगे।

श्री शोपत सिंह : ताकि हमारी सरकार में जो बैठे हैं अभी, अभी तो बहुत ताकतवर हो गई है हमारी सरकार. कुछ पिछले सदन में तो कमजोर थी, अब तो बहुत से साथी आ गये हैं। मजबूत हो गई कांग्रेस

(श्री ओपत सिंह)

और मजबूत कांग्रेस से मैं यह इल्तजा रखता हूँ, यह उम्मीद रखता हूं कि गंगानगर के इन तमाम सवालों पर गंगानगर के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। यही आपके हित में है और हमारे हित में है। दोनों के हित में यही रहेगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री भंवर लाल शर्मा (अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, गंगानगर जिले में बाढ़ और ओलावृष्टि के बारे में मुझे इस बात की प्रशंसा हुई कि सरकार ने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी। आसन की यह बहुत ही सहानुभूति रही है हमारे साथ ···

श्री नत्थी सिंह : सरकार ने नहीं, आसन ने।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : आसन का मैं आभारी हूँ कि आसन ने इस पर बोलने के लिए बहुत ही खुले दिल से कुछ समय दिया। सभापतिजी, खासतौर से गंगानगर जिले की भौगोलिक स्थिति और कुछ ऐसे कारण हैं कि गंगानगर जिला एक सीमा का जिला है जहां पाकिस्तान की बहुत लम्बी बोर्डर है राजस्थान के लगते हुए। सात सौ मील का इलाका है राजस्थान का और जिसमें गगानगर में इस सरकार का जो रवैया है, यह बहुत ही निन्दनीय रवैया है। सभापति महोदय, में उन बातों को भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। गंगानगर वह जिला है, जिस जिले ने हिन्दुस्तान ही नहीं, दूसरे देशों को भेजने के लिए अनाज पैदा किया है और आज की तारीख में देश में भुखमरी का अगर कोई खतरा टालने वाला है तो हमारा गंगानगर जिला है। इन्दिरा गांधी कैनाल का जो सिंचित क्षेत्र है व आने वाले समय में एक ऐसा इलाका होगा कि दुनिया को अनाज देगा व इलाका। उन लोगों के साथ, किसानों के साथ आपका जो व्यवहार है यह व्यवहार अच्छा नहीं है। सभापति जी, उस बात को मैं आपके ध्यान में दिलाऊंगा। गंगानगर वह जिला है जो हिन्दुस्तान को आजादी मिलते ही, देश की आजादी पर हमला किया पाकिस्तान ने, हमला किया चीन ने, नेफा और लद्दाख पर चीन की नजर थी। गंगानगर जिले को इतना साधारण इस नजर से आपको नहीं आंकना चाहिए। पण्डित जवाहर लालजी नेहरू ने कहा, देश के किसानों-हिन्दुस्तान को तत्काल आजादी मिली है, हमारे पास धन नहीं है, फौज के जवानों को हथियार खरीदने के लिए सोना चाहिए। उस छोटे से जिले के किसानों ने, उस बहादुर लोगों ने पण्डित जवाहर लालजी नेहरू को सोने से तौला और हथियार खरीद कर दिये। इन्दिराजी को भी तोला। लेकिन इसका फल हमको उल्टा मिल रहा है। खाली सोने से नहीं, सोने से हथियार खरीदे गये, पाकिस्तान और चीन का मुकाबला किया गया। सभापतिजी, खाली हथियार नहीं, खाली सोना ही नहीं, उन किसानों ने लड़ने के लिए चाहे नेफा हो और चाहे लद्दाख हो, चाहे चीन के टैंक हों, चाहे पाकिस्तानी

(ी चुन्नीलाल इन्दलिया)

टैंक हों, उनका दांत तोड़कर जवाब दिया। वह किसान के बेटे हैं, छांगड़ी में पैदा हुए हैं, झौंपड़ी में पैदा हुए हैं, वे आज नेफा हो, चाहे लद्दाख हो, फौज में बैठे हैं। जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी का है, उस नारे को आप भूल गये। आप सत्ता के नशे में हैं, उस नशे को कम कीजिए और गंगानगर के काश्तकारों को जरा सी ठण्डी नजर से देखिए। गंगानगर अनाज देता है और धन देता है और फौज व सेना को जवान देता है। उन लोगों के साथ अगर आपका यह व्यवहार रहेगा? सभापति जी, हम सीमा पर रहते हैं, बोर्डर पर रहते हैं, बोर्डर के किसानों की कितनी तकलीफें हैं और फिर आपकी सहानुभूति है, फिर आपका प्यार–यह देखते हैं तो बहुत बुरी हालत है हमारी। इसीलिए मैं चाहूंगा कि यहां अशोक जी गहलोत नये-नये मन्त्री हैं। आपसे नयी आशाएं हैं, आप से आशा करते हैं कि जिस प्रकार से गंगानगर के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, लम्बे समय से हो रहा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के सौतेले व्यवहार को अब आप मन्त्रिमण्डल में आये हैं तो समाप्त करने का पहला कदम उठायेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर): सभापति जी, मुझे कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है, जो मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने बात रखी उसको रिपीट करते हुए कि गत सैशन में माननीय प्रभाकर जी इर्रिगेशन मिनिस्टर थे, गंगानगर के आन्दोलन के बारे में बड़ा विस्तृत स्टेटमेंट दिया। कुछ रिलीफ के मेजर्स थे, स्टेप्स यहां पर अलाउड किये और आशा हमें थी कि सारी बातें अमल में आ जायेंगी। जब हम ने व्यवहार में देखा तो अमल में नहीं आये और उस समय मुख्य मन्त्री जी भी यहां पर हाजिर थे। ढ़ाई-तीन घण्टे बहस हुई, विरोध पक्ष के नेता भी बोले, हमारी खुद की पार्टी के नेता भी बोले मिर्धा जी, कालवी जी भी बोले। हमें यह ख्याल था कि एक ऐसा डिस्ट्रिक जो पाकिस्तान और पंजाब के बोर्डर पर है और आन्दोलन क्लाइमेक्स पर था, हजारों आदमी उस आन्दोलन में कूद गये थे, जेल यदि हम लोग भरते तो 15-20 हजार की गिनती पर जेलें भरी जाती। परन्तु चूंकि टेरेरिस्ट ने आपरेट करना शुरू कर दिया था, हाईड आउट्स तो पहले भी थे, आते थे, छुपते थे, चन्दा ले जाते थे, मगर आपरेशन जब शुरू किया तो हमारा फर्ज था अपने स्टेट के इण्ट्रेस्ट को देखते हुए, कण्ट्री के इण्ट्रेस्ट को देखते हुए देश के इण्ट्रेस्ट को देखते हुए हमने अपने मसले इसलिए अण्डरमाइन कर दिये कि उन्होंने आपरेशन शुरू कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि टेरेरिस्ट को इजी ग्राउण्ड दे दिये जायें। हमारे खुद के इलाके में, जहां इतना बड़ा राष्ट्रीय हित है। मगर सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया आज अगर सभापति जी, टाक आउट हो जाये,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ग्ररजेण्ट मसले टाक ग्राउट हो जाय ग्रौर ऐसे जिले के मसले जो बोर्डर पर हों तो हमारी उम्मीद तो मर जाती है। ग्रसेम्वली में बैठने की हमारी उम्मीद कम हो जाती है। मेरा ग्रापके माध्यम से यह निवेदन है कि एक स्टेटमेंट दे दें। चूंकि दो तारीख को किसान सम्मेलन में कुछ एलान करेंगे। मंजूरी के बाद में, लगान के बारे में लाइसेन्स के बारे में, कोलोनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 13 ग्रौर 15 के बारे में, मेजर के बारे में तो ग्रान ए प्रोपर्टी ग्राप प्रोपइटी मुख्य मन्त्री जी ग्रौर गृह मन्त्री जी, नये हैं, उनको यहां पर, हाउस के ग्रन्दर, फ्लोर पर जो वहां घोषणा करने जा रहे है, वह शोर्ट स्टेटमेंट में घोषणा कर दें तो हम स्वागत भी करेंगे ग्रगर घोषणा ठीक ढंग से की तो ग्रौर सुझाव भी देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, गंगानगर का जिला एक संवेदनशील क्षेत्र है, पाकिस्तान से यह जुड़ा है ग्रौर पंजाब से भी गंगानगर का जिला जुड़ा हुग्रा है। ग्राज ग्रातंकवादियों की जिस प्रकार की समस्या है। उस समस्या के सम्बन्ध में कुछ कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि ग्रातंकवादी गंगानगर जिले से भी पाकिस्तान ग्राते ग्रौर जाते हैं, ग्रातंकवादी गंगानगर जिले से भी हथियार लाते हैं ग्रौर इन हथियारों से जो भी ग्रन्याय व ग्रत्याचार कर सकते हैं, करते हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में सरकार को जनता का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग किस प्रकार से मिले ? यह कोई कानून से नहीं मिल सकता है, यह कोई डण्डे के बल पर नहीं मिल सकता, यह पुलिस के सहयोग से नहीं मिल सकता है। सहयोग प्राप्त करने के लिये यह ग्रावश्यक होता है कि जनता में संतोष व्याप्त हो, जनता की समस्याग्रों का समाधान हो ग्रौर समाधान की दृष्टि से राज्य सरकार बराबर उनकी समस्याग्रों का ग्रध्ययन करती रहे ग्रौर किस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाय, इसके सम्बन्ध में सरकार चिन्ता करे।

सभापति महोदय, ग्रापको याद होगा कि विधान सभा के पिछले दो सत्रों में, गंगानगर में बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा हुयी थी, गंगानगर को ग्रोलावृष्टि से जो क्षति पहुंची उस के सम्बन्ध में चर्चा हुयी, विधान सभा के सदस्यों ने तथ्यों के ग्राधार पर उस सारी क्षति का विवरण प्रस्तुत किया ग्रौर उस समय सरकार ने उन तथ्यों को मानते हुए कुछ घोषणायें की।

सभापति महोदय, जैसे गंगानगर जिला संवेदनशील है वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा है, इसका भी बहुत महत्व है, इसकी भी गरिमा है। विधान सभा में कोई बात कही जाय तो सदन के माननीय सदस्य स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन उन बातों पर जो ग्राश्वासन के रूप में सदन में प्रस्तुत की जाय, यदि सरकार उनकी पालना नहीं करती है तो उस संवेदनशील जिले में एक भ्रांति ग्रौर पैदा होती है कि

(60)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विधान सभा में सरकार बोले या विपक्ष के लोग बोलें विधान सभा में कही हुई बातों का विश्वास नहीं करते हैं। मैं मन्त्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वह अभी तैयार हों तो अभी उत्तर दे दें, अभी तैयार नहीं हैं तो पिछले सत्र में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और सिंचाई मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिये थे उन आश्वासनों को पढ़कर बड़ी ईमानदारी से सदन को जानकारी दे दें कि इन आश्वासनों की किस सीमा तक पालना की गई ?

सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गंगानगर जाने पर और गंगानगर से जो सूचनायें प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर उस समय जो घोषणायें की गयीं। सरकार ने उनका पालन नहीं किया। सभापति महोदय, सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है? उसका थोड़ा बहुत अनुमान हमको भी है, हम यह तो नहीं कहते कि सरकार का सारा खजाना गंगानगर में खर्च कर देना लेकिन गंगानगर की विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष समस्यायें हैं, इन समस्याओं का समाधान करने में उस खजाने का हिस्सा गंगानगर जिले को भी मिले इस बात की हमारी मांग है।

सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे हुई-बुई आप तो सभापति महोदय, कानून के ज्ञाता हैं, आपने राजस्थान के लैण्ड रेवेन्यू एक्ट और टिनेन्सी एक्ट भी पढ़े हैं, आपने राजस्थान का कोलोनाइजेशन एक्ट भी पढ़ा है। इस हुई-बुई का किसी में कोई सम्बन्ध नहीं है। पूरे राजस्थान में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में वसूली होती है लेकिन इस हुई-बुई का गंगानगर में एक प्रचलन था, वह प्रचलन आज भी चालू है। जितनी बार काश्तकार पानी लेगा और जितनी खेती करेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उससे वह वसूल होती रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोटा के किसान खेती नहीं करते हैं, क्या कोटा में सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है, क्या डूंगरपुर में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, क्या राजस्थान सरकार की और मिडियम और मेजर प्रोजेक्टस में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ? अन्य क्षेत्रों में हुई-बुई नहीं लगती है और अगर गंगानगर को ही इसके साथ पिक-अप किया जाय तो यह कानून के अन्तर्गत और संविधान के अन्तर्गत निश्चित रूप से एक डिस्क्रीमीनेटरी ट्रीटमेंट है। जिसके लिए लगातार इस सदन में मांग की जाती है।

श्री शोपत सिंह : हुई-बुई को भी लागू नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार का डिस्क्रीमीनेटरी ट्रीटमेंट लगातार किसी एक क्षेत्र के किसानों के साथ होता रहे तो निश्चित रूप से उन किसानों में उत्तेजना पैदा होगी। मैं मुख्य मन्त्री जी से और सिंचाई मन्त्री जी से कहूँगा कि उस समय जब यह हुई बुई का प्रश्न खड़ा हुआ तो कई मन्त्री तो समझे नहीं कि यह हुई बुई क्या है ?

श्री सी.पी. जोशी : 77 में भी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वसूली नहीं हुई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदय, यह जरूरी नहीं है कि सब समझ जायं। नये-नये आदमी के सामने हुई बुई रखी जायेगी तो समझने में समस्या खड़ी होगी। चाहे वह अशोक गहलोत हों या भैरोंसिंह हों वह हुई बुई के नाम से परिचित हों यह जरूरी नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी : आपने माना तो सही कि आपको खुद को हुई बुई की 77 में जानकारी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आज की नहीं कह रहा हूं। आज नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को नाथद्वारा ट्रस्ट के बारे में जानकारी हो सकती है, उनको हुई बुई के बारे में पूछा जाय तो गंगानगर के सदस्य से पूछ सकते हैं हुई बुई किसका नाम है? आदमी का है या औरत का है? नाम तो बताओ। यह आपकी नहीं सबकी समस्या है। मैं यह नहीं कह सकता कि हर आदमी, हर चीज के लिए जानकार होगा और जिसको जानकारी होगी वही मन्त्री बनेगा मेरी यह मान्यता भी नहीं है।

लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्यमन्त्री को हुई बुई की जानकारी थी, सिंचाई मन्त्री ने उस समय हुई बुई की जानकारी कर ली जानकारी करने के बाद उन्होंने सदन में घोषणा की कि इस प्रकार का डिस्क्रीमीनेटरी ट्रीटमेंट जल्दी किस प्रकार खत्म किया जाय, राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न के ऊपर राज्य सरकार को विचार करने में इतना समय क्यों लगा? विचार किया है तो सरकार घोषणा करे कि हुई बुई की वसूली कानूनन न्याय संगत है, हम वसूली करेंगे, हम इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। मैं आज भी चाहूँगा सभापति महोदय, कि इस हुई बुई को समाप्त किया जाय और जिस ढंग से और लोगों से लगान वसूल किया जाता है, लगान ही वसूल करना है तो उस आधार पर लगान वसूल किया जाय। यह अतिरिक्त तरीका हुई बुई का गंगानगर के किसानों पर लागू नहीं किया जाये।

(1·00 बजे म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि उस समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम मिनिमम चार्जेज बिजली के वसूल नहीं करेंगे उसके तीन कारण बताये पहला कारण तो यह बताया कि जिनके कुयें, ट्यूब वैल बुर गये, मिट्टी में आ गये जिसके ऊपर सिंचाई का, पानी लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उनसे मिनिमम चार्जेज वसूल नहीं, दूसरा यह भी तय किया था जहां बिजली नाम का कोई उपयोग ही नहीं किया, कुआ हो या नहीं उनसे किसी प्रकार का मिनिमम चार्जेज वसूल नहीं किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को और सरकार को कहना चाहूंगा कि सरकार ने यह आदेश निकाला, आदेश निकाल कर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उस समय मिनिमम चार्जेज वसूल नहीं किये

(62)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और बाद में उन्हीं चार्जेज को वसूल करने के लिए दूसरा आदेश निकाल दिया कि जिन लोगों के मीटर बन्द होने की सूचना इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को नहीं मिली है उनके खातों में जो जमा कर लिया मिनिमम चार्जेज का पैसा वह जमा नहीं किया जाये उनसे मिनिमम चार्जेज वसूल किये जायें। उनके मिनिमम चार्जेज वसूल हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि काश्तकारों ने एक तकनीकी बात, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने एक टेक्निकल बात उठाई, जिसके कुये बन्द हो गये, जिसके मीटर मिट्टी में दब गये और उसने केवल इसकी सूचना नहीं दी इस कारण से मिनिमम चार्जेज वसूल करना वाजिब मानकर मिनिमम चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं। तो काश्तकार को तो किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिली। कुये खराब हो गये, बिजली का उसने उपयोग नहीं किया और उनसे मिनिमम चार्जेज वसूल किये जायें यह बहुत बड़ा अन्याय है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो इस प्रकार की घोषणा की थी उस घोषणा को पुनः लागू किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि इस सदन में कुछ गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने ओलावृष्टि से जिस प्रकार से फसल नष्ट हुई उसका नमूना सदन की मेज पर रखा, तब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि से नुकसान होने पर सरकार को सहायता देनी चाहिए लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है कि राजस्थान में बावा आदम के जमाने के चलते हुए नियम आ रहे हैं। अग्नि लग जाये तो यह सहायता, ओलावृष्टि हो जाये तो यह सहायता, बाढ़ आ जाये तो यह सहायता लेकिन इनके कारण से काश्तकारों को कितनी क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हुई है। अन्य राज्य सरकारों ने विशेष नियम बनाये और विशेष नियम बनाकर बाढ़ में इस प्रकार की सहायता दी जायेगी, ओलावृष्टि में इस प्रकार की सहायता दी जायेगी लेकिन आज तक राजस्थान में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गयी। मैं माननीय गृह मन्त्री जी आपको कहना चाहूँगा कि अर्थ का अभाव है यह कई बार राजनैतिक द्वन्द्व खड़ाकर देते हैं। आज गंगानगर का किसान हरियाणा की सीमा पर हैं, गंगानगर का किसान पंजाब की सीमा पर है। जब पंजाब और हरियाणा के अन्दर वो देखते हैं कि यहां पर 400/- रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से नुकसान की पूर्ति की गयी है तो राजस्थान में वह पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है। उसकी समझ में यह नहीं आता कि राजस्थान सरकार 253 करोड़ के घाटे पर चल रही है, 253 करोड़ का डेफिसिट बजट पेश किया है वो उस किसान को मतलब नहीं है। किसान तो पड़ोस के किसान को देखता है कि यहां एक किसान को 400/- रुपये प्रति ऐकड़ के हिसाब से सहायता मिल रही है। गंगानगर के किसान ने ऐसा कौन-सा अपराध किया है जिससे उनको यह सहायता नहीं मिलती। मैं दो मिनिट में खत्म कर दूंगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रश्न के ऊपर भी सरकार को फैसला करना पड़ेगा। जैसा अभी शोपत सिंह जी कह रहे थे कि आप गंगानगर में जाकर घोषणायें करने वाले हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि गंगानगर में जाकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

घोषणायें करें या न करें लेकिन कम से कम ईमानदारी से एक बात का आश्वासन सदन में दे दें कि सदन में जो घोषणायें की जायेंगी उनका निश्चित रूप से पालन होगा और जो पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ यह विधान सभा की कार्यवाही, विधान सभा के सदस्य या विधान सभा की कोई समिति कार्यवाही करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आश्वासन दे दिया जाये तत्काल एक मामले को ठण्डा करने का प्रयत्न कर लिया जाये जिससे आपस में विश्वसनीयता की कमी आती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गंगानगर जिले के किसानों की समस्याओं को एक संवेदन क्षेत्र के लोगों की समस्यायें मानकर उनका समाधान करने की चेष्टा की जाये तो मैं समझता हूँ गंगानगर में शांति होगी होगी और उसके कारण से अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर के ऊपर जो हमारे लिए समस्या बनी हुई है उस समस्या का समाधान करने में हमें सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम जी बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का मामला उठाऊंगा। नागौर सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध संचालक द्वारा किये जा रहे घोटालों और अनियमितताओं तथा फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निम्न निवेदन है :—

जिले में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बैंक से ऋण उन्हीं को दिया जा रहा है जो अध्यक्ष को नोटों की माला पहनाते हों या भेंट नहीं चढ़ाये उनको ऋण नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने माला पहनाई उनको उसी वक्त बैंक के स्टाफ को साथ ले जाकर मौके पर ही ऋण दिया जाता है अर्थात् एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना। भेंट देने वाली ऐसी समितियां भी हैं जिनमें एक रुपया की वसूली नहीं हुई, 15 वर्षों से रिकार्ड गायब है, 10 वर्षों से बेलेन्स शीट नहीं बनी और दूसरी ऐसी समितियां भी हैं जिन्होंने 70 परसेण्ट तक वसूली की है उनको ऋण नहीं दिया जाता। अधिकतर ऋण वहीं दिया जाता है जहां पर इनके चहेते सहायक कार्यवाही अधिकारी हैं। जैसे डेगाना, ब्राच के सहायक कार्यकारी अधिकारी बैंक अध्यक्ष के नाम हैं और मकराना का चार्ज इनके ही पास है। इस क्षेत्र में ज्यादा ऋण दिया गया है, ज्यादा भेंट वसूल की गई है और इसी महाशय ने एक विधवा औरत को डेगाना में ऋण का नाम लेकर अपने मकान में बुलाकर बलात्कार किया जिसका मामला थाना डेगाना में दर्ज हुआ। परन्तु इस मामले को भारी राशि देकर दबा दिया गया। चालान अभी तक नहीं हुआ। इस पर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि अध्यक्ष के एजेन्ट का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार डीडवाना के सहायक कार्यकारी अधिकारी ने भी अध्यक्ष को नोटों की माला पहनाने का अभियान चला रखा है। इसलिए इन दोनों को दो-दो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गांवों का चार्ज दे रखा है। इस प्रकार से जिले भर में यह अभियान चला रखा है और जिस समिति से अध्यक्ष को भारी राशि मिल जाती है उसी समिति को ऋण दिया जाता है। पैसे नहीं देने वाली समितियों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। और खुले आम लूट मचा रखी है। बैंक के प्रबन्धक संचालक भी अध्यक्ष के गलत आदेशों की तामील करता रहता है और अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। जबकि बैंक का सारा प्रशासन उनके अधीन है तथा गलत ऋण देने में भी अपने आपको शामिल कर रखा है और बैंक के स्टाफ द्वारा जिले में दौरा करके यह सारी व्यवस्था की जा रही है जिसमें प्रबन्ध संचालक भी शामिल है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस प्रकार से की जा रही गलत कार्यवाही व फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाये तथा बैंक के अध्यक्ष व प्रबन्ध संचालक को पदों से निलम्बित करके मामले की वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराई जाये और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल जी भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मदद चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मदद कर रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ लीजिये आप।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और मैं माननीय नये मन्त्री जो बीच में आये हैं श्री अशोक जी गहलोत उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा····

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार आप उनको क्यों इंगित कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इंगित इसलिए कर रहा हूं कि ये नये आये हैं और इन पर बहुत बड़ी····

श्री उपाध्यक्ष : आप गले इसीलिए मिले थे क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : आप अपना पूरा परिचय दे रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा परिचय पूर्व का है।····(व्यवधान) मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि वह नये आये हैं और मैं जो एक दो मानवीय प्रोबलम्स हैं

श्री रतनलाल ताम्बी : यह समय बतायेगा कि ये बैठेंगे या नहीं बैठेंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : जो अध्यक्ष रह चुके हैं वे भोले नहीं हैं वे तो गजब के गोले हैं।····(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आगामी जिम्मेदारी शायद उन्हीं पर आ रही हो अभी इस तरह की बात कर रहे हैं।

गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं की भूमि के नियमन में सरकारी उदासीनता और लापरवाही।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपको ध्यान है पिछली बार भी सदन में मुझे यह कहा गया था···

श्री उपाध्यक्ष : जो भी आपने कहा, उसका जवाब आ गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख देने के बाद भी, मुख्य मंत्री के आश्वासन देने के बाद भी, नगर आयोजना मंत्री के इस सदन में आश्वासन के बाद भी जिसको गोविन्द देवजी का मन्दिर माना जाता है, पूजा का स्थान माना जाता है, तीन महीने में भूमि के मामले का नियमन कर दिया जायेगा, आज तक भी नहीं हुआ। घर पर धरना दिया तो एक महिने में नियमन कर दिया जायेगा, आज तक नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : Do not say like this.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है।

26 दिसम्बर, 1981 को राजस्व विभाग द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के लिए रिहायशी अथवा वाणिज्यिक अप्रयोजनार्थ नियमितिकरण व रूपान्तरण के नियम बनाने के साथ ही साथ राज्य सरकार ने तत्समय आने वाली वित्तीय वर्ष की समाप्ति व नये बजट को अपनाने के उद्देश्य से राजकोष में धन राशि (अपार) संचित हो, राजस्थान के लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित कर ग्राम जनता से आह्वान किया गया कि सुनहरी अवसर का लाभ उठावें, दूरदर्शन पर दिखाया गया कि रियायती दर का लाभ उठावें। अपनी भूमि/भूखण्ड को आबादी अथवा वाणिज्यिक में रूपान्तरित करवायें। राज्य सरकार की रीति नीति, आदेश, निर्देश को मानना जनता का कर्तव्य है और इसी मंशा के अन्तर्गत भोली भाली जनता ने, मैं जयपुर की जनता की बात नहीं कर रहा हूं सारी राजस्थान की जनता की बात कर रहा हूँ सरकार के इस भुलावे में पड़कर 31-5-82 से पूर्व 28 करोड़ रुपये भूमि रूपान्तरण की मद में जमा करा दिये। नियम तो 1981 के बाद में भी प्रभाव में थे, इसलिये इसी आशा में कि नियमितीकरण तो भूखण्डों का हो ही जायेगा धन राशि जमा कराना जारी रहा, जो आज तक अविरल गति से जारी है। इन 1112 स्कीमों में से 674 स्कीमें प्रथम चरण में अस्वीकृत कर दी गयी, कुल 438 की स्वीकृति दी गयी। इन 438 स्वीकृत स्कीमों में से भी 75 स्कीमें जिनका भूमि रूपान्तरण हो चुका, स्कीम पास हो चुकी, विकास शुल्क जमा हो चुका, भू-आवंटन शुल्क जमा हो गया इनके भी नक्शे पास नहीं किये जा रहे हैं। जयपुर जिलाधीश महोदय ने 17 अप्रेल, 1987 के बाद लीज डीड देनी भी बन्द कर दी और न तो लीज डीड दी गयी और न इन 1112 स्कीमों में से एक का भी नक्शा पास किया गया और राज्य सरकार 28 करोड़ रूपया डकार गयी।

रूपान्तरण नियमों में प्रावधित परिधीय विकास शुल्क, भू-आवंटन शुल्क, विकास

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

शुल्क आदि मदों में भी अज्ञान वश जनता ने राजकोष अथवा जयपुर विकास प्राधिकरण के पास जमा कराये परन्तु अगाध दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राज्य सरकार व इस प्राधिकरण ने मिल कर न तो इन नियमों की पालना की और न ही इन नियमों के प्रकाशित होने के बाद जारी आदेश, नोटिफिकेशन, परिपत्र, मार्ग दर्शन, स्पष्टीकरण, बैठकों के फैसले आदि को क्रियान्वित करने की दिशा में कोई कदम उठाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नोटिफिकेशन, क्रियान्वित, और यह सारे के सारे परिपत्र जो राज्य सरकार ने समय समय पर निकाले हैं वह मेरे पास मौजूद हैं और मैं आपकी आज्ञा से सदन की मेज पर भी रखूंगा। या तो राज्य सरकार इन नोटिफिकेशन्स को जो नियमन करने के बारे में निकाले थे, वापस कर दे, वापस कर दें तो हमको मालूम पड़ जायेगा कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं करी थीं उनको उन्होंने वापस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष : 295 में ही बोलिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वही निवेदन कर रहा हूँ। भूखण्डधारी आज भी जहां था वहीं हैं। उसके न तो भवनों के नक्शे पास किये जा रहे हैं, न लीज डीड जारी किये जा रहे हैं और इन दोनों के अभाव में भूखण्ड धारी ना ही विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं से ऋण सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। सरकार की इस उदासीनता व लापरवाही का असर सर्वप्रथम भूखण्ड धारी पर, ब्याज पर अथवा उधार लेकर जिन लोगों ने पैसे जमा कराये, उनके द्वारा उधार की अदायगी न कर पाने, निर्माण कार्य नहीं कर पाने के कारण, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने, चोरी छिपे किये जा रहे निर्माण कार्य से सामग्री का नुक्सान, भावों में वृद्धि, शहर की सुन्दरता का ह्रास, अनाधिकृत कब्जे, कच्ची बस्तियों का प्रादुर्भाव, धन विनियोजन करने वालों द्वारा भूमि की भारी मात्रा में खरीद फरोख्त, भूमि की काला बाजारी, प्रभावशाली व्यक्ति की भूमि का नियमन और गरीब का चक्कर लगाते रहना विभेद व विभिन्नताएं, जनता से वायदाखिलाफी आदि आदि समस्यायें उत्पन्न कर रहा है।

राज्य सरकार ने राजस्व विभाग व नगर आयोजना विभाग ने रूपान्तरण नियमों के प्रकाशन के बाद निम्न आदेश प्रसारित किये :

राजस्व विभाग :

एफ. 6 (87) रेवेन्यु/जी. आर./4/81	दिनांक 1/3/82
एफ. 2 (1) राजस्व/भूरू/87	13/10/87
एफ. 6 (87) राजस्व/ग्रुप–4/82/14	6/4/84
एफ. 6 (82) रेवेन्यु/ग्रुप–4 4/84/43	10/8/84
एफ. 6 (87) रेवेन्यु/84/83	1/9/84
एफ. 6 (27) रेवेन्यु/4/84/1	24/1/85

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह तो राजस्व विभाग ने नियमन के सम्बन्ध में उदारता पूर्वक विज्ञप्ति और आदेश प्रसारित किये।

नगर आयोजना विभाग ने किये :

एफ. 9 (57) यू. डी. एच./11/81	3/4/82
एफ. 9 (105) यू. डी. एच./82	19/10/82
एफ. 9 (105) यू. डी. एच./82	22/7/85

उपरोक्त आदेशों, परिपत्रों, नोटिफिकेशन को यदि सदन के पटल पर मंगवा कर विचार विमर्श करवाया जावे तो सदन यह महसूस करेगा कि राज्य सरकार व सरकारी अधिकारियों ने मिल कर किस प्रकार जनता के साथ अन्याय किया है। राज्य सरकार ने आदेश निर्देश तो निकाल दिये परन्तु इसी सरकार के अधिकारियों ने इन आदेशों निर्देशों को ताक में रख दिया। राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाले, न जे. डी. ए. मान रहा है न रेवेन्यू डिपार्टमेंट मान रहा है और राज्य सरकार कहती है हमने जनता को सुनहरी अवसर का नोटिफिकेशन नहीं निकाला, यह भयंकर धोखा है लोगों के साथ। आपने 28 करोड़ रुपये जमा कर लिये, भूमि विकास का कर लिया, भूमि विकास का कर लिया, पैरा फैरी का कर लिया, लोग मकान बना नहीं सकते, लोग मकान बनाते हैं तो जे. डी. ए. वाले तोड़ डालते है। मेरा निवेदन है कि लोगों की मानवीय समस्या है लोगों ने कर्जा लिया है, लोगों ने भूमि ली है और 81 से लोगों ने भूमि ली है····

श्री उपाध्यक्ष : इसके आगे लिखा नहीं जाये। जो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं वही अंकित करें :

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसी प्रकार से जिन अधिकारियों ने आदेशों, निर्देशों को ताक में रख दिया यह बहाना लेकर कि नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 इन सब कार्यवाहियों के आड़े आ रहा है जबकि राज्य सरकार ने दिनांक 22/2/85 के आदेश के साथ संलग्न एक्सप्लेसरी नोट की अंतिम पंक्ति में उद्धृत किया है कि यदि पूर्व में इस अधिनियम के तहत कोई मामले निर्णित भी कर दिये तो संशोधित आदेशों के तहत पुनः सुनवाई कर छूट प्रदान करें। क्या राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी ने किसी एक भी निर्णित मामले को इन संशोधित आदेशों के बाद पुनः सुनवाई हेतु खोल कर छूट प्रदान की है ऐसा न करना राज्य सरकार के आदेशों की स्पष्टतः अवहेलना है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की अवहेलना हो रही है। जनता दुःखी है। मैं विधान सभा में एक बार नहीं पिछले चार साल से इस को तय कराने के बारे में····

श्री उपाध्यक्ष : बहुत समझ में आ रहा है मामला, आप उस को और उलझा देते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसी और

(68)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निवेदन करने जा रहा हूँ। मैं नियम 295 के अन्तर्गत इस समस्या के समाधान के लिए सदन से चाहूंगा कि इस मामले पर विस्तृत चर्चा कर राज्य सरकार की घोषित नीति की पालना का आश्वासन राज्य सरकार से दिलवाये अन्यथा दिनांक 3/7/1989 को, यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं, जिन लोगों ने मकान बना लिये, जयपुर में बना लिये अन्य जगह बना लिये। 1112 स्कीमों में बनाये हैं। मैं प्रत्येक स्कीम में जाऊंगा और एक-एक स्कीम से पांच-पांच आदमी लाकर राजस्थान विधान सभा के सामने जब तक विधान सभा चलेगी जिनके पास भूमि है उनका नियमन कराने के लिए धरना दिलवाने का काम करूंगा। धरने से नहीं माने तो विशाल प्रदर्शन, जिन लोगों ने भूखण्ड खरीद लिये हैं, 1981 से राज्य सरकार के पास रकम जमा है, उस सबका नियमन कराने के लिए विधान सभा के सामने प्रदर्शन, एक विशाल प्रदर्शन भी मैं करूंगा। यही राज्य सरकार को झुकाने का तरीका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, आदेश, सब प्रकार की प्रतिलिपियां निकाली हैं, यदि राज्य सरकार के पास नहीं है तो मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर 1981 से आज तक के निकले हुए

श्री उपाध्यक्ष : यह वही हैं जो आप ने पहले कहा ? रख दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ।

(तदनन्तर आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी गयीं)

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक डाणी। (अनुपस्थित)

श्री नत्थी सिंह।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं में जो भारी वृद्धि हुई है और अनेक लोग घायल हुए हैं उस सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं। गत जून माह में ही, जो आज समाप्त हो रहा है, अकेले भरतपुर जिले में लगभग बीस लोगों की जानें सड़क दुर्घटनाओं में गयी हैं, और घायल होने वालों की तादाद तो इस एक महीने में ही लगभग सौ है। राजस्थान प्रदेश में पिछले वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सैंकड़ों में है। गत 23 व 26 जून को ही सड़क दुर्घटनाओं ने 15 लोगों की बलि ले ली और 22 जने घायल हो कर अस्पतालों में पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस नोटिस के देने के बाद शाम को साढ़े सात बजे से लेकर रात के एक बजे तक आगरा-बीकानेर राजमार्ग पर दुम्बी के पास पूरे छः घण्टे सारा ट्रैफिक जाम रहा क्योंकि वहां दुम्बी के पास एक बालक की मृत्यु इस सड़क दुर्घटना में हुई।

इन सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़कों की खस्ता हालत और वाहनों से ट्रैफिक नियमों का पालन कराने में सरकार की अक्षमता और असफलता है। अवैधानिक रूप से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी अनाधिकृत

(श्री नत्थीसिंह)

वाहन धड़ल्ले से भारी तेज गति से दौड़ते हैं और उन में किराये की सवारियां ठूंस-ठूंस कर भरी जाती हैं। इन पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं होती। यह ग्राम जानकारी में है कि इस प्रकार के अनाधिकृत वाहनों को चलवाने में पुलिस, यातायात एवं अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की खुली साजिश है जिन्हें नियमित रुप से मासिक रिश्वत के रूप में दी जाती है। तेज चलने वाले वाहनों ट्रक, ट्रैक्टर, बस, जीप आदि द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अपवाद नहीं होकर सामान्य हो गया है और सम्बन्धित अधिकारी इस ओर से आंखें मूंदे रहते हैं।

अनेक स्थानों पर सड़कों के अत्यन्त तंग हो जाने और बाई-पास निर्माण नहीं होने से कई दुर्घटनायें हुई है। मेरे क्षेत्र के तहसील मुख्यालय कुम्हेर पर बाई-पास नहीं होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में इस वर्ष कई लोग मारे गये हैं किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। पूर्णतः संवेदनहीन सरकार है। इसी बीच राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों की दुर्घटनाओं में मृत होने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, कल कह रहे थे कि बड़ा मुनाफा कमा रहा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लेकिन मार भी उतना ही रहा है लोगों को। इसी जून माह में भरतपुर-महुआ के बीच रोडवेज की बस के एक्सीडेण्ट में कई लोग मारे गये और जीवित बचे यात्रियों का कहना है कि ड्राइवर जयपुर से ही नशे में धुत्त होकर बस चला रहा था। ऐसी प्रवृतियों पर तथा वाहन के सही रख-रखाव पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले दिनों सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में अत्यधिक वृद्धि तथा इस समस्या के समाधान हेतु सरकार की संवेदनहीनता से जन मानस में भारी आक्रोश और आतंक व्याप्त है। लोग यात्राओं में अपने आप को अत्यन्त असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। यह स्थिति पिछले दिनों तो अत्यन्त भयावह हो गयी है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से इस स्थिति के अविलम्ब समाधान हेतु कारगर कदम उठाने की पुरजोर मांग करता हूं। कितना कर पायेंगे नये गृह मंत्रीजी, इसका पता इन दिनों में चल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरासिंह जी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत यह विषय उठा रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में फाइलाइट सिस्ट का पत्थर निकलता है जो न तो ठीक तरह का होता हैं, न रैगुलर साइज का होता है और न इसका मार्केट बढ़ा है। फिर भी इस पत्थर की रायल्टी करौली, बिजौलिया और जोधपुर के बराबर कर दी गयी जब कि वास्तव में वह पत्थर न तो सरकारी इमारत में काम में आता है, न इस का कोई मार्केट है। केवल रायपुर तहसील में अप टू जैतारण तक इसका मार्केट है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे रायपुर विधान सभा क्षेत्र के राजस्व गांव बर, मेगडदा, दीपावास, लवाचा, मोहरा खुर्द, बिराटिया खुर्द, गिरी तथा नानजा में फाइलाइट सिस्ट पत्थर, पट्टी व कातले इत्यादि ग्रामीण किसानों के खेत में बाड़ बनाने, जानवरों के डाण बनाने, किसान व मजदूर वर्ग के कच्चे मकान बनाने व छत पर डालने का कच्चा पत्थर खानों से निकलता है जिस पर दो वर्ष पहले रायल्टी बढ़ायी गयी थी, बढ़ा कर बिजोलिया, जोधपुर व करौली के बराबर की गयी थी। उस समय इन खानों पर काम करने वाले मजदूरों द्वारा हड़ताल करने पर राज्य सरकार द्वारा जांच करवाकर पुनः ग्रादेश कर फाइलाइट सिस्ट पत्थर की रायल्टी राशि 1987 में घटा दी गयी थी लेकिन इस वर्ष फरवरी, 1989 में पुनः ग्रादेश जारी कर प्रति टन 6 रुपये से 8 रुपये की गैरकानूनी वृद्धि की गयी जिसे गरीब मजदूर वर्ग एवं किसान के उपयोग का कच्चा पत्थर होने के कारण तत्काल घटाना ग्रावश्यक है अन्यथा हजारों खनन मजदूर ग्रान्दोलन करने को बाध्य होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बिजौलिया, जोधपुर व करौली का पत्थर काफी चिकना होता है, उसकी सरफेस स्मूथ होती है ग्रौर वह बड़ी साइज का होता है ग्रौर उनका मार्केट भी काफी बढ़ा होता है लेकिन बर क्षेत्र की खानों का पत्थर ऊबड़-खाबड़ व इर्रेगुलर साइज का निकलता है ग्रौर न इसका मार्केट बढ़ा है, न सरकारी इमारतों में यह प्रयोग में लिया जाता है। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह पत्थर किसी प्रकार ग्रधिकृत नहीं है। केवल गरीब किसानों के काम ग्राता है। इस पत्थर पर यह जो रायल्टी बढ़ायी गयी है बिलकुल गलत बढ़ायी गयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बढ़ायी हुई रायल्टी को तत्काल वापस लिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेसी सरकार समाजवादी होने का दावा करती है, गरीब को राहत पहुंचाने का दावा करती है। यह गरीबों के काम ग्राने वाला पत्थर है इस पत्थर की रायल्टी 1987 में जांच करके इस सरकार ने घटा दी थी लेकिन पुनः फरवरी, 1989 में किस प्रकार बढ़ा दी....

श्री उपाध्यक्ष : लिखा नहीं जायेगा।

श्री हीरासिंह चौहान :XXX

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रगर इनकी कथनी-करनी में ग्रन्तर है तो बढ़ाने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंग सिंहजी।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के ग्रन्तर्गत विशेष उल्लेख के रूप में मामला प्रस्तुत कर रहा हूं।

महोदय, दिनांक 25-6-1989 को रात्रि 10 बजे दुर्गा सिंह सरपंच लोहरडा

XXX माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री नवरंग सिंह)

सहित 10–12 लोग हरिजन मोहल्ला (ग्राम लोहरडा, तहसील नवलगढ़, थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं) पर हमला करने आये और आते ही गीगाराम बलाई को, जो कि समाज कल्याण भवन में सोया हुआ था, कहा कि गीगा, तुम क्या समझते हो, मकान से बाहर आओ, तुमको समझेंगे। श्री गीगाराम बलाई जब बाहर नहीं आया तो दुर्गा सिंह वगैरह अन्दर गये और उस पर कातिलाना हमला करके उसे घायल कर दिया। इतने में शोर-शराबा सुनकर ओंकारमल, बंशीधर, सूंडाराम आदि आ गये और आकर उसको छुड़ाया वर्ना वह उसको जान से मार डालते। श्री गीगाराम बलाई गम्भीर रूप से मरणावस्था में घायल है और राजकीय अस्पताल उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं में भर्ती है। बाद में छुड़ाने पर दुर्गा सिंह वगैरह यह धमकी देते हुए गये कि बलाइयों को गांव से बाहर निकाल देंगे। यह कहा कि बलाइयों की औरतों के साथ बेइज्जती करेंगे। इस घटना की रिपोर्ट थाना उदयपुरवाटी में दिनांक 26-6-1989 की रात्रि को 1 बजे ए. एम. मु0 नं0 82/89 पर दर्ज करवायी और श्री गीगाराम को घायल अवस्था में थाना ले गये, बाद में सुनवाई नहीं होने पर एस. डी. एम. नवलगढ़ को भी 27-6-89 को इस वाकये बाबत नवलगढ़ जाकर अवगत करवाया, अब भी मुलजिमान मुस्तगीसगण और हरिजन को धमकी दे रहे हैं कि तुमको गांव से निकालेंगे, बलाइयों की औरतों की बेईज्जती करेंगे तथा झूठे मुकदमों में फंसायेंगे।

ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि बाला-बाला पुलिस से मिलकर मुस्तगीसगण और बलाइयों को झूठे मुकदमों के केस में फंसा रहे हैं, इस घटना से झुंझुनूं और सीकर जिले के कमजोर तबके के लोगों में भय व्याप्त है और उनमें भयंकर रोष और असंतोष है, अभी तक शासन द्वारा बलाइयों की न कोई मदद की गयी है और न कोई उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया है। यह भी आशंका है कि वह लोग अभी भी किसी को भी मार सकते हैं तथा किसी भी कमजोर तबके की औरतों की बेइज्जती कर सकते हैं।

इन बलाइयों को उजाड़ने पर सामन्तवादी तत्व हावी हैं और स्थानीय पुलिस भी मुलजिमान से मिली हुई है और बाला-बाला इस मामले को रफा-दफा करना चाहती है तथा हरिजनों को फंसाने के चक्कर में है।

अतः नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के रूप में मामला प्रस्तुत कर निवेदन है कि तत्काल मुलजिमान दुर्गासिंह वगैराह सामन्ती तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके सजा दिलवायी जावे तथा लोहरड़ के हरिजनों की समुचित सुरक्षा का प्रबन्ध किया जावे, अन्यथा मुलजिमानगण हरिजनों का कत्ल कर सकते हैं, उनके मकान तहस-नहस कर सकते हैं और उनकी औरतों की बेइज्जती कर सकते हैं।

यह सामन्तवादी तत्व दुर्गा सिंह वगैरह हरिजन मोहल्ले में औरतों की बेइज्जती करने के फिराक में रहते हैं और उसकी रोक-टोक करने पर ही उक्त कातिलाना हमला किया गया। इस सारे सामन्ती

(72)

(श्री नवरंग सिंह)

तत्वों का सरगना देवीसिंह है जो सीकर एस. बी. बी. जे. में है जो गांव में औरतों की बेइज्जती करवाता है तथा कच्ची शराब का व्यापार करता है पूर्व में भी यह देवीसिंह ऐसी कई घटनाओं में शामिल रह चुका है।

सती काण्ड के दौरान में भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों ने बड़ा ताण्डव नृत्य किया था, इसलिये मैं संवेदनशील माननीय गृह मंत्रीजी, जो नये-नये आये हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं, उत्थान की बात तो जाने दीजिये उनकी औरतों के साथ जो बेइज्जती की जा रही है, उनका कत्ल सरे-आम किया जा रहा है उनको उनकी सुरक्षा का आश्वासन दीजिये, उनको बचाइये आखिर कांग्रेस के शासन में कमजोर तबके साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभुदयालजी मीणा।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों को आरक्षण की सुविधा तथा सुपर टाइम स्केल नहीं दिये जाने से उत्पन्न असंतोष के सन्दर्भ में सम्बन्धित मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 1 (10) कार्मिक (1–4) 87 दिनांक 30-4-88 के द्वारा 35 आर. ए. एस. अधिकारियों को तथा क्रमांक प. 1 (10) कार्मिक/क-4/89 दिनांक 23-2-89 से भी 35 अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल स्वीकृत किया गया है जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति का एक भी अधिकारी शामिल नहीं किया गया जबकि आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के 11 अधिकारियों को तथा अनुसूचित जनजाति के 8 अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल दिया जाना चाहिये था। सरकार का यह रवैया पिछड़े वर्ग के प्रति उपेक्षापूर्ण प्रतीत होता है। राज्य सरकार ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार सुपर टाइम स्केल उन्हीं अधिकारियों को दिया जायेगा जिनके 7 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उत्कृष्ट अथवा बहुत अच्छे होंगे।

यह सर्वविदित है कि उच्चाधिकारी अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अन्तरनिहित उपेक्षा तथा स्वेच्छा के कारण "बहुत बढ़िया" या "उत्कृष्ट" नहीं भरते, किसी भी पद के लिए वांछित योग्यता तथा आवश्यक आर्हतायें होते हुए भी और लगन व मेहनत से शत प्रतिशत कार्य अंजाम देते हुए भी उनकी वार्षिक रिपोर्ट जान बूझकर सामान्यतः औसत दी जाती है और प्रायः खराब कर दी जाती है और वे "योग्यता" के आधार पर होने वाली पदोन्नति से वंचित हो जाते हैं।

यह कि पदोन्नति के समय 7 वर्ष पूर्व के गोपनीय रेकार्ड का अवलोकन किया

(श्री प्रभुदयाल मीणा)

जाता है। इन सात वर्षों में रिपोर्टिंग अधिकारी अलग-अलग समय पर अलग-अलग होते हैं जिनका मिजाज भी अलग-अलग होता है। जो अपनी मर्जी से काम की योग्यता देखे बिना ही गोपनीय रिपोर्ट मनमाने ढंग से भरते हैं। अन्य अधिकारी किसी भी तरह अपने रिपोर्टिंग अधिकारी से "उत्कृष्ट" या "बहुत अच्छी" रिपोर्ट ले लेते हैं। पदोन्नति समिति को समग्र रूप से दृष्टि डालनी चाहिये न कि किसी विशेषतः निर्धारित जटिल प्रक्रिया के अन्तर्गत, यदि अनुसूचित जाती के अधिकारियों के हितों की रक्षा सरकार करने के लिए संवेदनशील है तो आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन या शिथिलीकरण किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों को सुपर टाइम स्केल दिये जाने के लिए न्यूनतम 20 वर्ष कि सेवावधि की शर्त भी समाप्त की जानी चाहिये क्योंकि इन जातियों के प्रत्याशी काफी संघर्ष के बाद 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त को हटा कर अधिक आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा में आते है। गौर करने योग्य है कि शिक्षा प्राप्त करने तथा सेवा में भर्ती होने के लिये इन जातियों के प्रत्याशियों को 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आर. ए. एस. अधिकारियों के आई. ए. एस. में चयनित होनें के अवसर बहुत कम हैं और वे चयनित वेतन श्रंखला के अन्तर्गत सेवा में काफी समय तक रहते हैं और इस प्रकार उनका उत्साह, रुचि और काम करने की लगन कम हो जाती है और सेवा में गतिरोध या शिथिलता या प्रभावहीनता (स्टेगनेशन) आ जाती है इसलिये उनको उत्साहित करने हेतु एक सुपर टाइम स्केल की स्थापना की जाय जो चयन वेतन श्रंखला से कुछ अधिक हो, इसका उद्देश्य यह भी है कि यदि अधिकारी सेवा निवृत हो रहा है तो उसकी पेन्शन में कुछ राशि की वृद्धि हो जाय।

वैसे भी प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारियों का प्रतिशत क्रमशः बहुत कम है जबकि दोनों का 29% होना चाहिये।

अन्त में निवेदन है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के चयनित वेतन श्रंखला के अधिकारियों में से सीनियरिटी-कम-मैरिट के आधार पर तथा रोस्टर के अनुसार सुपर टाइम स्केल स्वीकृत करने की कृपा करें।

इस प्रस्ताव के द्वारा मैं राज्य सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि वह अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों पर ध्यान देकर उनकी समस्या का समाधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान के एक मात्र सफल उद्योग वस्त्र रंगाई छपाई के ऊपर आज जो संकट आ रहा है और उनके साथ ही

(श्री चम्पालाल बांठिया)

जल-प्रदूषण की जो समस्या है उसके समाधान के लिये मैंने गुजरात राज्य के समान योजना है वह राज्य सरकार के सारे विभागों को भेजी है और सभी ओर से उसकी प्रशंसा हुई है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से, जो सौभाग्य से उसी सम्भाग से हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी उसमें मदद करें और यह सम्भव हुआ तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान का काया पलट होगा।

पश्चिमी राजस्थान में कपड़े की रंगाई और छपाई का लघु उद्योग निसन्देह एक मात्र एक ऐसा उद्योग है जिसमें कम पूंजी लगती है, बिजली का उपयोग भी बहुत कम है लेकिन रोजगार बहुत अधिक है। निसन्देह बाड़मेर जैसे सीमांत रेगिस्तानी पिछडे एवं प्रायः अकालग्रस्त रहने वाले जिले में यह एक वरदान है। जहां जिले के प्रायः समस्त गांवों का कोई न कोई व्यक्ति इस उद्योग से लाभान्वित है। मजदूरी भी कार्य से सम्बन्धित है और 100 रुपये प्रतिदिन भी कमाने वाले अनेक मजदूर हैं। देश में प्रति व्यक्ति आयकर देने वालों में भी बालोतरा प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार राज्य सरकार एवं नगरपालिका को भी इस उद्योग से भरपूर आय होती है। बालोतरा जसोल में इस काम पर 25000 मजदूर लगे हुए हैं और 500 करोड़ रुपयों की बिक्री है। कपड़ा देश के प्रत्येक भाग में लोकप्रिय है। इसमें राज्य सरकार का नाम मात्र का भी सहयोग न तो रहा है और है। इस उद्योग में कार्यरत लघु उद्यमियों एवं श्रमिकों के परिश्रम का ही यह फल है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि इस उद्योग का संचालन परम्परागत जातियां ही नहीं बल्कि विभिन्न जातियों के लोग इन कारखानों के मालिक हैं। जिनमें अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के भी व्यक्ति हैं। इस उपेक्षित क्षेत्र के मुरझाये चेहरों पर वास्तव में इससे चमक आयी है और अकाल में इससे भरपूर सहायता मिली है। यही हाल जोधपुर और पाली जिले का भी है। इस क्षेत्र के अन्य उद्योग जैसे जट्ट पट्टी, ऊन के गलीचे, ग्वारगम, स्टेनलैस स्टील एवं अन्य सब प्रकार के उद्योग या तो पूरी तरह असफल हुए हैं या नाम मात्र का काम है लेकिन इस उद्योग से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। कृषि भूमि बेकार हो रही है। वहां पेयजल पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ने से नाना प्रकार के रोगों की वृद्धि हो रही है और इस गति से बढ़ रही है कि भविष्य में कल्पना मात्र से कम्पन उत्पन्न होता है। इस ओर सरकार का ध्यान बार-बार अनेक ओर से दिलाया जाता रहा है। विधान सभा एवं संसद में प्रायः हर सत्र में इसकी चर्चा होती है लेकिन खेद है कि सरकार कोई ठोस उपाय नहीं निकाल पाई है। पाली का कामन ट्रीटमेंट प्लांट असफल रहा है। अन्य छोटे मोटे ट्रीटमेंट और व्यक्तिगत स्तर पर लगाये गये हैं लेकिन यह कारगर हल नहीं होने से केवल इस धन्धे को बन्द करने के नोटिस दिये जा रहे हैं। दूसरी ओर, इस धन्धे में सरकार के नियन्त्रण पर अनेक प्रवासी उद्यमी अन्य प्रदेशों से आकर धन्धा करने वालों को मिलने वाली सभी छूटें सुविधायें

((श्री चम्पालाल बांठिया)

देना बन्द कर दिया है। । नया रजिस्ट्रेशन भी बन्द है। यहां तक कि स्वीकृत अनुदान की राशि भी अनेकों की बेवजह रोके रखी है।

अनेक बार सुझाव दिये गये लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गत वर्षों में बाड़मेर उद्योग रहित जिला घोषित रहते हुए भी इसका नाम मात्र का भी लाभ नहीं हुआ। अतः मैं पुरजोर शब्दों में यह मांग करना चाहता हूँ कि बालोतरा को ग्रोथ सैंटर घोषित करवायें और पाली एवं जोधपुर का दूषित जल दुंदाड़ा तक लाया जाये और वहां से लूनी नदी के किनारे पर एक पक्की चैनल बनाकर इस पानी को गांधव होते हुए कच्छ की खाड़ी में यह कचरा डाला जाये। एक बार यह चैनल बन जाने के पश्चात् इस नदी के किनारे पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालौर जिले में जल आधारित उद्योग लग सकेंगे और हम इस पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार की खुशहाली ला सकेंगे और अकाल का एक स्थायी हल हमें मिल जायेगा।

2-3 वर्ष पूर्व राजकीय उपक्रम समिति गुजरात राज्य के दौरे पर इसी समस्या का हल ढूंढने गई थी जिसमें सदस्यों के अतिरिक्त रीको एवं प्रदूषण मण्डल के अधिकारी भी थे उस समय गुजरात के उद्योग निगम ने बड़ौदा के पास एक अति सुन्दर सफल पक्का नाला बनाया है जिसकी लम्बाई 55 किलोमीटर से भी अधिक है और मात्र 13 करोड़ रुपये में बनाकर तैयार की है। लगभग अपनी ओर वहां की परिस्थितियां एवं कठिनाइयां समान थी जो माही नदी के किनारे भूजल काश्त भूमि एवं जल प्रदूषण को इसी प्रकार प्रभावित कर रही थी।

हम भी केन्द्रीय सरकार से जिले को ग्रोथ सेन्टर घोषित कराकर सभी सम्बन्धित संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विश्व बैंक भी मदद कर सकती है। यह कोई असम्भव कार्य नहीं है। नदी के किनारे बनाने में दूरी भी कम होगी, बजरी और पानी की सुविधा से सस्ता निर्माण होगा और अकाल पीड़ित मजदूरों को मजदूरी भी मिल सकेगी। राज्य सरकार और फिर उद्यमी भी अपना हिस्सा दें और नये उद्योगों से रजिस्ट्रेशन के साथ ही राशि वसूल की जाये तो यह सम्भव हो सकता है। केवल इच्छा शक्ति चाहिए। यदि हमने पक्का-विचार बनाकर कार्य प्रारम्भ किया तो सफलता मिल सकती है अन्यथा वह क्षेत्र उजड़ जायेगा और बर्बाद हो जायेगा। मैंने विस्तृत योजना मुख्य मन्त्री को दे दी है। सभी सम्बन्धित अधिकारियों ने एवं पत्र पत्रिकाओं ने इस योजना की तारीफ की है। बड़ौदा से जो चैनल बनायी है गुजरात राज्य ने उसको ब्ल्यू-प्रिन्ट व कापी सब दे दी है मय नक्शे के साथ सारे विभागों को।

मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि मा. मुख्य मन्त्री जी एवं सदन इसमें सहयोग कर इसे क्रियान्वित करवायेगी और हमेशा के लिए अकाल को समाप्त करने एवं पश्चिमी राजस्थान के नवनिर्माण का

(श्री चम्पालाल बांठिया)

ऐतिहासिक कदम उठायेंगे। पीढ़ियों तक हम सबका नाम रहेगा। पैसे की कमी जल को सुरक्षित रखने एवं प्रदूषण को रोकने में किसी प्रकार की नहीं आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।....(व्यवधान) मुंह में तकलीफ है इस वजह से कहा है। आपको तकलीफ है बोलने में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मुझे बोलने में कोई कष्ट नहीं है। आपको सुनने में कष्ट हो सकता है।....(व्यवधान) मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से विषय रखना चाहती हूँ। जयपुर शहर में पहले यू. आई. टी. थी लेकिन उसकी अक्षमता को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना नगर के सुव्यवस्थित विकास एवं लोगों को सस्ती दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए की गई थी जिससे जयपुर की बढ़ रही आवासीय समस्या का समाधान किया जा सके। जे.डी.ए. ने 30-10-85 तक लगभग 28 करोड़ रुपये विभिन्न शुल्कों के रूप में जमा करके केवल 75 स्कीमें पास की हैं और कुल मिलाकर 438 स्कीमें पास कीं जबकि 1112 स्कीमों के लगभग उस समय योजनायें थीं। 75 हजार भूखण्ड-धारियों का पैसा जमा किया गया। जिन जमीनों को अतिरिक्त जिलाधीश भूमि रूपान्तरण द्वारा रूपान्तरण योग्य माना गया उनको भी जे. डी. ए. ने तकनीकी स्वीकृति नहीं दी। इस प्रकार जे. डी. ए. नक्शे पास नहीं करके भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने में, अनियमित कार्य करने में अनियमित निर्माण को प्रोत्साहन दे रहा है।

सीलिंग कानून जिसमें राजस्थान के 5 बड़े नगरों को 20-8-81 तक मुक्त कर दिया था वास्तव में धारा 20 के तहत यह आदेश सामान्य छूट के ही आदेश थे। अतः भूमिधारकों ने इसे यही समझकर सक्षम अधिकारी के पास उपस्थित नहीं हुए और सरकार ने इसका अनुचित लाभ उठा लिया। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार हर बार केवल यही कहती रही है कि मामला विचाराधीन है, शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि राज्य सरकार आज तक केवल घोषणा ही करती आ रही है, मामला लटकती आ रही है, कार्य नहीं करती है, निर्णय नहीं ले रही है।

राजस्थान सरकार लोगों को सस्ते भू-खंड दिलाने का मायावी जाल बुनती रही है घोषणायें करती रही है दूसरी ओर, प्राधिकरण बिना राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किये भूमि को आरक्षित दरों में दुगुनी और कई गुनी से अधिक की वृद्धि कर रही है। किस प्रकार जे. डी. ए. मनमाना विकास शुल्क 25 रुपये के स्थान पर 60 रुपये का करने का आदेश दे देता है। समझ में नहीं आता। यद्यपि हमने अभी तक उसको रोके रखा है। पैसा लेना काम नहीं करना, लटकाना, ऐसा लगता है कि प्राधिकरण खुलम-खुल्ला लूट का अड्डा बनता जा रहा है।

ऐसा लगता है कि प्राधिकरण में नियम उप नियम नाम की मानने के लिए कोई

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चीज नहीं है। क्योंकि दूसरी ओर जिन योजनाओं को प्राधिकरण ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान की, सड़कें बना दीं, नक्शे पास कर दिये, उन्हीं कालोनियों में एक प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर को अवाप्ति में ले लिया गया। प्राधिकरण ने अपने अधिनियम की धारा 21, 22, 23, 24, 29, 38 और 39 की बिलकुल पालना नहीं की है क्योंकि प्राधिकरण अधिनियम की धारा 38 के तहत उसी क्षेत्र में योजना ला सकता है जो धारा 29 (1) के तहत डवलपमेंट एरिया घोषित किया गया हो।

नियमों में तो जब तक मास्टर प्लान में परिवर्तन नहीं कर लिया जाता, जोनल प्लान, सैक्टर प्लान, आदि बनाकर पास नहीं कर लिये जाते तब तक कोई योजना ही नहीं की जा सकती और न ही मानचित्र प्रकाशित कराया जा सकता और यह मनमानी मर्जी से हो रहा है, सरकार की नजरों के सामने हो रहा है। जो मन में आये वह किया जा रहा है।

शहर में दूसरी ओर प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर हेतु विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य ही नहीं किया गया और अवाप्ति की घोषणा कर दी गई। यदि वास्तव में ऐसा होता तो हीरापुरा ग्रिड सब-स्टेशन के सामने आवासीय बस्तियां, सैनिक क्षेत्र, आबादी की भूमियां, पक्के बने हजारों मकान सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भूखंडधारियों के बने हुए मकान जो हजारों बीघा इसमें शामिल हैं, इसमें शामिल नहीं किये जाते।

एक तरफ सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन देकर लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेती है और दूसरी ओर अपने ही बनाये नियमों व अपने ही बनाये आदेशों को ताक में रखकर चल रही है। मन्त्री महोदय मुझे सुनें दोनों मन्त्री बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहती हूं ····(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप तो मायावी और पता नहीं क्या-क्या बातें करती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने आपको मायावी नहीं कहा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अनर्गल बातें कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने अनर्गल बात नहीं की। मायावी जाल बुन रहे हैं, मुझे बात दीजिए आठ साल में आपने, पहले भी शिवचरण माथुर की सरकार थी, अब भी उन्हीं की सरकार है आप उस समय मुख्य सचेतक थे, अब भी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 295 में लिखा हुआ बोलें और कुछ नहीं बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बीच में टोकेंगे तो मैं आपको पूरा जवाब दूंगी। आप अनावश्यक मेरी बात का अर्थ लगाकर आक्षेप करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी।····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज़, प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : खांसी, बुखार किसको नहीं होता। आपका गला बड़ा अच्छा है। सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : "एक तरफ सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन देकर" यहां से पढ़िये। ....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं, मेरी बात अधूरी रह गई इसलिए दुबारा पढ रही हूं। पृथ्वीराज नगर हेतु विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य ही नहीं किया है और घोषणा कर दी गई अवाप्ति की। यदि वास्तव में ऐसा होता तो किस प्रकार हीरापुरा, ग्रिड सब-स्टेशन के सामने की आवासीय बस्तियां, सैनिक क्षेत्र, आबादी की भूमियां, पक्के बने हजारों मकान सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भूखण्डधारियों की हजारों बीघा भूमि इसमें शामिल है जो नहीं की जा सकती।

एक तरफ सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन देकर लोगों से करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेती है और दूसरी ओर अपने ही बनाये नियमों व अपने ही आदेशों को ताक में रख देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, मुख्य मन्त्री जी तो हैं नहीं, इतना परिवर्तन करते हैं, पूछना चाहती हूं, अपने कार्यकाल में माथुर सरकार ने आदेश किये थे तो अब आप क्यों नहीं उनको क्रियान्वित करते है क्योंकि सरकारी अधिकारियों की लालफीता शाही के कारण गरीब जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। भूखण्डधारियों ने अपना झोंपड़ा बनाने के लिए अपने घर के जेवर तक गिरवी रख दिये हैं और सरकार को विभिन्न शुल्क जमा कराये हैं। वह कोई बेनियम नहीं है, उनसे डकैती की जा रही है। क्या उनकी जमीन, मकान अवाप्त हो जायेंगे। क्या उनको बर्बाद कर दिया जायेगा। क्या जे.डी.ए. थोड़ा सा मुआवजा देकर नीलामी देकर भूमि के जो मंहगे भाव है, उनको मामूली में दे देगी। इस तरह की लूट की छूट दी जायेगी।

मान्यवर, सरकार 83 से....

श्री उपाध्यक्ष : यहां से "राज्य सरकार को चाहिए—

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कहें तो बिन्दु और कोमा पढ़ूंगी, यदि आप कहेंगे तो। सरकार 83 से करोड़ों रुपया लेकर बैठी है। यह भी नहीं बतलाती है कि कब तक यह कार्य करेगी, करेगी या नहीं करेगी। भूखण्डधारियों के सिर पर एक अवैधता की तलवार अनावश्यक रूप से सरकार ने लटका रखी है।

राज्य सरकार को चाहिए कि अपना वायदा व कर्तव्य समझकर ग्रीन बैल्ट में आने वाली योजना को स्थगित करे तथा शिविर लगाकर, उदार रूप से विचाराधीन व निरस्त की गई योजनाओं को शीघ्र स्वीकार करे। लीज डीड देना, व सीलिंग से मुक्ति का कार्य करे, भवन निर्माण में मानचित्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करे जिससे जहां राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों की और आय होगी वहीं जनता के कष्टों का निवारण होगा।

मान्यवर, आये दिन जे. डी. ए. के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर्मचारी तोड़फोड़ करते हैं। पांच हजार बनवाने के, पांच हजार तुड़वाने के और पांच हजार छुड़वाने के मांगते हैं। यह सरे आम हो रहा है। पुलिस वहां पर बैठी है। प्रवर्तन अधिकारी के रूप में आये दिन यह काम हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरे शहर की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम मिला है जितना ही मैं दे सकता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हजारों-हजारों लोगों की दुख की कथा है।

जनता में भयंकर असन्तोष व आक्रोष व्याप्त है। लोग आन्दोलन पर उतारू हैं। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, इन सारे कार्यों को जो आठ साल से लटका रखे हैं उन्हें पूरा करें उसको निपटायें जिससे लोगों को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जीरो आवर चल रहा है, प्लीज सिट डाउन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहती हूं एक ओर तो विधान सभा चल रही है, दूसरी ओर रेवेन्यू अभियान चल रहा है। आप बताइये कि यहां बैठूं या वहां जाऊं।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल जी

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख नियम 295 के अन्तर्गत करना चाहता हूं।

कृषि कार्य में विद्युत का उपयोग इस उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ किया गया था कि इससे खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। विद्युत का उपयोग खेती में तेजी से बढ़ जाने के कारण किसान इस पर पूरी तरह आश्रित हो गया और अपने पुराने साधनों का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया किन्तु वर्तमान में विद्युत मण्डल की लापरवाही से किसान विद्युत व्यवस्था से लाभ उठाने के बजाय घाटे में जा रहा है और उसे भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सिंचाई के साधन जिनमें कुए मुख्य हैं को बिजली उपलब्ध करवाकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इन कुओं पर बिजली के लिए जगह-जगह मण्डल ने विद्युत तारों की लाइनें डाली हैं। प्रशासनिक व्यवस्था व तकनीकी अधिकारियों की लापरवाही से

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इन लाइनों की सार सम्भाल नहीं हो पाती और दो पोलों के बीच यह तार ढीले हो जाते हैं जो हवा के कारण आपस में भिड़ जाते हैं और आपस में भिड़ जाने के कारण एक फेश में वोल्टेज की बढ़ोत्तरी हो जाती है जिससे कुओं पर मोटरें, घरों के बल्ब वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और प्रतिदिन मोटरें जल जाती है।

(2.00 म. प.)

यह क्रम पिछले कई महीनों से चल रहा है मोटर व नई अन्य उपकरणों के जल जाने के कारण उससे होने वाली क्षति व कठिनाई का अन्दाज सहज ही लगाया जा सकता है किसान जली हुई मोटरें को जब तक ठीक कराकर लाता है तब तक उसकी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार मण्डल समय पर पावर सप्लाई में कटौती करता है। जिसका प्रभाव तीन फेस से होने वाली विद्युत सप्लाई पर पड़ना चाहिए परन्तु यह कटौती घरेलू सप्लाई से भी लागू हो जाती है। परिणामस्वरूप घरों में जलने वाली बिजली के न मिलने से घरों के बल्ब टी. वी. आदि अर्थिंग होते हैं–नागरिकों को, विशेषकर विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है किसान को मण्डल की अक्षमता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे बिजली के बिल जमा कराने के बाद भी उसका खाते में जमा नहीं किया जाता और बाद में यकायक काफी समय बाद बकाया का बिल भेज दिया जाता है। काश्तकार के लिए रसीद को लम्बे समय तक सम्भालकर रखना कठिन है। इसी के कारण उस पर आर्थिक दण्ड होता है। मण्डल यही पलट कर उत्तर देता है कि आपने मण्डल के खाते में इन्द्राज क्यों नहीं करवाया। इस समस्या को लेकर किसान अपने खेत का कार्य छोड़ मण्डल के कार्यालय के चक्कर लगाकर थक जाता है और उस गरीब को विद्युत सम्बन्ध विच्छेद के भय से अर्थ दण्ड के रूप में पुनः पैसा जमा कराना पड़ता है, यह कैसी विडम्बना है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पिछले काफी अर्से से घाटे में चल रहा है 31 मार्च, 89 तक कुल तीन अरब तीस करोड़ रुपये के घाटे में विद्युत मण्डल चल रहा था जिसके पीछे मण्डल की प्रशासनिक व्यवस्था दोषी थी। जम्मू और कश्मीर के बाद राजस्थान का मण्डल ही ऐसा मण्डल है जहां बिजली की छीजत सर्वाधिक 26.56 प्रतिशत है एक प्रतिशत बिजली की छीजत पर सालाना 8 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस प्रकार कई अरब के नुकसान को रोकने के लिए मण्डल ने कोई कदम नहीं उठाये। मण्डल लाभ में आये और अपने घाटे को पूरा कर सके इसके लिए मण्डल में काफी प्रशासनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे क्योंकि प्रशासनिक अक्षमता के कारण साल में कई बार राजस्थान विद्युत मण्डल की परमाणु इकाइयां बन्द हो जाती है जिससे साल में कई बार विद्युत कटौती करनी पड़ती है। बड़े-बड़े उद्योगों में मण्डल के करोड़ों रुपया बकाया है किन्तु वह उन्हें वसूलने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है जबकि छोटे-छोटे उपभोक्ता के एक माह में ही कनेक्शन काट दिये जाते

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज ने भी विद्युत मण्डल के काम काज पर तीखी टिप्पणियां की हैं किन्तु सरकार ने इसकी हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। अतः मण्डल के काम काज में सुधार व इसके घाटे की पूर्ति में सुझाव देने के लिए सरकार एक समिति गठित करे जो यह भी उपाय सुझाये कि विद्युत मंडल के उद्योगों में पड़ी बकाया राशि कैसे वसूल की जा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है उसमें मुख्य बात यह है कि जब किसान की मोटर जल जाती है तो मोटर जलने के क्या दुष्परिणाम होते हैं मोटर तो अन्दर होती है काश्तकार अकेला उसको निकाल नहीं सकता निकालने के लिए उसको एक रस्सा चाहिए और उपकरण चाहिए वह सब उपलब्ध नहीं होते तो कई दिन तो उसको इस बात के लिए लगते हैं कि वह अपने कुए की मोटर बाहर लाये फिर वहां उसको ठीक करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, किसी शहर में ले जाना पड़ता है वहां उसको तीन चार दिन लगाने के बाद, मोटर में वजन भी इतना होता है····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पढ़ दीजिए, समझ में आती है बात।

श्री भंवरलाल शर्मा : ····मोटर में वजन ही इतना होता है जिसके कारण वह अकेला उसको ढो नहीं सकता है। उसमें उसको इतना समय लगता है कि जिस समय उसको फसल का पानी चाहिए वह मिल नहीं पाता है फसल सूख जाती है। इसलिए और बातों की ओर भले सरकार ध्यान न दे लेकिन कम से कम यह व्यवस्था तो करे कि जो तार ढीले पड़े हैं जिनके कारण मोटरें जलती हैं उनको तो ठीक करा दे इसमें तो अधिक खर्चा भी नहीं होता यह तो केवल प्रशासनिक अव्यवस्था ढिलाई का ही परिणाम है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बिराजमान हैं···· माननीय मुख्य मन्त्री जी····

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा : ही इज वैरी पर्टीकुलर। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो बिजली के तार ढीले हैं यह जो आपसे में भिड़ते हैं इससे मोटरें फुक जाती हैं तो यह तो खिंचवा दीजिए कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष : समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री नाथू सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री नाथू सिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भी तकलीफ है क्या? इसमें क्या आपत्ति है। इसी पर तो आप इच्छुक थे कि आ जाये आप चाहते थे यह बिल आ जाये, यह आ रहा है।

श्री नाथू सिंह : मेरा पाइंट आफ

(श्री नाथू सिंह)

आर्डर है, आप बैठाइये तो सही। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान के हित में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित····

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर क्या है····

श्री नाथू सिंह : सुन तो लीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी मैटर को रेज करना चाहते हैं आप अपने तरीके से करिये Point of order is not meant for it.

श्री नाथू सिंह : वही बता रहा हूं····

श्री उपाध्यक्ष : ····कौन सी गलती हो गई है हाउस से वह बताइये।···· (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मैंने नियम 50 के अन्तर्गत आर्यावर्त प्लाइवुड को रीको द्वारा गलत ढंग से जोरावर वनस्पति जो कि बूटा सिंह जी के लड़कों ने।

श्री उपाध्यक्ष : I disallow it. I disallow it. यह पाइंट-ऑफ आर्डर से नहीं उठा सकते···· (व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दी गई है।

श्री नाथू सिंह : सदन में जवाब कब आयेगा यह बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी बतायेंगे आपको। रिपोर्ट आने पर उस पर व्यवस्था दी जायेगी। जब व्यवस्था दी जायेगी तब आप रेज करिये। माननीय बुलाकी दासजी कल्ला।

समिति का प्रतिवेदन
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक 1986 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्रवर-समिति, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन विमति टिप्पणी सहित उपस्थापित करता हूं। प्रक्रिया के नियम 307 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देश संख्या 3 के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन अन्त: सत्रकाल में अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थापित कर दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जी देवपुरा।

श्री रामलाल सोलंकी : उपाध्यक्ष महोदय,····

श्री उपाध्यक्ष : पहले अनुमति लें।

जनलेखा समिति का 32 वां प्रतिवेदन

श्री रामलाल सोलंकी : आपकी आज्ञा से मैं, सदस्य जन लेखा समिति, 1988-89, वर्ष 1983-84 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई विभाग से

(श्री रामलाल सोलंकी)

सम्बन्धित अंकेक्षा अनुच्छेद संख्या 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 5.2 व 5.4 से सम्बन्धित समिति का 32वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती विद्या पाठक। (अनुपस्थित)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। माननीय रघुनाथ परिहार।

कार्य सलाहकार समिति का 27वां प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29 जून, 1989 को मध्याह्न पश्चात् 1·30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने दिनांक 30 जून, 1989 से 20 जुलाई, 1989 तक सदन में विचारार्थ लिये जाने वाले विषयों पर विचार किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जावे :

शुक्रवार 30 जून, 1989	1. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1988, एवं 2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1988 —पर विचार एवं पारण।
शनिवार, 1 जुलाई, 1989 रविवार, 2 जुलाई, 1989	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 3 जुलाई, 1989 मंगलवार, 4 जुलाई, 1989 बुधवार, 5 जुलाई, 1989 गुरुवार, 6 जुलाई, 1989 शुक्रवार, 7 जुलाई, 1989	आय-व्ययक 1989–90 से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण
शनिवार, 8 जुलाई, 1989 रविवार, 9 जुलाई, 1989	बैठक नहीं होगी।

(श्री रघुनाथ परिहार)

सोमवार, 10 जुलाई, 1989) मंगलवार, 11 जुलाई, 1989) बुधवार, 12 जुलाई, 1989) गुरुवार, 13 जुलाई, 1989)	आय-व्ययक 1989–90 से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण ।
शुक्रवार, 14 जुलाई, 1989) शनिवार, 15 जुलाई, 1989) रविवार, 16 जुलाई, 1989)	बैठक नहीं होगी ।

सोमवार, 17 जुलाई 1989 आय व्ययक 1989-90 से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण ।

सायंकाल 4·00 बजे मुख बन्द का प्रयोग कर शेष अनुदानों की मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी ।

मंगलवार, 18 जुलाई 1989, बुधवार 19 जुलाई 1989, गुरुवार 20 जुलाई 1989, राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या-3) 1989 पर विचार एवं उसका पारण ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है । कई दफा और पिछले सदन में यह बात उठायी थी कि प्रति शुक्रवार को गैर सरकारी काम के लिये नियत किया जाये । आश्वासन भी दिया गया था । मुख्य मंत्री महोदय ने जब यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन पर बहुत ज्यादा समय लग जाता था, तब रूल्स में सुधार किया उससे हमारे कई काम रोक दिये गये, प्रश्न सीमित कर दिये गये, हमारा बोलना सीमित कर दिया गया । यह कहा गया था कि साल में तीन बार सत्र होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ । हर शुक्रवार को गैर सरकारी काम होना चाहिये । यह आश्वासन भी दिया गया है । हमारे कई मामले हैं, अनावृष्टि का मामला है, कर्जों का मामला है । इन सब पर विचार करने के लिये आपने कहा था । 20 जुलाई तक का कार्यक्रम तय कर दिया उसमें एक भी शुक्रवार गैर सरकारी काम के लिये नहीं है । इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी काम होना चाहिये और इसके बिना इस रिपोर्ट को पारित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार के सामने और जनता के सामने बहुत सारे विषय हैं जिनकी चर्चा यहां होती है । इसमें एक विषय पिछले दिनों जो बड़ा उभर कर आया है और चिन्ता का विषय है वह है साम्प्रदायिक दंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये अलग से ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं जब मीटिंग चल रही थी, माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने····

श्री उपाध्यक्ष : आप मैम्बर हैं यू पार्टी सिपेटेड इन दी डिसीजन। आपको बोलना नहीं चाहिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस पर विचार आगे होना चाहिये यह बात रखी थी। इसलिये श्री भैरोंसिंह शेखावत ने····

श्री उपाध्यक्ष : आप वहां मौजूद थे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : परन्तु उसमें वह उल्लेख नहीं हुआ । उन्होंने कहा था कि साम्प्रदायिक दंगों पर विचार करने के लिये समय रखा जाये । उनका आग्रह था। इसमें आया नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के बारे में माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दे रखी है कि सामान्यतः इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहस नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभी पार्टियों के नेता वहां मौजूद थे । उनसे मिल कर तय किया है···

श्री उपाध्यक्ष : That is why I am putting it to vote.

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए इसके बारे में बहस न करके इसको पास करें । नेता महोदय कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा स्वयं सदस्य हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें उल्लेख नहीं है इसका क्या कारण है । इस विषय का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका रिप्रेजेन्टेशन नहीं है क्या ?

श्री नाथू सिंह : है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार कमेटी के थ्रू अपना बिजनैस ले आती है परन्तु हम मैम्बर्स के जितने राइट्स हैं

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया है ।···

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे···पार्लियामेंट में भी हर शुक्रवार को प्राइवेट डे होता है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने तो इस प्राइवेट डे के लिये कहा था किन्तु किन्हीं कारणों से ।

श्री नाथू सिंह : चेयर के आदेश होने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज अलाऊ मी ।
(व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय कुछ कमेटी की रिपोर्टस् जैसे मण्डल आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति और जन जाति आयोग की रिपोर्ट इन पर चर्चा हमेशा लास्ट डेज में होकर निकल जाती है । इन पर समय निश्चित करने के लिये कार्य सलाहकार समिति ने विचार

(श्री बिरदमल सिंघवी)

नहीं किया है। आप कृपया इसके लिये समय निश्चित करावें क्योंकि मण्डल आयोग की रिपोर्ट, विद्युत मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती है।....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के 27वें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई। विधायी कार्य।

श्री बिरदमल सिंघवी : कई इम्पार्टेंट रिपोर्ट आती है उस पर भी विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1988।

श्री नाथू सिंह : बैकवर्ड क्लासेज के मामले में भी आप बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बार-बार क्यों कह रहे हैं।

श्री नाथू सिंह : इस मामले में अलग से काल अटेन्शन मोशन भी दिया है। ....

श्री उपाध्यक्ष : आने वाली कार्य सलाहकार समिति की बैठक में विचार करेंगे। मैं आश्वासन नहीं दूंगा। आप अपने जो कार्य सलाहकार समिति के रिप्रिजेन्टेटिव हैं उनसे कहिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जैसा कहा कि वहां सारी पार्टीज के रिप्रजेन्टेटिव रह कर के निर्णय करते हैं तो फिर इस सदन में इस को लाने की क्या जरुरत है। यदि इस सदन में आप हमारी सहमति लेने के लिये कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट लाते हैं तो इसका मतलब साफ है, इसमें हम को कोई आपत्ति है तो कहें। ऐसा नहीं है कि कार्य सलाहकार समिति में बैठने वाले रिप्रजेन्टेटिव से कोई भूल नहीं हो सकती। माननीय सदस्यों की कोई बात उनके ध्यान में नहीं आवे और वे उसको नहीं रख सके इसलिये यह कहना कि आप अपने रिप्रजेन्टेटिव से कहिये उचित नहीं है। क्या हम को इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर अपनी राय देने का, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का या नये विषय जो बी. ए. सी. ने विचारार्थ नहीं लिये हैं उनको यहां प्रस्तावित करने का अधिकार है या नहीं इस पर आप अपनी रूलिंग दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कहने का अधिकार है। इसीलिये मैंने आपको अलाउ किया, माननीय भंवरलाल जी शर्मा को अलाऊ किया। अन्य सदस्यों को अलाऊ किया। प्राइवेट डे के बारे में मैंने साफ कहा है कि इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार करेंगे।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय हर सत्र में यह विषय उठता है और यह कहा जाता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी परन्तु यह प्रश्न कभी नहीं आता है। हम यह चाहते हैं कि आप हम लोगों की भावनाओं का आदर कर इस सत्र में विचार करें। हर बार आश्वासन देते हैं। यह अन्तिम सत्र है। चुनाव का वर्ष है। आज सरकार उदारता से दान कर रही है।

(श्री मोहन प्रकाश)

सदियों से जिनको हक नहीं मिले उनको हक मिले, जो हजारों लोग बोल नहीं पाते हैं उन लोगों की बात हम उठाना चाहते हैं। पांच साल से हम कोशिश कर रहे हैं, नाकामयाब रहे। आपसे गुजारिश है कि आप कामयाबी दिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश करेंगे। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री मोहन प्रकाश : जो सदियों से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी बात हम कहना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : यह अन्तिम सेशन है इसमें तो बिजनेस लेना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आपकी भावनाओं को रखा जायेगा। दो चीजें, प्राइवेट मैम्बर डे और दूसरे मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर विचार के लिये समय मुकर्रर करना····

श्री बिरदमल सिंघवी : मैंने केवल मण्डल आयोग की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि सभी रिपोर्ट विद्युत मण्डल, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट सभी रिपोर्ट पर विचार करने के लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1988। श्री गिरधारी लाल भार्गव। (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : यह कहां से आ गया, अभी तो अध्यादेश ही नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन, आप बोलिये। आप परिनियत संकल्प पर बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो अध्यादेश जो राज्य सरकार ने रखा है···· (व्यवधान) आप कुछ कह दीजिये।

श्री मोहन प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिये कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सवेरे नहीं थे, जो विषय मैंने सवेरे उठाया था, पूरे प्रदेश में भयंकर असन्तोष है····

श्री उपाध्यक्ष : अजी, भार्गव साहब का बहुत सीरियस मामला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भार्गव साहब का नहीं है, यह मेरे नेता हैं इनकी बात सुनिये।

श्री मोहन प्रकाश : सवेरे मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी नहीं थे, हाई कोर्ट के अन्दर जो····

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you.

श्री मोहन प्रकाश : बहुत ज्यादा जनता में असन्तोष है। यह मंडल आयोग की बात चली, इस सम्बन्ध में····

श्री उपाध्यक्ष : नाउ प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : ठीक है, आपकी आज्ञा मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल जी, बोलें। परिनियत संकल्प पर आप बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझ से कुछ कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, गिरधारी लाल जी भार्गव से कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सब पर बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं सब पर नहीं, मैं समझता हूँ विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आज मुझे खेद हुआ जीवन में पहली बार, यह मेरी चौथी टर्म है, आर्डिनेन्स, बिल पर भी इस प्रकार से उपहास किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, We are very serious to hear

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर विषय है। मुझे अभी तक, इस समय तक आज का एजेण्डा क्या है, आप पूछ लीजियेगा, मुझे डाक नहीं मिली। पहले तो दूसरा बिजनैस मिला था, मेरी बात समझ लीजिये, आप जैसे भी हाउस चलाना चाहेंगे, चलेगा। हाउस की बड़ी अच्छी परम्परा जिस समय थी मैं उस समय विधान सभा का सदस्य बना था लेकिन आज यह पहली बार मैं इस प्रकार की परम्परा देख रहा हूं कि आर्डिनेन्स तो रख दिया गया, बिल तो रख दिया गया, मंत्री का संशोधन आ गया, हमको संशोधन में और संशोधन देने का अधिकार नहीं मिला, उसको अध्ययन करने का अधिकार नहीं मिला मैं समझता हूं, यह सबसे बड़ी गम्भीर बात है। अब केवल आप सदन में माफी मांग लें कि आपको डाक रोजाना आठ बजे मिल जाया करेगी, इस प्रकार की परम्परा कायम करना चाहें मैं इस परम्परा का सख्त विरोधी हूं। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी। इसमें कौन-सी बातें रिटर्न लायेंगी। आप यदि उपहास करना चाहें, मुझे बोलने का शौक नहीं है। मैं पूरा यहां पर अध्ययन करके आता हूं, अध्ययन करके बात को यहां पर रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूं इस प्रकार की मजाक हो बिल में भी, अध्यादेश में भी इससे बढ़कर कोई गम्भीर बात हो ही नहीं सकती है। और बातों में हाउस को आप चाहें जिस प्रकार से चला लें, यह विधान सभा है, विधान सभा का मतलब विधान बनाना यहां का मूल काम है। आर्डिनेन्स पास करना, बिलों का पास करना विधान सभा का मूल काम है। आप फ्री स्टाइल बहस करलें वह बात अलग है। इसलिये मैं इसको गम्भीर मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह फ्री स्टाइल नहीं है, आप परिनियत संकल्प पर बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : परिनियत संकल्प पर बोलूंगा लेकिन वर्तमान में इस पर बोलना पड़ेगा। मैं इसमें कुछ देख नहीं पाया। मेरे पास आर्डिनेन्स की कापी नहीं है, मेरे पास बिल की कापी नहीं है, दुर्भाग्य यह है।

व्यवस्था का प्रश्न

नया अध्यादेश प्रस्थापित होने पर पूर्व में प्रस्तुत विधेयक का व्यक्तिगत होना

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जानकारी करनी है, बिल पेश कर दिया क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : बिल कल रखा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नही, कल तो आर्डिनेन्स रखा है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल रखा था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं रखा । पूछ लो इनसे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल ही रखा है । कल रखा था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं रखा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कल रखा था, उसके बाद हरिशंकरजी भाभड़ा ने उसकी आपत्ति की थी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, आर्डिनेन्स की आपत्ति की थी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल को रखा था ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले यह फैसला कर दिया जाय, बिल रखा या नहीं ?

श्री **बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर) : आर्डिनेन्स और बिल में अन्तर है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, बिल पहले सदन में रखा हुआ है । वह चूंकि विधान सभा पास नहीं कर पाई थी उसके बाद चूंकि कानून को सतत् जारी रखना था इसलिये आर्डिनेन्स लाया गया था वह भी कल रख दिया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, सवाल यह है, बिल नहीं रखा गया । मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, शायद संसदीय विभाग के वह मंत्री हैं, इनको नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिये, बिल जब आपने रखा है, उस बिल के बाद आर्डिनेन्स इश्यू किया है, बिल तो आटोमेटिकली लैप्स हो गया । कौन-सा बिल आप कह रहे हैं ? सदन में आपने बिल नहीं रखा और चर्चा के लिये आपने यहां हाउस में कह दिया । बिल नहीं रखा गया और जब तक बिल नहीं रखा जायगा तब तक कोई चर्चा नहीं होगी । वह लैप्स हो गया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिल को विधिवत् रूप से पेश कर दिया है उसके बावजूद भी यह चाहते हैं यहां बोलना तो मैं बोल करके रख देता हूं उसको ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बोलने की बात नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने विधान सभा में रिप्लेसिंग बिल को पेश कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय से आप जानकारी प्राप्त कर लें, मैंने बिल आपके यहां विधिवत् रूप से जैसे सबमिट करना चाहिये, आपके कार्यालय में सबमिट कर दिया है । यहां पर पढ़कर सुनाना चाहें तो मैं यहां पढ़ कर सुना देता हूँ बिल ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कब कर दिया ? पढ़ कर सुनाने से मतलब नहीं है । यह हमारा प्रिविलेज है कि हमको बिल की कापी मिलनी चाहिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप स्वयं जानते हैं, कल ही बी. ए. सी. में यह तय

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

किया था कि आज का बिजनैस यह रखा जायगा लेकिन मैं विधान सभा सचिवालय में इस बिल को भिजवा चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि विधान सभा सचिवालय ने नहीं रखा या आपने नहीं रखा। मैं एक विधायक के नाते मेरे विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि आपने मुझे बिल की कापी नहीं दी। यह आपके बीच का सवाल है, मेरा नहीं है। यह मेरा विशेषाधिकार है कि मुझे बिल की प्रति मिलनी चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकारी करलें कि यहां विधान सभा सचिवालय में भिजवाया जा चुका है और यहां पर उसको बोलना है तो मैं आपके सामने बोल दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बोलने का प्रश्न ही नहीं है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेंट्स आ चुके हैं, आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई अमेण्डमेंट दिये नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : परिनियत संकल्प आ गये, सभी आ गये, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, एक तो आर्डिनेन्स है, आर्डिनेन्स को निरस्त करने के लिये इन्होंने प्रस्ताव रखा। आर्डिनेन्स को निरस्त किया जा सकता है और निरस्त करने के लिये प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। लेकिन इसकी सिक्वेंस यह है कि आर्डिनेन्स के साथ ही सरकार बिल पेश करती है उस बिल के ऊपर चर्चा होती है।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : रिप्लेसिंग बिल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, रिप्लेसिंग बिल। वह बिल पेश हुआ नहीं तो आर्डिनेंस की चर्चा तो निरर्थक हो गई। बिल पेश होगा तभी जाकर उस पर चर्चा होगी। बिल पेश हुआ, नहीं और मुझे ताज्जुब हुआ, संसदीय ज्ञान के भण्डार····

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, आपके हमारे कम्युनिकेशन गैप रहा। मैंने कहा, मैंने विधान सभा सचिवालय को···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें इससे मतलब नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिप्लेसिंग बिल भिजवा दिया। यहां पर विधिवत् रूप से मैं आपके सामने कह देता हूं कि यह मैं सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इससे मतलब नहीं है, आपके और विधान सभा सचिवालय के बीच क्या विवाद है, यह आप जानो। यह तो मैं तो अपने विशेषाधिकार के रूप में कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बिल की कापी नहीं है। बिल की कापी नहीं हो तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती, एक। दूसरा यह है कि आज और कल के बीच में आपने बिल सदन की मेज पर प्रस्तुत नहीं किया। न मैम्बर्स को आपने सर्क्यूलेट किया है। इसलिये इस विषय

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

पर इस समय कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कल आपके सामने यह तय हुआ था वी. ए. सी. की मीटिंग में। मैं मानता हूँ कि जो समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये वह नहीं मिला। इसलिये मैंने सुबह ही अध्यक्ष महोदय से कहा था कि नियम 306 के अन्तर्गत रिलेक्सेशन देते हुए इसके ऊपर····

एक माननीय सदस्य : बिना बिल के तो पेमेन्ट ही नहीं होता, बिल बिना होता है कोई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने देखा होगा, कुछ माननीय सदस्यों ने परिनियत संकल्प और संशोधन जो देने थे वह दे दिये और अब जो देना चाहें वह दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, यह नहीं है सवाल। सवाल तो यह है कि आपने जो परिनियत संकल्प दिये हैं वह तो आपने कल आर्डिनेन्स पेश कर दिया इसलिये दिये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां।

श्री भैरोंसिह शेखावत : और तो किसी पर है नहीं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिप्लेसिंग बिल विधान सभा में पेश किया जा चुका है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विधान सभा से हमारा मतलब नहीं है। यह तो विधान सभा सचिवालय देखे कि उन्होंने बिल सर्क्यूलेट किया, नहीं किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं उसे सदन की मेज पर रख देता हूँ और उसके बाद उसकी कार्यवाही कर ली जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप आज्ञा इसलिये मांग रहे हैं कि बिल अब पेश करना चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधान सभा में पेश किया जा चुका है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विधान सभा में कब पेश किया जा चुका है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सारी फाइल देख कर बता देता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देख लेओ, फाइल देख लेओ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ टेक्नीकल बातों पर आपने यहां पर आपत्ति उठाई है और इतना तो आप स्वयं भी जानते है, आप तो इस सदन के सबसे पुराने सदस्य हैं····

श्री उपाध्यक्ष : आपको थोड़ा पढ़ा दीजिये। इसको पढ़ लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह पढ़ा हुआ है। इसमें जो व्यवस्था है और मैं जो बात कह रहा हूं वह व्यवस्था से नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात

(श्री शिवचरण माथुर)

सुनिये। आप इस सदन में सबसे पुराने सदस्य है, आप जानते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कह कर आप मुझे बंद मत करो।

श्री शिवचरण माथुर : आप जानते हैं कि इस सदन में जो पहले आर्डिनेन्स लाया गया उसका रिप्लेसिंग बिल हमने पेश किया पिछले सदन में, वह किन्हीं कारणों से पास नहीं हो सका और उसकी कन्टीन्यूटी के लिहाज से हमने जब सदन का सत्रावसान हुआ तो गवर्नमेंट ने उसके ठीक बाद आर्डिनेन्स के रूप में पास कर दिया। मैं ऐसा मानता हूँ यह परम्परा के अनुसार रिप्लेसिंग बिल जो था वह अभी लैप्स नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह लैप्स हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : लैप्स नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी बतलाता हूँ।

श्री शिवचरण माथुर : अब चूंकि आर्डिनेन्स को यहां रखना था, किन कारणों से आर्डिनेन्स निकाला गया उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को देनी थी वह माननीय मंत्री महोदय ने कल दे दी। इसलिये कोई टेक्निकल आधार पर वह आपत्ति उठाई जाय वह बात दूसरी है। बाकी मेरे ख्याल से पहले जो सदन में रिप्लेसिंग बिल रखा गया था वह लैप्स नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था पढ़ रहे हैं उस व्यवस्था में इस बिल के सम्बन्ध में जो बिल किसी आर्डिनेन्स से सम्बन्धित नहीं है आपने जो व्यवस्था बताई है कि कोई भी बिल इस सदन में पेश कर दिया जाय और पास नहीं हो और अगले सत्र में बिल आता है तो वह लेप्स नहीं होता। मैं आपकी व्यवस्था जो आप पढ़ रहे हैं उसको भी मानता हूं और आपने जो कहा उसको भी मानता हूं लेकिन यह बिल एक आर्डिनेन्स को रिप्लेस करने के लिए है, यह उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि यह तीसरा आर्डिनेन्स है....

श्री शिवचरण माथुर : वह ठीक है उस पर आप कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तीसरा आर्डिनेन्स है। आर्डिनेन्स के साथ ही बिल पेश होना है। आर्डिनेंस लैप्स होता है तो बिल भी आटोमैटिकली लैप्स होता है और उसके बाद आप दूसरा आर्डिनेंस इश्यू करते हैं तो नया बिल पेश करना होगा। यह नहीं हो सकता कि आर्डिनेंस लैप्स हो जाय और बिल लैप्स नहीं हो। आर्डिनेंस लैप्स होने के साथ ही बिल तो आटोमैटिकली लैप्स हो गया। इसलिए सरकार को इस पुराने आर्डिनेंस को, यह तीसरा आर्डिनेंस है। तो पहला आर्डिनेंस पेश किया था उस समय बिल पेश किया था वह बिल तो आलरेडी लैप्स हो गया। मान लीजिए सरकार आर्डिनेंस इश्यू नहीं करती तो बिल का महत्व क्या था? इसमें आखिर में लिखा हुआ है कि आर्डिनेंस रिपेल किया जाता है और उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आप देख लीजिये, कौनसा आर्डिनेंस रिप्लेस किया जाता है—जो पिछले सत्र में पेश किया गया। इस सत्र में पेश किया गया वह आर्डिनेंस रिप्लेस नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से बिल लाना पड़ेगा। आर्डिनेंस की इसमें डेट भी नहीं है, न नम्बर दिया है। तो जिस नम्बर और डेट का आर्डिनेंस रिप्लेस करने के लिए बिल पेश होना चाहिये वह बिल पेश नहीं हुआ और जब तक बिल पेश नहीं होता तब तक चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार चाहे अपनी गलती मान कर अभी सुधार करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप अभी बिल पेश कर दीजिए और बिल पेश करने के बाद....यह तो है ही, यह तो आप व्यवस्था भी दिलवा देंगे चेयर से। लेकिन मैं समझता हूँ इसका सब तरफ स्वागत नहीं होगा।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी व्यवस्था दिलवाने वाली बात हम भी नहीं कर रहे हैं। आपको यह समझना भी नहीं चाहिए। चेयर अपने आप में फैसले करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन जो मैंने निवेदन किया, रिप्लेसिंग आफ बिल जो पहले सदन में पेश किया गया उसमें और इस नये आर्डिनेंस में कोई भावना में कोमा, फुलस्टाप में भी कोई फर्क नहीं है। सब्जेक्ट वही है। जहां आपने साल की बात कही और नम्बर की बात वह तो जो 69 में लागू हुआ और नम्बर उसका डिफरेंट था इसलिए उसका डिफरेंट हो सकता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह डिफरेंट हो सकता है पर रिप्लेस में डिफरेंट बिल कहां होगा। इसमें लिखा है—आर्डिनेंस नं0 3/89, यह आर्डिनेंस पेश हुआ था 88 में। बिल पेश हुआ है 88 के आर्डिनेंस को रिप्लेस करने का, उस बिल से आप 89 के आर्डिनेंस को रिप्लेस नहीं कर सकते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इससे सम्बन्धित सभी संशोधन मैंने पेश कर दिये हैं। वह सभी माननीय सदस्यों को वितरित भी हो गये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह हो गये होंगे, उसमें क्या मतलब हुआ? कल्ला साहब, आपने आदमी को तो देखा नहीं कपड़ा देख लिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझता हूँ, आप अध्यक्ष महोदय की पत्रावली देख लें। उसमें मैंने विधिवत् रूप से सबमिट कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने विधिवत् किया होगा और मैं यह कह दूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सचिवालय की तरफ से कोई भूल हो गई तो उसको कन्डोन करने से हमारे राइट पर आप एन्क्रोच नहीं कर सकते। मेरा राइट है इस आर्डिनेंस को रिप्लेस करने का बिल पेश किया जाय।

श्री शिवचरण माथुर : बिल की प्रतियां माननीय सदस्यों को संरकुलेट हो चुकी हैं। उसमें संशोधन भी पेश हो चुके हैं।

श्री विरदमल सिंघवी : कहां हुई है? अभी तक डाक ही नहीं मिली।

श्री नाथू सिंह : राजस्थान उपनिवेशन

(श्री नाथू सिंह)

(संशोधन) विधेयक, 1988, इसमें 89 कहां है ? और आप आर्डिनेंस 89 का पेश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें केवल टाइपिंग मिस्टेक है विधान सभा सचिवालय की, मैंने इसके बारे में भी लिख कर दिया है।

श्री नाथू सिंह : यह टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन हमको 89 का विधेयक नहीं मिला। रखा ही नहीं हाउस में, मिलेगा, कहां से ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसके आगे सभी में 89 लिखा हुआ है।

श्री बिरदमल सिंघवी : इसमें रीजन्स में भी यह दिया हुआ है—The reasons for the promulgation of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Ordinance : "The Bill pending in the Legislative Assembly could not, however, be passed even in the 10th session...." यह बिल पास नहीं हो सकता था—"Since the Ordinance No. 17 was also consequently ceased to operate and since it was necessary to keep the amendment in force..." आर्डिनेंस को फोर्स में रखने का था, नॉट बिल। "....the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Ordinance, 1989 was promulgated by the Governor." यह आर्डिनेंस है तो आर्डिनेंस की कन्टीन्यूएशन में है। बिल तो अपने आप ही खत्म हो गया इसलिए आर्डिनेंस की कन्टीन्यूएशन में यह रखा है। एक्ट अगर आता तब तो अपने आप आर्डिनेंस खत्म होता। नहीं तो जब तक एक्ट पास नहीं हुआ तब तक आर्डिनेंस जारी रहा और आपने इस आर्डिनेंस को कंटीन्यूअस दिया हुआ है इसलिए एक्ट फोर्स में नहीं आया। एक्ट रहा ही नहीं। इसलिए एक्ट के बारे में कोई अमेंडमेंट पेश भी किया तो बिल्कुल नियमानुसार नहीं है, कानून में भी नहीं हो सकता— It is only the continuation of that Ordinance. आप तो सारे आर्डिनेंस से ही चल रहे हैं, एक्ट कभी फोर्स में आया नहीं इसलिए एक्ट को पेंडिंग है, यह कह भी नहीं सकते। नो एक्ट, नो बिल इज पेंडिंग। वह बिल तो जब पेंडिंग होता,— एक सैशन का दूसरे सैशन में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : आर्डिनेंस नहीं है तब तक तो ठीक है, बिल पेंडिंग है, अदरवाइज नो बिल इज पेंडिंग।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने जो टेक्निकल पाइंट उठाया है वह सेवन पाइंट जैसा आप फरमा रहे हैं, उनमें लास्ट पैरा— The reasons for the promulgation of the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1989 (Ordinance No. 3) : "The Bill No. 17 of 1988 introduced to seek the replacement of the Ordinance could not be passed in the 9th session of the Assembly. In

(श्री केदारनाथ शर्मा)

order to keep the amendment made by the Ordinance...." तो अमेंडमेंट तो रिप्लेस हुआ है, बिल सेपरेटली पेश हो गया। अब बिल तो स्टेण्ड करता है अभी तक, मेरी अपनी मन्शा है, बिल स्टेण्ड करता है, दुबारा पेश करने की जरूरत नहीं है इसलिए आप अमेंडमेंट ले लो और अमेंडमेंट लेकर मूव कर दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो पढ़ रहे हैं पैरा 257 जिसमें–"(1) A motion, resolution or an amendment, which has been moved and is pending in the House, shall not lapse by reason only of the prorogation of the House."

यह है जिसके आधार पर आप कहते हैं कि बिल पेंडिंग है। लेकिन इसमें तो सवाल दूसरा है। सवाल यह है—That Bill was brought to replace a certain Ordinance The Bill was brought to replaced certain ordinance and it was not passed. Then the Government has to issue a new Ordinance to continue the law. That means that the Bill which was presented before the House to replace that Ordinance automatically lapses otherwise there would have been no need to issue an Ordinance. Even if there is a new Ordinance, it has to be replaced by a new Bill. This is the law. Because it is attached with the Ordinance. यह आर्डिनेंस के अलावा नहीं है। इसमें सिंपल बिल नहीं है जिन्होंने बिल पेश कर दिया और चूंकि प्रोमलगेशन हो गया इसलिए बिल पेंडिंग हैं—This is not so simple matter.

यह मैटर है आर्डिनेंस से जुड़ा हुआ। आर्डिनेंस पर आर्डिनेंस जारी होते जा रहे हैं और जिस आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए वह बिल लाया गया था वह आर्डिनेंस तो समाप्त हो गया और चूंकि नया आर्डिनेंस ले आये हैं जिसका नया नम्बर है, नई डेट है और उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उस बिल से जिसमें पुराने आर्डिनेंस की डेट और नम्बर है। यह कैसे हो सकता है ? इसलिए जब तक इस सम्बन्ध में नया बिल नये आर्डिनेंस को रिप्लेस करना है....

श्री उपाध्यक्ष : How many times will you speak ? Once more ? Your last chance ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी बात तो सुनें।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सुनूं पर वह बार-बार खड़े हो रहे हैं इसलिए उनको मना कर रहा हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : तो सर, उस आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए नया बिल जिसमें इस आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए लायें। उस बिल में तो हवाला है ही नहीं। इस आर्डिनेंस का नम्बर हो तो बता दीजिए जो बिल पेंडिंग हैं उस बिल में इस आर्डिनेंस के नम्बर और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

डेट का हवाला नहीं है तो भी आप आर्डिनेंस को लेते हैं तो उसको रिप्लेस कौन करेगा ? जिस आर्डिनेंस के लिए वह आया है जिसका नम्बर उसमें दिया हुआ है, डेट उसमें दी हुई है वह तो नई नहीं रही तो इस आर्डिनेंस का रिप्लेसमेंट तो उससे होना ही नहीं है। इसलिए भी आपको नया बिल लाना पड़ेगा जिसमें इस आर्डिनेंस का नम्बर होगा, इसकी डेट होगी और इसकी कापी हमको यहां मिलेगी। तो इसकी कापी भी हमको नहीं मिली इसलिए इसमें अमेंडमेंट होने का सवाल ही नहीं है। बिल नये सिरे से पेश होना चाहिए। उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कार्य सूची के पेज 3/4 पर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है—विधायी कार्य में 5 के नीचे, विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक –1 इसमें परिनियम संकल्प प्रस्तुत किया है हमने। इसको अस्वीकार करने का। इसमें लिखा है—राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 89 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प, अध्यादेश 89 का और इसकी जगह बिल डिस्कस कर रहे हैं नीचे राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 88। 1988 का विधेयक सं. 17 अब यह कह रहे हैं कि यह तो टाइपिंग मिस्टेक है, विधेयक की संख्या भी टाइपिंग मिस्टेक है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं बाकी आगे सब में 89 लिखा हुआ है केवल इसमें, पहले वाला जो आपने पढ़ा है उसमें 88, यह टाइपिंग मिस्टेक के कारण हैं, बाकी इसके आगे सब जगह 89 लिखा हुआ है।

श्री नाथू सिंह : आगे सुनिये, पेज नम्बर-4, राजस्थान भू राजस्व संशोधन अध्यादेश, 1989 के सम्बन्ध में परिनियत संकल्प उसके नीचे लिखा है राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988, 1988 का विधेयक संख्या 18। तो इन दोनों के अन्दर है। एक में तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन विधेयक की संख्या में और दोनों ही आर्डिनेंस में, विधेयकों में यह टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। यह गलती हुई है आपसे इसलिए इसको स्वीकार करिये और इस समय इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि बिल आप पहले तो इस सदन में प्रस्तुत करें उसके ऊपर हमें अमेंडमेंट्स रखने का मौका दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठायी उसमें मैंने सूची संख्या–1, उसमें क्लाज-3 में, जो अमेंडमेंट दिये हैं उसके पहले भाग में "for the expression 'Act, 1988', whereever occuting in the sub-section, the exprersion 'Ordinance, 1988 (Ordinance No. 9 of 1989 '....'

यह छपना चाहिए था वहां 88 छप गया। इसको आप दुरुस्त कर लें तो इनका जो आब्जेक्शन है वह सही हो जायेगा। उसके बाद उसके दूसरे पेज पर-क्लाज-4

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में "the expression 'Ordinance, 1989 (Ordinance No. 3 of 1989) be substituted."

और उसके बाद क्लाज नम्बर–1 के तीन में "Clause 1 of the Bill, for the expression 'Act, 1988', the expression 'Act, 1989' be substituted." यह आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया गया है और यदि नहीं हुआ है तो आप यहां बंटवा दें मैं समझता हूं कि इनकी सारी भ्रांतियां और जो भी आब्जेक्शन्स हैं वे निरस्त हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, फिर तो माननीय मन्त्री महोदय ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह कैसे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने कहा कि यह 88, यह मिसप्रिंट हो गया। यह तो मान लिया है आपने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने आज तो संशोधन के बारे में जो विधान सभा....

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक तो आपका 1988 का होगा ना।....(व्यवधान).... माननीय कल्ला साहब बिल तो आप 1989 मानेंगे ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, वह तो ठीक है लेकिन उसके बाद यहां पर जो सब्स्टिट्यूटेड मामला है, यह 88 की जगह 89 होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानना चाहता हूं कि मिसप्रिंट क्या है ? आप यह कहना चाहते हो कि 88 छप गया और 89 छपना चाहिए था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है मेरा जो अमेंडमेंट है उसको पहले पढ़ लें उसके बाद अपनी आपत्ति करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ने की जरूरत तब होगी जब बिल होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल तो आपके सामने रखा हुआ है।....(व्यवधान) मेरी बात सुनिये। बिल के बारे में जैसा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक स्पष्टीकरण कर दीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक सैकण्ड, मैं पढ़ देता हूं। "Bill 17 of 1988 pending in the Legislative Assembly could not, however, be passed even in its 10th session. Since Ordinance No. 15 of 1988 was also consequently ceased to operate and since it was necessary to keep the amendment in force, the Rajasthan Colonisation (Amendment) Ordinance, 1989 (Ordinance No. 3 of 1989) was promulgated by the Governor on 22nd April, 1989."

यह सारी चीजें मैंने आपको प्रस्तुत कर दी है और आपको वितरित हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी सदन में जो कहा कि यह मिसप्रिंट है। वह मिसप्रिंट क्या है वह हमें बता दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले आप यह अमेंडमेंट तो पढ़िये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने अमेंडमेंट पढ़ लिया है।

श्री नाथू सिंह: पहले आप कार्य सूची पढ़िये।

श्री शिवचरण माथुर : आप क्यों तकनीकी बातों में जा रहे हों।....(व्यवधान)....रूल-257 को आप पढ़ लें। मैं समझता हूँ ऐसे बिल्स उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली के सामने बहुत सारे पैंडिंग हैं जो पास नहीं हो सके हैं, सक्यूलेट हो चुके हैं। तो यह रूल 257 के अन्दर कोई लेप्स कभी होते ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेप्स कभी होते ही नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : ऐसे बहुत से असेम्बली के सामने पैंडिंग बिल्स हैं जो पेश हो चुके हैं लेकिन वह आये नहीं विचारार्थ या पारण के लिए तो क्या वे सब लेप्स हो गये। इसी प्रकार की....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो आर्डिनेंस के कारण....

श्री शिवचरण माथुर : आर्डिनेंस का अलग से हो गया। आर्डिनेंस का रिप्लेस करने का जो कारण है वह यहां पेश कर दिया गया लेकिन जो बिल आया उसमें कहीं पर भी कोई परिवर्तन हो, परिवर्धन हो तो उसमें दूसरे बिल की जरूरत पड़ सकती है लेकिन एक बार जब बिल सदन में रिप्लेसिंग पेश कर दिया, वह 257 के अण्डर में आता है। आज भी कई वर्षों के बिल अभी असेम्बली के सामने पैंडिंग हैं they will never lapse unless they are withdrawn.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : What you are doing, आपने अभी अमेंडमेंट पढ़ा है और उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। कल्ला साहब ने जो कहा, इसमें अमेंडमेंट की बात कही है। आप कह रहे हैं बिल में परिवर्तन हो (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मेरी बात सुन लीजिए। आप तो वकील हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात को मान लीजिए कानूनी बात को।

श्री उपाध्यक्ष : सिंघवी साहब आप बैठें।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जहां तक पुराने बिल का सवाल है, मैं समझता हूं वह लैप्स नहीं हुए। रूल 257 बिल्कुल प्रोवाइड करता है कि असेम्बली के सामने जब एक बार बिल पेश हो गया तो वह कभी भी लैप्स नहीं होता है। तो यह 257 मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। जहां तक आर्डिनेंस का सवाल है, आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए उसके कारणों का विवरण यहां पर....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : Only on prorogation. यह शब्द नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उसके कारणों का विवरण दिया गया है। अगर गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट लाना चाहती है, even during the course of passage of a particular Bill, the Government is empowered to bring an amendment. उसी प्रकार से अमेंडमेंट वह लाये उसमें कहां दिक्कत है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने कहा था परिवर्तन। तो यह अमेंडमेंड परिवर्तन ...

श्री शिवचरण माथुर : यह तो सब्सिक्वेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। माननीय मन्त्री महोदय ने जो अमेंडमेंट्स पेश किये हैं उस पर लिखा है राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988। यह तो सही है ना? मिसप्रिंट नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : भू-राजस्व नहीं उपनिवेशन वाला पढ़िये ना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दोनों में एक से ही अपने करिश्मे दिखाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं कालोनाइजेशन वाला पढ़ दूं। यह राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1988, यही है ना इसमें तो कोई मिसप्रिंट नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मिसप्रिंट की बात····मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, आप सबसे पुराने हमारे यहां नेता है और सिंघवी साहब बहुत अच्छे वकील है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एल्लाई मत करो कि मैं पुराना हूँ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बिल अभी तक····

श्री बिरदमल सिंघवी : वकील हूं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : गलती हुई तो मानेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गलती है।

श्री शिवचरण माथुर : गलती नहीं है।

श्री बिरदमल सिंघवी : 257 पेंडिंग के लिए Pending in the House. It was not pending in the House.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी एक बात सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1988, इस पर माननीय मन्त्री महोदय ने संशोधन दिया। इसका मतलब इनकी दृष्टि में कि आज जिस विधेयक पर चर्चा करनी है वह विधेयक है राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1988, नम्बर एक। आर्डिनेंस पेश हुआ है, आर्डिनेंस नम्बर 3 और 5, 1989 मुझे यह कोई समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, आपने 257 का उल्लेख किया माननीय मुख्य मन्त्री जी ने। आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक राजस्थान की विधान सभा या किसी विधान सभा में इस प्रकार का प्रश्न उठा हो मैं कह नहीं सकता था इस पर कोई व्यवस्था हुई हो यह मेरी जानकारी में नहीं है। न तो प्रश्न पूछने की जानकारी है और न ही इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था हुई है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन सामान्यतः मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बार विधान सभा में बिल प्रस्तुत किया गया सरकार का बिल तो वह सरकारी बिल हो चाहे प्राइवेट मैम्बर्स का बिल हो वह कभी भी लैप्स नहीं होता यह मैं मानता हूँ। लेकिन यह तो एक ऐसी एनोमोली हो गई कि 88 का हम बिल पेश कर रहे हैं और 89 के आर्डिनेंस को उसमें रिलेप्स करेंगे। यह तो एक ऐसी एनोमोली है कि हिन्दुस्तान में कहीं भी कोई मानने को तैयार नहीं कि आर्डिनेंस किन सर्कमस्टांसेज में पेश किया जाता है वह सर्कमस्टांसेज एब्नोर्मल हो और उस एब्नोर्मल सर्कमस्टांसेज के लिए हम आर्डिनेंस इश्यू करते हैं। आर्डिनेंस के जो पावर कास्टीट्यूएशनल मिले हुए हैं। उनको इनवोक करते हैं, केवल उस हालत में जब दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा रखा हो। अब आपने बिल पेश किया पिछली बार भी किया पिछली बार आर्डिनेंस भी पेश किया है उसके पहले जब यह बिल पेश हुआ था उस समय भी बिल पेश किये दोनों बार आर्डिनेंस पेश आज फिर तीसरी बार यह आर्डिनेंस इस विधान सभा के सामने आया तो यह लैप्स हो गया कि इसके साथ जो बिल होना चाहिए था वह बिल पेश नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जबर्दस्त एनोमाली रहेगी कि 1989 का आर्डिनेंस और 88 के बिल से उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि यह 88 के अन्दर बिल बनाया और 89 में आर्डिनेंस आया हैं।

श्री शिवचरण माथुर : बिल कहां बन गया ? एक्ट कोई फोर्स में आयेगा, उसके लिए होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल नहीं होगा, वह तो एक्ट बन जायेगा। मैं तो बिल की बात कर रहा हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं भी तो मेरे सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूं। जो वहां बिल पेश हुआ है 88 में, वह लैप्स नहीं हुआ है। आज अभी उसके बीच में से आर्डिनेंस निकाला गया और इस बात पर आपने कहा कोई बीच में सेशन नहीं होता है, तो राज्य में कुछ आवश्यकतानुसार उसको करना पड़ता है। आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए सदन में कारण, रीजन्स अपने आप पेश किये। इस वजह से जो बिल है, वह तो लैप्स नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : नहीं हुआ। असेम्बली के सामने और पैंडिग बिल्स हैं, उनकी क्या स्थिति है।

श्री नाथूसिंह : मन्त्री जी तो कह रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है।

श्री शिवचरण माथुर : जितने भी पैंडिग 10-15 बिल्स हैं, असेम्बली के

(श्री शिवचरण माथुर)

सामने, मेरे ख्याल से वह सब लैप्स हो गये क्या ? They have not lapsed.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह आर्डिनेंस रिप्लेस नहीं हुए हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उनको राज्य सरकार कभी भी ला सकती है और उस पर विचार कर सकती है, उसका पारण कर सकती है, वह लैप्स नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक ही जानकारी करना चाहता हूँ। आप बता दीजिए मुख्य मन्त्री जी, सारी समस्या का समाधान हो जायेगा। वह आर्डिनेंस लाये 88 में, 88 के आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए हमने 88 में यह बिल पेश किया, आर्डिनेंस लैप्स हो गया, उस बिल की क्या स्थिति है ?···(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो कह रहा हूँ, The Bill is pending.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल तो आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए है, वह आर्डिनेंस ही लैप्स हो गया तो बिल की क्या स्थिति है ?

श्री शिवचरण माथुर : आर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने के रीजन्स पेश किये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पर हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आर्डिनरी बिल होता तो मुझे आपत्ति नहीं होती।

श्री शिवचरण माथुर : The Bill remains the same, which was produced before the Assembly in 1988.

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सिचुएशन माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने बतायी है, कि पूर्व में आर्डिनेंस के साथ बिल पेश हो गया था, उसके नियम 63 (2) "Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance." तो बिल तो वही रहेगा, आर्डिनेंस दुबारा आया है। उसके रीजन्स सरकमस्टांसेज क्या थे, वह हाउस के सामने लाने की आवश्यकता थी जिसकी पालना कर ली गई है। 62 में लिखा है और इसके साथ ही·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज···आज इस विधायी कार्य के सन्दर्भ में काफी गहन और पेचीदा क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया है। जब इस स्थिति को हम समझ लें कि जो बिल सदन में पेश हो चुका है, यह बिल जैसे 17 ऑफ 88 30-9-88 को पुरःस्थापित किया गया था, वह बिल लैप्स नहीं होता until and unless withdrawn or rejected. इसीलिए प्रोफेसर

(श्री उपाध्यक्ष)

केदार जी का जो मानना है, मैं उससे सहमत हूं, The Bill is alive and it is before the House for the discussion now. और यह जो आर्डिनेंस 89 का है, वह एम बॉडीइंग आर्डिनेंस है, ऐसा पेंडिग बिल इस सम्बन्ध में जो परिनियत संकल्प जानने के लिए आपने कहा है, अगर आप उस एमबॉडीइंग बिल आर्डिनेंस में कोई चेलेन्ज कर सकते हैं, और उसको आप परिनियत संकल्प के माध्यम से उस पर डिस्कस करना चाहते है, I allow you and I plead this Bill alive and allow the discussion.

माननीय भार्गव साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुमत के आधार आप इसको करना चाहें तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बहुमत नहीं है।

विधायी कार्य : परिनियत संकल्प राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1989

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प है कि "यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 3) को अस्वीकार करता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह तो आपने प्रोफेसर केदार नाथ की बात मान ली। मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज तक डाक मिली नहीं कि कौन सा बिल आज आयेगा, हमको यह मालूम नहीं। इस क्षण मालूम पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : जब परिनियत संकल्प जानने के लिए दे दिया You know everything. You are master in this House, so far as legal process is concerned. We appreciate your acumen. भार्गव साहब, परिनियत संकल्प पर बोलेंगे आप।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा अधिकार है। यह बात सही है कि मैंने अभी जो सारी दुविधा में आपको डाला, जितना अध्ययन करना चाहिए था, उतना मैंने नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना इसको अभी मैंने देखा है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि....

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप पढ़ कर आते तो इसमें इतना समय नहीं लगता। एक मिनट में हमारी गुत्थी सुलझा देते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह तो अब भी सुलझा रहा हूं। अब भी कह रहा हूँ कि यह गलत है। हाउस को जब लम्बा चलाना है, 20-22 तारीख तक जब आप चला रहे हैं माननीय मुख्य मन्त्री जी, केवल प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर और बहुमत के आधार पर माननीय विपक्ष के नेता महोदय के कहने के बावजूद आप उसको आगे के लिए आज ड्राप करके विचारार्थ नहीं ले रहे हैं, यह एक ऐतिहासिक घटना होगी और यह बात सत्य है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि मैं तो इसका अध्ययन करके आता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, इसलिए मुझे तो खेद है कि आज इस पर अध्ययन करके मैं नहीं आया।

श्री शिवचरण माथुर : भार्गव साहब, यहां तो आज तक लिया ही नहीं गया है। यह तो आसन की व्यवस्था है, उसके आधार पर पर हमने सूचना दी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माथुर साहब, आप जैसा चाहें। एल. एल. बी. आप भी हैं और मैं भी हूँ। लेकिन शायद मेरी जैसी आपकी वकालत चलती हैं। मेरी भी वकालत चलती है, आपकी भी चलती है, मुझे भी बहुत दिन हो गये, मेरा चौथा टर्म है विधान सभा का। एल. एल. बी. कर पाने का बेकार जा रहा है और आपका भी व्यर्थ गया। इसलिए उनकी बात तो आपने मानी नहीं। वह तो कानून की किताब आप भूल आये। बार-बार कहा करते थे, ये रहा, ये रहा लेकिन सबकी बात को आपने नहीं माना। यह जो भी कुछ बिल लाये हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक जो पर्टिक्यूलर एरिया है, वहां पर जो खातेदार टीनेन्ट हैं, वह राज्य सरकार की अनुमति के बिना कुछ जुर्माना जमा कराके, कुछ राशि जमा कराके और दूसरे को अपना अधिकार दे सकते हैं, एक तो अमेंडमेंट यह है। दूसरा अमेंडमेंट है, जो आदमी खातेदार नहीं है, वह आदमी भी यदि भूमि को ट्रांसफर करना चाहता है तो वह भी 13-ए, बी करके आपने सेक्शन में कर दिया। आपने जो कुछ भी राशि रखी है, वह राशि आपने ज्यादा रख दी काश्तकार पर। आपने सिंचित का 50 हजार कर दिया और असिंचित का कर दिया 10 हजार। आप जरा बताइयेगा कि 50 हजार रुपये की राशि एक किसान देगा, केवल इस नाते कि राज्य सरकार से पूछना नहीं पड़ेगा, तो सिंचित का तो 50 हजार दे देगा और असिंचित का 10 हजार देगा, एक तो राशि बहुत कम है। जिसको आप प्रगतिशील सरकार कहते हैं, और आपके समय में तो आप प्रगतिशील की बात बहुत करते हैं, तो यह राशि बहुत बड़ी है। इसलिए इस राशि को बिल्कुल न्यूनतम राशि जुर्माने के रूप में आपको लेना है, तो इसको कम करना चाहिये। इस राशि को यदि आप बिल्कुल कम कर दें तो और भी बढ़िया होगा। मेरा एक सुझाव तो यह है। दूसरा मेरा सुझाव है कि यदि आपको राशि लेनी है तो फिर आप उसको आसान किश्तों में लें और उस पर ब्याज नहीं लगना चाहिए। मैं समझता हूँ राशि कम है, यदि काफी हो या इस पर जो ब्याज लगाने वाली बात है, वह नहीं हो। इसकी आसान किश्तें हों, यदि आप इसको सही तरीके से लेते हैं तो निश्चित रूप से यह अध्यादेश जो कुछ भी आप लाये हैं, स्वागत योग्य है। पर अध्यादेश की मार्फत जो सरकार बार-बार चलती है और जब बिल मौजूद था, तो फिर अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्या थी ? आप सीधे ही सदन में बिल ले आते। लेकिन हाउस चल पड़ा तो फिर अध्यादेश लाने को कोई आवश्यकता नहीं थी। और जैसा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कल भाभड़ा साहब उदाहरण दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बिल जब चलते हुए सदन में आपका आर्डिनेंस मौजूद है, बिल पर ही सीधे विचार कर लेते। अध्यादेश इस तरह से आपको नहीं लाना चाहिए था, इसलिए मैं अध्यादेश निकालने की जो परम्परा राज्य सरकार ने बना रखी है, इसका विरोध करता हूँ और जिस भावना से यह आप लाये हैं, इसका मैं स्वागत भी करता हूँ। पर इन अमेंडमेंट्स के साथ यदि आप लायेंगे तो मैं समझता हूँ और भी आप किसानों को राहत दे सकेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ··· (व्यवधान)··· श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, बेसिकली आर्डिनेंस जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि राज्य सरकार का यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस परिपार्टी को गलत ठहराते हुए यह आदेश दिया कि इस तरह आर्डिनेंस के आधार पर सरकार को नहीं चलना चाहिए। मैं भी बेसिक रूप से

(3·00 बजे म. प.)

आर्डिनेंस लाने की जो प्रवृत्ति सरकार की है, इसका विरोध करता हूँ। साथ ही सरकार की कमजोरी की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो आर्डिनेंस लाया गया है वह कालोनाइजेशन एरिया के क्षेत्र में जिनके पास खातेदारी राइट्स नहीं थे और इल्लीगल तरीके से जो जमीनें सौंप दी, जो गैरकानूनी काम था, उनको सरकार इस आर्डिनेंस के द्वारा रेगूलराइज करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बार-बार जो गैरकानूनी काम करने वाले लोग हैं उनके सामने घुटने टेक देती है। आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में देखते होंगे कि चारों तरफ गैर-कानूनी कन्सट्रक्शन्स हो गया है। जब सारा गैरकानूनी कन्सट्रक्शन्स हो जाता है तो उसके बाद उसको रेगूलराइज करने के लिए सरकार कानून बनाती है लेकिन सख्ती से उस गैरकानूनी काम को रोक नहीं पाती है। इसलिए यह अपने आप दर्शाता है कि सरकार इतनी कमजोर है कि अपने कानून के अनुसार काम नहीं करवा पाती और फिर गलत ढंग से काम हो जाता है तो उनको रेगूलराइज करवाने के लिए इस तरह के आर्डिनेंस और कानून सरकार को बनाने पड़ते हैं। सरकार की इस प्रवृत्ति का मैं विरोध करता हूँ और जो आर्डिनेंस लाया गया है, मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार कम से कम, पहले हमने अमेंडमेंट भी किया है कि साल में हम तीन बार सैशन बुलायेंगे, तीन बार जब सैशन बुलायेंगे तो आपको आर्डिनेंस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सैशन के अन्दर विधेयक लाइये पास करवाइये और फिर कार्यवाही करिये। लेकिन यह आर्डिनेंस के आधार पर बैकडोर से आप जो यह काम करना चाहते हैं, यह सरकार की कमजोरी का द्योतक है और मैं इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित) माननीय मन्त्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (उपनिवेशन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं दोनों माननीय सदस्यों ने अध्यादेश बार-बार लाने के बारे में अपना विरोध प्रकट किया है. इसके बारे में दो-तीन रूलिंग पढ़कर सुनाना चाहूँगा । केरल हाईकोर्ट ने....

श्री नाथू सिंह : हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो हाईकोर्ट क्या करेगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़कर सुनाऊंगा । उन्होंने एक फैसला दिया है जिसमें "The constitution limits the duration of the ordinance, but it does not limit the number of times the power can be exercised by the Governor on the same subject."

श्री नाथू सिंह : कब का फैसला है ? कौन-से सन् का है ?

श्री उपाध्यक्ष : ठहरिये आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह फैसला है—ए. आई. आर. 1978, केरल–150

श्री नाथू सिंह : इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया । Quote the Supreme Court.

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग पढ़ रहा हूं, आप क्यों चिन्ता करते हैं ? इसमें इन्होंने कहा है कि एक ही सजेक्ट के बारे तकनीकी कारणों के आधार पर सेम सब्जेक्ट के ऊपर अध्यादेश लाया जा सकता है । सुप्रीम कोर्ट का भी मामला—जो कल आप बी. बी. बधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वाला पढ़ रहे थे, उसको भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा ।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी कड़ाके से पढ़िये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, "Of course there may be a situation where it may not be possible for the Government to introduce and push through in the Legislature a Bill containing the same provision as in the Ordinance because the Legislature may have too much legislative business in a particular session, or the time at the disposal of the Legislature in a particular session may be short and in that event, the Governor may legitimately find that is necessary to re-promulgate the Ordinance. Where such is the case re-promulgation of the Ordinance may not be open to attack." उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि विधान सभाओं के पास में बहुत अधिक लेजिसलेचर बिजनेस हो और और किसी कारण से....

श्री नाथू सिंह : इसका आपरेटिव पार्ट भी पढ़िये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो पढ़ रहा हूँ उसके बारे में आप अपना समय आये, तब बोल लेना । उस समय यदि किसी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कारण से विधान सभा उसको बिल के रूप में रिप्लेस नहीं कर सकी है तो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। आप आपरेटिव पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसमें पेज 395 पर लिखा है "We hope and trust that such practice shall not be continued....' इसी चीज के बारे में कह रहे हैं आप ?

श्री नाथू सिंह : पढ़िये आप, क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें भी साफ कहा गया है कि "A Bill will be brought before the Legislature for enacting these provision into an Act."

इस केस में बार-बार माननीय सदस्यों को इस बात के बारे में जानकारी है कि रिप्लेसिंग बिल विधान सभा के सामने रख दिया गया है, नौवीं और दसवीं विधान सभा के सामने। लेकिन उस आर्डिनेंस को विधान सभा चूंकि पास नहीं कर पाई थी इस कारण से आर्डिनेंस को वापस लाना पड़ा था। इसीलिए यह कहना कि हम आर्डिनेंस के माध्यम से यहां पर काम कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें कम-से-कम बीस बार अध्यादेश आया था। उसके बाद में भी उन्होंने यह कहा कि प्रैक्टिस नहीं रहनी चाहिए। यहां प्रैक्टिस नहीं रही है। विधान सभा में बिल आ चुका है। बिल आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की भावना पूरी हो जाती है। चूंकि नौवीं और दसवीं विधान सभा इसे बिल के रूप में पास नहीं कर सकी थी इसके कारण से वापस अध्यादेश लाना पड़ा। जहां तक किशनपोल से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो बातें कही हैं कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं....

(3.06 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

काश्तकारों की मांग के आधार पर इस बिल को हम लेकर आये हैं। काश्तकार समय-समय पर यह मांग कर रहे थे कि हम लोग किसी भी प्रकार की जमीनों को, जो हमारे खाते में है या खातेदारी राइट्स मिलकर हम उसको बेच सकते थे, हम उनको बेच नहीं पा रहे हैं। जहां लघु योजनाएं, हमारे माइनर इर्रीगेशन के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, वहां के काश्तकार बड़े परेशान थे। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए यह बिल हम आप लोगों के सामने लाये हैं....

श्री शोपत सिंह : यह आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्होंने इस बात के लिए मांग रखी कि जो राशि रखी गई है वह राशि बहुत अधिक है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले नाली एरिया में जमीनें सोलह हजार और बारह हजार रुपया प्रति मुरब्बा अर्थात् प्रति पच्चीस बीघा के आधार पर दी जाती थीं, आवंटित की जाती थीं लेकिन उसकी कीमत वर्तमान में बढ़ाकर नाली एरिया में बासठ हजार

(बुलाकीदास कल्ला)

पांच सौ रुपये, जो दुमट मिट्टी का क्षेत्र है वहां तैयालिस हजार सात सौ पचास, सेण्डी ड्यूरस जो एरिया है वहां पर इकतीस हजार दो सौ पचास कर दी गई है। पहले कम्पाउण्डिग फीस ली जाती थी व आवंटी को जिस विक्रय मूल्य पर जमीन दी जाती थी उतनी की उतनी कम्पाउण्डिग फीस भी लगती थी लेकिन उस समय जो बीस हजार रुपये रखा गया था सिंचित क्षेत्र के लिए, उसके मुकाबले में आवंटी को जमीन बारह हजार और सोलह हजार रुपये में ही आवंटित की जाती थी। अब जमीन का अलाटमेंट बासठ हजार पांच सौ रुपये में किया जाता है उसकी तुलना में पचास हजार रुपये कम्पाउण्डिग फीस लगाना, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं है....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ज्यादा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले चार हजार रुपये असिंचित क्षेत्र में कम्पाउण्डिग फीस लगती थी उसको बढ़ाकर दस हजार रुपये किया गया है। मैं समझता हूँ कि उस समय की प्राइस इण्डेक्स को और आज की जमीन के मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको आप उसी भावना से लेंगे। यह ज्यादा नहीं है बल्कि आज भी जमीन की जो कीमत है उस कीमत को देखते हुए साढ़े बारह हजार रुपये सिंचित क्षेत्र में कम रखी गई है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कम से कम ले रहे हैं आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : टोडारायसिंह से आने से आने वाले माननीय सदस्य ने केवल अध्यादेश के बारे में बात कही। सभापति महोदय, मैंने उसको विस्तार से बता दिया है कि हमारी यह प्रवृत्ति कभी नहीं रही है। चूंकि विधान सभा ने उस उस बिल को पास नहीं किया था इसलिए दोबारा अध्यादेश हमको लाना पड़ा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जो परिनियत संकल्प माननीय सदस्य ने यहां पर रखा है उसे अस्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि निम्न परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय "कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 3) को अस्वीकार करता है?" (अस्वीकृत) परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया। मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : सभापति महोदय, कॉलोनाइजेशन एक्ट का सैक्शन 13, इसमें पहले-पहल जो लास्ट ॲलाटीज थे, उन पर यह लागू था। जिनको राजस्थान कैनाल में, कोटा में, जवाई बांध में राजस्थान सरकार ने जमीनें अलॉटमेंट

(श्री केदारनाथ शर्मा)

की हैं उन पर यह लागू था। सरकार ने 1983 में इसमें अमेण्डमेण्ट मूव कर दिया और मौरिसीदार को भी शामिल कर दिया जो बोनाफाइड हैं, जिनको खाते मिले हुए थे राइट्स वेस्टेड थे उन पर भी आपने लागू कर दिया और अमेण्डमेण्ट यह कर दिया कि यह खातेदारी राइट्स एप्रूव होने के बाद, सात साल बाद एप्रूव हो जाते थे, आटोमेटीकली उनको बेचने का अधिकार होना चाहिए था। आपने यह शर्त लगा दी कि कलक्टर की इजाजत के बिना जिन्होंने अपनी जमीन का बेचान किया है। पेनल्टी लगाकर कम्पाउण्डिग फीस के नाम से 15 हजार तो एक मुश्त और किश्तों में 20 हजार रुपया। एक मुश्त पर 15 हजार और वैसे बीस हजार। अब आपने सैक्शन 16 (ए) में (ए) जोड़ दिया सब सैक्शन में और सैक्शन 13(ए) में (ए) जोड़ दिया और आपने दो प्रोविजो और जोड़ दिये कि कोई भी एरिया हम एक्सक्लूड कर सकते हैं इस एक्ट के आपरेशन से। यह एक पावर ले ली। दूसरी पावर यह ले ली कि जो 6 मन्थ्स का पीरियड था रेग्युलराइज कराने, पैसे जमा कराने का उसको डेढ़ साल कर दिया, यह ठीक है। बड़ी बात कर दी, आपने जो हवाला दिया है—पैनल्टी हमारी जनता पार्टी के राज में 500 रुपये थी, कम्पाउण्डिग फीस के नाम उसकी जगह आपने 15 हजार कर दिये एक मुश्त में और किश्त से 20 हजार कर दिया। अब वह जमीन जो सात साल पहले अलाटी ने बेच दी बाई इकरारनामे के, सात साल नहीं हुए अलाटमेण्ट के, सात साल पहले बेच दी और जमीन पास आॅन कर गये, राइट पास आॅन कर दिये, उनको अब रेग्युलराइज कर रहे हैं, उनको अब दे रहे हैं 50 हजार की पैनल्टी लगाकर के, यह मूव तो ठीक है। ऐसे 8-9 हजार हमारे भाखरा कैनाल, गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल में, हो सकता है कोटा में हो, जंवाई बांध में हो मैं उनकी बात कह सकता हूं पर हमारे यहां गंग कैनाल में **8–9** हजार केसेज हैं जिन्होंने बाई इकरारनामे अपने इण्ट्रेस्ट को डिस्पोज-आॅफ कर दिया पर कीमत 50 हजार लगा दी। उसने जमीन अलाटी से खरीदी और 50 हजार अब लगा रहे हैं तो स्पेशल अलाटमेण्ट आप 1 लाख 10 हजार में करते हैं और पैनल्टी के नाम से 50 हजार वसूल कर रहे हैं। यह बहुत ज्यादा है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि जो मौरिसी जमीन का मालिक है उनको तो एक्सक्लूड करायें और 20 हजार की जगह कीमत बढ़ गयी है तो 25 हजार, तीस हजार कर दीजिए यह बहुत ज्यादा है, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी हैरानी की बात लगती है कि यह सरकार जब भी कोई किसान की, गरीब किसान का सवाल आता है तो उस किसान को उजाड़ने पर आमादा हो जाती है। यह एक नजरिया है सरकार का, उस सरकार का जिसको राजाओं की जमीन के बारे में कोई फिक्र नहीं उन्होंने बेच दी हो, उन्होंने कोई कानून तोड़ दिया हो, किसी तरह का कानून तोड़ दिया हो, सीलिंग की जमीन दी है या नहीं दी है। शहरों के अन्दर कृषि जमीन को चाहे राजा लोग बेचें, किसी को कुछ

(श्री शोपत सिंह)

करें । इस सरकार को उनकी कोई फिक्र नहीं । उनको खुल्ली छूट दे रखी हैं, लूटने की, लूटो और खाओ । तुम्हारे लिए कोई कानून नहीं है । मगर इस देश में और खास तौर से गंगानगर जिले में, कोटा में जहां-जहां भी इर्रीगेटेड एरिया है, किसान हैं उन किसानों को जमीनें दी थी सरकार ने, जो सरकारी जमीन वह सालों से काश्त करते आ रहे थे उनको अलाट कर दी 25 बीघा तक सीलिंग लिमिट्स तक । वह छोटा काश्तकार है वह अपनी गुजर काफी मुश्किल से करता था सरकार ने कानून बना दिया कि जो अलाटी है, जिन्होंने किश्त पर जमीन ली है वह सात साल तक उस जमीन को बेच नहीं सकेगा यह आपने उसमें कन्डीशन लगायी । फिर उसके बाद इस सरकार ने यह कानून निकाल दिया कि गंगानगर एरिया में कोई भी किसान जमीन बेचेगा तो सबको खुश करना पड़ेगा । पटवारी से रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी, पटवारी से पूछना पड़ेगा, उसको भेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद तहसीलदार का नम्बर आयेगा, उसके बाद एस. डी. एम. का नम्बर आयेगा, उसके बाद जिलाधीश का नम्बर आयेगा, जिलाधीश के बाद पेशकार का नम्बर आयेगा, सबको खुश करना पड़ेगा । अब तो हालत यह हो गयी है सभापति महोदय, गंगानगर जिले में कोई भी आदमी जमीन खरीदना चाहे तो पुलिस से वेरिफिकेशन और कराना पड़ता है, मूल निवासी का प्रमाण-पत्र और देना पड़ता है । इस तरह की पाबंदियां लगाकर आज गंगानगर जिले और दूसरे इलाके में जहां के किसान इस देश और प्रदेश को बहुत बड़ा अनाज पैदा करके उसका पेट भर रहे हैं पर शायद यह बात सरकार को पसन्द नहीं है। इन्होंने 50 हजार रुपया पैनल्टी लगाई है । यह पाबन्दी किन पर लगायी है जिन लोगों ने सात साल पहले यह कंडीशन पूरी नहीं की, मंजूरी नहीं ली, जिन्होंने किश्त नहीं दी, नहीं भरी, जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी किसी आदमी को । यह बेचने का मामला क्या किसान अकेला रहता है । सभापति महोदय, बेचने के लिए हमको रजिस्ट्रार के यहां जाना पड़ता है, रजिस्ट्री तहसीलदार करता है, इस सरकार का तहसीलदार वहां पर बैठा है और अधिकार उसको बेचने का नहीं था । उस तहसीलदार ने क्यों नहीं रिपोर्ट ली पटवारी से कि यह जमीन कौनसी बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, इतना ही मालूम करना था । उस तहसीलदार की कोई लायबिलिटी नहीं जिसने रजिस्ट्री की, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं । जिसने लाखों रुपये खर्च करके एक मुरब्बा जमीन ले ली, सरकार को स्टाम्प्स की ड्यूटी दी, हजारों रुपये सरकार के खजाने में आ गये । उस तहसीलदार ने क्योंकि जब सात साल पूरे नहीं हुए थे । तहसीलदार ने खूब जी भरकर पैसा लिया, दूसरे अधिकारियों ने जी भरकर पैसा लिया । अब कह रहे हैं 50 हजार दीजिए । इससे पहले जिन्होंने सात साल पूरे कर लिये थे उन पर आपने पहले 35 हजार लगा दिया । उसके खिलाफ एक आन्दोलन हुआ उस आन्दोलन के कारण 15 हजार कर दिये 35 हजार की जगह और अब तो आपके हाथ में हुकूमत है कल्ला साहब मगर 6 महिने के बाद आपकी शक्ल इस सदन में नहीं दिखेगी । मैं चेलेंज कर रहा हूं आपको गलत फहमी है आपकी । यह

(श्री शोपत सिंह)

बात रिकार्ड में रहेगी, मैं बताऊंगा आपको, आप सड़कों पर फिरेंगे, बीकानेर की सड़कों पर आप फिरेंगे और हम यहां आयेंगे और बतायेंगे। हमने जनता के सवाल को, उन किसानों के सवाल को इसलिए उठाया है कि आपका और किसानों का कोई रिश्ता नहीं है। सेठ कितना ही काला धन कमाये, इस प्रदेश के अन्दर राजा कितनी ही जमीन बेचे, किसी तरह बेचे, आपने सुबह बीकानेर के राजा की बात की थी। सीलिंग से एक्सेस जमीन को बेचने का क्या अधिकार है राजा को ? चाहे वह रक्षा के कामों में आये, चाहे सेना के लिए ले या किसी को दे, उसको अधिकार क्या है ? मगर आपकी हिम्मत नहीं है। जयपुर के बीच में जमीन पड़ी हो, कृषि योग्य राजाओं की जमीन हो, कहीं पर पड़ी हो, आपकी हिम्मत नहीं है। कोटा के महाराजा ने हजारों बीघा जमीन जो सीलिंग में आती थी वह जमीन वहां पर आपकी फौज के काम में दी है, सेना को छावनी के लिए दिया है, बीकानेर राजा ने छावनी के लिए दी है और कम्पनसेशन खुद ले गये। किस बात का कम्पनसेशन राजाओं को मिला। मैं पूछ सकता हूँ आपको इस बात का तो ख्याल हो गया कि गरीब किसान ने 10 बीघा जमीन बेच दी, उसको गलतफहमी थी, कानून से अनभिज्ञ था, मुसीबत में था, परेशानी में था, उसके घर में ऐसी हालत पैदा हो गयी कि उसको बेचनी पड़ी लेने वाला ले गया, रजिस्ट्री आपके तहसीलदार ने की। आपने तहसीलदार पर कोई पैनल्टी नहीं लगायी। उस पर नहीं लगायी जिस तहसीलदार ने इस कानून को तोड़ा है, रजिस्ट्री की है, यह जानते हुए कि अलाटमेंट लेण्ड है, यह बेच नहीं सकता है, रजिस्ट्री नहीं करा सकता है। उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लीजिए। आपने सीलिंग पर री-ओपन किये हैं, ऐसा हमें मालूम है कि आप री-ओपन कर रहे हैं। वह कौन लोग थे ? यह सीलिंग में जमीन छोड़ी किसने, आपके अधिकारियों ने आपने अधिकारियों ने उस जमीन का फैसला किया। आप किसान की तो री-ओपन कर लेते हैं, करिये बहुत खुशी की बात है मगर आपके वह अधिकारी जिन्होंने पैसे लेकर सीलिंग में जमीन छोड़ी वह आज आई. सी. एस. अफसर बना बैठा है। वह आज कोठियां बनाकर यहां जयपुर में बैठा है। दो तरह का कानून पास करिये जिस किसान को पैनल्टी लगती है उसके साथ उस अधिकारी को भी पैनेल्टी लगायें आप। तब मैं समझूंगा कि आप में थोड़ी बहुत कोई हिम्मत है, आप में थोड़ी बहुत राज करने की क्षमता है और मैं तो एक ही बात कहूंगा कल्ला साहब यह बात तो हाथ में है कि 50 हजार लगाइये, 30 हजार लगाइये, 40 हजार लगाइये, अभी आपका राज है। आपको आम जनता थोड़े ही मिलती है, आपको तो इतना ही कहने वाले मिलते हैं कि कल्ला साहब इस दफा आपको बड़े वोट मिलेंगे। मगर मैं बता देता हूँ असलियत कि आप लोग जो यह कानून लागू कर रहे हैं, जिन किसानों पर पैनेल्टी लगायी है वह आपको वोट देंगे क्या ? आपने तहसीलदारों को जिन्होंने रजिस्ट्री की, उनको तो आपने ऊंचे ओहदे दे दिये। जिन्होंने ने पैसे लेकर रजिस्ट्रियां की, इसमें

(श्री शोपत सिंह)

भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है और आप में हिम्मत है तो कीजिए उन पर कार्यवाही। कानून में अमेंडमेंट कीजिए कि जिन अधिकारियों ने हमारे पर पैनेल्टी लगायी है, लगा दीजिए, पचास हजार लगा दीजिए, एक लाख लगा दीजिए, कलम आपके हाथ में है कोई बात नहीं। मगर इसकी सजा जरूर मिलेगी आपको और कल्ला साहब बीकानेर की सड़कों पर फिरते फिरेंगे। इस असेम्बली में नहीं आयेंगे। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि यदि आपने उस किसान के साथ न्याय नहीं किया और उसको अकेले को पैनेल्टी लगायी, अकेले को जुर्माना लगाया तो यह सजा है, हमारे पास तो कोई दूसरी सजा है नहीं।.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : उन पर भी दुबारा स्टाम्प ड्यूटी के नोटिस निकाले हैं। स्टाम्प कम लिये, इसके लिए आपने ए. डी. एम. नियुक्त कर रखा है हनुमानगढ़ में अब उनको नोटिस दिये जा रहे हैं तुमने स्टाम्प ड्यूटी कम लगायी थी इसलिए इतने रुपये भरो नहीं तुम्हारी रजिस्ट्री खारिज। आज कोई सम्पत्ति.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : मैं उसी सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार को जो जानकारी मिली है, दुबारा उन लोगों से पैसे वसूल किये जा रहे हैं यह तो सवाल था उसका कि जो खातेदारी राइट नहीं मिले थे उन्होंने इकरारनामे पर जमीन बेच दी और कब्जा दे दिया और लेने वाले ने ले ली। एक सवाल है यह तो लेकिन आलरेडी खातेदारी जिन्होंने बेची थी उन पर आज स्टाम्प ड्यूटी के नोटिस निकल रहे हैं। स्टाम्प कम ए.डी.एम. लगा रखा है हनुमानगढ़, वह नोटिस जारी करें। हजारों किसान तारीखें भुगत रहे हैं। अब उस वक्त तो सब रजिस्ट्रार तहसीलदार था उसको यह नहीं मालूम था कि जमीन का भाव यह है। स्टाम्प कम लगाये हैं उस पर यह रजिस्ट्री की...

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगरराम पंवार : अब यह दाम स्टाम्प के लगते हैं, पहले तुमने कम लगाये कीमत ज्यादा थी अब इतनी कीमत हो गई जमीन की तो क्या उनको सपना आ गया कि स्टाम्प कम लगाये थे। उस तहसीलदार ने रजिस्ट्री सस्ती क्यों की आज हजारों किसान, यह झूठी बात नहीं है आपको है जानकारी इस बात की कि हजारों किसान तारीखें भुगत रहे हैं और उनको नोटिस दिये जा रहे हैं कि इतने दिन में इतना पैसा और अदा करो अन्यथा तुम्हारी रजिस्ट्री खारिज की जायेगी। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी दूं कि यह कानून किसान पर ही लागू क्यों है? जिलाधीश से मंजूरी ले उसके बाद सारे बैंकों से नो-ड्यूज सार्टिफिकेट ले, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और थाने से लाओ। क्यों? हम चोर हैं क्या? आज शहर में कोई जायदाद बेचता है...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) :

112

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप जानकारी के लिए अभी नहीं बतायेंगे। आप जानकारी के लिए अपनी बारी का इन्तजार करेंगे।....(व्यवधान)....आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। ....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक करोड़ की जायदाद अगर कोई शहर में बेचे, कोई मंजूरी की जरूरत नहीं एक मिनिट में बेच दें। पांच दस लाख के ट्रक बेचो, मशीनरी पर कोई मंजूरी नहीं। अगर किसान पांच बीघा भी जमीन बेचता है वह सिर्फ चालीस हजार की होती है उसके लिए जिलाधीश की मंजूरी लानी होगी इसके साथ अनेक नो-ड्यूज सार्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण-पत्र और पटवारी आदि जितने आॅफिसर हैं उनके पास जाओ, हाजरी करो। उसको इतना हरेस किया जाता है, उसको लूटा जाता है, उसकी आधी रकम उसमें चली जाती है। यह किसान पर ही क्यों लागू है कि वह मंजूरी ले। इस तरह के काले कानून किसान पर लागू कर रखे हैं। यही नहीं आपको यह पता नहीं है, देखिये-रावतसर, इसका दो तहसीलों में रकबा पड़ता है। राजस्थान मैन केनाल से, सूरतगढ़ में पूर्व में दूसरा पड़ता है। राजस्व तहसील रावतसर में। जिसकी कीमत क्या है आपको पता होनी चाहिए। उधर 35 हजार में फैसले किये हैं एस. डी. एम. ने और इधर 9600 रुपये प्रति बीघा यह जानकारी है क्या ? एक ही किसान का रकबा और दो कीमत, यह कहीं है मिसाल ? उस जिले में यह हाल कर रखा है। क्या वह जिला आपका दुश्मन है ? अगर इस तरह से जिले के साथ भेद-भाव बरता गया एक दिन आपके कारण वह राजस्थान के साथ नहीं रहेगा। + + + एक दिन वह हरियाणा में चला जायेगा और उससे हाथ धो बैठेंगे। मैं आपको चैलेन्ज करता हूं सारी लड़ाई + + +। उस जिले को नर्क बना दिया है जो एक ऐसा जिला है जो सरसब्ज था जहां भाखरा, राजस्थान गंग कैनाल के कारण इतना सरसब्ज, इतना इरिगेटेड था उसको नर्क बना दिया। विकास की चीजें तीन होती हैं। सड़क, विद्युतिकरण और शिक्षा। उनमें उसको बिल्कुल पिछड़ा रखना है उसको दिया क्या है ? शराब की डिस्टलरी दी है कि वह पीकर बेवकूफ होवे और हम उनको लूटते रहें। और पानी तो इसलिए चला गया कि भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी है पानी आ ही वहां सकता है वह तुम्हारे बस की बात नहीं है। वह भूमि ईश्वर ने दान दी हमें, वहां वह लेवल है जिससे नगर वहां आ सकती है। अगर वह नहीं होता थोड़ा बहुत भी फर्क होता तो हमें एक लिफ्ट चैनल भी नहीं देते पीने के लिए। इतना विश्वासघात, इतना फर्क उसके साथ किया जा रहा है। यह हम कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे। उस इलाके को इतना पिछड़ा कर दिया गया है कि

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री डूंगरराम पंवार)

आज कोई सड़कें नहीं उस इलाके में, जो सड़क राजधानी से मिलान करती हैं, चौमूं से होती हुई सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़, रावतसर, गंगानगर इसका हाल देखिये कि इसका रावतसर हनुमानगढ़ तक क्या हाल है ? हमेशा वाहन उल्टे रहते हैं, ऐक्सीडेन्ट होते हैं। आप भी कार से जाते हो पर आंख मीच कर निकलते हो। क्या वहां आदमी नहीं है ? जो सड़क चार जिलों को जोड़ती है, गंगानगर, सीकर और झुंझुनू और जयपुर उस सड़क का हाल देखिये आप। उस पर दूसरा वाहन क्रोस ही नहीं कर सकता। उस पर आप डीलक्स बसें चला रहे हो। जिसके एक महीने में चार टायर फट जाते हैं, एक लाख रुपये के। आप हमारे जिले को इतना घटिया समझते हो। इसलिए गैर इन्साफी, भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसलिए समान बर्ताव किया जाये। इसी बात के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सम्माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी को अगर थोड़ा सा भी किसान के प्रति लगाव होता तो इतनी बड़ी राशि जिसमें कि भेंट, नकद, किश्त इस प्रकार की बात वह लेकर नहीं आते। मुझे आश्चर्य है कि जनता राज में 10 साल पहले तक जहां पांच सौ रुपया पैनल्टी थी एकदम पन्द्रह हजार। माननीय मन्त्री जी क्या आप बता सकते हैं 10 साल में जमीनों के दाम जिस प्रकार की पैनल्टी आपने इम्पोज की है 15 हजार, 20 हजार क्या काश्तकार की जमीन के भाव उसी हिसाब से बढ़े हैं। यह जो सारा एक्ट आया है कोलोनाइजेशन का, जो कोटा को प्रभावित करता था, जो गंगानगर को प्रभावित करता था। मुझे आश्चर्य है कहीं कोई विकास नाम की चीज दिखे तो सही, किसान तो देने को तैयार है। आपको गरीब काश्तकार ही दिखता है जिस पर आप चाहें जो कर दें। आपको शहरी जनता नहीं दिखती क्या ? माननीय मन्त्री जी, आज तो इसका सम्बन्ध नहीं है लेकिन शहर में आपने सीलिंग लगाया था। क्या आप बता सकते हैं कहां है आपका शहरी सीलिंग ? शहरी सीलिंग के तहत बड़े-बड़े लोगों की जमीन आज भी नहीं ली। आज केवल कोटा नगर में ही और उसके पास कृषि की जमीन है वह विकास के नाम पर एक्वायर कर रहे हैं। लेकिन जो धन्ना सेठ हैं, जो पैसे वाले हैं, जो धनाढ्य हैं उनके लिए आपने गली निकाल दी। धारा 21(1) के तहत वीकर सेक्शन के नाम पर कोई भी धनाढ्य प्लाट कटवा लेगा। आश्चर्य और दुख यह है कि उनकी लॉबी कितनी है। गरीब काश्तकार है, यह गरीब बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, आपका यह अमेंडमेंट आने के बाद उसकी छाती पर जब जाकर यह बोझ पड़ेगा तब उसको पता लगेगा कि 500 की पैनल्टी बीस हजार रुपया, पन्द्रह हजार रुपया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा नगर में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जो करोड़पति थे उनकी जमीनें जो सीलिंग एक्ट के तहत एक्वायर की गयीं थीं उन एक्वायर की हुई जमीनों को वीकर सेक्शन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के नाम पर और छूट दे दी और उसके बाद चूंकि उन पैसे वालों की लोबी दिल्ली तक थी आपको आश्चर्य होगा कि वीकर सैक्शन की परिभाषा आपकी राज्य सरकार ने, आपकी केन्द्रीय सरकार ने यह की है कि शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उच्च आय वर्ग का भी होगा तो वह वीकर सेक्शन की परिभाषा में आयेगा। दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि शहर की उच्च आय वर्ग का व्यक्ति भी वीकर सैक्शन का व्यक्ति कहलाया जायेगा। मैं समझता हूं इस प्रकार की परिभाषा कहीं बदली नहीं जाती लेकिन बदली गयी है क्योंकि शहर की लाबी आप पर हावी है। आप शहर के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शहर के लोग चूंकि लड़ना जानते हैं, जूझना जानते हैं, ईंट से ईंट बजाना जानते हैं,+ + + इसलिए आप जो हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। गरीब काश्तकार के लिए आप चिल्लाते हो, मुझे आश्चर्य है, आप बता सकते हो कि राजस्थान में सबसे अधिक सड़कों की दुर्दशा है राजस्थान में तो कोटा ज़िले में है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपकी सरकार ने जवाब दिया है कि दीगोद विधान सभा क्षेत्र की 29 ग्राम पंचायतों में 7 ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई हैं। आजादी के 40 साल बाद माननीय मन्त्री महोदय, 7 ग्राम पंचायतों को आप लिंक कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री कहते हैं इस बात को कि हम सड़कों को जोड़ देंगे। एक हजार की आबादी वाली सारी सड़कों को गांव की सड़कों से मिला देंगे। मैं आपको चेलेन्ज देता हूं, आओ कोटा में, मेरे साथ चलो गांवों में, मैं बताता हूं हमारी कितनी दुर्दशा है। सबसे बड़ा अन्नदाता गंगानगर है और उसके बाद हम हैं। हम दोनों मिलकर राजस्थान के लोगों का पेट पालते हैं, लेकिन आपका निकम्मा शासन सारा पैसा राजनैतिक भेदभाव के आधार पर, राजनैतिक द्वेष के आधार पर पूरा गंगानगर, कोटा तो आज भी पिछड़ा हुआ है। हमारा अगर कोई भगवान मालिक है तो चम्बल की वरदायनी मां मालिक है या केवल मात्र राजस्थान कैनाल केवल मात्र यह वरदायनी है जिसके कारण हम फल फूल रहे हैं, आपकी कृपा के कारण नहीं फूल रहे हैं।

मेरा निवेदन करना है कि जो आप पैनेल्टी इम्पोज कर रहे हैं और एक मुश्त जो बात कर रहे हैं, बीस हजार, पन्द्रह हजार की, यह लूट है, डकैती है, राजस्थान की जनता के साथ निश्चित रूप से घोर अन्याय है। शहर और गांव के व्यक्तियों में भेदभाव की नीति है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपा करके इस बिल को लाने से पहले अच्छा हो, विचार करें नहीं तो सत्यानाश तो आपका होने ही वाला है।...(व्यवधान)...गांवों की जनता जागरूक है, बहुत समझ रही है, आपको भी हवा का पता है, युग बदल रहा है। अगली बार माननीय शोपत सिंह जी तो कह रहे थे कि आप आओगे कि नहीं आओगे लेकिन सामने बैठी हुई लॉबी में से कितने लोग सदन में चुनकर आयेंगे सबकी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

छुट्टी हो जानी है। अच्छा है समय रहते हुए आप इसको बदल दें।....(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी जरूर हो जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह दाऊदयाल जब से चुनाव लड़ रहा है जीतता आया है आप तो बीच-बीच में गोते खाते रहे हो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब नहीं आओगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : चेलेन्ज, चैलेन्ज।....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : किसानों के साथ अन्याय नहीं करें, किसानों के साथ न्याय करें। शहरी सीलिंग की जो आपने दुर्दशा की है उसको आप सोचें। आप करो भी क्या, आपको तो पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। चाहे भूमि का नियमन करके करो, चाहे महाराजा कर्णीसिंह से लो, चाहे जोधपुर के गजसिंह जी से लो, 17 हजार वर्ग फुट जमीन आपने सिनेमा के नाम पर शहरी सीलिंग में जो आती थी उस शहरी सीलिंग की जमीन को महाराजा गजसिंह को आपने नियमन कर दिया है, उनको छूट दे दी है कि यह सिनेमा हॉल से लगी हुई सारी जमीन एक व्यक्ति विशेष को बेच दी जबकि गरीब काश्तकार की शहरी सीलिंग की जमीन को आप एक्वायर करना चाहते हैं वहां पर तो कोई रोडवेज का बस स्टैण्ड बनाने जा रहे हो लेकिन महाराजा गजसिंह की जमीन को छूट दे रहे हो। यह सब कांड आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कोटा नगर में सांगी ब्रादर्स हैं सांगी का सिनेमा हॉल है। सांगी के सिनेमा हॉल के लिए कोटा के महाराजा ने 6 हजार रुपये में जमीन दी थी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : कॉलोनाइजेशन के लिए दी है क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि 6 हजार की जमीन पर कैसे मोहन कुटीर बन गया। शहरी सीलिंग आया और शहरी सीलिंग के आधार पर उस मोहन कुटीर की जमीन पर वीकर सैक्शन के नाम पर प्लाट काटे गये। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मन्त्री जी, वीकर सैक्शन का ही एक प्लाट 20×50 का पौने तीन लाख रुपया और 25×50 का पौने चार लाख में बिका है कोटा में। यह वीकर सैक्शन है।

माननीय मन्त्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मोहन टाकीज के मालिक से यह सरकार दो करोड़ रुपये खा गयी। पट्टे में साफ लिखा हुआ है कि यहां पर केवल सिनेमा हॉल और उसके आगे लोन ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह शहरी जमीनों के बारे में बोल रहे हैं, विषयान्तर हो रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है कि यह शहर और गांव का भेद आप समाप्त करें।

श्री सभापति : विषय पर ही बोलें और कोई बात नहीं कहें।

श्री दाऊदयाल जोशी : वीकर सैक्शन के व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने यह इजाजत दी है वही आज नगर परिषद् के प्रशासक के पद पर बैठा हुआ है।....(व्यवधान)..... दो करोड़ रुपया, ब्रिज टाकीज के मालिक अनिल कुमार शाह से कांग्रेस के नेताओं की सांठ-गांठ हुई है और उस आधार पर कोटा में ब्रिज टाकीज के मालिक को सिनेमा की गलत तरीके से परमीशन दी जा रही है। फिर कभी मौका मिला तो ब्रिज सिनेमा की जो जमीन है उस पर

श्री सभापति : माननीय सदस्य। प्लीज माननीय सदस्य। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदया, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिये। श्री गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जमीनों के आवंटन के बारे में आठ से नौ हजार केस लम्बित होने की बात बताई है। यह बात सही है कि जिन काश्तकारों को, भूमिहीन लोगों को जो खेती का काम करते है, भूमिहीन मजदूर थे उनको सरकार ने नहरी क्षेत्र में जमीन आवंटित की और हमारी मंशा यह है कि उनमें जिन काश्तकारों को जमीन आवंटित की गयी है वह खुद काश्त करें। वह जमीन को नम्बरदारों को, इजारेदारों को, ठेकेदारों को नहीं बेचें।....(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : उनको वापस दिलवाइये, उन पर 50 हजार रुपये पैनेल्टी किस बात की ?

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा जिले में जो आवंटन कर रहे हैं उसका सात हजार, किसान की जमीन आप एक्वायर करो उसका 4 हजार और काश्तकार की जमीन का जो उसका 7 हजार ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य एक दूसरे को बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, आपने तो स्वयं सदन में देखा होगा कि किशनपोल बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने और स्वयं प्रोफेसर केदार साहब ने जो गंगानगर से आते हैं उन्होंने इस अमेंडमेंट का स्वागत किया और यह कहा है कि यह काश्तकारों के हक में है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसका स्वागत तो किया है, भावना बढ़िया है लेकिन इसमें बेईमानी होगी, इसमें किसानों का शोषण होगा, यह नहीं होना चाहिए, यह भी विचार करें आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके बारे में आ रहा हूँ मैं।

मतलब यह इसका स्वागत करते हैं। मतभेद केवल इतना है कि कम्पाउण्डिंग फीस जो हमने लगायी है उसमें कमी-बेशी हो। इस बारे में माननीय सदस्यों ने अपने-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस सम्बन्ध में इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जिस काश्तकार को हमने जमीन आवंटित की है कि जमीन के ऊपर खेती करे····

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय, यह जो इन्होंने····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यह जो इन्होंने स्वागत किया है न, यह बड़ा क्लोक्ड स्वागत है, आप इस चक्कर में मत आइये।

श्री सभापति : बीच में इण्टरप्ट नहीं करेंगे, माननीय सदस्य, कृपया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लेकिन बेईमानी न हो। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी···

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह स्वागत योग्य तो तब है जब इन सब बातों पर आप रोक लगा दें।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य। It is a wrong practice. कृपया स्थान ग्रहण करें। कोई भी सदस्य एक-दूसरे को बीच में इण्टरप्ट नहीं करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिस भूमिहीन किसान को हमने जमीन दी है वह उस खेत पर खेती करे और अपने जीवन का गुजर-बसर करे। लेकिन कई लोग जिन के पास बहुत अधिक पैसा है वह उन जमीनों को लेते हैं, बेचते हैं और अवैध बेचान करते हैं। इससे गरीब काश्तकार को कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। जिनके पास बहुत अधिक पैसा है वह पैसे वाले लोग इन जमीनों को उन आवंटियों से खरीद रहे थे और अवैध विक्रयनामे हो रहे थे। उसके ऊपर रोक लगाने के लिए, इसको हतोत्साहित करने के लिए समय-समय पर संशोधन लाये गये और कम्पाउण्डिंग फी जो पहले 20 हजार थी उसको आगे बढ़ाने की बात कही गयी है ताकि जो काश्तकार हैं, वह जिसको जमीन का आवंटन हुआ है वही उसके ऊपर खेती करे और दूसरे लोग इसको खरीद नहीं सकें। कम्पाउण्डिंग फी ज्यादा होगी तो उससे जो खरीदने वाले लोग हैं उनके ऊपर भार आयेगा न कि उस गरीब काश्तकार के ऊपर।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, जो प्रोविजो इसमें दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र को इससे हटा दिया जायेगा, जैसे जवांई बांध क्षेत्र, चम्बल क्षेत्र अथवा गंगानगर, जहां-जहां छोटी-छोटी काश्त है या काश्तकार को कोई विशेष परेशानी हो रही है, जहां सिंचित क्षेत्र भी नहीं है लेकिन कोलोनाइजेशन एरिया में जो जमीन आयी हुई है उस एरिया को निकालने के लिए यह प्रावधान रखा गया है। किसान की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र को उससे बाहर निकालने के लिए प्रावधान किया गया था।

जहां तक कर्णीसिंह जी की जमीनों के बारे में हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सदस्य ने काफी बातें कहीं, मुझे तो आये जुम्मा-जुम्मा 18 दिन हुए हैं, मेरे हाथ से तो कोई काम हुआ नहीं है। सुबह मैंने जो बताया था·····

श्री शोपत सिंह : आप की सरकार ने जो काम किया है उसकी आपकी भी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी वहन कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, ठीक है, लेकिन 1979 में क्या किया है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है क्योंकि वह सरकार भी हमारी थी ?

सुबह मैंने यहां बताया था कि 1979 में भी काफी जमीनों का बेचान हुआ था और इस बेचान का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसकी विगतवार जानकारी मैंने आज ही सदन में दी थी। जहां तकपटवारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है····

श्री शोपत सिंह : जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से मैं यह अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के कोई विशिष्ट मामले मुझे बतायेंगे तो मैं उनकी जांच कराऊंगा और सम्बन्धित अधिकारी कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो, यदि उसने किसी तरह की बदमाशी या बेईमानी की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक टी.बी. से आने वाले माननीय सदस्य ने चरित्र प्रमाण-पत्र और राजस्थान निवासी प्रमाण पत्र लेने की बात कही, आज सुबह ही सदन की यह भावना थी कि जो विक्रय हो वह राजस्थान के लोगों को बीच में ही हो। ऐसा प्रावधान विभिन्न टिनेंसी एक्ट और कोलोनाइजेशन एक्ट में किया गया है। उस के अनुसार राजस्थानी होने का प्रमाण-पत्र उसकी एक प्रक्रिया का आधार है उसी आधार पर लिया जाता है। इसमें कोई विशेष समय नहीं लगता है। राजस्थानी होने का प्रमाण पत्र के आधार पर वह क्रय-विक्रय कर सकता है। इसी आधार पर चरित्र प्रमाण-पत्र अथवा राजस्थान निवासी का प्रमाण पत्र लिया जाता है। इससे काश्तकार को तो आज तक कभी कोई परेशानी हुई बतायी नहीं, अब आप पता नहीं किस तरह की परेशानी बता रहे हैं, यह आप ही जानें।

दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने विषय के ऊपर तो गम्भीरता से अपने विचार रखे नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर पंचायतें बढ़ी नहीं, सड़कें बनी नहीं। मैं भी विषयान्तर हो रहा हूँ, सभापति महोदया, पिछले वर्ष 23 करोड़ रुपये राजस्थान में पुलों के लिए हमने मंजूर किये थे। केन्द्र सरकार से भी उस समय हमें विशेष सहायता मिली। उसमें सबसे अधिक पुल यदि कहीं बने हैं तो कोटा सम्भाग में बने हैं। मैं कह सकता हूँ कि 23 करोड़ का करीब आधे से ज्यादा हिस्सा केवल कोटा के ऊपर खर्च किया गया है

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

और वह पुल बदस्तूर बनाये जा रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर राजनीतिक भेदभाव की जो बात यह कर रहे हैं बिलकुल गलत है, आधारहीन है, तथ्यहीन है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 12 में से 7 पंचायत समितियों का सम्बन्ध ही कट जाता था, कौन सा अहसान कर दिया ?

श्री शिवचरण सिंह : पश्चिमी राजस्थान में पुल की जरूरत ही नहीं है, वहां वर्षा होती नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप के यहां जरूरत क्या है पुलों की ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे ख्याल में दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि इतने अधिक पुल आपके कोटा में कभी नहीं बने, आपके जनता पार्टी के शासन में भी नहीं बने जितने पुल अभी पिछले वर्ष मैंने मंजूर किये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता राज के बाद अब जाकर मुश्किल से क्योंकि सारे राजस्थान का सम्बन्ध कोटा जिले से कट जाता था इसलिए किया है, उसमें आपकी दया नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्य, पुलों की बात नहीं करेंगे, उपनिवेशन की बात करिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : केन्द्र सरकार ने किये हैं, आपकी कोई दया नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको क्या मालूम उस समय कि पुल क्या होते थे ? जनता पार्टी के राज में आप अध्यापक थे। आपका उन पुलों और राजनीति से मतलब क्या था ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं प्राध्यापक था।

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय मन्त्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्राध्यापक नहीं आप व्याख्याता थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक ही बात है।

माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आप आयेंगे, नहीं आयेंगे, सभापति महोदया, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं आने वाले समय में इस बात की पुष्टि कर दूंगा अपने कार्यों से कि काश्तकारों का हितैषी मन्त्री हूं और काश्तकारों के हित में जो एक्शन, कानून बना रहा हूं या बनाऊंगा वह निश्चित रूप से राजस्थान के गरीब किसानों, भूमिहीन मजदूरों और एग्रीकल्चर लेबर का ध्यान रखते हुए बनाये जायेंगे तथा उनके हितों की पूरी सुरक्षा की जायेगी।

श्री हंसराज मिढ़ा : 40 साल में आप की सरकार ने किसानों के हित में कोई काम नहीं कराये और आगे किसानों को उम्मीद नहीं है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय ? (स्वीकृत) विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(120)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदया, आप बोलने का मौका दें तो।

माननीय सभापति महोदया, जो बिल यहां इण्ट्रोड्यूज किया गया है उसकी फिलासाफी का मैं विरोध करता हूं। मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूँ और सदन का ध्यान और खास तौर से हमारे नौजवान मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि what is our social commitment ? मैं समझता हूं कि इस बिल को यदि हम ध्यान से पढ़ें और समझें तो लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने अलाटमेंट में अलाटी की जो डेफिनेशन की है, माननीय सभापति महोदया, मैं चाहूँगा, कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार से चर्चा करें और सदन को इस बारे में आश्वस्त करें। हमने यहां अलाटी की जो डेफिनेशन दी है उसमें लिखा है–"Allottee" means a person to whom land has been allotted on price under the rules made under the Act."

मतलब, आपने अलाटी को प्राइस लेकर लैण्ड अलाट की है। अलाटी कौन ? जिसको आप लैंडलैस मानते हैं। और लैंडलैस क्यों मानते हैं कि राजस्थान का गरीब आदमी जो खेती के बारे में जानकार नहीं है उस आदमी को खेती के लिए जमीन देकर आश्वस्त करने के लिए हमने यह प्रोविजो रखा था। वह गरीब आदमी जो शिडयूल्ड कास्ट का है, ट्राइब का है, जो खेती के बारे में नहीं जानता है उसे राजस्थान कैनाल में जो जमीन पड़ी हुई हैं उस कैनाल की जमीन पर अलाटमेंट के बाद में, उस अलाटमेंट के आधार पर अपना जीवनयापन करेगा। यह हमारी फिलासाफी थी, यह हमारी मंशा थी और इसी आधार पर हमने लैण्ड अलाटमेंट का प्रोविजो रखा। उसके बाद में हमने यह प्रोविजो रखा कि वह गरीब आदमी है, जमीन के बारे में ज्यादा जानता नहीं है इसलिए उसकी अनभिज्ञता का लाभ उठा कर दूसरे लोग उस जमीन को खरीद नहीं लें, यह राइडर हमने उसमें डाला था, इसलिए हमने अलाटमेंट का प्रोविजो बड़ा स्ट्रिक्ट किया था। अब आप हम क्या करना चाह रहे हैं ? आप करना चाह रहे हैं कि अलाटमेंट के बाद यदि उसके पास खातेदारी राइट नहीं हैं और उसने बेच दी और कलक्टर की परमीशन नहीं ली उसको रेगुलराइज करने के लिए। वाह ! वाह ! मन्त्री महोदय, जानकर बहुत खुशी हुई कि एक बार तो अलाटमेंट की प्राइस ले ली आपने और फिर आप दूसरी बार क्या करना चाहते हैं कि क्योंकि उस जमीन को खरीद लिया उसने जो राजस्थान से बाहर का है। 80-90 हजार के टोटल आपके अलाटमेंट हुए हैं उसमें 89 हजार आदमियों को रेग्यूलराइज कर रहे हैं। उसमें 90 पर्सेन्ट वह आदमी हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं लेकिन एक कागज का सर्टिफिकेट दे जायेंगे कि राजस्थान में रहने वाला है जबकि 90 पर्सेन्ट राजस्थान से बाहर के हैं। उन्होंने उन अलाटीज से जमीन खरीद ली और जमीन खरीदने बाद आप प्रोविजन कर रहे है कि हम इस जमीन को 50 हजार रुपये मतलब दो हजार बीघा में रेग्यूलराइज कर दिया जायेगा। माननीय मन्त्री महोदय, आप

(श्री सी. पी. जोशी)

अधिकार दे रहे हैं उस एस. डी. एम. को रिश्वत लेने का। अपने राजस्थान में यह परम्परा स्थापित हो जायेगी कि लैण्ड अलाटमेंट करवा लो आप और बेच दो उसको साथ में। भ्रष्टाचार की ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती। किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे और सारे अधिकारी अपने मिलने वाले भाई-रिश्तेदारों के नाम जमीन अलामेंट करके जमीन बेच देंगे और आपके इस प्रोविजो से जमीन को रेग्यूलराइज करने की व्यवस्था कर देंगे। ऐसा कर देंगे तो क्या आप इस तरह के नियम बनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात के लिए कि गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा और आपके "प्रशासन गांवों की ओर" में देख लें कि क्या हो रहा है? जो गरीबों को घर मिले थे, जो टाउन के पास में उनकी पंचायतें हैं वहां पर पटवारियों से मिलकर बदमाश लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, एक बीघा, दो बीघा जमीन पर इण्डस्ट्री के नाम पर कब्जा कर लाख रुपया, दो लाख रुपया कमा लेगा, आपने "प्रशासन शहरों के अन्दर" भी इस तरह की व्यवस्था कर दी तो बदमाश किस्म का आदमी किसी तरह से जमीन का अलाटमेंट करवा कर अपनी कार्यवाही ठीक ढंग से करा ले, आप नया प्रोविजो लाकर माननीय मन्त्री महोदय इस शासन की सारी सोशल फिलोसोफी को आप बिल्कुल मटिया-मेट कर देंगे। पैसा आपको कमाना है तो आप अलाटमेंट करना बन्द कर दीजिए। आप फ्री ऑक्शन कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर साल 5-6 हजार आदमियों को ऑक्शन से जमीन देंगे, उस ऑक्शन की प्राइस बढ़ा दीजिए, आप एक लाख कर दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है, लालचन्द जी डूडी साहब बतायेंगे, 6 लाख रुपये की जमीन है आज के दिन, 6 लाख की जमीन के लिए अलाटी को जमा कराना पड़ता है 62 हजार रुपये, 50 हजार रुपये उसके रेगुलराइज के हो जायेंगे, 1 लाख 62 हजार रुपये में 6 लाख रुपये की जमीन वैलिड रूप से उसके खाते में हो जायेगी, यह आपका रेवेन्यू अलाटी है....

माननीय सभापति महोदया, मुझे तो प्रोफेसर केदार से आशा थी। समाजवादी आदमी हैं, प्रोग्रेसिव आदमी हैं, वह खुद वैलकम कर रहे हैं इस बात का कि भाई वोट लेने के आधार पर हम वैलकम करेंगे तो समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जायेगी। इसलिये, माननीय सभापति महोदया, मेरे पास तो एक इंच भी जमीन नहीं है....

श्री शोपत सिंह : जमीन नहीं है तो मौज करो कोई जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : जमीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता लेकिन मैं इस व्यवस्था के सख्त खिलाफ हूँ जिस तरह की व्यवस्थान आप अभी करना चाहते हैं.... (व्यवधान)....आपकी पार्टी को सोचना चाहिए....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदया, पैरवी कर रहे हैं उन लोगों की जिनके काम नहीं आती है····

मैं, माननीय सभापति महोदया, विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब इस बात पर बोलें, माननीय प्रोफेसर केदार साहब इस बात पर बोलें और माननीय कल्ला साहब आपकी उम्र कम है, 30-40 साल तक राजनीति करनी है, 30-40 साल की राजनीति में हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उस व्यवस्था के बाद ट्रांसफर, पोस्टिग एस.डी.एम. और तहसीलदार के गंगानगर इलाके में उन लोगों के ही होंगे जो लोग अपने पैसे की व्यवस्था सुदृढ़ कर देंगे। आप किसी भी आदमी के प्रति भ्रष्टाचार को रोकने की स्थिति में नहीं पायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ और विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि यह 8 हजार आदमियों को रेगुलराइज करने के नाम पर और ऐसी शासन व्यवस्था में आप ऐसा प्रोविजो ला रहे हैं जिसका नाजायज फायदा सरकारी अधिकारी उठायेगा, जिसका नाजायज फायदा वह सम्पन्न काश्तकार उठायेगा जिसका राजस्थान से लेना-देना नहीं है और सारी फिलोसोफी अलाटमेंट की है वह सारी व्यवस्था आपकी गड़बड़ा जायेगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप री-थिंकिंग कर लें, आप इसको पास नहीं करें, आप इसको प्रवर समिति को सौंप दें, इस डाइमेन्शन पर भी डिस्कस कर लें उसके बाद आप निर्णय करें कि यदि आपको पैसा ही इकट्ठा करना है तो मैं चाहूँगा कि हर साल आप एक फिक्स कर लें कि हम 500 बीघा जमीन बेचेंगे, उसके आक्शन से आपको 15 लाख, 25 लाख 1 करोड़, 10 करोड़ मिल जायेंगे तो व्यवस्था ठीक हो जायेगी, लेकिन अलाटी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जायेगी।

अन्त में एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आप रूल में तो अमेंडमेंट कर रहे हैं पर आपने एक्ट में अमेंडमेंट किया, अलाटी का मतलब क्या होगा। मैं नहीं समझता आप इसको देखें। अलाटी की परिभाषा ऐक्ट में जो लिखी हुई है और आप रूल्स में अमेंडमेंट कर रहे हैं मैं नहीं समझता हूं कि यह आपको किस सरकारी अधिकारी ने राय दी है, मेरी बुद्धि तो तुच्छ बुद्धि है पर मैं यह चाहूंगा कि आप स्वयं फिर एक बार देख लें कि एक्ट में अमेंडमेंट किये बिना इस रूल्स के आधार पर जो आप व्यवस्था कर रहे हैं वह व्यवस्था सही व्यवस्था नहीं होगी····

विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे तुच्छ प्रश्न हैं, मैं नहीं समझता कि मेरे प्रश्न सही प्रश्न हो सकते हैं लेकिन मैं पोलिटिकल फिलोसोफी में कमिटमेंट होने के नाते कहना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस की सोशल सोसायटी के पैटर्न पर माननीय कल्ला साहब आप मन्त्री हैं यह उस फिलोसोफी के बिल्कुल अलग यह एक्ट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कृपया या तो इस बिल को विथड्रा कर लें या इस बिल को प्रवर समिति को सौप दें और इस डाइमेन्शन के आधार पर विचार कर राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स, गरीब आदमी,

(श्री सी.पी. जोशी)

लैण्डलैस के साथ न्याय नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था नहीं करें, यह प्रश्न गंगानगर का नहीं है, यह प्रश्न कोटा का नहीं है, यह एक ऐसी व्यवस्था का प्रश्न है जिस व्यवस्था से फेडगेप स्टार्ट हो जायेगा, इसमें सरकारी अधिकारी अलाटी के नाम से जमीन अलाट कराकर लाखों रुपयों की जमीन खुर्दबुर्द कर देंगे। यह राजस्थान के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मन्त्री महोदय इसके बारे में चिन्तन करें, मनन करें और हमारे सदन के सामने व्यवस्था करके समझायें हमको कि जिससे हम इन सब बातों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकें और फिर आगे बात करें तो राजस्थान के हित में करें। यह बात मुझे आपसे कहनी है।

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : माननीय सभापति महोदया, मुझे इस मामले में दो-तीन बातें कहनी हैं, जोशी जी ने एक बात कही, सारी बातों को जोशी जी नहीं समझ रहे थे लेकिन मैं एक बात जो आपने कही जिस गरीब आदमी को जमीन अलाट हुयी थी, उस आदमी ने जमीन बेच दी, बिना मंजूरी के बेच दी, खातेदारी राइट्स मिलने से पहले बेच दी उसके ऊपर 50 हजार रुपये पैनल्टी लगाकर आप उस जमीन को रेगुलराइज कर देंगे। अब यह 50 हजार रुपये लेकर रेगुलराइज करने की बजाय कल्ला जी आपको चाहिए था कि जिस आदमी को जमीन अलाट हुयी थी उस आदमी को दुबारा वह जमीन वापस उसके कब्जे में हो, उसके कब्जे में दिलाते, वह उस जमीन के ऊपर काबिज होता। असल बात यह है कि गरीब कर देते हैं तो ठीक है आपको उन पैसे वालों को जिन्होंने इसका नाजयज फायदा उठाया है उनका दुबारा कब्जा हटाना था।

दूसरी बात यह हैं कि 50 हजार रुपये की पैनल्टी, पता नहीं कौन पैनल्टी देगा, इस बात के ऊपर झगड़ा होगा, जिस अलाटी ने बेचा, उससे खरीददार लेगा, खरीददार कहेगा मैं नहीं दूं, उनकी आपस में कत्लें होंगी और 50 हजार रुपये भी, आज सुबह कल्ला साहब बतला रहे थे गंगानगर की छाती पर महाराजा कर्णी सिंह की जमीन आपने 1-1, 2-2 हजार रुपये बीघा में बेची है और बेचने की मंजूरी दी है····

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1972 का केस है।

श्री लालचन्द डूडी : 1972 में और आज में कोई फर्क नहीं है। 1972 में भी ऐसी कोई बात नहीं थी·····

श्री शोपत सिंह : ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती है थोड़ी बहुत।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 1979 में की है।

श्री लालचन्द डूडी : 1972 में की है तो भी आप इसकी जांच करवा लीजिए कि किसने की है, क्यों की है ? यानी उधर आप उनकी जमीन इतने में कर रहे हैं और इधर 50 हजार रुपये पैनल्टी····

तीसरी बात यह है कि वह खरीदने वाला और बेचने वाला तो ज्यादा कानून

(श्री लालचन्द डूडी)

का जानकार नहीं था पर आपका रजिस्ट्रार तो जानकार था, वह मंजूरी के बिना बेच सकता है या नहीं बेच सकता है और यह रजिस्ट्रियां उस रजिस्ट्रार के दस्तखतों से हुई हैं, उसके सील और मोहर से हुई हैं। गलती की थी आपके अधिकारी ने सजा किसान को दे रहे हैं, उस अधिकारी को सजा देने की बात तो दूर रही आज भी आप पटवारी का नाम ले रहे हैं।

श्री शोपत सिंह जी के सवाल के जवाब में यह कहा कि अगर मुझे कोई पर्टीकुलर इत्तला देंगे तो मैं उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

8 हजार मामले ऐसे हैं, प्रोफेसर केदार बता रहे थे आपने स्वीकार किया है कि 8 हजार के 8 हजार तो इसके प्रमाण हैं जिसे सब रजिस्ट्रार साहब ने अभी मंजूरी दी है। यह सारे के सारे आप जो पूछ रहे थे इसके प्रमाण हैं, कीजिए कार्यवाही। शायद वह आज नहीं हैं वहां पर रिटायर होकर चले गये हैं, पर कौन था आपका उस वक्त चीफ सैक्रेटरी, कौन था आपका रेवेन्यू कमिश्नर, कौन था आपका कलक्टर? उनके ऊपर लाइबिलिटी डालिये और उन्होंने जो होने दिया उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

तीसरी सबसे बड़ी बात जो अभी शोपतसिंह जी ने कहा था और श्री डूंगरराम जी ने भी कहा था यह तमाशा क्या है इस देश के अन्दर, किसान 5 बीघा जमीन बेचे उसको मंजूरी लेनी पड़ती है और गैर किसान करोड़ों रुपये की प्रापर्टी बेच दे उसको कहीं मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है? यह क्या तमाशा है इस देश के अन्दर किसान और गैर किसान के लिए दो कानून, अलग-अलग हैं, कल्ला साहब 5 लाख, 10 लाख की बस दो मिनट में बेच दें, कभी आपने मंजूरी की बात की है, 5 रुपये के स्टाम्प पर बेच दो, यह शहरों के अन्दर लाखों-लाखों रुपये के प्लाट्स यह बेच दें, कहीं कोई मंजूरी की जरूरत नहीं है, कारखाने बेच दें, कहीं मंजूरी की जरूरत नहीं है, किसान ने कहीं बेच दी तो मंजूरी बिना तो उसके ऊपर 50 हजार रुपये पैनल्टी?

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : आज जिस तरह से किसान के साथ हो रहा है, यह मामला केवल गंगानगर का नहीं है, कल्ला साहब, यह राजस्थान कैनाल जैसलमेर तक पहुंच गयी है, यह मामला बीकानेर का भी नहीं है, यह नागौर का भी है, यह जोधपुर का भी है, जैसलमेर का भी है और बाड़मेर का भी है। यह सारे राजस्थान के अन्दर क्यों अलग कर रहे हैं। आप चोरी करते हैं दूसरे तरीकों से, नहीं रोक सकते हैं, आप सैल्स टैक्स की चोरी को नहीं रोक सकते, आप बिजली की चोरी को नहीं रोक सकते, आप और किसी तरह की चोरी नहीं रोक सकते हैं और उन चोरियों का कोटा पूरा करने के लिए किसान पर टैक्स लगाते हैं, पैनल्टी लगाते हैं...

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

(4.00 म. प.)

श्री लालचन्द डूडी : इस तरह से यह कितने दिन तक चलाते रहोगे कल्ला साहब·····(व्यवधान)······आप किसान से चाहते क्या हैं ? किसान क्या एक्शन ले। किसान आपके साथ कैसे लड़े ? किसान आपके साथ हथियारों से लड़े, गोलियों से लड़े या पंजाब की सी हालत खड़ी कर दे। किसान से चाहते क्या हो ? यह हमको बतला दो। क्या राजस्थान को आप पंजाब बनाना चाहते हैं ?

श्री सभापति : समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द डूडी : विचार कर लीजिए कि इसके असरात क्या होंगे। एक गरीब आदमी 50 हजार रुपये मुरब्बे की पैनल्टी नहीं दे सकता और नहीं दे सकता तो आप उसको पीड़ित करेंगे, उसका कब्जा हटवायेंगे। और उस स्थिति में क्या हालात पैदा होंगे। इसको पहले आप सोच लीजिए। फिर कहीं आगे यह अमेंडमेंट लाइये।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सभापति : खण्डशः विचार। खण्ड दो, कोई संशोधन नहीं।

एक माननीय सदस्य : सिर्फ दो मिनट मैं इसमें बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग में बोलियेगा। प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया। खण्ड तीन प्रभारी मन्त्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला (उपनिवेशन मंत्री) : 1. विधेयक के खण्ड 3 में,—(क) उप-खण्ड····(व्यवधान)···पाखण्ड आप करते हो, रोज-रोज विषयान्तर होकर के बोलते रहते हो। यहां कोई पाखण्ड नहीं करते।

1. विधेयक के खण्ड 3 में—(क) उप-खण्ड (क) में, शब्दों "एक वर्ष और छह मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष और छह मास" प्रतिस्थापित कीजिए, और

(ख) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13-क की उप-धारा (1—क), जैसी कि वह उप-खण्ड (ख) द्वारा अन्तः स्थापित की जा रही है, में—

(i) अभिव्यक्ति 'अधिनियम, 1988' जहां कहीं भी आयी हो, उसके स्थान पर पर अभिव्यक्ति "अध्यादेश, 1988 (1988 का अध्यादेश संख्या 9)" प्रतिस्थापित कीजिए।

(ii) अभिव्यक्ति "120 दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "297 दिन" प्रति-स्थापित कीजिए, और

(iii) अभिव्यक्ति "आवंटिती और तात्पर्यित अन्तरिती से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या ऐसी कालावधि, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जाये,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

के भीतर, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम संख्या 3) की धारा 42 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आवंटिती और तात्पर्यित अन्तरिती से" प्रतिस्थापित कीजिए।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो भी इस पर बोलें वे विशेष स्वीकृति लें। ····(व्यवधान)····कोई इस अमेंडमेंट पर बोलना चाहते हैं तो बोलें। But please restrict to the subject. और जो इसमें संशोधन मूव किये हैं। ····(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का न केवल ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं लेकिन अपने आपको पूरी तरह सी. पी. जोशी के जो सुझाव आपके सामने आये हैं न केवल ये सदस्य हैं लेकिन अपनी पार्टी के जनरल सैक्रेटरी भी हैं मन्त्री महोदय।····(व्यवधान)····अब तक तो हैं।····(व्यवधान)····मन्त्री महोदय मैं चाहूंगा कि आप बड़ी गम्भीरता से और अपने आपको इससे न जोड़ें पर्सनली क्योंकि आपने अभी जो विभाग लिया है लेकिन इस ऐरिया के होते हुए आप इस विभाग के कालोनाइजेशन एरिया से परिचित हैं। मैं सोचता हूं कि जो उस फिलोसोफी में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अपने आपको जोड़ लिया है लेकिन मेरा ख्याल है शायद आपने इस पूरे अमेंडमेंट को डेलीजेन्टली नहीं पढ़ा और न इसकी आपने स्टडी की है। अगर मैं इसमें गलत हूं तो क्षमा करें लेकिन तीन चार बिन्दू मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसके पारित होते ही पहला बिन्दू तो यह है और यहां के वरिष्ठ, प्रतिष्ठित लोग विराजे हैं और इस बात की भी पुष्टि करेंगे। कालोनाइजेशन एक्ट जब राजस्थान में आया था। यह एक्ट ऐसा महत्वपूर्ण है कि सुखाड़िया साहब के टाइम में पास हुआ था। मेरे ख्याल से भैरोंसिंहजी साहब विपक्ष के नेता तो नहीं थे लेकिन इन्होंने भी डिस्कशन में खूब भाग लिया था, अल्टीमेटली शायद आपने स्वागत भी किया था इस एक्ट का। आप एक स्ट्रोक में एक प्रिविलेज तो ले रहे हैं और पूरे राजस्थान के दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट के जितने भी लोग हैं उनको वंचित कर रहे हैं और वह कैसे कि आप 50 हजार की पैनल्टी से जो भी अलाटी हैं, ट्रांसफरी को जमीन दे रहा है उसको तो आप रेगुलराइज कर रहे हैं और मैं शिड्यूल्ड कास्ट का जोधपुर में बैठा हूं, या कोटा में बैठा हूं या उदयपुर में बैठा हूं और अण्डर टिनेन्सी के नीचे ट्रांसफर करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। तो यह कौन सा प्रिवीलेज आप दे रहे हैं इन 8 हजार, 9 हजार अलाटीज को अभी? यह किस लॉ के तहत है? आप कहेंगे कि साहब कालोनाइजेशन एक्ट के नीचे या हम एक अमेंडमेंट ले आयेंगे। बट सोशियली, मोरली और जो कांग्रेसी फिलोसोफी है उसके साथ अपने आपको जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं? पहली चीज तो आप इस पर विचार कर लीजिए।

दूसरा बिन्दु है मंत्री महोदय अगर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

आप बी का ए पढ़ें और मेरा ख्याल है यहां पर जितने भी रेवेन्यू लॉ से परिचित सदस्य बिराजे हैं वे वास्तव में अचंम्भित होंगे। "Where an allottee, in whom khatedari rights have not been vested....

मंत्री महोदय, have not been vested," जिसको टाईटल ही नहीं मिला है। "....even after seven years of allotment, under condition 9 (A) of General Colony Conditions, has transferred the land illegally allotted to him or any right there in, incontravention of sub-section (1) of section 13 of this Act, before the commencement of this Act, etc...."

"....the allottee and the purported transferee in this behalf in the prescribed form, within 297 days of the commencement of the Act, or within such period, as may be extended by the Government from time to time, may, subject to the provision of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. 1955, declare such transfer valid." राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत मंत्री महोदय, ऐसा कोई ट्रान्सफर लीगली आप वेलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते और आप हमसे यह पास करवाना चाह रहे हैं जो कि न केवल एटोनीमस होगा लेकिन इल्लीगल भी होगा कि जिसके पास खातेदार राइट्स थे ही नहीं वह 50 हजार रुपये जमा कराकर उसको रेग्यूलराइज करा लें। आप यह प्रिविलेज मुझे क्यों नहीं देते ? जोधपुर में बैठे हैं या उदयपुर में बैठे हैं अन्डर दी टीनेंसी लॉ। वहां तो मैं नहीं करा सकता 50 हजार या लाख रुपया जमा करा कर और इसको आप दे रहे हैं।

तीसरा, आफिसर कलक्टर जो है वह कैसे इन्क्वायरी होल्ड करेगा। 'After holding such enquiry as he deems proper." जैसा अभी जोशी साहब ने फरमाया कि वह एस. डी. एम. वहां बैठा है वह तो सोचेगा कि जो मर्जी में आये उसे तो अलाटमेंट करवा दूं और कैसे अलाटमेंट होते हैं, मंत्री महोदय वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ।

इसलिए मंत्री महोदय बड़ी गम्भीर परेशानी में आप पड़े हुए हैं। मुझे तो आश्चर्य यों हो रहा है कि यह इस स्टेज तक आया भी कैसे। आज अगर अपन सोशियल रिवोल्यूशन सन् 52 में लाना चाह रहे थे राजस्थान में और उस सोशियल रिवोल्यूशन के बैनर के नीचे अगर आप यह चाह रहे हैं कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट 8–9 हजार को आप राइट्स दें दें, ओवर-स्वीमिंग जिससे कि वे चाहें जैसी जमीन ले लें। 'मैं समझता हूँ कि हम लोग यहां बैठने वाले आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके इस पर पुनर्विचार कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहो मत, व्हिप आयेगी तो करोगे ऐसी बात।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्या पता भैरोंसिंह जी साहब, आप भले ही कितना उकसाने की कोशिश करो। (व्यवधान) वह तो मुझे पता है, आप डिवीजन करायेंगे नहीं। लेकिन क्या पता कल्ला साहब आपके और मेरे कहने से और जोशी साहब के कहने से इसको विथड्रा भी कर लें। (व्यवधान) इसलिए इन बिन्दुओं पर मंत्री महोदय, मेहरबानी करके आप बड़ा हमें फेवर करेंगे कि आप पुर्नविचार करेंगे और जो जोशी साहब का सजेशन था, सब-समिति को इसको रेफर कर दीजिये। उससे हम सब लोग डिस्कस कर पायेंगे। धन्यवाद, आपने टाइम दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत उपनिवेशन मन्त्री जी को कुछ सुझाव और निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान केनाल के इस वीरान इलाके में मीलों तक जंगल पड़ा है। राजस्थान सरकार ने—

श्री सभापति : खण्ड 3 के संशोधन पर बोलियेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हां। भूमिहीन कमजोर लोगों को इस भूमि का पुख्ता अलाटमेन्ट किया गया। पुख्ता अलाटमेन्ट भूमि का खाली बीकानेर में नहीं है, बीकानेर, चूरू, सीकर के लोग हैं, झुंझनू के हैं, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर—लगभग आधा राजस्थान इससे जुड़ा हुआ है और राज्य की प्रगतिशील नीति का मतलब यह था कि आज से ठीक 14 साल पहले भूमिहीन किसानों को चाहे शिड्यूल्ड कास्ट के हों, चाहे अन्य हों, उन लोगों को पुख्ता अलाटमेन्ट किया गया था। और पुख्ता अलाटमेन्ट इस प्रकार किया गया, मंत्री महोदय, कि कोई जमीन लेने में चोरी न कर सके, वह अपनी फोटो देगा। जो गांव में भूमिहीन है और उसके दो-चार बीघा जमीन है, पटवारी से प्रमाण-पत्र लायेगा, तहसीलदार उस प्रमाण-पत्र को तस्दीक करेगा और वह नागरिक 55 में कौन से गांव में था, वह खुद या उसके दादा, परदादा यह सबूत देंगे और तीसरा, सभापति महोदया, वह फोटो देगा। फिर यह सारी मिसल तैयार होकर पुख्ता अलाटमेन्ट आज से 14 साल पहले किया गया, इन जिलों का जो मैंने आपको नाम बताये। मुझे दुख इस बात का है कि राज्य की प्रगतिशील नीति में जिन लोगों का भला करना चाहती है सरकार, आज उनका बुरा हुआ है कल्ला साहब, आज भूमिहीन को आपके इस संशोधन से लाभ होने वाला नहीं है। आज ढाई रुपये के स्टाम्प पर, मुझे पता है कितने लोगों को हुआ, आपके पास आठ नौ हजार के आंकड़े हैं, मेरे खुद के पास, सबूत दे दूंगा, 13700 है और खास तौर से बेइमानी कहां हुई ज्यादा कि ताकतवर लोगों ने पांच रुपये, दो रुपये के स्टाम्प पर लिखा-पढ़ी करा ली। इकरारनामा नम्बर एक और आम मुख्त्यारनामा। इकरारनामा और आम मुख्त्यारनामा दो लिखा-पढ़ी कराई गई। मुख्त्यारनामा आम में सारा कवर है। उसमें लिखा जाता है कि मेरा मुरब्बा नम्बर इतना, तादादी इतना बीघा, मैं आम मुख्त्यार इसको मुकर्रर करता हूँ, खेत को जोतने का, ठेका देने का, बेचने

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का, पानी का पैसा भरने का, जमीन की किश्त भरने का, सारे अधिकार स्टाम्प पर लिखने वाले आदमी का होता है। सभापति महोदया, इस प्रकार की लिखा-पढ़ी करवा कर और इन जिलों के सारे भूमिहीन हरिजनों को जो अलाटमेन्ट किया गया 14 साल पहले, सारी की सारी जमीन पंजाब के लोगों के पास है, उनके कब्जे में है। कल्ला साहब को पता है, सबसे बढ़िया जमीन ससाड़ा और सेकिण्ड और फर्स्ट और तबड़किये, जहां हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में इस प्रकार की कोई जमीन किसी ने देखी नहीं, ऐसी जमीन है बोर्डर पर। शायद भाटी साहब आप गये होंगे। बहुत बढ़िया जमीन है। अच्छी किस्म की है। वहां पौंग बांध के लोगों को भी जमीनें बांटी गई थी पांच रुपये में, एक लाख रुपया में एक मुरब्बा जमीन का है। लोग कब्जा करके उसकी फसल उठा रहे हैं। आज वहां लोग काबिज हैं। आज आप जो इस कानून में संशोधन ला रहे हैं, चाहे तीस हजार पेनल्टी लगाओ, चाहे पचास हजार लगाओ। मुझे एक बात समझा दीजिये कि यह पेनल्टी का पैसा क्या उस भूमिहीन किसान को जो पुख्ता अलाटमेन्ट किया गया था उसके घर में पांति/परसेंटेज जायगा। नहीं जायगा। गवर्नमेन्ट के खजाने में जायगा इसलिए जो पीड़ित प्राणी हैं, सदियों से दुःखी हैं, जिनको पुख्ता अलाटमेन्ट किया गया कुछ जमीन का टुकड़ा, आज वह आदमी भिखारी के रूप में भूमिहीन होकर वापिस घर चला जायगा। वह आदमी उस जमीन पर नहीं जा सकता। सभापति महोदया, कल्ला साहब, आपके मुत्तल्लिक की बात बता रहा हूं। आपने सुना नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सुन लिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जिस आदमी की आप भलाई कर रहे हैं, उसको पुख्ता जमीन अलाट की। वह पांच रुपये में उनकी जमीन ताकतवर आदमी ठगकर ले गया और आज वह भूमिहीन की श्रेणी में है, आज वह मजदूर है, उसके पास कुछ नहीं है। कल्ला साहब, 17000 में जिस हरिजन को जिस भूमिहीन किसान को आपने एक मुरब्बा दिया। बाद में चन्दन मलजी आये, उन्होंने 17 का 34 हजार रुपये एक मुरब्बा का किया और वह किया किश्तों में। शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी होगा, एक साल किश्त नहीं होगी। उसके बाद किश्तों में पैसा चुकायेगा। आज सभापति महोदया, हरिजनों ने किश्तें नहीं भरीं, भूमिहीन किसान ने, तो कुछ की तो किश्त नहीं भरने के कारण खारिज कर दी। बाकी के लोगों ने इकरारनामा लिखवा लिया। तो आज जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि हरिजनों की मदद करेंगे, उन हरिजनों की सारी जमीन पर पंजाब के और इस प्रान्त के ताकतवर लोग ठेके पर, एग्रीमेन्ट लिखाकर काश्त कर रहे हैं। आज वह जमीन कम से कम पांच हजार बीघा की है और दस हजार बीघा की जमीन है। यदि कल्ला साहब आप गांधीवादी हैं, इन्दिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के भक्त होते तो या तो पेनल्टी के पचास हजार रुपये उस भूमिहीन किसान को दिलवाइये, जिनके नाम से अलाटमेन्ट हुआ। आप जमीन की पूरी किश्त जमा

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कर लीजिये और बाकी की उनको देते तो बात समझ में आती। नहीं तो पैसे तो पेनल्टी का ले रहे हैं राजकोष में जमा करने के लिए। उन भूमिहीनों को क्या मिला? इसलिए कल्ला साहब, आपकी पार्टी के जोशीजी ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर आपको बड़े ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए। यह सुझाव बहुत वजनदार है। मेरी बात सुन लीजिये, सुझाव वजनदार है और जल्दबाजी में आप जिन लोगों का भला करना चाहते हैं उसमें उन लोगों का भला नहीं होगा। आप बीकानेर जिले के रहने वाले हैं। मैं आपके साथ चलूंगा, लोगों की हालत बोर्डर पर दिखाऊंगा। आपको इस संशोधन को ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। आपको सी. एम. साहब से, अपनी पार्टी में विचार करना चाहिए, वर्ना क्या होगा। गांधीवाद नीति को आप दफना दोगे। और गरीबों की जो सारी शक्ति है, जो कुछ आपने दिया है उसको आप समाप्त कर दोगे। और पूंजीवादी व्यवस्था के जो धनवान लोग हैं, जिनके पास दो नम्बर का पैसा है, चोरी का वह पचास हजार रुपये दे देगा, लाख रुपये दे देगा। आपके सामने जोधपुर राजमाता की जमीन चार-चार लाख में एक मुरब्बा गई है। तो वह चार लाख की नहीं तो दो लाख की जमीन तो जरूर है। इसलिए मैं कहता हूँ इस पर पुर्नविचार कीजिये और भूमिहीन लोगों जो पुख्ता अलाटमेन्ट किया गया है उनकी जमीन इस तरह से सस्ती दर पर नहीं जानी चाहिए। यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो आपकी सरकार, आपका विचार, आपका दिमाग पूंजीवादियों के घेरे में घिरा हुआ है और आप गरीबों के हिमायती नहीं होंगे, उन पूंजीपतियों के होंगे जो बोर्डर पर कब्जा करेंगे, कल्ला साहब। पंजाब के आदमी राइफल लिये बैठे हैं आज बोर्डर पर और गांवों के आदमियों को खदेड़-खदेड़कर सारे बोर्डर को खाली करा दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और मैंने कई बार इस सदन में इस बात को उठाया है हरिदेव जोशी ने इस बात पर ध्यान दिया वापिस उन लोगों को खदेड़ा। कई लोगों के खिलाफ मुकदमें करके वापिस पंजाब भेजा और जमीन को खाली करवाया। वहां गुरुद्वारा बना लिया, पूर्ण रूप से बोर्डर पर कब्जा कर लिया। उन लोगों का पाकिस्तान से आने-जाने का सम्बन्ध है। आज हमारी हजारों भेड़ें, हजारों बकरियां, हजारों गायें बोर्डर पार कर रही हैं। जिस जमीन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पेनल्टी की, कल्ला साहब, आज आप उसको देखिये। हमारा बोर्डर खतरे में है। पंजाब के गुण्डे वहां पर बैठे हैं। पांच रुपये के स्टाम्प पर, सीमा की कीमती जमीन है, उस जमीन को जाने मत दीजिये। गरीबों के, हरिजनों के हिमायती हैं, भूमिहीन लोगों के हमदर्द हैं, पण्डित जवाहरलाल नेहरू के हमदर्द हैं, उनकी नीति को जानते हो, सही गांधीवादी हैं तो पुख्ता अलाटमेन्ट भूमिहीनों को किया था उनको जमीन पर काबिज कीजिये, कब्जा दिलवाइये, उनको आबाद कीजिये। वरना आपकी नीति पूंजीपतियों को देश द्रोहियों को पनाह देने की नीति साबित होगी। इसलिये मैं आपका वफादार हूँ आपका भला चाहता हूं जो जोशीजी ने आपको प्रस्ताव दिया है आप अपने संशोधन को विदड्रा करके आपकी पार्टी को बचाइये।

श्री सभापति : श्री नवरंग सिंह। संक्षेप में और सिर्फ संशोधनों तक सीमित रहें।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदया, मैं वही बात कहूंगा जो अब तक नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो संशोधन आप लेकर आये हैं और जिन लोगों की आपने सूची बनाई है मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा उनमें अधिकांश या तो झुंझनूं के सीकर के या चूरू के एक्स फौजी हैं या दूसरे नम्बर में कहीं जागीरें रिज्यूम हुई हैं तो उन लोगों को जमीन दी वह है या जो कमजोर वर्ग के तबके के लोग हैं जो हरिजन हैं अधिकांश संख्या उनकी है। और चूंकि उनकी स्थिति ऐसी थी कि साधन कम थे इसलिये माननीय कल्ला साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ताकतवर लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने जोर जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अब बाध्य होकर क्योंकि वह देखते हैं कि जमीन भी नहीं आ रही है और कब्जा भी नहीं छूट रहा है और यह सरकार उसको कब्जा वापिस किसी भी स्थिति में दिलाने की भी स्थिति में नहीं रही। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं पांच रुपये के स्टाम्प पर कहीं मुख्त्यारनामे के नाम से किसी तरह थोड़ा बहुत पैसा देकर लिखा लिया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मूलतः सिद्धान्तः जो नीति थी वह तो यह थी कि उन हरिजनों को उन भूतपूर्व सैनिकों को और उन दूसरे लोगों को जो गरीब थे, उनको किस तरह से वहां बसा कर और ठीक तरह से उनकी स्थिति को सुधारा जाये बल्कि इससे आप उल्टा काम करेंगे। इससे एक नजीर और कायम होगी सभापति महोदया, कि यह आठ हजार तो जायेंगे सो जायेंगे बाकी यह जो ताकतवर लोग हैं चाहे आप कह दें आज मैं यह कहता हूं दूसरी स्टेट के नहीं हैं, यह ताकतवर लोग राजस्थान के बाहर के हैं और यह तमाम बीकानेर से लेकर और जहां तक भाटी साहब ने बताया है जैसलमेर तक यह कोशिश में हैं कि किस तरह से यह पैसे के बल पर और किस तरह से ताकत के बल पर इस जमीन पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिये मैं तो बहुत संक्षेप में आपको यही कहना चाहूँगा कि यह जो अमेण्डमेन्ट आप लाये हैं यह गरीबों के हक में नहीं लाये हैं यह भूतपूर्व सैनिकों को जिनको आपने जमीनें दी थीं उनके हक में नहीं लाये हैं, यह गरीब तबके के जिन गरीब हरिजनों को आपने जमीन दिलाई है यह उनके हक में नहीं लाये हैं। सारी स्थिति पर आप दुबारा विचार करिये और दुबारा विचार करके कोशिश कीजिये कि जिन लोगों का कब्जा इस तरह से छूट गया है जो बेघर हो गये उनके लिये आप क्या नीति बनायेंगे उनके लिये आप क्या सहारा देंगे और इस तरह से जिन लोगों से जोर जबरदस्ती से कब्जा किया है, उनसे कब्जा छुड़ाइये और मैं तो यह कहूंगा यह उन गरीब लोगों को दुबारा कब्जा दिलाने के लिये इस कानून में संशोधन लाइये। इसलिये सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप चाहे बहुत बड़े प्राध्यापक रहे हैं लेकिन खेती के बारे में आपको बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है और न आपको सोशल स्टेटस का इतना ज्ञान है

(श्री नवरंग सिंह)

आपने किताबों में पढ़ा होगा लेकिन माननीय भाटी साहब ने अभी सारी स्थिति आपके सामने रखी, दूसरे माननीय सदस्यों ने, जो नौखा से माननीय सदस्य आते हैं इन्होंने आपके सामने रखी और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यह भूतपूर्व सैनिकों की अधिकांश की जमीन है जो आप उनको बेदखल करके जबरदस्ती ताकतवर लोगों को पंजाब से दूसरी जगह से पैसे के बल पर लाकर बन्दूक के बल पर लाकर उनको मंगा रहे हैं और वही बात जो आज उठ रही है गंगानगर, पंजाब और हरियाणा में चला जायेगा। अब इन लोगों को न आपने आबाद किया तो वह सपना जो वह लोग साकार कर देंगे जैसी आज पंजाब में हालत है इस पर विचार कीजिये, मन्थन कीजिये, चिन्तन करिये और जो आपके यह संशोधन हैं इनको विथड्रा करिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, मैं सबसे पहले इस प्राब्लम के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में जो कालोनी एरिया है वहां जिन आवंटियों को जमीन आवंटित की गई थी उन्होंने खातेदारी राइट्स मिलने से पहले ही अपनी जमीनें दूसरे लोगों को अवैध विक्रय करके दे दी। जमीनों पर काबिज नहीं हैं। जमीनों पर, जिन व्यक्तियों ने जमीन खरीदी है वह काबिज हैं। अब जो काबिज लोग हैं उन लोगों को न तो कोई बेदखल किया जा रहा है, और न जो आवंटी लोग हैं वह उसका विरोध कर रहे हैं उसने तो अपना पैसा ले लिया और उसने नाजायज तरीके से अपनी जमीन बेच दी अब जो व्यक्ति काबिज है वहां पर पलेसर है उस व्यक्ति कम्पाउण्डिग फीस लेकर के गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान की पूर्ति की जा रही है। हरिजनों से कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद नहीं सकता, हरिजन भाई से हरिजन भाई ही खरीद सकता है यह काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसमें भी जो आज में संशोधन लाया हूँ, अभी जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें मैंने बताया है कि अभिव्यक्ति "आवंटिती और तात्पर्यित अन्तरिती से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "या ऐसी कालावधि, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जाये, के भीतर राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 42 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आवंटिती और तात्पर्यित अन्तरिती से" प्रतिस्थापित किया जाये। अर्थात् टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अध्यधीन जो काश्तकार हैं उनकी जमीनों का किसी भी प्रकार का नियमन नहीं किया जायेगा। हरिजन भाइयों की जमीन यदि किसी ने ले ली है, खरीद ली है तो उसका नियमन इन संशोधनों के माध्यम से नहीं किया जायेगा अर्थात् नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं हैं कि हम कांग्रेस की आइडोलाजी और फिलोसोफी शायद यह संशोधन उन्होंने देखा नहीं होगा, इस संशोधन को लाया ही इसलिये गया है कि इससे हरिजनों की जमीनों को अवैध रूप से किसी ने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

खरीद लिया है उसका नियमन हम नहीं करेंगे।....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जिद्दी मिनिस्टर हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जिद्दी नहीं हूं। (व्यवधान) इसी तरीके से जो अवैध विक्रय अलग-अलग तरीके से बड़े-बड़े काश्तकारों ने किया है उन काश्तकारों को जो बड़े भूमिधारी हैं, उनसे कम्पाउण्डिग फीस ली जा रही है न कि जिन व्यक्तियों को जमीन आवंटित की गई है उनसे किसी भी प्रकार की कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है इसलिये भूमिहीन अथवा गरीब किसान के ऊपर यह कम्पाउण्डिग फीस नहीं लगने वाली है...

श्री शिवचरण सिंह : सीलिंग एक्ट के नियमों का उल्लंघन होगा...

श्री बुलाकीदास कल्ला : सीलिंग एक्ट के नियमों का उल्लंघन इसलिये नहीं होता कि आवंटी व्यक्ति को केवल 25 बीघा जमीन ही आवंटित की गई है उसमें सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता है...

श्री शिवचरण सिंह : लागू तो नहीं होता....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यही मैं कह रहा हूं 25 बीघा जमीन से ज्यादा किसी को आवंटित ही नहीं की गई।

जहां तक भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि पुनः उसे जमीन दिलाई जाये, जमीन तो उसी आवंटी ने बेची है जिसको जमीन आवंटित की गई। यदि उसको रखनी थी तो उसको अवैध रूप से विक्रय नहीं करनी थी और सरकार की तो मंशा यही है कि हम इस तरह से कम्पाउण्डिग फीस लगाकर यह कोशिश कर रहे हैं कि आईन्दा कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पर जमीन आवंटित की गई है दूसरे को बेचे ही नहीं वह स्वयं उस भूमि को अपने पास रखे और अपना जीवन बसर करे।

जहां तक ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो दो तीन बातें रखीं इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारे टिनेन्सी एक्ट जो 1955 में पारित किया गया था उसमें स्पष्ट प्रावधान है धारा 42 में कि कोई भी हरिजन भाई, हरिजन भाई को ही जमीन बेच सकता है और इसमें भी हमने संशोधन के माध्यम से प्रावधान कर दिया है अर्थात् हरिजन भाइयों से यदि किसी ने अवैध विक्रय किया है जो उसको हम नियमित नहीं करेंगे। दूसरी बात खातेदारी अधिकार जिनको नहीं मिले हैं....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माफ करना मैं आपको एक सुझाव देता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अपनी बात कह दूं उसके बाद आप कह देना।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं आपके हित की बात बता रहा हूं, एक सुझाव दे रहा हूं....

श्री सभापति : : आप अपने सुझाव दे

(श्री सभापति)

चुके हैं। बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ""खातेदारी अधिकार जिनको नहीं मिले हैं उन्होंने अपनी जमीनें बेच दीं। उनको सरकार ने नहीं कहा था कि आप जमीन बेचें, कई लोगों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई केवल मात्र एग्रीमेंट कर लिया और जमीन बेच दी, उसके ऊपर बड़े भूमिधारी आ गये। उन भूमिधारियों को हतोत्साहित करने के लिए कम्पाउण्डिंग फीस लगाई गई है न कि जिन व्यक्तियों को जमीन आवंटित की गई है उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क अथवा जुर्माना पैनल्टी हम नहीं ले रहे हैं। जिलाधीश से जांच करवाने या उनसे परमीशन लेने की बात कही गई है। यह भी इसीलिए कही गई है कि जिलाधीश से परमीशन लिए बिना कोई व्यक्ति, बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति लिए कोई जमीन नहीं बेचे इसके मायने यह हुए कि जिस व्यक्ति को जमीन आवंटित की गई है उस व्यक्ति के हितों का ध्यान रखा जाये और अधिक से अधिक उसके हितों की सुरक्षा रखते हुए बिना परमीशन के कोई व्यक्ति जमीन नहीं बेचे और आवंटी व्यक्ति ही उस जमीने पर काबिज रहकर खुद काश्त करे। इन बातों के होते हुए मैं यह कह सकता हूं कि हमने काश्तकारों के हितों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है।

नौखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये कुछ बातें बताई""वह निश्चित रूप से इस अमेंडमेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं हरिजनों की हितों की सुरक्षा पहले जो आर्डिनेन्स लाया गया था उसमें सम्भवतः यह बात छूट गयी थी परन्तु यह संशोधन पेश करने के बाद मैं समझता हूँ कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध इस संशोधन के द्वारा कर दिया है। उनकी जमीनों का नियमन यदि अवैध विक्रय किया गया है तो नहीं किया जायेगा।

जहा तक नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञान नहीं है। हो सकता है कि उन्हें खेती का ज्ञान हो। प्रेक्टिकल ज्ञान आपका हो सकता है क्योंकि आप खेती करने वाले हैं परन्तु मैंने काश्तकारों के बारे में निश्चित रूप से किताबों में पढ़ा है। प्रेक्टिकल ज्ञान आपका ज्यादा हो सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं है लेकिन आपने एक्ट के बारे में कोई सुझाव नहीं दिये हैं। आप तृतीय वाचन पर यदि कोई सुझाव देंगे तो उन पर मैं गौर करूंगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री जी ने"" माननीय सदस्य आसन पैरों पर है कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक सेकिण्ड, माननीय कल्ला साहब ने हरिजनों के बारे में कहा है। उपनिवेशन में भूमि अलाटमेंट का कायदा यह है कि जिस चक में हरिजनों को भूमि अलाट होगी वह रिजर्व भूमि होगी आगे भी हरिजनों की होगी। रिजर्व भूमि दूसरों को नहीं दे सकते। यह कानून है परन्तु क्या हुआ है? आपने महाजन

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

फील्ड फार्यारिंग की जमीन दूसरे लोगों को अलाट कर दी। हरिजनों की भूमि को अलाटमेंट अधिकारी ने, सारी जमीन को खारिज कर सवर्ण लोगों को अलाट कर दी और आज कोर्ट में केस चल रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसको अलग से दिखवा लूंगा।····(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सारी जमीन हरिजनों को अलाट है और दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो सशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये? माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय सभापति जी, माननीय मन्त्री जी ने यह फर्माया है कि कम्पाउण्डिग फीस लेकर उसको रेगुलर करेंगे। इसमें यह क्लीयर करें कि किसी ने सीलिंग से ज्यादा जमीन खरीद ली है तो क्या उसको भी आप रेगुलराइज करेंगे।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : क्या आप कम्पाण्डिग फीस लेकर उसको रेगुलराइज करेंगे। क्या यह ध्यान रखा जायेगा कि उसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है····

श्री सभापति : माननीय सचेतक महोदय····(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : मैं यह कह रहा हूं कि जिसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है और उसने खरीद ली क्या उसको भी रेगुलराइज करेंगे। एक व्यक्ति के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन पहले ही है और बिना मंजूरी के और जमीन खरीद ली, और मन्त्री महोदय फर्मा रहे हैं कि हम कम्पाउण्डिग फीस लेकर रेगुलर करेंगे। इसका जवाब दीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन की अवहेलना न करें। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। प्रभारी मन्त्री, खण्ड चार में संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक के खण्ड 4 के उप खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "अध्यादेश 1988 (1988 का अध्यादेश सं. 9)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश स. 3)" प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य

(श्री सभापति)

बोलना चाहेंगे ? प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खण्ड 1 के उप खण्ड (1) में अभिव्यक्ति "अधिनियम 1988" के स्थान पर अभिव्यक्ति" अधिनियम, 1989" प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के अधिनियम व सूत्र नाम आदि में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियम व सूत्र नाम आदि को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन व सूत्र नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये गये। प्रभारी मन्त्री।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1988 को पारित किया जाये।

श्री भेरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, जिस विधेयक को हम पारित करने जा रहे हैं वह विधेयक बहुत कम्पलीकेटेड है और अब तक की सारी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में एक प्रश्न वाचक चिह्न स्वतः ही लग रहा है। पहला प्रश्न तो यह आता है कि सरकार ने क्लाज 2 में एक प्राविजो एड किया—"Provided that the State Government may exclude any area or class of tenants from the operation of sub-section (1)." मैं यह समझ नहीं पाता कि सरकार का इस प्रोविजो के पीछे क्या अर्थ है ? सभापति महोदया, विधान सभा के हर मैम्बर का यह दायित्व है और सरकार का यह कर्तव्य है कि विधेयक में जिस प्रकार की बात कही जाये उसका कहीं न कहीं स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं लगातार डिबेट को सुन रहा था और मन्त्री महोदय भी बार-बार उत्तर दे रहे लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि इस प्रोविजो की आवश्यकता क्यों थी ? सरकार किस प्रकार के एरिया को इससे एग्जम्पट करना चाहती है। किस क्लास के टिनेन्ट को इससे एग्जम्पट करना चाहती है और इस एग्जम्पशन के पीछे कारण क्या है ? यह पहला प्रश्न मैंने रखा। परन्तु दूसरा प्रश्न इससे भी ज्यादा गम्भीर है। कई माननीय सदस्यों ने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। आपने अलाटी की डेफि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नेशन बदली। अब तक लैण्ड कोलोनाइजेशन एक्ट में अलाटी की एक डेफिनेशन है। राजस्थान के राजस्व कानूनों में अलाटी की डेफिनेशन है। यह आपने तीसरी डेफिनेशन इस बिल में क्यों इन्ट्रोड्यूज करने की इच्छा प्रकट की है, समझ में नहीं आती है। सभापति महोदया, यदि राजस्व कानूनों को हम देखें तो उसमें किन लोगों को जमीन अलाट की जा सकती है। किन शर्तों पर जमीन अटाल की जा सकती है, और अलाटमेंट के बाद उनके ऊपर किस तरह की कन्डीशन इम्पोज होगी, इन सब बातों का उल्लेख अलाटीज के नाम पर या अलाटमेंट की प्रक्रिया में आता है। इसी प्रकार कालोनाइजेशन एक्ट में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था को इन्होंने सीमित किया है।

"...means the person to whom land has been allotted on price under the rule made under this Act." तो प्राइस शब्द से इसमें एक संदेह पैदा किया है। सभापति महोदया, जिन काश्तकारों को आप रेगुलराइज करना चाहते हैं, जिन ट्रांजेक्शन को आप रेगुलराइज करना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको केवल नामीनल, प्राइस देनी पड़ी है। केवल नामीनल प्राइस। नामीनल प्राइस इस रूप में कि एक्स सोलजर्स को आपने जमीन का आवंटन किया है, कीमत लेने का कोई प्रश्न उनसे पैदा नहीं होता था। एक्स जागीरदारों को आपने जमीन अलाट की, जागीर रिजम्पशन की एवज में उनको जमीन दी थी। इन लोगों को जो आपने जमीन अलाट की है उस जमीन के जो ट्रांसफर्स हो गये उन ट्रांसफर्स को आप रेगुलराइज करना चाहते हैं।

सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय बीकानेर के हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रांसफर्स किस प्रकार की स्थिति में हुए हैं। हमने जमीन को इरिगेटेड लैण्ड के नाम से उनको अलाट किया है और इरिगेटेड नाम से जमीन को अलाट करने के बाद पांच-पांच, छह-छह वर्षों तक वहां पानी नहीं पहुंचा। पानी नहीं पहुंचा उस बारानी जमीन में जहां पीने का पानी नहीं है वहां काश्तकारों को जमीन अलाट की।....(व्यवधान)....वह तो हुई ऐसी स्थिति है। वहां पर जमीन अलाट करने के बाद यह समस्या पैदा हुई कि इस भूमि में कब पानी आयेगा, कब सिंचाई होगी, सिंचाई के लिए किस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, उन लोगों को धन मिला नहीं, उन लोगों को सहयोग मिला नहीं और जो बाहर से लोग गये थे उन लोगों के सामने जमीन को काश्त करना, यह अपने आप में एक समस्या बन गई। और समस्या बन गई तो इसका लाभ कुछ लोगों ने उठाया। लाभ उठाने के बाद आज हम इसको रेगुलराइज करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूं सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा। विचार करने में यदि आपने अलाटीज की डेफिनेशन बदल कर कोई

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश की तो उसके कारण से काम्प्लीकेशन्स और क्रियेट होंगे, यह भी आपको सावधान कर देना चाहता हूँ।

श्री शोपत सिंह : यह जमीन लेने वाले सारे के सारे कांग्रेसी हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अच्छा, तभी सरकार इनको यह करना चाहती है। सभापति महोदया, दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूज।

'Dues' in relation to the land allotted, shall include unpaid price of such land and such other dues as are required under law to be paid by the allottee."

अब यह अण्डर दी ला, मैं इसको नहीं समझ पाया। अण्डर दी ला का मतलब यदि कालोनाइजेशन एक्ट है तो समझ में आता है। यदि अण्डर दी ला का मतलब जिस कानून के अन्तर्गत जितनी देनदारियां उसमें थीं उनको चुकाने का प्रश्न आता है तो एक समस्या निश्चित रूप से खड़ी होगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं इसके स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में आपने क्या किया है?

तीसरी बात, प्रोलियां से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी और मैं समझता हूँ बहुत रेलेवेन्ट है। इन सारे ट्रांसफर्स को रेगुलराइज करने में आपने करप्शन किस प्रकार से फैले इसकी भी व्यवस्था कर दी। उस व्यवस्था को कानूनी स्वरूप दे दिया। आजकल कोई लेकूना रहता है, समझ में आता है। लेकूना नहीं रहता है जो या तो लेजिस्लेटिव असेम्बली की जमीन में नहीं हो या सरकार की जानकारी में नहीं हो। लेकिन यदि सरकार जान-बूझकर कोई लेकूना रखती है और उस लेकूना के कारण से केवल मात्र करप्शन ही बढ़ेगा, इस प्रकार की व्यवस्था करती है तो माननीय मन्त्री महोदय, मैं कहना चाहूँगा, यह बहुत घातक होगा।

आपने लिख दिया, कलक्टर्स इन्क्वायरी करेंगे। और इंक्वायरी क्या होगी? जो वह प्रोपर समझते हों। अब एक आदमी की इंक्वायरी इसी बात पर हो सकती है कि कलक्टर साहब ने मेरा विश्वास कर लिया, मैंने जमीन बेच दी, इंक्वायरी हो गई। एक इंक्वायरी में कलक्टर एस.डी.एम. से पूछ सकता है। एस. डी. एम. ने लिख दिया, इंक्वायरी प्रोपर हो। एक में जिसको ज्यादा तंग करना चाहे इसमें पटवारी से पूछ सकता है।

श्री शोपत सिंह : चुनाव के लिए चंदा आ जायेगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पटवारी से पूछ लेगा, और किसी से कर लेगा। तो आपने इस प्रकार के करप्शन की गुंजाइश क्यों रखी है? क्या सरकार इस प्रोपर को को डिफाइन नहीं कर सकती? क्या प्रापर वे होगा इसकी इंक्वायरी का, क्या आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते? क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसकी कोई सीमा नहीं निर्धारित कर सकते ? क्या इस सम्बन्ध में आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते जिस व्यवस्था को कोई व्यक्ति चैलेन्ज कर सकता ? आज कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता । आप उसको हियरिंग का मौका देंगे या नहीं देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । कांस्टीट्यूशन में किसी भी आदमी के प्रोपर्टी के राइट्स को छीनने के सम्बन्ध में आप इस प्रकार की यदि व्यवस्था करते हैं, मान लीजिये, मैंने जमीन बेची, मैंने मजबूरी से जमीन बेची, आपने इसमें कोई व्यवस्था नहीं की कि जिस आदमी ने, जिस अलाटी ने यह जमीन बेची है उसको भी सुनने का मौका दिया जाय या नहीं दिया जाय । वह अलाटी कम से कम यह कहने का तो अधिकार रखता है कि मुझे जो जमीन अलाट हुई थी, किन मजबूरियों से बेची है । मैंने कोई एग्रीमेंट टू सेल किया है या नहीं किया, मैंने उस जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया, मैं उस जमीन को वापस लेना चाहता हूँ या नहीं चाहता, मैं उस जमीन में खेती करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता । आपने उसको कोई हियरिंग का मौका नहीं दिया, केवल कलक्टर को अधिकार दे दिया कि वह कोई भी ऐसी इंक्वायरी, जिसको वह उचित समझे, करने के बाद इनके नाम पर वह जमीन ट्रांसफर की जा सकती है । तो इसका मतलब यह हुआ कि कलक्टर किसी की तो इंक्वायरी करेगा, और किसी की नहीं करेगा । नहीं करेगा तो आप जानते हैं उसके परिणाम क्या निकलेंगे । तो मेरी यही समझ में नहीं आता, सरकार कानून बना रही है और कानून में भ्रष्टाचार को अधिनियम कार्यवाही करने में यदि उनको लीगल शेष देने की कोशिश कर रही है तो निश्चित रूप से आप मानें या नहीं मानें, जिन लोगों के पक्ष में भी आप कानून बना रहे हैं उन लोगों के पक्ष में इस कानून की कोई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चलेगी ।

सभापति महोदया, मैं नहीं मान रहा, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो फिलोसोफी की बात यहां पर कही है, सिद्धान्ततः हर आदमी उस चीज को स्वीकार करेगा, उसका विरोध नहीं कर सकता । प्रश्न आता है कि हमने अलाटमेंट किया है । अलाटमेंट किया है हमने स्पेशल प्रोविजन्स के आधार पर, एक्ट के आधार पर, नियमों के आधार पर । उस अलाटमेंट के बाद किसी आदमी ने मजबूरी से या किसी कारण से उस जमीन को बेच दिया, बेचने के बाद एक आदमी ने उसका कब्जा कर लिया । मैं आज आपको कह सकता हूं, प्रोफेसर केदार यहां बैठे हैं, शोपतसिंह जी बैठे हैं, जिस एक आदमी को जमीन का ट्रांसफर किया उसने दूसरे को कर दिया, तीसरे को कर दिया, आप किस आदमी को तो नोटिस देंगे, ओरिजिनल जो अलाटी है उस अलाटी ने ए,बी,सी,डी पांच जगह तक वह ट्रांजेक्शन होते गये, और ट्रांजेक्शन होते गये तो आप किस आदमी को नोटिस देंगे और किससे पैसा लेंगे ? मैं समझता हूँ एक आदमी जिसने शुरू में जमीन खरीदी, जमीन खरीदने के बाद दूसरे ने उससे खरीदी, दूसरे ने तीसरे से खरीदी ली, कोई रजिट्रेशन नहीं, एक एग्रीमेंट कर लिया और उस एग्रीमेंट के आधार पर चलते रहे

१५०

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो लास्ट पाइंट पर जो आदमी पहुंचा है उस आदमी को यह जमीन मिलेगी या नहीं, इसकी क्या गारन्टी है? कोई गारन्टी नहीं है। इसलिए आपने इस व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी बातें कर दीं जिससे न किन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा, न कोई बात है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, इसी सम्बन्ध में कि जमीन के मामलों में पोंग डैम आउस्टीज का भी क्वेश्चन आता है। मैं पिछले दिनों रायसिंहनगर, करणपुर इन इलाकों में गया था। पोंग डैम आउस्टीज को हमने जमीन एक स्पेशल एग्रीमेंट के तहत दी है। पोंग डैम के अन्दर जितनी जमीन सबमर्ज में आयी उस जमीन की एवज में भारत सरकार की मध्यस्थता में राजस्थान सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद पोंग डैम के अन्दर के लोगों को, आउस्टीज को जमीन अलाट की गई। यह मैं मानता हूँ कि जैसा मुझे बताया कि पोंग डैम के आउस्टीज 20 साल तक उस जमीन का किसी के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि आपने अलाटमेंट चाहे एक्स सोलजर्स को किया हो, चाहे एक्स जागीरदारों को किया हो, चाहे और बाकी के किसी आदमियों को किया हो, उनके अलाटमेंट को आप अलाटमेंट की शर्तों के विपरीत रेगुलराइज करते जायेंगे और कल आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि इसी फार्मूले के आधार पर पोंग डैम आउस्टीज में जो जमीन बेची है उन जमीनों को आप रेगुलराइज क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक जगह आप कोई व्यवस्था कर देंगे तो उस व्यवस्था से निश्चित रूप से यह अन्तर पड़ने वाला है।

सभापति महोदया, मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने जमीनें बेचीं आज उनका भी पता नहीं है और जिन लोगों ने जमीन खरीदी है वह काश्त करते हैं। खरीदी है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता और खातेदारी राइट उनको मिल नहीं रहे हैं। और इस अभाव में उनका निरन्तर एक्सप्लाइटेशन होता है इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। ए की जमीन जिसको अलाट हुई है उसने बी को बेच दी। बी को खातेदारी राइट मिले नहीं जिसके अभाव में उस आदमी का जितना भी शोषण होता है वह नीचे के अधिकारी करते रहते हैं। तुम जमीन का पट्टा दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, खातेदारी राइट्स दिखाओ। तुम्हें तो जमीन सबलेट की गई है। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुम इसमें कोई काश्त नहीं कर सकते। इस प्रकार लगातार एक्सप्लाइटेशन हो रहा है और जब तक पैसा नहीं देते तब तक उनको खेती नहीं करने देते इसलिए यह एक समस्या है। इसका समाधान भी करना चाहिए लेकिन समाधान किस प्रकार करें कि जिसके कारण जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उनको भी राइट मिले और जिन लोगों ने जमीन बेची है उनकी मजबूरियों के बारे में भी हम देखें कि किन मजबूरियों में उन्होंने जमीन बेची है और जिन लोगों ने खरीदी है उनकी भी सुन लें और आगे जिन लोगों को बेच दी उनकी क्या स्थिति है और हमारी क्या स्थिति रही है। तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कल्ला साहब ग्राप कानून बना रहे हैं। मैं भी इस पक्ष में हूँ कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो। जिस व्यवस्था के ग्रन्दर ग्रलाटी का कोई ग्रता पता भी नहीं है ग्रौर जिस ग्रादमी ने जमीन खरीदी है वह कई वर्ष से बैठा है ग्रौर उसका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है लेकिन सब लोगों को सुनने का चांस, उनके ग्रपने केस को सुनने का ग्रवसर दिये बिना यदि ग्रापने रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे दी तो कई प्राब्लम खड़ी होगी। इसलिए मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून बने, विधान सभा का सत्र 25 तारीख तक चलेगा। हो सकता है कि हमारे दिमाग में भ्रम हो ग्रौर ग्रापने, जो सरकार ने कानून बनाया है, ग्रापके मस्तिष्क में किसी प्रकार का भ्रम न हो। लेकिन इस भ्रम में हैं या नहीं है इसका निराकरण करने की दृष्टि से यदि इस बिल को एक दो दिन के लिए पोस्टपोन कर दें, ग्राप भी बैठ जायें, गंगानगर के विधायक भी बैठ जायें इस सारी समस्या को समझ लें ग्रौर समझने के बाद इसको पारित कर दें तो इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं होगी। यह मैं ग्रापको विश्वास से कह सकता हूँ कि यदि ग्राप नहीं मागे तो ग्राडिनेंस को दुबारा रिपीट करने का ग्रापको मौका नहीं मिलेगा ग्रौर वह बिल की शक्ल ले लेगा। निश्चित रूप से यह बिल पास हो जायेगा यह मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन इसमें जो काम्पलीकेशन्स क्रियेट हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाय हाउस में तो ग्राप ग्रपनी बात कहेंगे, हम ग्रपनी बात कहेंगे लेकिन हाउस के बाहर टेबल पर बैठकर ग्रापके साथ बात होगी तो उस बात का निश्चित रूप से परिणाम निकलेगा। इसलिए सभापति महोदया, मैं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूँगा कि वह इस बिल को थोड़ा स्थगित कर दें ग्रौर स्थगित करने के बाद जिस दिन भी डिमाण्ड हो ग्रौर ग्राप कहेंगे कि पास कराना है तो उसमें कोई बहस नहीं होगी। पांच मिनिट में बिल पास हो जायेगा इस बात को ग्राप स्वीकार कर लें तो ज्यादा ग्रच्छा होगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से ग्राज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बिल पारित होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर, मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूं। बड़ी खुशी हुई ग्राज जब नाथद्वारा के

(श्री केदारनाथ शर्मा)

माननीय सदस्य ने और माननीय भाटी जी ने कुछ सोशियल फिलोसोफी की बात की अलाटमेंट के बारे में। सन् 70 में इसी असेम्बली में जब यह पास किया गया कि राजस्थान कैनाल में हम किसी लैण्डलैस को अलाटमेंट नहीं करेंगे, इंस्टालमेंट में सारी जमीन का आक्शन करेंगे तो क्या आज रूप होता, क्या नेचर होती। आज बड़े-बड़े फार्म होते टाटा, बिरला के, एक्स जागीरदार वहां जमीन लेते। सारी लॉबी, सारा कैपीटल जो आज शहर का है वह इन्वेस्ट होता। लैण्डलैस वहां केवल बोण्डेड लेबर के रूप में काम करता। किसी को अलाटमेंट का अधिकार नहीं मिलने वाला था। वह तो फिलोसोफी उस वक्त थी ही नहीं उसके बाद नाथद्वारा के माननीय सदस्य ने, मैं एक निवेदन और कर दूं कि पहले कीमत 60 हजार थी फिर 12 हजार हुई, फिर 17 हजार हुई। आज केवल 35 और 50 हजार आ गई। कभी सोशियल फिलोसोफी की बात नहीं आई। तीसरी बात, आज सैकेण्ड फेज में लैण्डलैस को जमीन का अलाटमेंट नहीं होगा और अब केवल स्पेशल अलोटमेंट होगा और उसकी कीमत क्या रखी है—एक लाख और 15, 20, 35 हजार। यहां सोशियल फिलासफी क्या होगी। अगर मान्यवर, अलाटमेंट के साथ-साथ आज मीन्स आफ कल्टीवेशन होते। अच्छी जमीन अलाट कर देते, खेतों तक पानी ले आते। तीन साल तक किश्त नहीं ली जाती तो आज कोई भी अलाटी अपनी जमीन को बेच कर नहीं जाता। तो सोशियल फिलोसोफी तो वहां भी गई। इसलिए सोशियल फिलोसोफी की बात स्पैल आउट की आपने और यह साबित करने के लिए कि विरोध पक्ष आज रेगुलराइजेशन की बात कर रहा है, वह तो लैंडलार्ड्स की बात कर रहे हैं, लैण्डलार्ड्स की पैरवी कर रहे हैं, उनकी लॉबी में शामिल हो गये और कांग्रेस के लोग भी अभी सोशियल फिलोसोफी की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि लैण्ड अलाटमेंट में आपने किन लोगों को अलाटमेंट की। मैं नहीं कहता कि माननीय भैरोंसिंह जी की बात ठीक है। इसमें कुछ करप्ट एलीमेंट आ गये हैं नम्बर एक। पंजाब की लिमिट भी आ गई, नम्बर दो। इसी बहाने कांगड़े की जमीन 99% लोग बेच कर चले गये। हमसे मुआवजा भी ले गये और सब से अच्छी जमीन जो हमारी सबसे फर्टाइल जमीन है उनको अलाटमेंट की हुई भी आज उनके पास नहीं है। वह कम कीमत पर बेच गये बहुत कम कीमत में जिसकी एक भी बिस्वा जमीन आई मान्यवर, वहां पोंग डैम में उसको भी हमने 25 बीघा लैण्ड दी उनकी कालोनी बसाई उनको मीन्स आफ कल्टीवेशन दिये उनको टाइम दिया किश्त के लिए कि आप 5-10 साल वेट कर सकते हैं किश्त भरने के लिए और फिर जमीन कैसे रेस्टोर की गई। तीन बार कैंसिल हुई और तीन बार रेस्टोर कर दी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कांगड़े की जमीन के बारे में अलग से कानून है। वह तो इसमें कवर नहीं होनी चाहिए वह तो आइन्दा माननीय नाथद्वारा के विधायक महोदय ने जो बात कही उनकी सोशियल फिलोसोफी को मानते हुए स्पेशल अलाटमेंट को रद्द कर दिया जाय और जो लैण्डलैस है आपके पास जो

(श्री केदारनाथ शर्मा)

खेतिहर मजदूर हैं, जो ग्राप शेयर्स हैं जो ग्राज तक काश्त करते रहे हैं जमीन उनको ग्रलाट कीजिए उनको मीन्स ग्राफ कल्टीवेशन दीजिए ताकि राजस्थान कैनाल की सैकेण्ड फेज में एक नई दिशा बदल जाय यह मैं ग्रापके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : सभापति महोदया ग्रभी जोशीजी बात कर रहे थे तो हम समझ रहे थे कि समाजवाद की बड़ी गहरी बात कर रहे हैं ग्रौर यह भी मालूम है हमको कि यह जो बिल लाया जा रहा है ग्रौर जमीन खरीदने वाले कौन हैं यह भी हमको मालूम है। यह कांग्रेस के ज्यादातर 90% वह लोग हैं जो कांग्रेस के साये में पलते हैं, खद्दर में रहते हैं। उन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उनकी। यह भी हमको मालूम है कि जो लोग कांगड़े की जिन लोगों को जमीन दी करीब 4 लाख एकड़ वह जमीन ग्रल्टीमेटली बेचेंगे। इस इलाके में नहीं रह सकते किसी भी सूरत में। यह तो बारगेनिंग थी कि एक एक बिस्वा जमीन के बदले लाखों रुपये लेकर चले जायेंगे। वह काश्त करने के लिए ग्राए नहीं। चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे पंजाब के हों। पंजाब के ग्राखिरकार कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे तो पंजाब के सारे लोग बुरे थोड़े ही है। पंजाब के लोग बहुत ग्रच्छे हैं जिन्होंने इस इलाके को ग्राबाद किया है। इस देश की भूख को मिटाया है। ग्रगर ग्राज पंजाब नहीं होता तो धतूरा मिली ज्वार ठोकते सारे के सारे। क्या हालत हो गई थी। इसलिए जहां तक इस इलाके को ग्राबाद करने का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस इलाके को ग्राबाद कैसे किया जाय। उस पानी को युटिलाइज कैसे करें वहां तो काश्तकार हैं ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस काम्प्लीकेशन में ग्रौर इस फिलोसोफी में न पड़ें। उनकी फिलोसोफी तो ग्रजीब है। ग्रभी सभापति महोदया लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। ग्रावंटित नहीं की गई है। उसको नीलामी में बेचने का इरादा बना रखा है। विशेष ग्रावंटन के नाम पर 3-3 लाख रुपये में, मैं जोशी जी से कहूँगा कि जरा न्याय कीजिए कि जमीन विशेष ग्रावंटन के नाम से क्या गरीब ग्रादमी को मिलेगी, क्या भूमिहीन ले जाएगा, क्या वहां हरिजन लेगा नीलामी में? नीलामी में तमाम वह लोग जिनके पास दो नम्बर का पैसा है उसमें चाहे कांग्रेसी हो, चाहे सेठ हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई लोग हों हमने देखा है ग्रभी कुछ हाईकोर्ट के फैसले हुए 4-5 सौ मुरब्बे जमीन उन लोगों से छुड़ाई गई इस ग्रनूपगढ़ के इलाके में ठीक हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद वह ग्रावंटन की गई ग्रौर उन लोगों को ग्रावंटन की गई जिनके पास मुरब्बे थे, जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन थी। गंगानगर के तमाम जमींदार वहां पहुंच गये सारे के सारे जो कांग्रेस के प्रधान हैं जो कांग्रेस के एम. एल. ए. हैं जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं वह तमाम के तमाम लुटेरों की तरह इस इलाके में पहुंच गये। मगर उसके बाद हम चाहते हैं कि यह सारी की सारी बीमारी खत्म हो जिन लोगों को जमीन बेचनी है ग्राप उनसे पैसा लीजिए मगर उसमें भी इस ख्याल को

(श्री शोपत सिंह)

रखिये कि पैसा लेते वक्त भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन बेचना नहीं चाहते आपने तो कुश्ती के लिए हाथ बांध कर कुश्ती करवाई है। जिन लोगों को अलाट किया उन्होंने कोई अच्छी हालत में जमीन नहीं बेची, खुश नहीं होता कोई भी काश्तकार अपनी जमीन बेचते वक्त मगर आपने कोई फैसेलिटी प्रोवाइड ही नहीं की इसलिए तमाम असरदार लोग उस इलाके में पहुंच गये उन्होंने जमीन ले रखी है हम चाहते हैं बहुत अच्छी बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उन्हीं से पैसे ले रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : हां, इसलिए हमने स्वागत किया है मगर उसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप लूटें नहीं उनको, लुटेरे नहीं बनें। उनको काश्तकार की तौर पर ट्रीट करें और ठीक ढंग से पैसा लेवें थोड़ी कीमत लेवें क्योंकि उसमें हिस्सेदारी आपकी सब की है आपके अधिकारियों की हिस्सेदारी है, खूब पैसे खायें हैं।

(5·00 म. प.)

रजिस्ट्री करते वक्त पैसे मिले हैं। इसलिए मेहरबानी करके इस कीमत को कम कर दीजिये। हमारा तो यही आपसे सुझाव है कि आपने जो पैसे रखे हैं वह बहुत ज्यादा रखे हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, अभी माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कुछ यहां बातें बतायी हैं और इस बिल के सैकण्ड प्रोविजो को पढ़कर बताया....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने एक सुझाव दिया है कि कुछ कन्फ्यूजन आपको भले ही हो लेकिन कानून में अगर पढ़ करके, विचार करके...

श्री बुलाकीदास कल्ला : विचार-विमर्श चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो फिर आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन के नेता महोदय और विपक्ष के नेता महोदय दोनों विचार कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर आप जल्दी क्यों कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यहां सदन में जो चर्चा हुई उसका जवाब तो देने दीजिये यह तो मेरा राइट है। जो बातें उन्होंने कांग्रेस को, इनको किस तरह की बातें कह दीं। न तो कांग्रेस मेरी है, न कोई आप लुटेरे हैं जिन्होंने लूट की है उसी का विरोध करना चाहिये। जिन किसी अधिकारियों को, जिन्होंने किसी तरह की बात की है तो आपको विशेष मामला उठाना चाहिये। राजनीतिज्ञों के बारे में बातें करेंगे तो वह उचित नहीं है। कोई भी इज्जतदार आदमी इस राजनीति में आना पसन्द नहीं करेगा। आप खामखा राजनीतिज्ञों को बदनाम करते हैं और यदि कोई राजनीतिज्ञ बदनाम है तो उसका नाम लेकर के कहिये। इसका नियमों में प्रावधान है।

श्री शोपत सिंह : आप कोई इज्जतदार थोड़े ही हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल्ला जी, उनकी तरफ मत देखो मेरी तरफ भी देखो। यह जो कांग्रेस की बदनामी करी है उसका जवाब तो दे दो। कानून की बात अभी रहने दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो चर्चा हुई है, जब तक चर्चा होगी सदन तो चलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय बोलने से पहले सुन ले। बार-बार विधान सभा में यह विषय आता रहा। आप क्या प्रपोजल्स लायेंगे। आप तो खैर, क्या लायेंगे अब अगला सत्र कब आयेगा। आप सोच लें कि आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : टाइम बचाने के लिए अगला बिल ले लो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अगली बार आप मत समझिए कि आप जिस तरह से लड़ रहे हैं आप लोग आयेंगे। यह तो····

श्री भंवरलाल शर्मा : हम तो आयेंगे कि नहीं आयेंगे, छोड़ो इस बात को।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल्लाजी आप तो नहीं आयेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप आ जाना। आपकी तो छोड़ो। आप तो पर्ची देकर मिला करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो भी हवाई किला आप बना रहे हैं ईंटों का वह बहुत अच्छा है। (व्यवधान) सभापति महोदया, उन्होंने एक प्रोविजो पढ़कर बताया

"Provided that the State Government may exclude any area of tenants from the operation of sub-section (1)."

इसके सम्बन्ध में जो हमने उद्देश्य और कारणों का कथन दिया है उसमें यह बताया गया है कि जवाई परियोजना और कुछ अन्य मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं में काश्तकारों को कठिनाई हुई हो ऐसे क्षेत्र को धारा (13) की उप धारा (1) से छूट देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए पैरा एक में परन्तुक जोड़ा जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, जब माननीय मंत्री महोदय इस बात को जान रहे हैं कि इस पर संशोधन के लिए वहां विचार चल रहा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप फिर एक्सप्लेन क्या कर रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन में जो चर्चा हुई है उसका जवाब तो देने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब सहमति से हो जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो विचार हो रहा है उसकी चर्चा हो जायेगी सदन में।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल्लाजी कभी-कभी किसी बात को समझने की कोशिश किया करो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब वहां विचार

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चल रहा है और वह कानून यहां से पास हो जायेगा बाई वेस्ट टाइम ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जो हवामहल से आते हैं उनको कहना चाहता हूं कि वहां से विचार-विमर्श होकर जब तक नहीं आयेगा तब तक इसको पास नहीं करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर तो आप दूसरा बिल ले लो । अगला बिल ले लो ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, मैं बोल लूं उसके बाद आप बोल लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों का जवाब एक साथ हो जायेगा । आपको जाना कहां है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस प्रोविजो के बारे में मैंने आपको बता दिया । दूसरी बात उन्होंने आवंटी की परिभाषा के बारे में कही । उपनिवेशन क्षेत्र में जो कोलोनी एरिया है उसमें आवंटी व्यक्ति वही होता है जिसको जमीन आवंटित की गई है, जिसको किश्तों के आधार पर जमीन दी गई है और जो किश्तें वसूल की गई हैं वो ही आवंटी होगा । इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए यह परिभाषा दी गई है ।

जहां तक ड्यूज का मामला है । माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने बताया । ड्यूज से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है अथवा खरीदी है उस व्यक्ति का कोई पैसा बकाया तो नहीं है । सिंचाई के रूप में, राजस्व देने के रूप में, यदि कोई कर लगा तो उसका कोई बकाया तो नहीं है । इस बारे में पुष्टि कर ली जाय ।

जहां तक गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कांग्रेस की जो सोसियल रि-फार्म्स की फिलोसोफी है उसको हमने कायम रखा है । सैकण्ड स्टेज में सारी की सारी जो जमीन है उसका हम आक्शन नहीं कर रहे हैं, 50 प्रतिशत जमीन को हम अलाटमेण्ट के माध्यम से काश्तकारों को आवंटित करेंगे, 50 प्रतिशत भूमि को स्पेशल अलाटमेण्ट के अन्तर्गत ऊंची कीमत पर देंगे ताकि उस एरिया को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सके ।

जहां तक पोंग डेम विस्थापितों का और अन्य खेतिहर मजदूरों से सम्बन्धित बातें इन्होंने कहीं । राजस्थान सरकार ने काश्तकारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित रूप से जमीनें भूमिहीन लोगों को, खेतिहर मजदूरों को और गरीब काश्तकारों को जमीनें आवंटित की हैं । जमीनें हरिजनों को, गरीब जनों को देने के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है और हमारी जो सोसियल रि-फार्म्स की पोलिसी है उस पोलिसी के अन्तर्गत....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्या कह रहे हैं, हमारी विधवाओं को....(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, इस राज में विधवा कैसे....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जो वर्षों से शोषित पीड़ित थे उनको....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता महोदय ने एक प्रस्ताव रखा था....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हनमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि अधिकांश जमीनें जो हैं वह कांग्रेस को बेची गयी हैं। यह बात तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिना तथ्यों के, बिना आधार के ये सारे सुझाव दिये थे कि काश्तकारों के हितों में इस तरह की बातें लायें। जो जमीनें अवैध बेची गई हैं उससे गवर्नमेण्ट को रेवेन्यू होगी और उसमें काश्तकारों का हित होगा।

मैं माननीय सभापति महोदया, सदन में जो चर्चा हुई है उसके आधार पर आपसे निवेदन करता हूं कि दूसरा बिल ले लिया जाय और दूसरा बिल प्रारम्भ हो तब तक इस बारे में चर्चा करके पारित कर दिया जाय।

श्रीमती उमला अरोड़ा : हम भी तो यही आपसे कह रहे थे परन्तु मुख्य मंत्री ने कहा तब आपने माना।

विधायी कार्य
परिनियत संकल्प
राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन)
अध्यादेश, 1989

श्री सभापति : राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1989 श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : सभापति महोदया, इसमें मेरा परिनियत संकल्प इस प्रकार है, "कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 5) को अस्वीकार करता है।" सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि यह राजस्थान सरकार फिर इसमें भूल कर रही है....

(5.10 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

वह इसलिए भूल कर रही है, राजस्थान सरकार का यह 11-9-1957 का एक नोटिफिकेशन इश्यू हुआ उसमें तहसीलदार के स्थान पर ग्राम पंचायतों को नामान्तकरण करने का अधिकार दिया। फिर 4-9-1982 को तहसीलदार को आवंटन और अदालती कार्य दिया गया और ग्राम पंचायतों को किसी की मृत्यु हो जाय तो दूसरे के नाम पर नामान्तकरण करने का काम और बेचान का काम दे दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 10-12-1986 को हाईकोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि 11-9-1957 का, 4-9-1982 का कहीं जिक्र नहीं है। माननीय मंत्रीजी आप भी स्वयं स्वीकार कर रहे होंगे कि जो ग्राम पंचायतों को नामान्तकरण करने का अधिकार दिया गया है वह गलत दिया गया है। नहीं देना चाहिए था। अब यहां पर आप दोनों को अधिकार देना चाहते हैं तहसीलदार को भी अधिकार ग्राम पंचायतों को भी अधिकार हाईकोर्ट ने तो 11-9-1957 के बारे में कहा है 4-9-1982 के बारे में हाईकोर्ट साइलेंट रहा है। इस बात को थोड़ा-सा भी आप

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चिन्तन कर लें, विचार कर लें, विचार कर लें क्योंकि जो कुछ भी इन पंचायतों को पावर देने के बाद जो कार्यवाही की है उसको आप वेलिड करना चाहते हैं। करना भी चाहिए। उन्होंने जो काम कर दिया नल एण्ड वाइड हो जायेगा। इसलिए मेरा सारा निवेदन करना है, 4-9-1982 के बारे में जो हाईकोर्ट ने बात कही है, ग्राम पंचायतों को जो आपने दो प्रकार के अधिकार दिये हैं मृत्यु के बारे में, बेचान के बारे में, इस सम्बन्ध में भी आप ध्यान रख करके महत्वपूर्ण संशोधन लायेंगे तो ग्राम पंचायतों ने जो कुछ भी काम किये हैं, उसको वेलिड कर सकेंगे वरना फिर से हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा एक बात तो निवेदन करना यह है।

दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट में गये और जब खामियां रह गयीं, यह किस कारण से रह गयीं, आप उसको अपनी व्यक्तिगत तौहीन मानते हो, मगर यह तो पूरी विधान सभा की तौहीन होगी। इसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन विधान सभा में पढ़े लिखे लोग, वकील भी हैं कि नहीं यहां पर। या ऐसे ही हैं, कहने के वकील हैं, एडवोकेट हैं, बिना पढ़े वकील। जैसे शिवचरण माथुर हैं, वकालत नहीं करते, मैं वकालत नहीं करता, शायद आप करते होंगे। लेकिन बड़े-बड़े होशियार वकील आखिरकार यहां क्या करते हैं? यह उनका भी अपमान है। इसमें आप भी शामिल हैं, तो हम लोग यह जो ठीक सलाह देते हैं कि ठीक से काम करो, तो क्यों नहीं बात मानते, इसलिए हाई कोर्ट में जाना और हाई कोर्ट में मात खा जाना, एक तो यह और उन अधिकारीगण ने, जिसने इस प्रकार की गलत सलाह दी मंत्री महोदय, उन पर क्या कार्यवाही करेंगे जिन्होंने हाई कोर्ट में आपको हरवाया इसलिए एक तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें और दूसरे जिन लोगों ने गलत सलाह दी, उन पर भी आप कार्यवाही करें और कार्यवाही करके भविष्य में नल एण्ड वाइड आपका कानून नहीं हो, इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करेंगे, यही बात मुझे आपसे निवेदन करनी है। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथू सिंह जी।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, सरकार जब भी कई बार इस तरह का संशोधन यहां लाती है और कोर्ट में जाने, हाई कोर्ट में जाने पर उनका विधि विभाग बना हुआ है। क्या यह विधि विभाग की भी कोई सलाह लेते हैं या नहीं लेते हैं और आप इतने डिफेक्ट कानून में छोड़ देते हैं तो इसके लिए किसी के ऊपर उत्तरदायित्व फिक्स भी करते हैं या नहीं करते हैं, जहां तक पंचायतों को अधिकार देने का सवाल है, बार-बार प्रधानमन्त्री जी घोषणायें कर रहे हैं, पंचायतों को अधिकार देने की बात। लेकिन क्या वैधानिक रूप से पचायतों को कौन-कौन से अधिकार दिये जायेंगे, इस पर सरकार ने कोई विचार या बहस करायी? अभी पिछले दिनों पंचायत मन्त्री जी ने एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी जिसमें हाई कोर्ट के जजेज को बुलाया

(श्री नाथूसिंह)

था, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया था, हम लोगों को भी बुलाया था जिसमें······(व्यवधान)····तो कानून बनाने से पहले सरकार इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं करती कि इस पर पहले विचार-विमर्श हो, उस पर डिसकशन्स हों, उसके बाद उसकी रिकामंडेशन्स के आधार पर अच्छी तरह से ड्राफ्टिंग हो, और उसके बाद कानून बने। अदरवाइज यह होता रहेगा। कई बार हाउस में डिस्कस होता है बाद में कई खामियां बतायी जाती हैं फिर भागते हैं। आपको ध्यान होगा, जे.डी.ए. एक्ट आया था यहां हाउस के अन्दर, उस समय शायद गोटेवाला जी मन्त्री थे। 107 धाराओं में से 85 धाराओं में संशोधन करना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट के अन्दर बिना पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। विधि विभाग है इनका। जयपुर में समुद्र का कानून बना रहे हैं कि समुद्र होगा, इसलिए ऐसा होगा। यह डिफेक्टिव छोड़ते है, हमारी विधान सभा का इतना समय क्यों खराब करते हैं यह ?····(व्यवधान)··· लेकिन वहां पढ़े लिखे लोग हैं।

श्री शोपत सिंह : नागपुर से जैसा करके आये, वैसा ही कर दो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं माननीय सदस्य। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज।

श्री नाथूसिंह : फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होती। आपके सेक्रेटरीज हैं उनके पास, एक्सपर्ट्स हैं, दिखा करके अच्छी तरह से लावें राजस्व के मामले में तो काफी लोग एक्सपर्ट हैं। मेरा निवेदन इतना सा है कि यह जो इतनी गलतियां हुई हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए। पहले से ही कानून ढंग से डिस्कस करके और फिर बनाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह बात सच है कि गांवों में इन दिनों पंचायतों के काम करने में कई कठिनाइयां आ रही हैं। राज्य सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। भाषण और कार्य में बहुत बड़ा अन्तर सामने है। अभी यह जो अपने बिल की बात की है, इसमें अव्यवहारिकता तो आपने देख ही ली कि कोर्ट में चैलेंज हुआ और फिर यह दुबारा ठीक करके लाये हैं। आपको ध्यान होगा कि सुखाड़िया विश्व विद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, अजमेर विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के बिल ये पिछले चार पांच सत्रों से बराबर ला रहे हैं। जे.डी.ए. बिल में 56 संशोधन हुए और इसके बाद भी उसे दो एक दिन बाद फिर आप संशोधन के लिए लायेंगे। मैं इस पर अपने यहां के विधि विभाग और विधि मन्त्री जी दोनों ही को अपराधी मानती हूँ। जो उस समय रहे हैं, उनका भी और जो अब गये हैं, उनका भी। मैं कहना चाहती हूं कि यह क्या है ? विधि विभाग को अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है और मामूली विभाग नहीं है और हर बार आपको नीचा देखने के लिए संशोधन पर संशोधन लाये जा रहे हैं। एक बार सोच लेना चाहिए सम्पूर्ण रूप से कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्या करना है ? वह तो सोचते ही नहीं। आपने दोनों को दे दिया नामांतरण का अधिकार। मर्जी होगी तहसीलदार नकार देगा तो सरपंच कर देगा, सरपंच की मर्जी नहीं होगी तो तहसीलदार कर देगा। दो हाथों में एक काम की बागडोर दे दी। पंचायतों को मैं समझती हूं, बहुत अच्छा है सरपंच खोल दें। तो तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन कुछ सोचने की जरूरत नहीं केवल दूरदर्शन पर यह दिखा दिया कि हमने तो इतना भला कर दिया पंचायतों के माध्यम से जितना कहीं विश्व में कर नहीं पाये होंगे। बहुत बड़ी देन हो गई।....(व्यवधान)...दो हाथों में करेंगे तो बन्दरबांट होगी और कुछ नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आ रही है यह बात।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं अपने अधिकार से बोल रही हूँ।

श्री सभापति : संकल्प पर बोल रही हैं आप ? दूरदर्शन कहां से आ गया संकल्प में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संकल्प पर ही तो बोल रही हूं मैं। दूरदर्शन संकल्प पर रोज आता है। आप यह देखिये, पंचायत राज के बारे में जितनी घोषणायें हुई हैं, उतना मेरे एक पंचायत में खसरे की उद्घोषणा नहीं हुई हैं। एक खसरा घोषित कर दिया गया, पांच खसरे छोड़ दिये गये। दो-दो तीन-तीन एक-एक, बिस्वा के टुकड़े की उद्घोषणा नहीं की और उधर उद्घोषणा करके सब लोगों को लटकाये रखा। प्रशासन गांवों की ओर मजाक उड़ाकर रख दिया। मेरी छः पंचायतें ऐसी हैं, जिसमें सामाजिक वानिकी का अधिकार ही नहीं दिया गया। नदी पेटा जमीन का आवंटन नहीं किया गया और उसका भी आवंटन नहीं किया गया। कहां जायेंगे गांव के लोग ? और, बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। मैं अभी-अभी एक पंचायत के अभियान में बीच में से उठकर गयी थी। रूपवास पंचायत में मेरे यहां कैम्प था वहां पर न इस नदी पेटा जमीन में कुछ हुआ न सामाजिक वानिकी में लिया गया और न ही कोई आवंटन हुआ, इसलिए कि जे.डी.ए. में आ गया। जे.डी.ए. में जब गांव निकाल दिये तो फिर कैसे आ गया। जब गांव निकाल दिये तो उनको टेम्परैरी बना दो। एक-एक बीघा, दस-दस बिस्वे के खेत हैं, लोग कमाते खाते हैं, हाथ तोड़कर मेहनत करते हैं। मुझे याद नहीं आता, उनसे क्यों मजाक किया जा रहा है ? इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आप राजनीति को अलग रख करके अगर पंचायतों और गांवों के विकास की बात करते हैं, तो सब तरह से स्वागत योग्य है। मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की अव्यावहारिकता अगर दुबारा लाने वाले हो, तो इसको अस्वीकार किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी ....(अनुपस्थित)

प्रभारी मन्त्री जी।

श्री नरपत राम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, इसके अन्दर कोई बहुत भारी गलती नहीं है। अदालत को भी कई वर्षों बाद में ध्यान आया। 1957 के अन्दर पंचायतों को अधिकार दिये थे नामांकन तस्दीक करने के। 1986 के अन्दर अदालत के ध्यान में आया कि तहसीलदार को बिल्कुल ही उसकी शक्तियों से विहीन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह जो शर्मा वर्सेज मुद्दान का फैसला हुआ, उसके अन्दर इसको अवैधानिक बता दिया गया कि यह ठीक नहीं किया गया है इसलिए इसी समस्या को हल करने के लिए पिछले 1957 से लेकर 1986 तक जितने भी नामांकन तस्दीक किये गये हैं, ग्राम पंचायतों से वह तस्दीक हो जायें ताकि आम आदमी को, किसानों को अदालतों के अन्दर जाकर के परेशान नहीं होना पड़े इन्हीं संशोधनों को लेकर के यहां संशोधन लाया गया है, इसलिए माननीय सदस्यों का जो प्रस्तुत किया गया परिनियत संकल्प है, उसको अस्वीकार किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है निम्न परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 अप्रेल, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 5) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया। श्री नरपत राम बरबड़, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1988 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि बहुत छोटी सी गलती थी। इतनी छोटी गलती करते ही क्यों ? काहे को इसमें सुधार लाये ? आप तो अदालतों को चैलेन्ज कर रहे हैं कि उन्होंने गलती कर दी। उनको 57 का ध्यान आ गया। अपनी गलती महसूस नहीं करते कि जब अधिकार छीने और दिये, तब आपको संशोधित रूप में आना चाहिए थी। गलती अपने आप करते हो और अदालतों को बदनाम करने की बात करते हो। मैं समझती हूं कि आपको तो यह अधिकार देने ही नहीं चाहिए। मन्त्री महोदय, यह क्या विचारार्थ ले रहे हैं ? अदालतों की अवमानना करके, यह गलत तरीका है।

श्री सभापति : राजस्व मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री नरपतराम बरबड़ : सभापति महोदय, अदालतों की किसी प्रकार से

(श्री नरपतराम बरबड़)

अवमानना करने का कोई उद्देश्य नहीं, न ऐसी कोई बात मैंने कही है। यह तो तकनीकी गलती कभी-कभी रह जाती है जो बाद में ध्यान में आती है और उस तरह की गलती को, भूल को सुधारने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड संख्या 2 : कोई संशोधन नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड संख्या 2 स्वीकार किया जाय ?....(व्यवधान)....माननीय सदस्य, बातचीत कर रहे हैं आप, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। प्रश्न यह है कि खण्ड संख्या 2 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड संख्या 2 स्वीकृत किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उधर कोई मुंह करके नहीं बोले तो आप यहां बोलो ही नहीं। इतना तो सीखो।

श्री सभापति : खण्ड संख्या 3 प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नरपतराम बरबड़ : सभापति महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988 के खण्ड 3 में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ—

(क) उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "अध्यादेश, 1988 (1988 का अध्यादेश संख्या 8)' के स्थान पर अभिव्यक्ति "अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 5)' प्रतिस्थापित कीजिए।

(ख) उप-खण्ड (2) में, अभिव्यक्ति 'मूल अधिनियम', जहां कहीं भी वह इस उपखण्ड में आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति 'राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956' प्रतिस्थापित कीजिए।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ? प्रश्न यह है कि खण्ड संख्या 3 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–1

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नरपतराम बरबड़ : विधेयक के खण्ड 1 के उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति 'अधिनियम, 1988' के स्थान पर अभि-

(श्री नरपतराम बरबड़)

व्यक्ति 'अधिनियम, 1989' प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियम सूत्र, नाम आदि में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र, नाम आदि संशोधित रूप से स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियम सूत्र, नाम आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

श्री नरपत राम बरबड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मान लीजिए, साहब।

श्री सभापति : संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव करें।

श्री नरपत राम बरबड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री सभापति : कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व संशोधन विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1988 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

श्री शिवराम शर्मा : सभापति महोदय, सदन का समय तीन घण्टे और बढ़ाया जाय। यह हमारी हमेशा बरात को खराब करते हैं। आज ललित जी के बरात चले जाय उसके बाद तक बढ़ाया जाय, कृपा करके। एक बार हमारी ही बात रख दीजिए, कभी हमारी नहीं रखते, आज रख दीजिए। (व्यवधान) यह हमेशा हमारी शादियां खराब करते हैं, जरूरी काम खराब करते हैं। कई दफा हमारी बीबियों को नाराज कर देते हैं यह।....(व्यवधान)

(5.25 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि राजस्थान उपनिवेशन संशोधन विधेयक, 1988 के संदर्भ में जो

(श्री उपाध्यक्ष)

भावनाएं यहां सदन में उजागर हुई, उनको दृष्टि में रखते हुए नेता महोदय ने इसमें पारित करने की जो आखिरी कड़ी है उसको भी स्थगित करने के लिए कहा है और उसको किस तारीख को पारित करने के लिए रखा जायेगा, वो बाद में तिथि निश्चित कर दी जायेगी। (व्यवधान) अब सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 3 जुलाई, 1989 को प्रातः 11·00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5·27 बजे सोमवार, दिनांक 3 जुलाई, 1989 को पूर्वाह्न 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

155

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची

सूची "क"

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में भूमि हस्तान्तरित की गयी	भूमि हस्तान्तरण का तरीका	क्षेत्रफल	हस्तान्तरण की तारीख	भूमि की कीमत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	महारानी सुशीला कुमारी पत्नी श्री कर्णीसिंह जी	समलीकनामा	139·06	13-3-1953	कुछ नहीं	बिना किसी कीमत के परिवार के सदस्यों के नाम से ही भूमि हस्तान्तरण किया गया।
2.	नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री कर्णीसिंहजी	,, ,,	109·02	13-3-1953	,, ,,	
3.	मधुलिका पुत्री श्री कर्णीसिंहजी	हिब्बानामा	51·07	28-3-1958	,, ,,	
4.	राजश्री कुमारी पुत्री श्री कर्णीसिंहजी	,, ,,	100·00	28-3-1958	,, ,,	

156

परिशष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची

परिशिष्ट "क"

आयुर्वेद विभाग, राजस्थान में रिक्त पड़े पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	अवधि जब से पद रिक्त हैं	पदों के रिक्त रहने का कारण
1	2	3	4	5
1.	निदेशक		1.9.1988	पूर्व अधिकारी के सेवानिवृति के कारण रिक्त हुआ। डी. पी. सी. द्वारा किसी प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाने के फलस्वरूप वर्तमान में भी रिक्त हैं।
2.	उप निदेशक	3	एकपद 1.6.88 से एकपद 1.12.88 से एकपद 1.2.89 से	पूर्व अधिकारियों के सेवा निवृति के कारण रिक्त पात्र अधिकारियों की सही वरिष्ठता निर्धारण हेतु पूर्व की एक डी.पी.सी. को रिव्यू किया जाना है, जिसके लिए लोक सेवा आयोग को निवेदन किया गया है। रिव्यू के उपरांत ही इन पदों के लिए नियमित चयन संभव हो सकेगा।
3.	सहायक ड्रग कन्ट्रोलर (आयुर्वेद)	1	वर्ष 1986–87 से	आयुर्वेद सेवा नियमों के शिड्यूल में इस पद के संवर्गीकृत न होने के कारण 1 पद को नियमों के शिड्यूल में संवर्गित किए जाने के लिए वित्त विभाग, कार्मिक विभाग

1	2	3	4	5
				और लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त कर ली गई हैं और नियमों में तदानुसार संशोधन की कार्यवाही की जा रही हैं।
4.	उप व्यवस्थापक	1	वर्ष 1976–77 से	पदों को नियमों के शिड्यूल
5.	मेडिकल ऑफिसर	1	वर्ष 1976–77 से	में संवर्गित किए जाने की कार्यवाही की जा रही हैं।
6.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	4	एक पद वर्ष 88-89 से तीन पद वर्ष 89-90 से	दो पद सेवानिवृति तथा दो पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त। डी. पी. सी. बुलाने की कार्यवाही की जा रही हैं।
7.	आयुर्वेद चिकित्सक	245	54 पद वर्ष 1988-89 से 191 पद मार्च, 89 से नवीन सृजित	191 पद नवीन सृजित, 54 पद सेवा निवृति व आकस्मिक मृत्यु के कारण। पद शीघ्र भरे जा रहे हैं।
8.	होम्योपैथिक चिकित्सक	31	4 पद 83-84 से, पूर्व से 10 पद–1983-84 से, 7 पद 1984-85 से 1 पद 86-87 से, 2 पद 1987-88 से 7 पद मार्च, 1989 से।	नवीन पदों के सृजन के कारण तथा न्यायालय से स्टे के कारण स्टे खारिज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि पदों पर नियुक्तियां शीघ्र ही की जा सकें।
9.	यूनानी चिकित्सक	25	2 पद 1981-82 से 5 पद 1982-83 से 10 पद 1983-84 से 3 पद 1984-85 से 2 पद 1986-87 से 3 पद 1988-89 से	पूर्व में निर्धारित योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण। ये पद अब शीघ्र भरे जा रहे हैं।
10.	नर्स/कम्पाउण्डर	242	42 पद 1988-89 से 200 पद–मार्च, 89 से	200 पद नवीन सृजित होने से एवं 42 पद सेवा निवृति

1	2	3	4	5
				व आकस्मिक मृत्यु के कारण पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं।
11.	कनिष्ठ विश्लेषक सहायक	2	वर्ष 86-87 से	राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के कारण
12.	कार्यालय सहायक	2	वर्ष 88-89 से	सेवा निवृत्ति के कारण रिक्त हुये। डी. पी. सी. नहीं होने से वर्तमान में भी रिक्त हैं।
13.	कनिष्ठ लेखाकार	2	वर्ष 88-89 से	निदेशक, कोष एवं लेखा निदेशालय, जयपुर के द्वारा ही भरे जाते हैं। पद स्थानान्तरण के कारण रिक्त हुये थे।
14.	कनिष्ठ लिपिक	1	वर्ष 89-90 से	राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण रिक्त
15.	कनिष्ठ यांत्रिक	1	वर्ष 85-86 से	राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर प्रतिबन्ध के कारण रिक्त
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	200	मार्च, 1989 से	वर्ष 88-89 में नवीन खोले गये औषधालय में पद सृजित हुये हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के कारण रिक्त।
17.	हैडमैट	1	वर्ष 1987 से	आकस्मिक निधन के कारण वरिष्ठता सूची के संधारण के अभाव के कारण इस पद पर पदोन्नति नहीं किये जाने से पद रिक्त है।

159

परिशिष्ट "ख"

आयुर्वेद विभाग, राजस्थान से उप-निदेशक व जिला आयुर्वेद अधिकार के पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की सूची— दिनांक 30-6-89 की स्थिति :—

क. सं.	नाम पद	कार्यरत व्यक्ति का नाम
1.	उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर	श्री हनुमत्प्रसाद नन्दवाना
2.	उपनिदेशक, ,, ,, जयपुर	,, रामनिवास जोशी
3.	उपनिदेशक, ,, ,, बीकानेर	,, जर्नादन भारद्वाज
4.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, डूंगरपुर	,, देवशंकर शर्मा
5.	,, ,, ,, सिरोही	,, घीसूलाल शर्मा
6.	,, ,, ,, बांसवाड़ा	,, इच्छाशंकर पण्डया
7.	,, ,, ,, 'अ' क्षेत्र जयपुर	,, गणपतिलाल हारित
8.	,, ,, ,, चूरू	,, देवेन्द्र कुमार शर्मा
9.	,, ,, ,, कोटा	,, सूर्यनारायण शर्मा
10.	,, ,, ,, अजमेर	श्रीमती चन्द्राकुमारी अग्रवाल
11.	,, ,, ,, जोधपुर	श्री राजेश्वर भाटिया
12.	,, ,, ,, पाली	,, सत्यनारायण सनाढ्य
13.	,, ,, ,, टोंक	,, कृष्ण गोपाल पारीक
14.	,, ,, ,, 'ब' क्षेत्र जयपुर	,, जगदीश राम शर्मा
15.	,, ,, ,, चित्तौड़गढ़	,, गोविन्द लाल तिवाड़ी
16.	,, ,, ,, सवाईमाधोपुर	,, अम्बिकाप्रसाद आत्रेय
17.	,, ,, ,, उदयपुर	,, सुरेन्द्रशंकर जानी
18.	,, ,, ,, अलवर	,, चोथमल शास्त्री
19.	,, ,, ,, बून्दी	,, कंवरप्रसाद शर्मा
20.	,, ,, ,, झालावाड़	,, बृजमोहनलाल गुप्ता
21.	,, ,, ,, सीकर	,, पूरणमल शर्मा
22.	,, ,, ,, नागौर	,, भगवती सहाय शर्मा
23.	,, ,, ,, बाड़मेर	,, नारायण सहाय शर्मा
24.	,, ,, ,, बीकानेर	,, कृष्णदत्त शर्मा

परिशिष्ट–ग

उप निदेशक व जिला आयुर्वेद अधिकारियों की सूची, जिनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही चल रही है प्रस्तावित है
(सी0 सी0 ए0 रूल्स के नियम 16 व 17 के तहत)

क. सं.	नाम अधिकारी मय पद	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री राम निवास जोशी, उप निदेशक	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू के पद पर रहते हुये एक व्यक्ति को, जो विदेश में था, अनुसूचित जाति का नहीं होते हुए भी अनुसूचित मान कर फर्जी नियुक्ति देना ।	कार्मिक (क-3) के विभाग पत्रांक प. 1 (207) कार्मिक क–3 87 दिनांक 3-1-89 द्वारा नियम–16 में आरोप पत्र जारी किया गया ।
2.	श्री हनुमतप्रसाद नन्दवानी, उप निदेशक एवं श्री गणपतिलाल हारित, जिला आयुर्वेद अधिकारी	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझनू में परिचारकों की अनियमित नियुक्ति करना, साक्षात्कार में अंकों में कांट-छांट करना ।	प्रकरण का परीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।
3.	श्री गणपतिलाल हारित, जिला आयुर्वेद अधिकारी	जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझनू के कार्यकाल में वार्ड बॉय की अनियमित नियुक्ति करने के सम्बन्ध में ।	कार्मिक विभाग के ज्ञापन संख्या प0 1 (49) कार्मिक/क–3/87 दि. 4-6-87 के द्वारा नियम–16 में आरोप पत्र दिया जा चुका है । कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दि. 10-3-88 के द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है ।

1	2	3	4
4.	श्री ज्ञानराम घूड़िया जिला आयुर्वेद अधिकारी वर्तमान लेक्चरार, नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, लौंगिया, अजमेर	(1) वरिष्ठ चिकित्सक 'अ' श्रेणी जैसलमेर के रूप में वर्ष 1983 में नर्स के साथ अभद्र व्यवहार करने व एक कम्पाउंडर को परेशान करने के आरोप।	नियम–16 में कार्यवाही कार्मिक (क–3) विभाग के विचाराधीन हैं।
		(2) जिला आयुर्वेद अधिकारी, पाली के पद पर कार्यरत रहते हुए फर्नीचर क्रय में राज्यकोष में हानि पहुंचाने के आरोप।	नियम–16 में कार्यवाही कार्मिक (क–3) विभाग के विचाराधीन हैं।
		(3) जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर के पद पर कार्यरत रहते हुए वर्दी क्रय में लेखा नियमों के विरुद्ध कार्य करने का आरोप।	नियम–16 में कार्यवाही कार्मिक (क–3) विभाग के विचाराधीन हैं।
5.	श्री कृष्णदत्त शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी,	जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर के पद पर कार्यरत रहते हुये अंशकालीन श्रमिक के पद पर अनियमित नियुक्ति, मांडा योजना शिविर के अन्तर्गत औषधियों के क्रम में लेखा नियमों की अवहेलना, अनियमित रूप से कार्यालय में प्रति नियुक्ति पर रखना, बजट लैप्स	नियम–16 में कार्यवाही कार्मिक (क 3) विभाग के विचाराधीन हैं।

(165)

1	2	3	4
		करना एवं नियमों के विरुद्ध क्रय करने के आरोप ।	
6.	श्री इच्छा शंकर, जिला आयुर्वेद अधिकारी	परिचारकों की नियुक्ति में अनियमितता अनुसूचित जाति के च. श्रे. क. की प्रथम नियुक्ति के समय ज्वाइन कराने परेशान करना, राज्यादेश की पालना न करना ।	सी. सी. ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही कार्मिक (क–3) विभाग में विचाराधीन हैं ।
7.	श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, जिला आयुर्वेद अधिकारी	परिचारकों की नियुक्ति में अनियमितताये करना, जैसे—कलक्टर से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र नहीं लेना, रोस्टर बिन्दुओं की पालना नहीं करना । रिक्त स्थानों से अधिक नियुक्तियां करना, चयन प्रक्रिया का पालन नहीं करना ।	जांच कार्यवाही नियम 16 के तहत विचाराधीन है । वर्तमान में ये निलम्बित हैं ।
८.	श्री ओमप्रकाश गोस्वामी, कार्यवाहक जिला आयुर्वेद अधिकारी	वरिष्ठ चिकित्सक (कार्यवाहक जिला आयुर्वेद अधिकारी, गंगानगर) को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के दल द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ पकड़े जाना ।	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प0 10 (4) आयु./89 दिनांक 17-6-89 से निलम्बित कर दिये गये हैं । नियम–16 के तहत जांच कार्यवाही विचाराधीन हैं ।

1	2	3	4
9.	श्री कृष्ण गोपाल पारीक, जिला आयुर्वेद अधिकारी	वरिष्ठ चिकित्सक, भीलवाड़ा के पद पर कार्यरत रहते हुये अनियमित अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	सी. सी. ए. नियम–17 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।
10.	श्री जर्नादन भारद्वाज, उप निदेशक एवं श्री अम्बिका प्रसाद आत्रिय जिला आयुर्वेद अधिकारी	क्रमशः उप निदेशक, आयुर्वेद, जोधपुर एव जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिरोही के पद पर कार्यरत रहते वार्ड बॉय पदों की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में।	नियम–16 के अन्तर्गत कार्यवाही कार्मिक (क-3) विभाग के विचाराधीन हैं।

163

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

ग्राम सेवा सहकारी समिति दिलोई (झुंझुनू)

27. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, दिलोई जिला झुंझुनूं पर झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक का नौ लाख रुपया बकाया है ? यह बकाया राशि कुल कितने व्यक्तियों पर है तथा अधिकतम और न्यूनतम कितनी-कितनी और किस-किस पर ?

(2) इस सहकारी समिति का व्यवस्थापक कौन है और कितने अर्से से वहां पर कार्यरत है ? क्या यह सही है कि इस व्यवस्थापक के खिलाफ दफा 3/7 ई.सी. एक्ट में 12-1-1988 को मंडावा थाने में रसद प्रवर्तन निरीक्षक ने केस रजिस्टर करवाया था ? उस केस का क्या हुआ ? क्या यह भी सही है कि जनता की शिकायतों पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति झुंझुनूं और झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक के ई.ओ. और उपनिदेशक, कृषि विभाग ने सोसाइटी के गोदाम को सील करवा दिया था, परन्तु गोदाम की सील तोड़कर खाद और बीज इस व्यवस्थापक ने निकाल लिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन सहकारिता मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में मैंने एक अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 के द्वारा अवगत कराया था ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 30-6-88 को इस समिति पर केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनूं का 7·40 लाख रुपये मूल का 1·75 लाख रुपये ब्याज बकाया था। यह बकाया 291 सदस्यों में थी। अधिकतम बकाया 7,672 रुपये श्री ईश्वरराम पुत्र चिमना राम में तथा न्यूनतम 92 रुपये श्री भीमाराम पुत्र श्री हरुता राम में है।

(2) इस सहकारी समिति का व्यवस्थापक श्री सांवरमल माहिच है जो दिनांक 29-1-89 से वहां कार्यरत है।

जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

समिति के अध्यक्ष की शिकायत पर इन अधिकारियों ने पूनिया का बास व दिलोई स्थित समिति के गोदामों को सील किया था।

यह सही नहीं है कि व्यवस्थापक द्वारा इनके गोदामों की सील तोड़कर खाद व बीज बाहर निकाल लिया।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर खण्ड जयपुर एवं प्रबन्ध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झुंझुनूं को जांच हेतु विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

चूने के प्लाट आवंटन की नीति

28. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15-2-1984 को 300×300 मी. के चूने के प्लाट देने की सरकार ने नई नीति निर्धारित की थी ?

(2) क्या उस नई नीति के अपनाने के बाद बिना किसी कारण के इस पर पिछले दो वर्षों से रोक लगा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या 300×300 मी. के चूने के प्लाट देने की पूर्व नीति पुनः शुरू की गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(4) क्या एक व्यक्ति के नाम 10 वर्ग कि.मी. के चूने के प्लाट कई क्षेत्रों में स्वीकृत किये हुए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां, किन-किन को विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या एक व्यक्ति को एक वर्ग कि. मी. चूने के पत्थर के प्लाट भी स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो विभिन्नता क्यों है ?

(6) क्या सरकार 300×300 मी. के चूने के प्लाट एक व्यक्ति के नाम देने की नीति अपनाने के पश्चात् 10 वर्ग कि. मी. एवं एक वर्ग कि. मी. के चूने के प्लाट भविष्य में नहीं देने तथा उनका नवीनीकरण नहीं करने पर कठोरता से नियमों के अन्तर्गत पाबन्दी लगायेगी ?

(7) क्या 10 वर्ग कि. मी. एवं एक वर्ग कि.मी. के प्लाटों को 300×300 मी. के बनाकर इच्छुक आवेदकों को देने का सम्बन्धित कार्यालयों को सरकार निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केवल एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन, पाली, जोधपुर, नागौर व जैसलमेर में बहुतायत में मिलने के कारण इसके खनन पट्टे मंजूर करने पर रोक लगाई गई है न कि अन्य श्रेणी के लाइमस्टोन पर।

(3) ऐसी कोई नई नीति पुनः निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान में पाली, जोधपुर जिलों के लिए एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन नहीं देने की रोक हटा दी गई है।

(4) जी हां, सूची संलग्न है।

(5) जी हां। पहले 10 वर्ग मील के अधिकतम क्षेत्र स्वीकृत किये जाते थे। बाद में समय-समय पर नियमों में परिवर्तन होने से इसे घटाकर 15 वर्ग कि.मी. किया गया। इसके बाद में नीति बदलकर 1 वर्ग कि.मी. साइज के निर्धारित किये गये इसके बाद में नीति फिर बदली गई व प्लाटों की साइज 300×300 वर्ग मीटर कर दी गई।

(6) नीति अपनाने के बाद में कोई तब्दीली नहीं की गई व मौजूदा में 300×300 मीटर से अधिक के प्लाट मंजूर नहीं किये जा रहे हैं। जो पूर्व से बड़े साईज के खनन पट्टे चल रहे हैं उनमें यह नीति लागू नहीं होती है। केवल यह देखा जाता है कि नवीनीकरण के समय वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार 10 वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्र स्वीकृत न हो जावे।

(7) जी नहीं।

राजस्थान में खनिज लाइमस्टोन (अप्रधान) के खननपट्टे निम्नांकित पार्टियों को उनके सामने दर्शाये गये क्षेत्र व क्षेत्रफल स्वीकृत किया हुआ है।

क्रमांक 1	पट्टाधारी का नाम 2	खनिज 3	क्षेत्रफल 4	क्षेत्रफल 5
1.	सर्व श्री एसोसियेटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोटा।	लाइमस्टोन (बिल्डिंगस्टोन)	14.146 व. कि.मी.	निकट ग्राम अमृतखेड़ी (जोगनहेड़ी) साकलखेड़ी, कुम्भकोट, लक्ष्मीपुरा एवं नेकरियाखेड़ी तहसील रामगंज मण्डी, जिला कोटा।
2.	श्री रविप्रकाश मिश्रा	लाइमस्टोन	15.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. मुरकासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
3.	श्री मोहनलाल मोदी	,,	10.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. बरना हर्ष, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
4.	श्री कन्हैया लाल	,,	10.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. गोटन तह. मेड़ता, जिला नागौर।
5.	सर्वश्री आर.एस.एम.डी.सी.लि.	,,	11.667 व. कि.मी.	,, ,, ,,
6.	एजन	,,	23.880 व. कि.मी.	,, ,, ,,
7.	एजन	,,	21.883 व. कि.मी.	,, ,, ,,
8.	सर्वश्री गोटन लाइमस्टोन	,,	11.00 व. कि.मी.	,, ,, ,,

1	2	3	4	5
9.	सर्वश्री सोजत लाइम कम्पनी, सोजतरोड़	लाइमस्टोन	15.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. अटपड़ा तह. सोजत, जिला पाली ।
10.	श्री राजेन्द्रसिंह कछवाह, सोजतरोड़	,,	15.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. मण्डला तह. सोजत, जिला पाली ।
11.	श्री केवलचन्द माण्डोत, सोजत	,,	15.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. खारिया, मण्डला तह. सोजत, जिला पाली ।
12.	सर्वश्री बेस्ट केमिकल्स, नीमकाथाना	,,	10.00 व. कि.मी.	नि.ग्रा. मावण्डा तह. सीकर, जिला सीकर ।

राजस्थान स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

29. श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास किसने लिखा और कब तैयार हो गया ?

(2) इतिहास को लिखना कब शुरू किया गया ? अब तक कितना खर्चा हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में जागीरदारों-सामन्तों द्वारा दी गई यातनाओं के शिकार व्यक्तियों को स्वतन्त्रता सेनानी माना गया ?

(4) क्या यह भी सही है कांगड़ (चूरू जिला) डावड़ा (माधोपुर) बिजोलिया (उदयपुर) आदि ऐतिहासिक काण्डों में हिस्सा लेने वाले लोगों को स्वतन्त्रता सेनानी माना गया ?

(5) क्या यह सही है कि केन्द्र ने ऐसे काण्डों में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया ?

(6) राज्य सरकार ने इस ओर क्या विशेष प्रयास किये ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास डा. गोपीनाथ शर्मा ने लिखा। इसकी पाण्डुलिपि सन् 1987 में तैयार कर राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग को सौंप दी गयी है।

(2) इतिहास को लिखना सन् 1975 में शुरू किया गया। अब तक इस पर कुल रुपये 55,562.92 पैसे खर्च किये गये।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) यह मामला केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है।

(6) यह मामला केन्द्र सरकार से सम्बन्धित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

जहाजपुर क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनायें

30. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर क्षेत्र में लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस योजना का व कितनी लागत के अनुमान तैयार किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भाग नं. 1 में उल्लेखित योजनाओं में अकाल राहत एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो किस-किस योजना पर कितना-कितना करवाया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन योजनाओं को

(श्री रतनलाल ताम्बी)

1989-90 में पूरा करवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस-किस योजना पर कितनी लागत का अनुमान है और कितनी-कितनी राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष में किया जावेगा ?

(4) क्या इन योजनाओं से सिचाई होगी ? यदि हां, तो किस-किस योजना से कितने-कितने एकड़ सिंचाई होना सम्भावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। जहाजपुर क्षेत्र में लघु सिंचाई परियोजनाओं के कुल 14 कार्यों का सर्वे कार्य करवाकर एस्टीमेट तैयार किये गये हैं। एस्टीमेट के अनुसार इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 469.20 लाख रुपये है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त 14 लघु सिंचाई परियोजनाओं में से केवल 8 पर ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व एक परियोजना पर भूमिहीन गारन्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करवाया गया है। जिन पर क्रमश: 151.52 व 11.52 लाख रु. का व्यय हुआ है। विवरण तालिका 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1989-90 में इन परियोजनाओं को पूरा करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। भविष्य में पर्याप्त बजट की उपलब्धि होने पर ही कार्य करवाना सम्भव होगा। केवल एक बिजेठा योजना पर इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1.00 लाख रु. का प्रावधान है तथा उसके अन्तर्गत दिनांक 14-6-89 से कार्य शुरू कर दिया गया है।

(4) उक्त 14 योजनाओं के पूर्ण होने पर 4140 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई संभावित है। योजनावार होने वाली सिंचाई का विवरण 'ग' में सदन के मेज पर रख दी गई है।

170

तालिका–क

जहाजपुर क्षेत्र की सिंचाई परियोजनायें जिनका सर्वे करके तकनीकी आंकलन तैयार किये गये।

क्र.सं.	नाम कार्य	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
1.	रतनगढ़ सिंचाई परियोजना	15·90
2.	नवरतनसागर	62·77
3.	माकड़िया	22·65
4.	पीपलून्द	15·55
5.	ढ़गरिया	13·55
6.	शंकरगढ़	112·00
7.	बेईगेसूला	24·42
8.	गणेशपुरा	55·33
9.	भीमलिया	29·85
10.	नेगडिया	32·11
11.	पचानपुरा	22·00
12.	सरसिया	23·80
13.	झालरा	33·10
14.	बिजेठा	6·17
	योग	469·20

तालिका–'ख'

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	व्यय राशि 5/89 तक (लाख रु.)
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम—		
1.	शक्करगढ़	42·22
2.	बेई गेसूला	16·51
3.	गणेशपुरा	8·94
4.	नेगड़िया	23·51
5.	पचानपुरा	15·54
6.	सरसिया	17·48
7.	झालरा	25·59
8.	बिजेठा	1·73
	योग	151·52
भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना—		
1.	भीमलिया	11·52
	योग	11·52
	कुल योग	163·04

(172)

तालिका–'ग'

जहाजपुर क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई क्षमता

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल सिंचाई क्षमता (एकड़ में)
1.	रतनगढ़ सिंचाई परियोजना	140·00
2.	नवरतनसागर	720·00
3.	माकड़िया	210.00
4.	पीपलून्द	134·00
5.	ढगारिया	120·00
6.	शंक्करगढ़	1346·00
7.	बेईगेसूला	166·00
8.	गणेशपुरा	176·00
9.	भीमलिया	133·50
10.	नेगड़िया गुड्डा	178·00
11.	पचानपुरा	135·00
12.	सरसिया	214·00
13.	झालरा	268·00
14.	बिजेठा	200·00
	योग	4140·50
	देखें—	4140·00

भाकरनाड़ा तालाब-ग्राम टोंकी (लाडनूं)

31. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम टोंकी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में भाकरनाडी नाम से तालाब को अकाल राहत के तहत पक्का बनाया गया था ? यदि हां, तो कब और उस पर कितनी राशि खर्च हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब में अकाल राहत पर काम पर लगे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और किस-किस श्रमिक की कितनी-कितनी राशि कितने समय से बकाया है ?

(3) क्या मस्टर-रोल में कार्य के अनुसार भुगतान पास हो जाने के उपरान्त भी श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नहीं होना उचित है ? यदि नहीं, तो अब तक इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ? अब यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) यह मामला जिला कलक्टर नागौर के सामने प्रथम बार कब आया और उसके बाद मजदूरी के भुगतान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यह मामला अब तक किस-किस स्तर पर कितने-कितने समय तक लम्बित रहा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम टोंकी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में अकाल राहत के तहत भाकरनाडी तालाब को पक्का बनाने की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा 15-3-82 को दी गई थी। यह कार्य दिनांक 18-3-82 से 31-7-82 तक कराया गया है जिस पर 1,96,825/- रु. का भुगतान नगद व खाद्यान्न के रूप में किया गया था।

(2) जी हां। जिला प्रशासन के अनुसार श्रमिकों के 32,314·50/- रुपये बकाया है। प्रकरण न्यायालय में लम्बित है।

(3) श्रमिकों की मजदूरी की राशि का यथा समय भुगतान किया जाना चाहिए था लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के कारण मामला लम्बित है। उच्च न्यायालय से निर्णय हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) यह प्रकरण जिला सतर्कता समिति नागौर के समक्ष दिनांक 16-9-85 को प्रस्तुत किया गया, कलक्टर द्वारा आवश्यक जांच करवाकर अग्रिम कार्यवाही की गई लेकिन उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने के कारण मजदूरी का चुकारा नहीं हो सका है तथा प्रकरण लम्बित है।

सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ में नियुक्तियां

32. श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(174)

(श्री के.सी. विश्नोई)

(1) सहकारी स्पिनिंग मिल, हनुमानगढ़ जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 1981 से 1983 तक कुल कितनी नियुक्तियां किन-किन पदों पर किस-किस वेतन श्रृंखला में की गई ? विवरण मय नाम व पद के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये नियुक्तियां करने से पूर्व सरकार की स्वीकृति ली गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बिना वांछित योग्यता के व्यक्तियों को भी इस दौरान अवैध रूप से भर्ती कर लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को तुरन्त नौकरी से निकालने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चाहा गया विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट –'अ')

(2) जी नहीं। मिल की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। अतः राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

(3) जी हां। इस दौरान 6 व्यक्तियों को न्यूनतम निर्धारित योग्यता से कम होते हुए भी तदर्थ रूप से नियुक्ति दी गई। रजिस्ट्रार के द्वारा जून 1984 में न्यूनतम योग्यता निर्धारण के बाद मिल प्रबन्धक ने योग्यता नहीं रखने वाले तदर्थ नियुक्ति वाले व्यक्तियों को हटाने का निर्णय लिया। इनमें से दो व्यक्ति मिल सेवा से हट गये। चार लिपिकों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो रखते थे पर टंकण की न्यूनतम योग्यता नहीं होने के कारण टंकण की न्यूनतम योग्यता में रजिस्ट्रार द्वारा दिसम्बर 1987 में छूट दी गई, इसके फलस्वरूप लिपिकों की नियुक्ति का नियमन हो गया है।

परिशिष्ट—ङ

गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., हनुमानगढ़ जंक्शन

क्र. सं.	नाम कर्मचारी/ अधिकारी	पद	नियुक्ति दिनांक	वेतन श्रृंखला
1	2	3	4	5
1.	श्री विष्णु प्रकाश	कनि. लिपिक	27-7-81	335–570
2.	,, राजाराम	,, ,,	1-6-81	,, ,,
3.	,, घनश्यामदास लखोटिया	,, ,,	6-8-81	,, ,,
4.	,, सत्यपाल गोयल	,, ,,	15-10-81	,, ,,
5.	,, फुलवंत सिंह	,, ,,	15-10-81	,, ,,
6.	,, ओमप्रकाश गैरा	,, ,,	,, ,,	,, ,,
7.	,, अशोक मक्कड़	,, ,,	13-11-81 07-05-82	,, ,,
8.	,, निरंजन सिंह	,, ,,	6-9-82	,, ,,
9.	,, महावीरप्रसाद बुढानिया	,, ,,	,, ,,	,, ,,
10.	,, जगदेव सिंह	,, ,,	1-1-83	,, ,,
11.	,, अमरनाथ	,, ,,	5-3-83	,, ,,
12.	,, बी. के. पारीक	,, ,,	1-6-83	,, ,,
13.	,, ओमप्रकाश	ड्राइवर	11-8-82 14-9-84	400/- प्रतिमाह 490–850
14.	,, नत्थूराम	,,	11-4-83 29-4-83	18/- प्रतिदिन 490–850
15.	,, सुरजीत सिंह	कनि. लिपिक	2-3-83	20/- प्रतिदिन 490–850
16,	,, वेदप्रकाश शर्मा	विधि सहायक	12-6-81	460–770
17.	,, ऋषि कुमार	लेखा सहायक	1-1-83	460–770
18.	,, पी. एन. सिंह	टाइमकीपर	15-7-81	550/- प्रतिमाह
19.	,, आर.एन.पलसानिया	वित्त प्रबन्धक	18-1-82	2500/- ,, + नि.
20.	,, एस. एस. राठौड	स्पिनिंगमास्टर	20-9-83	3200/- प्रतिमाह निवास

176

1	2	3	4	5
21.	श्री पी. के. विरमानी	मेंटीनेंस इन्चार्ज	21-9-83	2200/- प्रतिमाह निवास
22.	,, कविराज	च. श्रे. कर्म.	1-9-82	300/- प्रतिमाह + 350+430
23.	,, दान बहादुर	,, ,,	27-12-82	10/- प्रतिदिन 350+430
24.	,, सी. पी. कौशिक	सिविल सुपरवाइजर	26-8-83	900/- प्रतिमाह
25.	,, के. सी. अनेजा	फोरमैन	9-8-82	1000/- ,, + निवास 1350/- ,, ,,
26.	,, के. जी. कोहली	वर्क्स इंजीनियर	30-11-82	1800/- ,, ,,
27.	,, प्रीतम सिंह	सुरक्षा अधिकारी	5-8-81	600/- ,, ,,
28.	,, राजेन्द्र कक्कड़	जे. ई. एन. (विद्युत)	अगस्त, 81	460-770
29.	,, के. जी. श्रीवास्तव	डिप्टी स्पिनिंग मास्टर	24-5-82	2450/- प्रतिमाह
30.	,, रेशम सिंह	टाइम कीपर	11-9-81	355–570
31.	,, फूलाराम	जे. ई. एन. सिविल	30-12-82	18/- प्रतिदिन
32.	,, दीपक गुलाटी	कनि. लिपिक	सितम्बर 81	355–570
33.	,, के. एन. पाहुजा	स्टोर क्रय अधिकारी	9-8-82	1600+160 एच. आर. ए.

आर. एस. एम. एम. में आर्बिट्रेशन प्रकरण के विवादास्पद मामले

33. श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान खान एवं खनिज निगम के कौन-कौनसे मामले कब-कब से आर्बि-ट्रेशन में चल रहे हैं ?

(2) इन आर्बिट्रेशन के मामलों में विवादास्पद बिन्दु क्या है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन मामलों में आर्बिट्रेशन की स्थिति उत्पन्न होने के कारणों की जांच की है ? यदि हां, तो ऐसी जांच का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं हैं। राज्य में राजस्थान खान एवं खनिज निगम के नाम से कोई कॉर्पोरेशन नहीं है।

(2) उक्त प्रश्न स्पष्ट नहीं होने से उत्तर देना संभव नहीं है।

(3) उपरोक्त अनुसार इसका भी उत्तर देना सम्भव नहीं है।

नारी शालाओं में अनियमिताओं में कार्यवाही

34. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर व अजमेर की नारीशालाओं में आवासनियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद नारीशालाओं की विभागीय स्तर पर जांच करवाने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो इसकी जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्ति किया गया था ?

(2) क्या इस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो अपनी रिपोर्ट में इसने क्या-क्या अनियमिततायें पाई हैं व इसके लिए किस-किस को दोषी पाया है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) प्राप्त शिकायतों पर नारीशाला अजमेर के सम्बन्ध में अति. जिला कलक्टर, अजमेर से जांच कराई गई व महिला सदन, जयपुर के बारे में उपनिदेशक (पि0 जाति) से जांच करवाई गई थी।

(2) जी हां, अजमेर की जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सहायक अधीक्षक व उद्योग शिक्षक को प्रथम दृष्टया आवासनियों से दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया। जयपुर महिला सदन की जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया तत्कालीन अधीक्षिका व अन्वेषक को आवासनी को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण दोषी

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

पाया गया। जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त दोनों मामलों में प्राथमिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थानों में दर्ज करा दी गई। अजमेर प्रकरण में रामगंज पुलिस थाने द्वारा कार्यवाही की जा रही है जबकि जयपुर प्रकरण में अति. अधीक्षक सी. आई. डी. (सी.बी.) द्वारा कार्यवाही की जा रही है विभाग द्वारा विभागीय स्तर से भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा इन चारों अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलम्बित कर दिया गया है व विभागीय जांच हेतु आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

राज्य महिला सदन की आवासनी इन्द्रा के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट द्वारा श्री सतीशचन्द्र मेहरा, उप निदेशक (पिछड़ी जाति)

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर के आदेश संख्या एफ 1(5)(194) जांच/सक/88/1087 दिनांक 4.11.88 के आदेशानुसार मैं दिनांक 5.11.88 को राज्य महिला सदन जयपुर पहुंचा और वहां श्रीमती मंजु शुक्ला अधीक्षिका, महिला सदन, श्री चिरंजीलाल जमादार, आवासनी सुशीला, गंगा, रंजना चौधरी, कौशल्या, लीला, श्री मनोहरलाल अन्वेषक एवं श्रीमती नानगीबाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पी. डब्ल्यू 1 से 9 तक के बयान लिये। सदन की नर्स राधामणी और स्टोरकीपर श्री एस. के. क्षम्ब को इन्द्रा आवासनी की देखभाल के लिये अधीक्षिका द्वारा एस. एम. एस. अस्पताल भेजा हुआ था। इसलिये इनके बयान नहीं लिये जा सके और दिनांक 7.11.88 को महिला सदन की अधीक्षिका से दूरभाष पर वार्ता हुई जिससे मालूम हुआ कि नर्स श्रीमती राधामणी तथा स्टोरकीपर एस.के. क्षम्ब अस्पताल में ही है। दि. 8.11.88 को अस्वस्थ होने के कारण मैं आकस्मिक अवकाश पर था जिससे जांच कार्यवाही में प्रगति न हो सकी। दिनांक 9.11.88 से 14.11.88 तक राजकीय अवकाश था। दिनांक 15.11.88 को शासन सचिव महोदय, समाज कल्याण विभाग से सूचना मिलने पर उनके कार्यालय गया और इस मामले में वार्ता हुई। उन्होंने आदेश दिया कि संयोजक महिला संगठन इस जांच में सक्रिय सहयोग देना चाहती है अतः आप उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के समक्ष ही शेष बयान आदि लेवें। सायंकाल 4.30 बजे संयोजक महिला संगठन जयपुर हेमलता प्रभु का दिनांक 15.11.88 को सचिव महोदय को लिखे पत्र की प्रति प्राप्त हुई। इसके पश्चात् मुकलिका सेन, अध्यक्ष महिला पुर्नवास समिति. जयपुर से दूरभाष पर सम्पर्क करने का प्रयास किया किन्तु वह घर पर उपलब्ध नहीं थी। दिनांक 16.11.88 को फिर कुमारी मुकलिका सेन से दूरभाष पर बात करने की कोशिश की और उनसे बात भी हुई। उन्होंने राज्य सरकार से प्राप्त आदेश के अनुसार जांच में इसलिए सहयोग नहीं दिया कि "हमारे सहयोग में कई शर्तें लगी हुई हैं कि इन शर्तों के होते हुए हम इस जांच में मदद देने को तैयार नहीं है। इसके पश्चात् सचिव महोदय से प्राप्त पत्र क्रमांक 1117 पी.एस./एस.एस. डब्ल्यू/88 दिनांक 15.11.88 के मिलने पर मैंने सचिव महोदय से वार्ता की और कुमारी मुकलिका सेन के द्वारा जांच में "एसोसियट" होने से मना करने की जानकारी दी। सचिव महोदय ने मुझे जांच करते रहने के आदेश दिये। क्योंकि महिला संगठन

इस जांच में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसके बाद मैं महिला सदन की नर्स राधामणी के बयान हेतु एस. एम. एस. अस्पताल की "बर्न यूनिट" के डाक्टर ड्यूटी रूम में गया और वहां मैंने राधामणी नर्स की 4-10 के बयान दर्ज किये। ड्यूटी के डा. सुरेन्द्र राठी वार्ड में उपस्थित नहीं मिले जिससे आवासनी "इन्द्रा" के बयान नहीं लिये गये। दिनांक 17.11.88 को मैं पुनः एस. एम. एस. की बर्न यूनिट में गया और ड्यूटी के डा. राठी से बात की। डा. राठी से मैंने मरीज इन्द्रा आवासनी का हाल पूछा तथा जानना चाहा कि क्या वह बयान देने की स्थिति में है ? तो डा. राठी ने जवाब दिया उसकी तबियत आज ज्यादा खराब है। टैम्परेचर 104 फारनेआइट है। वह इस स्थिति में नहीं है कि बयान दे सके। तत्पश्चात् मैं महिला सदन कार्यालय में गया और स्टोरकीपर श्री एस. के. क्षम्ब पी–11 के बयान लिये।

मेरे द्वारा उपरोक्त पी. डी. 1 से 11 तक जो बयान लिये गये उससे निम्न प्रकार स्थिति सामने आती है :—

दिनांक 2.11.88 को श्री मनोहरलाल तत्कालीन अन्वेषक करीब साढ़े पांच बजे शाम को महिला सदन के कार्यालय के बाहर छत पर बैठे हुए फाइल्स देख रहे थे, और उनके पास निदेशालय से टिप्पणी के लिये अखबार की एक कटिंग की फोटो प्रति भी रखी हुई थी। इतने में महिला सदन की आवासनी गंगा और सुशीला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रीमती नानगी बाई के साथ ऊपर कार्यालय में आई। इस बात की पुष्टि सुशीला पी. ड 3, गंगा पी. ड 4, नानगीबाई पी. ड 7, मनोहरलाल पी. ड 9 एवं श्री एस. के. क्षम्ब पी. ड 11 के बयानों से होती है क्योंकि श्री क्षम्ब भी वहां मौजूद थे। और शेष गवाह इस घटना के साथ ही सम्बन्धित है। जो सभी चश्मदीद गवाह है। श्री क्षम्ब पी. ड 11 और नानगी बाई पी. ड 7 के बयानों से स्पष्ट है कि आवासनी सुशीला व गंगा अपने साथ एक चाय का गिलास मय चाय लेकर आई और उसे मनोहरलाल को दी। यद्यपि मनोहरलाल ने स्वयं अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि आवासनी गंगा और सुशीला नानगी बाई के साथ आई थी और मेरे सामने अखबार पड़ा हुआ था और इन दोनों आवासानियों ने मेरे सामने पड़े हुए अखबार के बारे में पूछा था तो इन्होंने (मनोहरलाल पी. ड 9) यह कहा कि ये वही खबरे हैं जो पहले भी कई बार निकल चुकी है जिसका मैं जवाब तैयार कर रहा हूँ। नानगी बाई पी. ड 7 ने अपने बयानों में कहा है कि आवासनी गंगा और सुशीला के सामने मनोहरलाल जोर-जोर से अखबार जिसमें कुछ फोटो आई थी और गन्दी-गन्दी

बातें लिखी थी जोर-जोर से पढ़ कर सुना रहे थे । इस बात की पुष्टि आवासनी सुशीला पी. ड. 3 व गंगा के (पी. ड 4) से नहीं की जा सकी क्योंकि उनके बयान नानगी बाई पी. ड 7 बयान लेने से पहले ही लिये जा चुके थे और तब तक यह बात सामने नहीं आई थी कि श्री मनोहरलाल उस अखबार को जिसमें आवासनियों की फोटो तथा उनके विषय में लिखा हुआ था कार्यालय में देख रहे थे । उपरोक्त घटना के पश्चात् आवासनी सुशीला, गंगा और नानगी बाई के साथ महिला सदन के कैम्पस में चली गई। कुछ समय पश्चात् मनोहरलाल अन्वेषक भी सदन कैम्पसमें गये। नानगीबाई पानी खोलने के लिये कहने बाहर चली गयी । मनोहरलाल पी. ड. 9 ने स्वयं अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि जब मैं नीचे कैम्पस में गया था, गेट पर खड़ा था तो मुझे नीचे भी पूछा कि अखबार के बारे में क्या करें। इससे स्पष्ट है कि मनोहरलाल ने आवासनी गंगा और सुशीला के अलावा अन्य आवासनियों से भी नीचे कैम्पस में जाकर अखबार की खबर एवं फोटो के बारे में बात की । नानगी बाई पी. ड 7 ने भी अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि लड़कियां आपस में कह रही थी कि अपनी तो बदनामी हो गयी, अखबार वाले झूठ लिखते हैं, मनोहरजी वहीं बैठे थे । नानगी बाई ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि उस समय इन्द्रा भी उन लड़कियों में बैठी थी वह कब उठ कर चली गई उसे पता नहीं है किन्तु मनोहरलाल पी. ड 9 ने अपने बयानों में पहले तो यह कहा कि मुझे ध्यान नहीं है कि इन्द्रा उस समय उन लड़कियों में बैठी थी या नहीं । उसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि इन्द्रा वहां नहीं बैठी थी । मनोहरलाल पी. ड. 9 ने जलने की घटना से पूर्व बयान में इन्द्रा से कोई बातचीत होने से भी इन्कार किया है किन्तु वह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्द्रा को भी उस अखबार की एवं फोटो के बारे में उस दिन जानकारी मिली ।

इन्द्रा आवासनी उस दिन करीब 8 बजे जब चित्रहार आने वाला था जली वह किस प्रकार से जली उसने स्वयं जलाया या किसी और ने उसके कपड़ों में आग लगाई अथवा आग आकस्मिक अपने आप ही लगी पुलिस इन्क्वायरी का मामला है । इस सम्बन्ध में आवासनी सुशीला पी. ड 3, गंगा पी. ड 4 ने अपने बयानों में कहा कि हमें पता नहीं इन्द्रा ने आग कैसी लगाई । आवासनी लीला ने (पी. ड 6) अपने बयान में कहा कि इन्द्रा ने आग खुद ही लगाई जबकि मनोहरलाल पी. ड 9 के बयानों के अनुसार इन्द्रा ने मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया कि रसोई में अचानक जाने कैसे उसके कपड़ों में आग लग गई, उसे किसी ने नहीं जलाया और ना ही उसने खुद जलने

की कोशिश की। किन्तु आवासनी सुशीला और गंगा (पी. ड 3 व 4) व लीला पी. ड ने अपने बयानों में बताया कि इन्द्रा आवासनी पहले भी ऐसी बातें करती थी कि फांसी लगाकर मर जायेगी। पहले भी ऐसी कोशिश करती थी कि आंच में कुर्ता और कपड़े आगे कर देती थी। उसने पहले भी एक बार आग लगाने की बात कही थी। पी. ड. 3 व 4 सुशीला व गंगा तथा पी. डी. 6 लीला के बयान से ऐसा आभास मिलता है कि इन्द्रा आवासनी मानसिक रूप से अशांत थी। किन्तु ये बड़े अचम्भे की बात है कि सदन की आवासनी इस प्रकार के मरने के प्रयास करे या बात करे और इसकी सूचना सदन की अधीक्षिका एवं काम करने वाले अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न हो ? इन्द्रा के पूर्व प्रयास के बारे में मैंने नानगी बाई पी. ड 7, मनोहरलाल पी. ड 9 राधामणी नर्स पी. ड 10 से विशेष रूप से इस बारे में जानकारी करने के लिये प्रश्न पूछा तो उन्होंने अपने बयानों में इन्द्रा के पूर्व में ऐसे प्रयास करने की जानकारी होने से इन्कार किया। इससे आभास होता है कि सदन की अधीक्षिका तथा वहां पर कार्यरत स्टाफ जिनकी ड्यूटी सदन कैम्पस में रहती है और जो आवासनियों के निकट सम्पर्क में आते हैं। जैसे अधीक्षिका, अध्यापिका, नर्स, सिलाई प्रशिक्षक आदि ने एवं श्री मनोहरलाल अन्वेषक जो आवासनियों के काफी निकट सम्पर्क में प्रतीत होते हैं ने अपनी ड्यूटी को सही रूप से अन्जाम नहीं दिया नहीं तो यह सम्भव ही नहीं था कि उनमें से किसी को भी इस बात का मालूम न होता कि इन्द्रा आवासनी ने पूर्व में ऐसी कोशिश की या वह इस प्रकार की बातें करती थी और यदि उन्हें मालूम था तो स्वयं अधीक्षिका को क्यों नहीं बताया। अधीक्षिका की भी अपनी ड्यूटी में से बहुत बड़ी असावधानी है कि ऐसी घटना की सूचना प्राप्त न हो। यदि इन्द्रा के विषय में इस घटना की जानकारी होकर रोकथाम के उपाय कर लिये जाते तो इन्द्रा आवासनी के जलने की घटना रोकी जा सकती थी।

जहां तक श्री मनोहरलाल का प्रश्न है जो कि इन्द्रा के जलने की घटना के समय सदने कैम्पस में मौजूद था ने जलने की जानकारी होने पर उसे नानगी बाई पी. ड 7 के साथ जाकर देखा था किन्तु उनके बयान पी. ड 9 में उन्होंने कहा कि इन्द्रा को चादर से ढका हुआ था और मैंने उसका मुंह और घुटने के नीचे जो हिस्सा खुला था को ही देखा था मुझे ये आभास नहीं हुआ कि इन्द्रा कितनी जली हुई थी। उन्होंने यह भी बयान किया है कि मैंने नानगी बाई च0 श्रेणी कर्मचारी पी. ड 7 से अन्दर जाकर देखने को कहा था वह नहीं गयी, बाद में मेरे साथ ही अन्दर गयी। अन्य आवासनियों से मैंने पूछा था कि इन्द्रा कितनी जली है तो उन्होंने कहा कि मामूली

जली है। दवाई लगाने से ठीक हो जायेगी। उनके बयानों के अनुसार एवं अन्य आवासनियों सुशीला, गंगा एवं सहायक कर्मचारी नानगी बाई ने बताया कि वे बाजार से दवाई लेकर आये और उन्होंने आवासनियों द्वारा इन्द्रा के दवाई लगवाई और खाने की भी दवाई दी। रात करीब 10 बजे वह घर चले गये और सुबह हालचाल पूछने आये। सुबह भी उन्होंने हालचाल पूछने के बाद दवाई दिलाई और घर चले गये। फिर आफिस के समय वह आये और उन्होंने अधीक्षिका और नर्स को भी बताया इन्द्रा को देख ले तथा डा. बग्गा जो कि सदन के पार्ट टाइम डाक्टर हैं बुलाकर दिखाया। मनोहरलाल पी. ड 9 का यह बयान कि उन्होंने अधीक्षिका या अन्य उच्च अधिकारी को रात को ही सूचित करने की आवश्यकता नहीं समझी और ना ही अस्पताल ले जाने की आवश्यकता ही समझी, क्योंकि उन्हें ये आभास नहीं हुआ कि इन्द्रा आवासनी बहुत अधिक जल गयी है, विश्वास योग्य नहीं है। ये कार्य उनका एक जिम्मेदार राजकीय कर्मचारी के विपरीत है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस घटना को छिपाने की कोशिश की। दिनांक 3.11.88 को सुबह 9 बजे अधीक्षिका श्रीमती मन्जु शुक्ला भी जब कार्यालय में और सदन में करीब 9 बजे आई तो नर्स राधामणी पी. ड 10 के बयानों के मुताबिक अधीक्षिका ने जवाब दिया कि मामूली सी जली है। दवाई लगाने से ठीक हो जायेगी। किन्तु मैंने (राधामणी) कहा कि डा. बग्गा को दिखाकर ही इसके इन्जेक्शन लगाना जरूरी है और अस्पताल भी ले जाना जरूरी है। तब डा0 बग्गा को बुलाकर सदन कैम्पस में इन्द्रा को दिखाया गया। इसके बाद उसे डा0 बग्गा की सलाह के अनुसार एस. एम. एस. अस्पताल में "बर्न यूनिट" में भर्ती कराया गया। नर्स राधामणी पी. ड 10 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मनोहरलाल और अधीक्षिका मन्जु शुक्ला (पी. ड 1) इन्द्रा आवासनी को अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने के बजाय सदन में ही इलाज कराना चाहते थे और इसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों को देना नहीं चाहते थे।

पत्रावली संख्या एफ. 1 (एस. 194) जांच/सक/88 के पैरा 9 से ज्ञात होता है कि सहायक निदेशक, जयपुर ने दिनांक 3.11.88 को रात 8 बजे इस घटना की सूचना निदेशक, समाज कल्याण विभाग को दी इससे स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना हो गयी जिसमें एक प्राणी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है की सूचना उच्च अधिकारिणी जो जयपुर में ही रहते हैं उनको घटना के 24 घण्टे के पश्चात् ही दी गयी। इससे स्पष्ट है कि श्री मनोहरलाल अन्वेषक जो घटना के समय मौजूद था और उन्होंने महिला सदन की अधीक्षिका को भी सूचना 13 घण्टे तक नहीं दी और जब वह स्वयं आफिस

के रोज के समय आयी तब उनको घटना के बारे में मालूम हो सका, जबकि पूर्व में ऐसी कोई भी विशेष घटना जैसे रेखा की डिलीवरी व कान्ता आवासनी का दौरा पड़ने की घटना तथा जुबेदा की डिलीवरी की सूचना मनोहरलाल रात को अधीक्षिका को दी थी इस बात की पुष्टि मनोहरलाल पी. ड 9 व अधीक्षिका पी. ड 1 के बयानों से होती है। इससे स्पष्ट है कि मनोहरलाल की अधीक्षिका या अन्य उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं देने में बदनीयति थी। अधीक्षिका द्वारा भी 9 बजे से रात के 8 बजे तक उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी गयी जो घटना की जानकारी होते ही एक राजपत्रित अधिकारी को एक संस्था जो बहुत ही संवेदनशील संस्था है कि अधीक्षिका होने के नाते दी जानी चाहिये थी। ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है।

इस दौरान जांच से भी मुझे आभास हुआ कि अधीक्षिका श्रीमती मन्जु शुक्ला का श्री मनोहरलाल अन्वेषक के अलावा अन्य सदन के कर्मचारियों से मधुर सम्बन्ध नहीं है। आपस में सहयोग की भावना नहीं है। मैंने दिनांक 5.11.88 को दोपहर में सदन कैम्स में भी राउण्ड लिया था तो वहां कैम्पस में सफाई नहीं थी और ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये कोई महिला सदन है जहां पर 50-55 महिलायें रहती हैं और 12-15 कर्मचारी काम करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए यह उचित होगा कि महिला सदन अधीक्षिका एवं समस्त स्टाफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित जो बरसों से वहां पर ही हैं का स्थानान्तरण किया जावे जिससे सदन सुचारु रूप से चले और विभाग की प्रतिष्ठा को आंच नहीं आये।

जांच प्रतिवेदन (अति. कलक्टर एवं ए.डी.एस. अजमेर)

कलक्टर महोदय के आदेश संख्या पी. ए./आर. एम./1124 दिनांक 30-11-88 के अनुसार उत्तर रक्षा गृह, अजमेर के सम्बन्ध में छपी खबर दिनांक 11-11-88 "कहां से आई और कहां गई मीना ?" के सन्दर्भ में निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जयपुर से प्राप्त उक्त खबर की फोटो कापी के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में कलक्टर महोदय के आदेश संख्या पी.ए./आर.एस./1127 दिनांक 1/2-12-88 के अनुसार उक्त उत्तर रक्षा गृह, अजमेर के बाबत नवभारत टाइम्स दिनांक 30-11-88 में छपी खबर "दो साल तक नारी शाला में अफसर ऐश करता रहा" प्रकरण की जांच करने हेतु भी आदेश दिया गया है। उक्त आदेशानुसार जांच दिनांक 3-12-88 को प्रारम्भ की गई। इस जांच में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु हैं--

1. मीना नामक आवासनी को नारीशाला अजमेर में होने वाले तथाकथित व्यभिचार काण्डों की जानकारी होने से तुरन्त समाज कल्याण विभाग द्वारा आदेश प्राप्त कर मुक्त कर दी गई है।
2. श्री हरमुखसिंह द्वारा आवासनियों से नारी शाला में तेल मालिश कराना।
3. श्री हरमुखसिंह व श्री रामबाबू द्वारा नारी शाला में शराब पीकर आना।
4. आवासनी धनलक्ष्मी द्वारा श्री हरमुख सिंह की अश्लील हरकतों एवं बलात्कार के घिनौने कार्यों का उल्लेख करते हुए शिकायत करना तथा उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न रखकर फाड़ कर फेंक देना।
5. काली गूंगी, आवासनी के शरीर पर जलती हुई सिगरेट/बीड़ी से दागना।
6. सर्वश्री हरमुख सिंह एवं रामबाबू, क्राफ्ट टीचर द्वारा आवासनियों के साथ छेड़खानी करना व व्यभिचार का व्यवहार करना।

उपरोक्त बिन्दुओं की विस्तृत जांच करने के सन्दर्भ में निम्नांकितों के बयान लिये गये :—

1. श्रीमती गणेशी पत्नी राजू हरिजन, आवासनी,

2. कु. पुष्पा राजू पुत्री श्री तख्तसिंह, आवासनी
3. मफीदा खातुन उर्फ ममता पत्नी श्री सनवार अली, आवासनी
4. काली गूंगी, आवासनी
5. श्रीमती सावित्री पत्नी श्री राधेश्याम सुनार आवासनी
6. श्रीमती भूमी पत्नी श्री सूना गेरासिया' आवासनी,
7. श्रीमती सीता पत्नी श्री सेसेराव, आवासनी,
8. श्री जगदीश प्रसाद ओझा, जिला बाल अधिकारी, अजमेर
9. श्रीमती रसीदा पत्नी श्रीमती रुबनी, आवासनी
10. कु. शशी बाला उर्फ टिण्डी पुत्री श्री रामलाल, आवासनी,
11. श्री हरमुख सिंह, परिवीक्षा अधिकारी, सम्प्रेक्षण गृह, समाज कल्याण विभाग, अजमेर।
12. श्री गोविन्द सिंह, सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, अजमेर।
13. श्री गोबिन्दी, च. श्रे. कर्मचारी, नारीशाला, अजमेर।
14. श्री रामबाबू, क्राफ्ट टेलर मास्टर, नारी शाला, अजमेर।
15. श्रीमती शशी रुद्रा, नर्स, नारीशाला अजमेर।
16. श्रीमती लीला भक्ता, इन्वेस्टीगेटर, नारी शाला अजमेर।
17. कु. उषा सिंधी, आशागंज, अजमेर (भू. पू.) आवासनी, नारी शाला अजमेर।

उक्त अंकित बयानों के विश्लेषण के आधार पर उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

(1) जांच में मीना नामक आवासनी का नारी शाला से आनन फानन में कार्य मुक्त कराने बाबत बयानों से प्रथम दृष्टता यह जाहिर आता है कि समाज कल्याण विभाग की नीतियों एवं नियमों के अनुरूप ही उसे कार्य मुक्त किया गया है। यह आवासनी बहुत ही झगड़ालू किस्म की महिला थी जो नारीशाला छोड़कर जाना चाहती थी इसलिए विभाग ने जो भी कार्यवाही उसके सम्बन्ध में की है वह नियमानुसार की गई प्रतीत होती है। इस कार्यवाही में किसी विभागीय अधिकारियों का यह आशय जाहिर नहीं होता है कि नारी शाला में हुए तथाकथित व्यभिचार को उजागर करने के डर से उसे जल्दी ही नारी शाला से मुक्त कर दिया गया हो हालांकि यह बात अवश्य जानकारी में आई है कि श्री हरमुख सिंह के तथाकथित

(187)

कारनामों को वह अवश्य जानती थी। संक्षेप में विभाग द्वारा आवासनी मीना को इच्छित स्थान पर जाने हेतु उसे कार्य मुक्त किया गया था। वह जयपुर नारीशाला से अजमेर नारीशाला में स्थानान्तरित की गई थी और अपनी इच्छा से जोधपुर गई है।

(2) श्री जगदीश प्रसाद ओझा, जिला बाल अधिकारी, अजमेर बयानों के अनुसार श्री हरमुख सिंह नारी शाला, अजमेर में सहायक अधीक्षिका के पद पर दिनांक 25-4-86 से 11-5-88 तक रहा था तथा 3-9-87 से 11-5-88 तक नारीशाला की अधीक्षका का चार्ज भी इन्हीं के पास रहा था। इससे पूर्व 23-5-86 से 31-10-86 तक भी अधीक्षिका का चार्ज भी इन्हीं के पास रहा था। इससे पूर्व 23-5-86 से 31-10-86 तक भी अधीक्षिका के पद पर उक्त नारीशाला में कार्यरत रहे हैं। उक्त अवधि में नारीशाला अजमेर में उपलब्ध रिकार्ड से पुष्टि होती है। आवासनी पुष्पा, राजू, मफीदा खातून उर्फ ममता, नारीशाला से मुक्त आवासनी कुमारी उषा सिन्धी, सावित्री सुनारी, आवासनी नारीशाला नर्स श्रीमती शशी रुद्रा इन्वेस्टीगेटर श्रीमती लीला भक्ता आदि के बयानों से साबित होता है कि काली गूंगी आवासनी से श्री हरमुख सिंह तेल मालिश करवाता था। यह कार्यालय के सामने खाट पर लेट कर उक्त कार्य काली गूंगी से करवाया करता था हालांकि श्री हरमुख सिंह ने अपने बयानों में ऐसा करवाने से इन्कार किया है।

(3) आवासनियों के बयानों से एवं नर्स, श्रीमती शशी रुद्रा, इन्वेस्टीगेटर श्रीमती लीला भक्ता के बयानों से यह जाहिर आया है कि श्री हरमुख सिंह नारी शाला में अपने कार्य के समय अक्सर शराब पीकर आता था। यही बात श्री रामबाबू के लिए कही गई है। लेकिन यह तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं कि उक्त दोनों कर्मचारियों ने कभी कार्यालय में शराब लाकर कभी पी हो। बाहर से अवश्य शराब पीकर आते रहे हैं जो उचित नहीं था। साथ में यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि श्री हरमुख सिंह ने नारी शाला में कोई गेंग बना रखी हो। न ही उसके कार्यकाल में रात को कोई पार्टियां होती थी और न ही नारी शाला में इनके मेहमान ईंट भट्टे वालों का आना साबित होता है। यह अवश्य उजागर हुआ है कि दिन में श्री हरमुख सिंह अपना खाना नारी शाला में अधीक्षिका के कमरे में काली गूंगी, पुष्पा राजू व उषा सिन्धी आवासनियों से यदा कदा बनाया करते थे। सामान्य तौर पर काली गूंगी आवासनी ही उनका खाना बनाती थी और कुमारी उषा सिन्धी के बयानों से

यह जाहिर हुआ है कि खाने में मुर्गा भी पकता था लेकिन शराब नारीशाला में नहीं पी जाती थी, अतः नारी शाला में रात को पार्टी होना, ईंट भट्टों वालों को नारी शाला के अन्दर बिठाकर शराब पीने का आरोप श्री हरमुख सिंह पर साबित नहीं हो पाता है और न कोई गेंग होना साबित पाया गया है, क्योंकि बयानों में जाहिर हुआ है कि श्री हरमुख सिंह रात्रि में नारी शाला में नहीं रहता था न ही आता था।

(4) जांच के दौरान लिये गये बयानों में यह आया है कि श्रीमती धनलक्ष्मी जो नारीशाला से जा चुकी है, एक पढ़ी लिखी महिला थी, किसी कारणवश उसे नारी शाला में श्री हरमुख सिंह द्वारा डांट दिया तो वह जोर-जोर से चिल्लाकर श्री हरमुख सिंह के कृत्यों का भांड़ाफोड़ कर उन्हें इन्वेस्टीगेटर श्रीमती लीला भक्ता सामने लाई थी जिसका हवाला स्वयं श्रीमती लीला भक्ता के कथन में आया है। इसी आवासनी ने लिखित में एक दरख्वास्त जिस पर अन्य आवासनियों के हस्ताक्षर/अंनि. करवाकर श्रीमती लीला भक्ता को दी थी क्योंकि उस वक्त श्रीमती धनलक्ष्मी अन्य आवासनियों के साथ हुए बुरे कामों के बारे में वह सब जानती थी जिसका विवरण उसने उस कागज में लिखकर के पेश किया था जिसे लीला भक्ता स्वयं ने भी पढ़ा था जिसके बारे में लीला भक्ता ने अपने बयानों में कहा है कि उस कागज में ऐसा ही लिखा गया था कि श्री हरमुख सिंह लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं। श्रीमती लीला भक्ता के कथनानुसार श्रीमती भक्ता ने श्री हरमुख सिंह को सम्बोधित करते हुए लिखा था कि आप बड़े हैं, सक्षम हैं इसलिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार उस सम्बोधित किये हुए कागज को श्री हरमुखसिंह ने छीनकर फाड़ दिया था। पुष्पा राजू आदि आवासनियों के बयानों से यह भी बात सामने आई है कि श्री हरमुख सिंह ने उस दरख्वास्त को फाड़ दिया था। प्रतीत होता है कि श्रीमती लीला भक्ता यह सब जानती हैं। वह इस समय बीमार है व कमजोर है उनके घर पर लिये गये बयानों से जाहिर होता है कि श्री हरमुख सिंह की इन सब हरकतों को जानती है लेकिन अभी अस्वस्थ होने के कारण बताने में असमर्थ रही है। श्री हरमुख सिंह का यह कृत्य भी (प्रार्थना पत्र को फाड़ देने बाबत) उचित नहीं था क्योंकि सरकारी कार्यालय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फाड़ कर नहीं फैंकना चाहिए था। मैं इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा हूं कि श्रीमती लीला भक्ता इन्वेस्टीगेटर स्वयं ने भी अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वाह नहीं किया है क्योंकि श्री हरमुख सिंह द्वारा जब आवासनियों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त/अं. नि. युक्त दरख्वास्त पेश की थी और जिसे

श्री हरमुख सिह ने फाड़ कर फैंक दिया था तो इसकी सूचना श्रीमती लीला भक्ता को अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को तत्काल देनी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। श्रीमती लीला भक्ता एक वयोवृद्ध एवं इस समय रुग्णावस्था में चल रही है जिसे देखते हुए मेरी उनके प्रति सहानुभूति है।

(5) जांच में काली गूंगी आवासनी के बयान प्रधानाध्यापक बधिर विद्यालय, अजमेर की सहायता से इसके इशारात्मक भावों को समझकर लिये गये हैं क्योंकि यह आवासनी न बोल सकती हैं और न पढ़ी लिखी हैं जो अपने बयानों को स्पष्ट तौर पर लिखवा सकती हो। इस प्रकार इशारों के हावभाव से यह अवश्य जाहिर होता है कि श्री हरमुख सिह केसारे रहस्यों को जानती थी जिसने अपने इशारात्मक भाव से बयानों में बताया है कि एक बार नारी शाला में झगड़ा हुआ था तब उसे भयभीत करने की दृष्टि से श्री हरमुख सिह ने काली गूंगी के शरीर पर जलती हुई बीड़ी/सिगरेट से दाग की बात बताई है जिससे यह प्रतीत होता है कि श्री हरमुख सिह ने काली गूंगी आवासनी को भयभीत करने का प्रयास किया है जिससे कि वह अपने द्वारा किये गये कृत्यों का भंडा फोड़ नहीं कर सके। हालांकि श्री हरमुख सिह ने समस्त आरोपों को मानने से इन्कार किया है और अपने आपको दोष मुक्त माना है लेकिन उसके कथन पर विश्वास किये जाने का कोई उचित आधार नहीं है क्योंकि आवासनियों ने उसके कुकृत्यों की अपने बयानों में पुष्टि की है। श्रीमती शशी रुद्रा, नर्स, नारी शाला के कथन में भी आया है कि काली गूंगी को जलती हुई बीड़ी/सिगरेट से दागा हो तो मालूम तो नहीं पर एक बार काली गूंगी ने उसके शरीर पर दाग अवश्य बताये थे अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप में नर्स श्रीमती रुद्रा ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

(6) जांच में बयानों में जाहिर आया है कि काली गूंगी आवासनी अधीक्षिका के मकान में झाड़ू पोंछा खाना बनाने का कार्य करती थी और उसके अन्य आवासनियों को भी कार्यालय में व अधीक्षिका के मकान में झाड़ू पोछा के लिए बुलवाया जाता था। आवासनी मफीदा खातून उर्फ ममता, काली गूंगी के इशारात्मक भावों के अनुसार सावित्री सुनारी रशीदा आवासनी के बयानों में यह जाहिर आया कि श्री हरमुख सिह ने पुष्पा राजू कु. उषा सिन्धी, मंजू के साथ व्यभिचार किया गया है। तथा मफीदा खातून उर्फ ममता से भी श्री हरमुख सिह ने बदनियती से छेड़खानी की है। आवासनियों के बयानों के अनुसार उपरोक्त कृत्य को आंख से नहीं देखा है। नर्स शशी रुद्रा का कथन है कि उसने श्री हरमुख सिह की हरकतों के बारे में जब अखबार में पढ़ा तो उसके बाद उसने पुष्पा राजू से पूछा तब उसने बताया कि हमें श्री हरमुख सिह बराबर धमकियां देता था कि ये बातें किसी को नहीं बताना। पुष्पा राजू ने ऐसा भी बताया कि श्री हरमुख सिह ने 8/10 बार

उसके साथ कुकर्म किया है। कुमारी उषा सिन्धी ने बयान में बताया है कि उसके साथ तो हरमुख सिंह ने कोई खोटा कार्य नहीं किया है लेकिन पुष्पा राजू के साथ खोटा काम किया था। श्रीमती लीला भक्ता इन्वेस्टीगेटर जो कि नारी शाला में कार्यरत है, उसके बयानों में आया है कि श्री हरमुख सिंह की हरकतों की जानकारी नहीं है लेकिन धनलक्ष्मी को डांटने पर उस वक्त उसने कहा था कि श्री हरमुख सिंह लड़कियों के साथ बुरा काम करता है जो सब जानती हैं। धनलक्ष्मी आवासनी ने लिखित में भी एक कागज दिया था जिसमें ऐसा ही लिखा था कि श्री हरमुख सिंह लड़कियों के साथ बुरा काम करता है। उस कागज में श्रीमती भक्ता ने श्री हरमुख सिंह को सम्बोधित करते हुए यही लिखा था कि आप बड़े है, सक्षम हैं, जैसी लड़कियां बातें बता रही हैं वैसा नहीं करना चाहिये। उस कागज को श्री हरमुखसिंह ने छीनकर फाड़कर फैंक दिया था। श्रीमती लीला भक्ता ने अपने बयान में यह भी कहा है कि उसने कई बार श्री हरमुख सिंह को उनके इस व्यवहार के बारे में कहा था लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अपने कथन में आगे बताया कि धनलक्ष्मी ने जो लिखकर दिया था यह बात सही हो सकती है क्योंकि बिना धुएं के आग नहीं लग सकती है। श्री हरमुख सिंह ने कथन किया कि इस पर लगाये गये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उसे बिना वजह जलील किया जा रहा है। कतिपय आवासनी जैसे सीता शशी बाला ने इस सारी बातों की जानकारी न होने का कथन दिया है। समग्र रूप से बयानों का विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि श्री हरमुख सिंह ने सहायक अधीक्षिका के पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में नारी शाला में रहकर पुष्पा राजू, उषा सिन्धी व मंजु के साथ व्यभिचार किया व मफीदा खातून से बदनियति से छेड़खानी की है। अर्थात् अपने कर्तव्य का सही निस्तरण न कर अच्छी शक्ल सूरत की आवासनियों को हवस का शिकार बनाया है। उनके साथ अश्लील हरकतें की। हालांकि इन कृत्यों की कोई चश्मदीद साक्षी व मेडिकल रिपोर्ट नहीं है केवल बयानों के आधार पर ही उपयुक्त निष्कर्ष निकलते हैं। श्रीमती रुद्रा के कथनानुसार श्री रामबाबू ने भी श्रीमती सावित्री सुनारी आवासनी के साथ कोई बुरा काम किया हो तो उसको जानकारी नहीं है स्वयं श्रीमती सुनारी ने अपने बयानों में बुरा काम करने की बात कही है। सावित्री ने अपने बयान में पुष्पा राजू के साथ भी रामबाबू द्वारा बुरा काम का कहा है। पुष्पा राजू के कथन के अनुसार श्रीमती सावित्री जो एक बूढ़ी आवासनी है जिनको लैटरीन में ले जाकर हाथ पैर बांधकर बलात्कार किया है इस तरह की बात श्रीमती मफीदा उर्फ ममता

ने भी अपने कथन में कहा है कि एक दिन नारी शाला में लड़ाई हुई थी उस दिन मीना ने लिखकर दिया था कि लड़कियों के साथ गलत काम होता है उसको लिख-कर कोर्ट में भेजेगी तब सावित्री मां ने कहा कि रामबाबू ने गलत काम किया है। श्रीमती शशी रुद्रा, नर्स के बयानों में आया है कि श्री रामबाबू, क्राफट टेलर टीचर, नारीशाला चुलबुला अवश्य है लेकिन गलत तो नहीं है। मैंने नहीं सुना कि रामबाबू ने सावित्री के साथ खोटा काम किया। श्री रामबाबू ने अपने कथन में अपने ऊपर लगाये गये आरोप बेबुनियाद बताया है। श्री रामबाबू द्वारा सावित्री के साथ किये गये व्यभिचार बाबत तथ्य उस स्तर तक प्रमाणित नहीं हो पाते हैं जिससे निर्विवाद रूप से यह मान लिया जो कि उसने ऐसा काम किया हो क्योंकि श्रीमती सावित्री अपीयरेन्स में वृद्धा लगती हैं तथा दिमाग से असन्तुलित प्रतीत होती है। श्रीमती रशीदा, आवासनी के बयानों से श्रीमती सावित्री दिमाग से कमजोर है लेकिन पागल नहीं है। इस प्रकार श्री रामबाबू के विरुद्ध श्रीमती सावित्री के साथ कुकर्म करने का बयान में आया है लेकिन निर्विवाद रूप से यह साबित नहीं हो पाया है।

यह बात अवश्य विचारणीय है कि जांच में जो तथ्य आये हैं उन तथ्यों को आवासनियों ने इतने लम्बे समय तक क्यों छिपाये रखा ? किन्तु इसके उत्तर में आवासनियों के बयानों में यह आया है कि श्री हरमुख सिंह जो कि नारी शाला में सर्वेसर्वा था जिससे वे भयभीत थी। स्वयं श्रीमती लीला भक्ता ने भी अपने बयानों में भयभीत रहने का उल्लेख किया। इसके अलावा यह भी प्रश्न उठता है कि क्या पुष्पा राजू, मंजु व उषा सिन्धी की रजामन्दी से श्री हरमुख सिंह ने उक्त बुरा कार्य किया ? इसके सम्बन्ध में श्रीमती रशीदा के बयानों में कथन आया है कि किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ भी काम नहीं हो सकता है लेकिन लड़कियों ने उस समय जो अपनी इच्छा से खोटा काम करवा लिया और अब वे श्री हरमुख सिंह की शिकायतें कर रही हैं। कुमारी उषा सिन्धी का कथन है कि श्री हरमुख सिंह ने पुष्पा राजू आवासनी के साथ खोटा काम किया था। मैंने उस पर उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कुछ बताया नहीं और उसे पुष्पा राजू ने बताया कि वह (श्री हरमुख सिंह) उसे (पुष्पा राजू) को प्यारी कहता था लेकिन कुछ क्षण के लिए मान भी लिया जो कि पुष्पा राजू के साथ श्री हरमुख सिंह ने रजामन्दी से खोटा कृत्य किया था तो भी श्री हरमुख सिंह जो कि एक सरकारी कर्मचारी की हैसियत से नारी शाला में पदस्थापित थे जिन्हें कतई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था।

विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

35. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मूल योजना में अब तक कितने संशोधन किये गये और कब-कब ?

(2) इन संशोधनों के कारण योजना की मूल अनुमानित लागत के मुकाबले वर्तमान अनुमानित लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई ?

(3) राज्य सरकार परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा करने की स्थिति में है ? केन्द्र सरकार से अब तक इस बारे में क्या पेशकश की गई है ?

(4) क्या सरकार को विदित है कि अब तक पाकिस्तान को बहकर कितना पानी चला गया है ? यदि हां, तो कुल मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रोजेक्ट एस्टीमेट में दो बार संशोधन स्वीकृत हुए हैं वर्ष 1970 एवं 1984 में।

(2) इन संशोधनों के कारण मूल स्वीकृत लागत के मुकाबले संशोधित स्वीकृत लागत में वृद्धि 988·32 करोड़ रुपये की हुई है।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारत सरकार से समय-समय पर नहर निर्माण कार्य के लिए धन राशि उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है जिसके फलस्वरूप छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन सालों में 40 करोड़ रुपये की और सातवीं योजना में वर्ष 87-88 में 24 करोड़ व 88-89 में 32 करोड़ रुपये राशि प्राप्त हुई तथा 1989-90 में 24·70 करोड़ रुपये राशि प्राप्त होगी।

(4) पाकिस्तान को जाने वाले पानी का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है। उस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार 1980 से 1985 तक निम्न मात्रा में पानी फिरोजपुर हैडवर्क्स से पाकिस्तान गया—

अवधि	मात्रा लाख एकड़ फुट
1.7.80 से 30.6.81	13.17
1.7.81 से 30.6.82	8.76
1.7.82 से 30.6.83	8.80
1.7.83 से 30.6.84	13.53
1.7.84 से 30.6.85	3.35

सेटेलाइट हॉस्पिटल, जयपुर व गांधी मेमोरियल हास्पिटल हनुमानगढ़

36. श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर स्थित शास्त्री नगर सेटेलाइट हॉस्पिटल व हनुमानगढ़ गांधी

(श्री शोपत सिंह)

मेमोरियल हॉस्पिटल्स में कितने-कितने बेड्स की व्यवस्था है ?

(2) इन दोनों हॉस्पिटल्स में डाक्टर्स तथा अन्य नर्सिंग स्टाफ की संख्या कितनी-कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दोनों हॉस्पिटल्स के आउटडोर मरीजों की संख्या कितनी-कितनी है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर स्थित शास्त्रीनगर सेटेलाइट हॉस्पिटल में 50 रोगी शैयायें एवं हनुमानगढ़ गांधी मेमोरियल अस्पताल में 70 बेड्स की व्यवस्था है।

(2) दोनों अस्पतालों में डाक्टर्स एवं नर्सिंग स्टॉफ की संख्या निम्न प्रकार से है—

पद	शास्त्रीनगर सेटेलाइट अस्पताल	हनुमानगढ़ हॉस्पिटल
कनिष्ठ विशेषज्ञ	7	6
वरिष्ठ चिकित्सक	2	1
मेडिकल ऑफिसर	8	6
नर्सिंग स्टॉफ	27	14
टेक्नीशियन	6	3

(3) आउटडोर मरीजों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं—

वर्ष	जयपुर	हनुमानगढ़
1988	1,10,532	94,737
1986	26,684	42,402

(31 मई तक)

जी. बी. नहर (कर्णीजी वितरिका) को पानी

37. श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जी. बी. नहर (कर्णीजी वितरिका) को गत छः माह में पी. बी.एन. कर्णीजी लिंक चैनल से कितना पानी दिया गया ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गंग कैनाल व सूरतगढ़ ब्रांच से कितना पानी गत छः माह में दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जी. बी. नहर को टेल पर पानी पूरा नहीं दिया गया जिससे फसलों को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार घग्घर बाढ़ के पानी को चक 5 जी. बी. 7-8-10-11-15 से 21 जी. बी. व 26-27-29-33-34-35 जी. बी. को साइफन द्वारा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पीलीबंगा कर्णी जी लिंक चैनल से कर्णी जी वितरिका को दिनांक 27

194

श्री हंसराज मिढ़ा)

अप्रेल, 1989 से पानी दिया जाना प्रारम्भ हुआ। तब से अब तक माहवार पानी निम्न प्रकार दिया गया :—

माह 4/89	138 क्यूसेक दिन
माह 5/89	2736 क्यूसेक दिन
माह 6/89 (24 जून तक)	3603 क्यूसेक दिन
योग	6477 क्यूसेक दिन

(2) गंग कैनाल व सूरतगढ़ ब्रांच से गत 6 माह में निम्नलिखित पानी कर्णीजी वितरिका को दिया गया—

	गंगनगर (क्यू. दिन)	सूरतगढ़ ब्रांच (क्यू. दिन
माह 1/89	3312	—
माह 2/89	4924	—
माह 3/89	5315	—
माह 4/89	3170	1275
माह 5/89	5683	135
माह 6/89 (24 जून तक)	670	1410
योग	22974	4640

(3) जी. बी. नहर की टेलों पर पानी पूरा दिया गया है। अतः किसी नुकसान का प्रश्न नहीं है।

(4) चूंकि साइफन को डिफेन्स रोड वन्रेल मार्ग के नीचे से ले जाना होगा। अतः इस बिन्दु का अभी अध्ययन किया जा रहा है।

चूरू व गंगानगर जिले में ओला वृष्टि से फसलों को क्षति

38. श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत रबी की पकी फसल पर ओले गिरने से चूरू एवं गंगानगर जिले की कितनी फसलें नष्ट हुई ?

(2) क्या नष्ट हुई फसल का मुआवजा देने की सरकार ने घोषणा की थी ?

(3) यदि हां, तो क्या मुआवजा दिया जा चुका ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) गत रबी की पकी फसल पर ओले गिरने से जिला चूरू के 29 ग्रामों की 7564 हैक्टर रबी की फसल एवं जिला गंगानगर के 259 ग्रामों/चक में 41102 हैक्टर रबी की फसलें नष्ट हुई।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमांत कृषकों को क्षतिपूर्ति हेतु 200/- रु. प्रति हैक्टर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला चूरू को 5·61 लाख एवं जिला गंगानगर को 0·35 लाख कुल 5·96 लाख (अक्षरे पांच लाख छियानवे हजार मात्र) का आवंटन किया जा चुका है।

(4) आवंटन किया जा चुका है।

मकराना खनिज क्षेत्र में सड़कें

39. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि काफी अर्से से मकराना में खनिज विभाग अथवा सार्व-खनिज निर्माण विभाग द्वारा खनिज क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं किया गया है और ना ही पुरानी सड़कों की मरम्मत की है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

(2) क्या मकराना खनिज क्षेत्र के आस-पास सेफ्टी जोन में मकान बनाकर वाणिज्यिक दुकानें बना ली गयी हैं ? क्या इसकी अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है ?

(3) यदि नहीं, तो अतिक्रमण को हटाने की कब तक व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि मकराना के खनिज क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं किया गया । मकराना में जो 8 विभिन्न मारबल रेन्ज है प्रायः सभी रेन्जों की खान विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कें बनवाकर जोड़ा जा चुका है । मकराना में खनिज विभाग द्वारा पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु वर्ष राशि आवंटित की जाती है ।

(2) जी, हां । इन निर्माण कार्य के लिए नगरपालिका, मकराना द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई है ।

(3) अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिए नगर-पालिका, मकराना को लिखा जा रहा है ।

इन्दिरा गांधी नहर में खालों का निर्माण

40. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में खालों के निर्माण की जांच करवाने के लिए एक फैक्ट-फाइन्डिंग कमेटी नियुक्त करने की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो ऐसी समिति कब नियुक्त की गयी ? नियुक्ति के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इस समिति ने अपना प्रति-वेदन प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां तो इस प्रतिवेदन की क्या-क्या विशेष बातें हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) खालें जोकि भूमि विकास कार्यों के ही अंग हैं, के अध्ययन हेतु करने हेतु विकास आयुक्त राजस्थान के तत्वाधान में दि. 30 अक्टूबर, 86 को एक सदस्य समिति का गठन किया गया है । समिति के गठन के आदेश की प्रति परिशिष्ट–'अ' पर उपलब्ध है ।

(3) प्रतिवेदन अपेक्षित है ।

(196)

परिशिष्ट–'अ'

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु. 3)

क्रमांक प. 5 (23) प्र. सु. 3/86 जयपुर, दिनांक 30 अक्टूबर, 1986

आज्ञा

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (स्टेज–1) के तहत विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर अध्ययन करने हेतु विकास आयुक्त एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर की एक सदस्यीय समिति के गठन की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अध्ययन के बिन्दु :—

1. उक्त कार्यों के निष्पादन में क्या कमियां रहीं ?
2. भविष्य में ऐसी कमियों को रोकने के क्या उपाय करने होंगे ?
3. कृषकों पर उक्त कार्यों के निष्पादन से क्या अतिरिक्त भार पड़ा व उसकी वजह से किस तरह से सहायता, यदि देनी हो, तो दी जानी चाहिए।

समिति 3 माह में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, सी.ए.डी. विभाग होगा।

आज्ञा से
(ए. एल. बेदी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्य मन्त्री।
2. निजी सचिव, मन्त्री, सी.ए.डी./मुख्य सचिव।
3. विकास आयुक्त एवं शासन सचिव, राज. जयपुर।
4. शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास, राजस्थान, जयपुर।
5. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, इं.गा.न.प., सी.ए.डी. बीकानेर, उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सभी सामग्री अध्ययन करने हेतु विकास आयुक्त

एवं शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उपलब्ध करायेंगे

6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान भूमि विकास निगम, राजस्थान, जयपुर भी उपरोक्त अध्ययन हेतु सभी सहायता विकास आयुक्त एवं शासन सचिव को उपलब्ध करायेंगे ।

परिशिष्ट–'ब'

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु. 3)

क्रमांक प. 5 (23) प्र.सु. 3/88 जयपुर, दिनांक 26 अप्रेल 88

आज्ञा

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना-सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टेज–I के तहत विभिन्न भूमि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 30-10-1986 के द्वारा गठित समिति का कार्यकाल दिनांक 30-9-1988 तक बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

आज्ञा से

(सी. पी. गोयल)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्य मन्त्री, राज. जयपुर ।
2. निजी सचिव, मन्त्री सी.ए.डी./मुख्य सचिव, राज. जयपुर ।
3. विकास आयुक्त एवं शासन सचिव, राज., जयपुर ।
4. शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास, राज., जयपुर ।
5. क्षेत्रीय विकास आयुक्त, इगानप, सी.ए.डी. बीकानेर ।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर ।
8. प्रशासन्कि सुधार (अनु. 7) विभाग को दो अति. प्रतियों सहित ।
9. रक्षित पत्रावली/पत्रा. सं. 9 (5) सी.ए.डी./75.

ह./–

अनुभागाधिकारी

(198)

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न सं.–31 की सूची

राज्य में वनों का क्षेत्रफल वर्ग किलो मीटर में एवं प्रतिशत

वर्ष	भौगोलिक क्षेत्रफल	वन क्षेत्रफल	भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत
1	2	3	4
1954-55	342271	41557	12·14
1955-56	,,	40238	11·75
1956-57	,,	40095	11·77
1957-58	,,	43981	12·84
1958-59	,,	40053	12·87
1959-60	,,	43390	12·67
1960-61	,,	39420	11·51
1961-62	,,	37863	11·06
1962-63	,,	38037	11·11
1963-64	,,	38257	11·17
1964-65	,,	38477	11·24
1965-66	,,	37638	10·99
1966-67	,,	37479	10·94
1967-68	,,	37580	10·97
1968-69	,,	37595	10·98
1969-70	,,	36821	10·75
1970-71	,,	36903	10·78
1971-72	,,	36164	10·56
1972-73	,,	36235	10·58
1973-74	,,	35891	10·48

199

1	2	3	4
1974-75	342271	34086	9·95
1975-76	,,	34421	10·05
1976-77	,,	34606	10·11
1977-78	,,	34484	10·07
1978-79	,,	34914	10·20
1979-80	,,	30657	8·95
1980-81	,,	30440	8·89
1981-82	,,	30828	9·00
1982-83	,,	31130	9·07
1983-84	,,	31151	9·10
1984-85	,,	31292	9·14
1985-86	,,	31543	9·21
1986-87	,,	31660	9·24

२००

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची

महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर के शौचालयों की सूची

क्र. सं.	वार्ड का नाम	शौचालयों की संख्या	शौचालयों का फ्लश सिस्टम सही है।	शौचालय का फ्लश सिस्टम खराब है।
1.	मेल मेडीकल–3	3	फ्लश ठीक है	
2.	मेल मेडीकल–प्रथम	8	,,	
3.	पोस्ट आपरेटिव वार्ड	3	,,	
4.	सर्जिकल वार्ड बी	8	,,	
5.	फिमेल सर्जिकल वार्ड-प्रथम	5	,,	
6.	बच्चा वार्ड एवं टिटेनस वार्ड	3	2 फ्लश ठीक हैं।	एक फ्लश खराब है।
7.	फिमेल सर्जिकल वार्ड II	3	फ्लश ठीक है।	
8.	सर्जीकल वार्ड "अ"	8	,,	
9.	फिमेल मेडीकल वार्ड–2	3	,,	
10.	फिमेल मेडीकल वार्ड	8	,,	
11.	काटेज वार्ड	20	,,	
12.	मेल आरथोपेडिक वार्ड	3	,,	
13.	फिमेल आरथोपेडिक वार्ड	3	,,	
14.	आर.आर.सी. वार्ड मेल	6	,,	
15.	आर.आर.सी. वार्ड फिमेल	4	3 फ्लश ठीक हैं।	एक फ्लश खराब है।

परिशिष्ट—क

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 की सूची

वन भूमि पर अवैध निर्माण एवं की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	स्थान	अवैध निर्माण की तिथि	अवैध काश्त एवं भवन निर्माण (कच्चे झोंपड़े की भूमि का क्षेत्रफल) (अन्दाजिया)	की गई कार्यवाही का विवरण		
					व्यक्ति का नाम	एफ.आई.आर. नम्बर एवं दि.	वर्तमान में इसकी स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लाला/मेघा गरासिया	गालदर	7-3-89	52 एकड़	क्र. सं. 1 से 22 तक के व्यक्ति	29–26 ——— 7-3-89	कोर्ट चालान की कार्यवाही जारी है एवं पुलिस के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को मौके पर से बेदखल करने की कार्यवाही भी जारी है।
2.	कुसना/चतरा ,,	,,	,,				
3.	हंसा/धीरा ,,	,,	,,				
4.	नंगा/मेघा ,,	,,	,,				
5.	कान्ती/लीम्बा ,,	,,	,,				
6.	काना/वरदा ,,	,,	,,				
7.	खेमा/वरदा ,,	,,	,,				
8.	जालमा/मेघा ,,	,,	,,				
9.	रूपा/मेघा ,,	,,	,,				

201

१०६

1		2	3	4	5	6	7	8
10.	होमा/नाना	गरासिया	गालदर	7-3-89				
11.	भीखा/मेघा	,,	,,	,,				
12.	छाजा/वरदा	,,	,,	,,				
13.	माना/नाना	,,	,,	,,				
14.	रेशमा/राजा	,,	,,	,,				
15.	अम्बा/धीरा	,,	,,	,,				
16.	धन्ना/भेरा	,,	,,	,,				
17.	वजा/अमरा	,,	,,	,,				
18.	हकरा/देवा	,,	,,	,,				
19.	भीमा/रामा	,,	,,	,,				
20.	काला/राम	,,	,,	,,				
21.	धर्मा/लाल	,,	,,	,,				
22.	गोखरा/नाना	,,	,,	,,				
23.	पेमा/मोडा जालमा/पेमा खेता/पूना पूना/मोडा ववा/मगा	गमेती ,, ,, ,, ,,	पीपली माला ,, टेकरा ,,	20-7-83	35 बीघा	क्र. सं 23 पर अंकित व्यक्ति	931–5 ——— 20-7-83	मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट झाडोल में मुकदमा विचाराधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
पांचा/खूमा हवजी/खूमा 24. भीवा/जीवा	गमेती ,, ,,	टेकरा ढिकलिया गोदावाड़ा	1-3-85	5 बीघा		1062–3 ——— 1-3-85	राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है।
25. सवला/जीवा	,,	,,	,,	5 बीघा		1062-4 ——— 1-3-85	,,
26. करण/सकरा	,,	,,	,,	5 बीघा	,,	1062–5 ——— 1-3-85	,,
27. बसा/कालू	,,	दमाणा तालाब	6-3-85	3 बीघा	,,	1062–7 ——— 6-3-85	,,
28. धुला/हकरा	,,	,,	,,	2 बीघा	,,	1062–9 ——— 6-3-85	,,
29. नाना/रूपा	,,	,,	,,	2 बीघा	,,	1062–10 ——— 6-3-85	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
30. होमा/खातु	गमेती	दामाणा तालाब	6-3-85	2 बीघा	,,	1062–11 / 7-3-85	राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है।
31. काना/गुला	,,	,,	,,	2 बीघा	,,	1062–12 / 7-3-85	
32. लीम्बा/मंगला	,,	,,	14-10-85	12 बीघा	,,	1062–44 / 14-10-85	,,
नांगा/सोमा	,,	,,					
जोधा/सकरा	,,	,,					
खीमा/पेमा	,,	,,					
भूरा/नाना	,,	,,					
भेरा/सवा	,,	,,					
नाना/सवा	,,	,,					
33. होमा/टाला	,,	,,	6-3-85	3 बीघा	,,	1062–8 / 6-3-85	,,
34. नाथू/अमरा	,,	,,	21-12-85	1 बीघा	,,	1062–50 / 21-12-85	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	कसना/पूना	,,	पीपलीमाल	13-10-85	10 बीघा ,,	1062–43 / 13-10-85	रा0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है।
	धूला/पूना	,,	,,				
	भूरा/पूना	,,	,,				
	हकरा/पूना	,,	,,				
	वरदी/पूना	,,	,,				
	दीता/प्यारा	,,	,,				
36.	हीरा/हवा	,,	कीरट	2-9-86	1/2 बीघा ,,	0037–12 / 2-9-86	,,

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

वर्ष 89-90 में पचपदरा तहसील में पोस्त डोडा के हेल्थ परमिट जारी किए गए की सूची

क्र. सं.	परमिट जारी करने का दिनांक	परमिटधारी का नाम	गांव	पोस्त डोडा की माहवारी मात्रा
1	2	3	4	5
1.	4–4–89	श्री आसुराम पुत्र मोनाजी ढोली	टापर	7.657 कि. ग्रा.
2.	,,	श्री मूलाराम पुत्र प्रतापजी घांची	,,	6.890 ,,
3.	,,	श्री हजारीमल पुत्र दरगाजी घांची	,,	13.000 ,,
4.	,,	श्री धोकलराम पुत्र लालाराम राईका	साजीपाली	7.657 ,,
5.	,,	श्री कबीरराम पुत्र गिरधारी मेघवाल	,,	13.000 ,,
6.	,,	श्री पेमाराम पुत्र हरजी राईका	जैता	9.954 ,,
7.	,,	श्री सरदार पुत्र मोतीजी राईका	दांखा	14.547 ,,
8.	,,	श्री टीकमाराम पुत्र सोनारमण पटेल	,,	13.000 ,,
9.	,,	श्री सोनाराम पुत्र भुराजी राईका	,,	13.782 ,,
10.	,,	श्री चुनी पत्नी राणसिह राजपूत	मायवा	6.125 ,,
11.	,,	श्री कालूखां पुत्र मोहम्मद खां	वागुन्डी	7.657 ,,
12.	,,	श्री मणीशंकर पुत्र फूलचंद श्रीमाली	थोब	8.422 ,,
13.	,,	श्री रूपाराम पुत्र धुड़ाराम चौधरी	,,	13.782 ,,

1	2	3	4	5
14.	4–4–89	श्री लछीराम पुत्र जबारजी चौधरी	थोब	7.657 कि. ग्रा.
15.	,,	श्री हमीर खां पुत्र रावत खां	,,	11.485 ,,
16.	,,	श्री हरलाल पुत्र रणमल जी राईका	,,	7.657 ,,
17.	,,	श्री देवा पुत्र धनाजी सुथार	डंडाली	7.657 ,,
18.	,,	श्री बगताराम पुत्र बोकोजी राईका	जानीयाना	8.422 ,,
19.	,,	श्री भैरूसिंह पुत्र बाबूसिंह राजपूत	पाटोदी	13.782 ,,
20.	,,	श्री सुल्तानखां पुत्र फतेहखां मुसलमान	,,	13.000 ,,
21.	19–4–89	श्री हड़मतसिंह पुत्र रूपजी पुरोहित	,,	13.000 ,,
22.	,,	श्री रामसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत	,,	13.000 ,,
23.	,,	श्री रूपाराम पुत्र रदाराम राईका	,,	7.000 ,,
24.	10–4–89	श्री डूंगरसिंह पुत्र सुजानसिंह राजपूत	,,	8.400 ,,
25.	4–4–89	श्री नीम्बाराम पुत्र रेवाराम मेघवाल	पाटियाला	11.185 ,,
26.	,,	श्री पेमाराम पुत्र गोकुलाराम जाट	खोखर	13.000 ,,
27.	,,	श्री हीराराम पुत्र रूपाराम कुम्हार	भीमरलाई	14.547 ,,
28.	,,	श्री पीराराम पुत्र पोकरजी पालीवाल	मन्डीयावास	8.422 ,,
29.	,,	श्री उदयसिंह पुत्र नवलसिंह राजपूत	गीरा	11.485 ,,
30.	,,	श्री राणाराम पुत्र कसनाराम जाट	होडू	8.422 ,,
31.	,,	श्री मगनाराम पुत्र कोजाजी मेघवाल	सन्तरा	9.188 ,,
32.	20–4–89	श्री सोनाराम पुत्र धुड़ाराम जाट	सन्तरा	11.400 ,,

1	2	3	4	5	
33.	4–4–89	श्री दुर्गसिंह पुत्र राणसिंह राजपूत	साँकला की ढाणी	12.250	कि. ग्रा.
34.	,,	श्री भवताराम पुत्र सेराराम	गांव चोपलाबेही	11.485	,,
35.	,,	श्री जैतमालसिंह पुत्र रूघसिंह राजपूत	वाथड़	9.188	,,
36.	19–4–89	श्री विशनसिंह पुत्र शैतानसिंह राजपूत	पचपदरा	13.000	,,
37.	,,	श्री हरिराम पुत्र पूनमाजी खारवाला	पचपदरा सिटी	13.000	,,
38.	,,	श्री चिमनाराम पुत्र जालोनी लुहार	पचपदरा	5.000	,,
39.	,,	श्री घमंडीराम पुत्र नेबीराम खाखरवाल	पचपदरा सिटी	12.000	,,
40.	,,	श्री मंगलाराम पुत्र जीवराम भील	पचपदरा	12.000	,,
41.	,,	श्री निसार पुत्र मजीद मुसलमान	,,	13.500	,,
42.	20–4–89	श्री हरीराम पुत्र हस्तीमल मेघवाल	,,	13.000	,,
43.	,,	श्री पोकर पुत्र जीवाराम रेबारी	,,	13.700	,,
44.	19–4–89	श्री रामदान पुत्र हरदान चारण	गुरलीचारनात	13.000	,,
45.	,,	श्री मंगला पुत्र पोथाजी राईका	असाडा	13.000	,,
46.	,,	श्री पेमाराम पुत्र भोलाराम जाट	सगतरा	12.000	,,
47.	20–4–89	श्री जस्सागिरी पुत्र पीरूगिरी स्वामी	पचपदरा साल्ट	13.700	,,

परिशिष्ट–8

तारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प–1 (8) वस्थाप/86/8937–9237 दिनांक 25·10·86

समस्त प्रशासनिक अधिकारी

विषय—कनिष्ठ लिपिकों को अन्तिम वरिष्ठता सूची में टेलीफोन आपरेटरों के नाम सम्मिलित करने के क्रम में।

निदेशालय के पत्र क्रमांक प–1 (18) 11/वस्थाप/86/5828 दिनांक 14-7-86 के द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-3 (9) कार्मिक/क/80 दिनांक 14-6-83 के अनुसरण में योग्य टेलीफोन आपरेटरों को इन्टरलैस वरिष्ठता सूची का प्रकाशन करते हुए उल्लेख किया गया था, कि यदि किसी कर्मचारी को उक्त वरिष्ठता निर्धारण में कोई आपत्ति हो तो वह अपना प्रतिवेदन इस निदेशालय को भेज दें।

उक्त सूची के सन्दर्भ में कर्मचारियों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाकर उक्त वर्ग के कर्मचारियों की अन्तिम इन्टरलैस वरिष्ठता सूची एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है कृपया सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को इससे अवगत करा दें।

ह0
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.,
जयपुर।

क्रमांक: प–1 (8) वस्थाप/86/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

(1) सामान्य संस्थापन अनुभाग मुख्यालय।

(2) अराजपत्रित अनुभाग मुख्यालय।

(3) आदेश पत्रावली।

ह0
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज.,
जयपुर।

(210)

टेलीफोन आपरेटरों की इन्टरलेस अन्तिम वरिष्ठता सूची

क्रम सं.	नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्र. नि. तिथि	टे.आ. पद पर नि. ति.	प्रस्तावित व.क्र.	योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री एम.सी. भार्गव	अजमेर	29.1.31	29.11.56	29.11.56	5-ए	नो.मै.
2.	,, राधारमण	जयपुर	5.5.40	8.3.62	8.3.62	26-ए	हाईस्कूल
3.	,, दुर्गालाल माथुर	,,	10.8.40	12.5.62	12.5.62	26.बी	परि.वर्धा
4.	,, रामलाल बीजावत	अजमेर	12.4.44	2.2.66	2.2.66	143-ए	नो.मै.
5.	,, मदन लाल	जयपुर	1.1.43	21.4.66	21.4.66	157-ए	मैट्री
6.	,, हेम चन्द अस्थाई	कोटा	5.2.38	1.6.58	5.1.67	182-ए	नो.मै.
7.	,, भगवान सिंह	,,	2.2.40	27.3.60	5.1.67	182-बी	नो.मै.
8.	,, रामप्रताप यादव	,,	2.2.42	27.3.62	5.1.67	182-सी	नो.मै.
9.	,, मुनीर खां	अजमेर	10.11.39	25.4.60	2.5.68	298-ए	नो.मै.
10.	,, कमला शंकर शर्मा	उययपुर	23.12.39	2.1.63	1.5.70	399-ए	हि.भार.
11.	,, शंकरलाल आर्य	,,	6.11.48	9.12.70	9.12.70	477-ए	सैकेन्ड्री
12.	,, विरेन्द्र कुमार सक्सैना	जयपुर	14.8.48	19.10.66	20.1.71	483-ए	हि.भा.र,
13.	,, एन.एस. रावत	अजमेर	15.7.53	24.2.75	24.2.75	638-ए	सैकेन्ड्री

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	श्री जीतमल	अजमेर	6.6.56	19.7.73	28.8.75	666-ए	सैकेण्ड्री
15.	,, टेकचन्द	जयपुर	20.12.47	5.11.74	23.9.76	676-ए5	,,
16.	,, कुन्ज बिहारी सिंह	,,	25.12.47	5.12.74	23.9.76	676-ए6	,,
17.	,, ताराचन्द	,,	15.8.52	31.5.75	19.9.76	676-ए7	,,
18.	,, शशी कांत देश पांडे	,,	27.10.49	29.5.71	30.9.76	676-ए8	,,
19.	,, गोपाल सिंह	उदयपुर	5.4.52	18.12.76	18.12.76	678-ए	हा.सै.
20.	,, मकबूल अहमद	,,	8.8.55	20.7.78	20.7.78	723-ए	सैकेन्ड्री
21.	,, चेतराम	,,	1.5.24	1.6.70	2.9.78	727-बी	को.विद.
22.	श्रीमती कमल कंवर	जोधपुर	16.7.65	29.11.63	20-7.78	797-ए	म.सा.र.
23.	श्री नरपत सिंह	जोधपुर	2.5.55	6.7.76	20.7.79	797-बी	सैकेन्ड्री
24.	,, के.जी.मथाई	जोधपुर	18.4.49	24.7.79	24.7.79	798-ए	एस.एस.ए.सी.
25.	,, सम्पत सिंह	जोधपुर	5.2.50	6.8.79	6.8.79	804-ऐ	हा.सै,
26.	,, त्रिभुवन नाथ	जोधपुर	15.9.52	7.8.79	7.8.79	804-बी	हा स्कूल

211

212

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 की सूची

टोडारायसिंह में सिचाई खण्ड टोंक के अन्तर्गत जनवरी, 85 से मई, 89 तक कराये गये कार्यों का विवरण

(आंकड़े लाख रु. में)

क.सं.	कार्य का नाम	विधान सभा क्षेत्र	तहसील	लघु सिचाई	मद संधारण	अकाल राहत	एन.आर.ई.पी.	एन.आर.ई.पी. परिवर्तित	बाढ़ राहत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सूरजपुरा पिकअप वियर	टोडा	टोडा	—	—	1.87	—	—	—	1.87
2.	राठोडिया	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
3.	रामनगर मोरला	,,	,,	—	0.03	0.84	—	—	—	0.87
4.	बनेडिया नया	,,	,,	—	0.10	1.40	—	—	—	1.50
5.	बनेडिया पुराना	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
6.	केरली सागर	,,	,,	—	—	1.13	—	—	—	1.13
7.	खेड़लिया	,,	,,	—	—	0.42	—	—	—	0.42
8.	मोंरभाटियान	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
9.	कालीडूंगरी	,,	,,	—	—	0.05	—	—	—	0.05
10.	खुहेड़ा खुर्द	,,	,,	—	—	0·59	—	—	—	0.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	नया ता0 गेंदिया	टोडा	टोडा	—	—	—	—	—	—	—
12.	गुच्छीनाडी	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
13.	हरभगतपुरा	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
14.	सदापुरा	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेहरूसागर	,,	,,	—	—	0.64	—	—	—	0·64
16.	हालोलाव कलमण्डा	,,	,,	—	0.04	—	—	—	—	0.04
17.	नया ता0 पंवालिया	,,	,,	—	—	1.04	—	—	—	1.04
18.	तमोलिया पंवालिया	,,	,,	—	—	1.35	—	0·66	—	2.01
19.	काला ता0 मुंडिया	,,	,,	—	—	0.70	—	—	—	0.70
20.	पड़ूंरिया मुंडिया	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
21.	बनकाखेड़ा	,,	,,	—	—	0.78	—	—	—	0.78
22.	सुबद्दण्डटीपा	,,	,,	—	—	0·48	—	—	—	0.48
23.	गांगालाव	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
24.	घरेडासागर	,,	,,	—	0.84	1.17	—	1.02	—	3.03
25.	सांडला बांध	,,	,,	—	0.25	0.35	—	—	—	0.60
26.	बिलोलाव	,,	,,	—	0.08	—	—	—	—	0.08

२१५

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	ब्याला	टोडा	टोडा	—	0.52	—	—	—	—	0.52
28.	सालियावास	,,	,,	—	—	1.41	—	—	—	1.41
29.	रामपुरा	,,	,,	—	—	0.65	—	—	—	0.65
30.	श्रान	,,	,,	—	0.43	0.77	—	—	—	1.20
31.	इस्लामपुरा	,,	,,	—	0.26	0.42	—	0.53	—	1.21
32.	गाडरवाला एनीकट	,,	,,	—	—	—	—	1.07	—	1.07
33.	ढिपरूसागर	,,	,,	—	0.43	—	—	—	—	0.43
34.	रिर्डलिया रामपुरा	,,	,,	—	0.77	—	—	—	—	0.77
35.	रतवाड़ा	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
36.	शिवसागर सांवरिया	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
37.	गेगोलाव	,,	,,	—	0.49	—	—	—	—	0.49
38.	बड़ा ता0 दतोब	,,	,,	—	—	3·08	—	—	—	3.08
39.	बालासागर सांवरिया	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
40.	हालोलाव कूकड़	,,	,,	—	—	0.99	—	—	—	0.99
41.	गनेतासागर	,,	,,	—	0.42	0.72	—	—	—	1.44
42.	खेतासागर	,,	,,	—	0.26	—	—	—	—	2.26
43.	राजोलाव कुहाड़ा	,,	,,	—	—	0.36	—	—	—	30.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	खरेडासागर	टोडा	टोडा	—	0.13	—	—	—	—	0.13
45.	मोडियाला	,,	,,	—	0.15	0.65	—	—	—	0.80
46.	मोरदण्ड कुहाड़ा	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
47.	पन्द्राहेड़ा	,,	,,	—	0.02	0.51	—	—	—	0.53
48.	ग्रोसालाव	,,	देवली	—	0.16	—	—	—	—	0.16
49.	कालानाडा	,,	,,	—	0.37	0.65	—	—	—	1.02
50.	भेरूसागर	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
51.	कल्याणसागर बीजवाड़	,,	,,	—	0.56	2.22	—	—	—	2.78
52.	पड़ूरिया	,,	,,	—	0.21	—	—	—	—	0.21
53.	बीलवाड़	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
54.	नासिरदा	,,	,,	—	3.11	1.88	—	—	—	4.99
55.	सांकड़वाड़	,,	,,	—	0.54	—	—	—	—	0.54
56.	चांदलीसागर	,,	,,	—	0.60	0.85	—	—	—	1.45
57.	दांतासागर	,,	,,	—	0.28	2.14	—	—	—	1.42
58.	सांवतगढ़	,,	,,	—	0.39	1.09	—	—	—	1.48
59.	पतवाड़सागर	,,	,,	—	1.98	0.93	—	0.95	—	3.86
60.	राजकोट	,,	,,	—	1.33	0.44	—	—	1.95	3.72

215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	बिशनपुरा	टोडा	देवली	—	—	—	—	—	—	—
62.	हेमनवास	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—
	लघु सिंचाई परियोजनाएं (निर्माणाधीन)									
1.	शहोदरा	टोडा	टोडा	38.70	—	1.16	—	0.78	—	40.04
2.	बोटून्दा	,,	,,	36.00	—	7.56	12.17	0.53	—	56.26
3.	काश्मीर	,,	देवली	5.22	—	—	—	—	—	5.22
4.	बाकोला	देवली	,,	—	0.67	4.17	—	—	—	4.84
5.	मानसागर अरनिया	,,	,,	—	3.26	5.03	—	—	—	8.29
6.	संग्रामसागर निवारिया	,,	,,	—	1.32	3.64	—	—	—	4.96
7.	सीतापुरा	,,	,,	—	—	1.31	—	—	—	1.31
8.	नोगजा	,,	,,	—	0.45	0.71	—	—	—	1.61
			कुल योग	79.92	20.45	56.15	12.17	5.54	1.95	176.18

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 की सूची

परिशिष्ट–'अ'

जहाजपुर तहसील में संचालित छात्रावासों के लिए गठित प्रबन्ध एवं प्रवेश समितियों की आयोजित बैठकों एवं उनके सदस्यों का विवरण

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	वर्ष	बैठक दिनांक	सदस्य का नाम
1	2	3	4	5
1.	राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास, पण्डेर	1987-88	6.7.87	1. श्री विधायक महोदय, जहाजपुर क्षेत्र
		1988-89	5.7.88	2. ,, विकास अधिकारी, जहाजपुर
		1989-90	2.7.89	3. ,, प्रधान, पंचायत समिति, जहाजपुर
				4. ,, कालूराम रैगर, पण्डेर
				5. ,, सोहनलाल तुलमा-रिया
				6. ,, जिला परिवीक्षा एवं स. क. अ. भीलवाड़ा।
2.	राज. अनु. जन जाति छात्रावास, शक्करगढ़	1987-88	7.7.87	1. ,, विधायक महोदय, जहाजपुर
		1988-89	5.7.88	2. ,, विकास अधिकारी, जहाजपुर।
		1989-90	2.7.89	3. श्री प्रधान, पंचायत समिति, जहाजपुर
				4. जिला परि. एवं स. क. अधिकारी भीलवाड़ा।

1	2	3	4	5
3.	राजकीय अनु. जनजाति कन्या छात्रावास, जहाजपुर	1987-88	6-7-87	1. श्री विधायक महोदय, जहाजपुर क्षेत्र
		1988-89	5.7.88	2. श्री प्रधान, पंचायत समिति, जहाजपुर
		1989-90	2.7.89	3. श्री विकास अधिकारी पंचायत समिति, जहाजपुर
				4. श्री जिला परि. एवं स. क. अधि. भीलवाड़ा
				5. श्री बहादुरसिंह मीणा
				6. श्री रणजीतसिंह मीणा

परिशिष्ट–'ब'

प्रतिलिपि कार्यालय आदेश क्रमांक विकास/सा./88/दिनांक निल और से कलक्टर भीलवाडा, वास्ते सहायक जिलाधीश भीलवाडा/माण्डलगढ़, 2– विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं अन्य सम्बन्धित को।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निम्न छात्रावासों की प्रवेश सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उनके सामने अंकित अधिकारियों को छात्रावास संचालन नियम 4(2) (5) के अन्तर्गत मनोनीत किये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम छात्रावास	मनोनीत अधिकारी
1.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास-गांधीनगर भीलवाड़ा	सहायक जिलाधीश भीलवाड़ा
2.	,, ,, सुभाषनगर, भीलवाड़ा	,, ,,
3.	,, ,, मालीखेड़ा ,,	,, ,,

क. सं.	नाम छात्रावास	मनोनीत अधिकारी
4.	राज. अनु. जाति छात्रावास माण्डलगढ़	सहायक जिलाधीश, माण्डलगढ़
5.	,, ,, लाड़पुरा	विकास अधिकारी, माण्डलगढ़
6.	,, ,, कोटड़ी	,, ,, कोटरी
7.	,, ,, गंगापुर	,, ,, सहाड़ा
8.	,, ,, रायपुर	,, ,, रायपुर
9.	,, ,, आमली	,, ,, सहाड़ा
10.	,, ,, बदनौर	,, ,, आसीन्द
11.	,, ,, फूलियांकला	,, ,, शाहपुरा
12.	रा. विमुक्त जाति छात्रावास शाहपुरा	,, ,, शाहपुरा
13.	,, ,, बागौर	,, ,, माण्डल
14.	,, ,, पण्डेर	,, ,, जहाजपुर
15.	रा. अनु. जन जाति छात्रावास, शक्करगढ़	,, ,, जहाजपुर
16.	,, ,, जहाजपुर (कन्या)	,, ,, जहाजपुर
17.	अनुदानित छात्रावास जहाजपुर	,, ,, जहाजपुर

—सभी अधिकारी सम्बन्धित छात्रावास की प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक की सूचना प्राप्त होने पर उपस्थित होकर कार्यवाही सम्पादित करवायें।

———

परिशिष्ट "स"

प्रतिलिपि कार्यालय आदेश क्रमांक सकवि/भी./सामान्य/88-89/1996 दिनांक 5.7.88 ओर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी स. क. वि. भीलवाड़ा। प्रतिलिपि श्री सहायक छात्रावास अधीक्षक, राजकीय/अनुदानित छात्रावास समस्त।

———

छात्रावास संचालन नियम 4(2) 5 के अनुसार निम्न छात्रावासों में प्रवेश सलाहकार समिति के सदस्य के रुप में उनके सामने अंकित अनुसूचित जाति/जनजाति के राज्य कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य को मनोनीत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम छात्रावास	सामाजिक कार्यकर्ता	राज्य कर्मचारी
1.	राज.अनु. जाति छात्रावास गांधीनगर, (भीलवाड़ा)	जगन्नाथ खोईवाल	बाबूलाल जैतियां
2.	,, ,, सुभाषनगर ,,	,,	,,
3.	,, ,, मलीखेड़ा ,,	ईश्वरलाल गारु	,,
4.	,, ,, लाड़पुरा ,,	लखमाजी रेगर	मदनलाल जीनगर
5.	,, ,, कोटरी	कल्याणमल रेगर	मूलचन्द पहाडिया
6-	,, ,, गंगापुर	इन्द्रमल जीनगर	सुखदेव जैलिया
7.	,, ,, आमली	ऊंकारलाल रेगर	धानजीलाल नायक
8.	,, ,, बदनौर	देवीलाल मारू	बन्शीलाल मोची
9.	,, ,, फूलियांकला	रामचन्द्र रेगर	गोपीलाल
10.	राज. विमुक्त जाति छात्रावास शाहपुरा	बगजीराम रेगर	ओमप्रकाश वर्मा
11.	,, ,, पण्डेर	कालुराम रेगर	सोहनलाल तुलमारिया
12.	,, ,, बागौर	चुन्नीलाल रेगर	हरिकिशन खटीक
13.	अनुदानित छात्रावास जहाजपुर	बहादुर सिंह मीणा	रणजीत सिंह मीणा

परिशिष्ट–स

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक सामान्य/सकवि/भी/85/2542-48 दिनांक 11.10.89 और जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी भीलवाड़ा (राज.) प्रतिलिपि सूचनार्थ वास्ते सहायक अधीक्षक राज/अनु. **छात्रावास एवं अन्य सम्बन्धित को।**

जिले में संचालित राजकीय/अनुदानित व हरिजन छात्रावासों में छात्र प्रवेश सलाहकार समिति के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के नियमानुसार सदस्यों को छात्रावास वाइज मनोनीत किया जाता है।

अतः छात्रावासों में छात्र प्रवेश के समय निम्न सदस्यों को भी आमंत्रित किया जावे।

क्र. सं.	नाम छात्रावास	सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
1.	गांधीनगर (भीलवाड़ा)	श्री रामलाल आर्य
2.	सुभाषनगर ,,	,, राम लाल हरिजन
3.	मालीखेड़ा ,,	,, महादेव गावरी
4.	राज. विमुक्त जाति छात्रावास शाहपुरा	,, भोलूराय हरिजन
5.	राज. अनु.जाति छात्रावास माण्डलगढ़	,, कैलाश चन्द्र हरिजन
6.	अनुदानित छात्रावास जहाजपुर	,, रामलक्ष्मण हरिजन

परिशिष्ट–'क'

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक फा. 2/89-90//1 दिनांक 26.6.89 और से श्री रामलाल सुखवाल द्वारा श्री जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा (राज.)

विषय :—छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति की सूचना के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि छात्रावास के प्रवेश नियमानुसार प्रवेश सलाहकार समिति के सदस्यों को निर्धारित समय की सूचना इस कार्यालय के जरिये डाक एवं हम दसा भेज दी जाती है। सूचनार्थ सत्र 86-87, 87-88, 88-89 की संलग्न है।

जिन सदस्यों को सूचना भेजी जानी है उनकी रसीद नहीं लेकर डाक से भेजी जाती है। स्थानीय व्यक्तियों की रसीद रजिस्टर में ली जाती हैं बाहर के व्यक्तियों को डाक मे भेजी है। जो रजिस्टर्ड नहीं भेजी जाती है।

---

(222)

परिशिष्ट "न"

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 9 दिनांक 19.6.89 ओर से सहायक अधीक्षक राजकीय विमुक्त जाति छात्रावास, समाज कल्याण विभाग, पण्डेर वास्ते श्रीमान जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा।

विषय:—सत्र 1989–90 के लिए छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक के क्रम में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यालय आदेश क्रमांक 935-53 दिनांक 17.6.89 के अनुसार छात्रावास में छात्रों को प्रवेश हेतु प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 28.6.89 को सांय 4 बजे छात्रावास भवन में आमंत्रित की गई है।

कृपया बैठक में निश्चित दिनांक को समय पर पधारने की कृपा करें।

परिशिष्ट "द"

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 8/दिनांक 26-6-89 ओर से सहायक अधीक्षिका नर्स समिति राजकीय कन्या छात्रावास समाज कल्याण विभाग जहाजपुर वास्ते श्रीमान जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जी, भीलवाड़ा एवं अन्य सम्बन्धित को।

विषय :—सत्र 1989-90 के लिए छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक के क्रम में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यालय आदेश क्रमांक 1124 दिनांक 23.6.89 के अनुसार छात्रावास में छात्राओं को प्रवेश हेतु प्रवेश सलाहकार समिनि की बैठक दिनांक 2.7.89 को प्रातः 10 बजे छात्रावास भवन में आमंत्रित की गई है।

कृपया बैठक में निश्चित दिनांक को समय पर पधारने की कृपा करें।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 23-28 दिनांक 27.6.88 ओर सहायक अधीक्षक राजकीय छात्रावास समाज कल्याण विभाग शाहपुरा (भीलवाडा) (राज.) वास्ते श्रीमान जिला परिवीक्षा एवं ससाज कल्याण अधिकारी, भीलवाडा एवं अन्य सम्बन्धित को।

विषय:—सत्र 1988-89 के लिए छात्रावास प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक के क्रम में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कार्यालय आदेश क्रमांक 1430-46 दिनांक 28.6.88 के अनुसार छात्रावास में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5.7.88 को 10 ए.एम. पर आमंत्रित की जाती हैं।

कृपया बैठक में निश्चित दिनांक को समय पर पधारने की कृपा करावें।

———

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक फा. 2 (87-88) दिनांक 26.6.87 और से अतिरिक्त अधीक्षक चयनित आदिवासी छात्रावास, जहाजपुर (भीलवाड़ा) प्रतिलिपि वास्ते श्रीमान मंत्री जी, राजस्थान आदिमजाति सेवक संघ, जयपुर तथा अन्य सम्बन्धित को।

———

राजकीय एवं चयनित छात्रावास संचालन नियम 82 के नियम 4 के तथा छात्रावास प्रति एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति की बैठक श्री जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जी भीलवाड़ा (राज.) के पत्र क्रमांक सकबि/सामान्य/87-88/2783 दिनांक 29.6.87 के अनुसार राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर द्वारा संचालित चयनित आदिवासी छात्रावास, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में प्रवेश एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6.7.87 को सांयकाल 4 बजे रखी है। बैठक में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय हैं।

———

कार्यालय अति. अधीक्षक अनुदानित आदिवासी छात्रावास,
जहाजपुर, भीलवाड़ा

क्रमांक फा. 2/88-89/4 दिनांक 1-7-88

कार्यालय आदेश

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 1982 के नियम 4 के तहत छात्रावास प्रवेश एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति की बैठक श्री जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक/सामान्य/सकाव/भील/88-89/1430-40 दिनांक 28.6.88 के अनुसार राजस्थान आदिय जाति सेवक संघ, जयपुर द्वारा संचालित अनुदानित आदिवासी छात्रावास जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा में प्रवेशित एवं प्रबन्ध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 5.7.88 को दोपहर 1·00 बजे रखी गई है। बैठक में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

ह./–
(लादूलाल सुखवाल)
अति. अधीक्षक
अनुदानित आदिवासी छात्रावास,
जहाजपुर, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

1. श्रीमान मन्त्री जी राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर डाक से।
2. श्रीमान विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र, जहाजपुर, (जयपुर)
3. श्रीमान जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. श्रीमान प्रधान सा. पंचायत समिति, जहाजपुर भीलवाड़ा।
5. श्रीमान विकास अधिकारी जी स. पंचायत समिति, जहाजपुर, भीलवाड़ा।
6. श्रीमान प्रधानाध्यापक जी सी.रा.उ.मा.वि. जहाजपुर, भीलवाड़ा।
7. श्रीमान बहादुर सिंह जी मीणा, सामाजिक कार्यकर्त्ता, जहाजपुर।
8. श्रीमान रणजीत सिंह जी मीणा, वरिष्ठ अध्यापक रा. उ. मा. वि. जहाजपुर।
9. श्रीमान लक्ष्मण जी हरिजन, नगरपालिका, जहाजपुर।

10. श्रीमान रामप्रसाद जी पत्रियां नगर, अध्यक्ष कांग्रेस (आई) कार्यालय जयपुर।

11. श्रीमान मूलचन्द जी मीणा सा. जहाजपुर।

लादूलाल सुखवाल,
अधीक्षक,
अनुदानित आदिवासी छात्रावास,
जहाजपुर, (भीलवाड़ा)

परिशिष्ट–ध

पिग्रोन बुक राजकीय छात्रावास, पण्डेर

30/6	4–11 / 30/6/87	श्रीमान रतनलाल ताम्बी एम. एल. ए. सदन
30/6	4–11 / 30/6/87	श्रीमान कल्याणमल जी प्रधान साहब पंचायत समिति, जहाजपुर
30/6	4–11 / 30/6/87	श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर
30/6	4–11 / 30/6/87	श्रीमान प्रधानाध्यापक राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, पंडेर

ह./–
**जिला परिवीक्षा एवं
समाज कल्याण अधिकारी,
भीलवाड़ा (राज.)**

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 की सूची

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर

क्रमांक सायो./एफ. 78/(3)/89/5708-11 दिनांक 6.5.89

निदेशक महोदय,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषय—जोधपुर शहर में स्थित नवोचोकिया डिस्पेन्सरी को 20 शैयाओं वाला अस्पताल, प्रसूति व बाल कल्याण केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत।

श्री पनराज मोहनोत, व्यवस्थापक ट्रस्टी अंजली मोहनोत स्मृति संस्थान बद्री नारायण की गली, गून्दी का मोहल्ला, जोधपुर का पत्र दिनांक 11.4.89 एवं 2.5.89 मूल में ही प्रेषित है। दानदाता ने अपनी धर्म पत्नी की याद में "अंजली मोहनोत औषधालय प्रसूति व बाल कल्याण केन्द्र" का भवन बनाने के लिए वर्तमान में बने भवन में नवीनीकरण व रीमॉडलिंग करके पुनर्निर्माण करवाकर 20 शैयाओं का आधुनिक अस्पताल बनवाने का प्रस्ताव किया है जिससे आधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए मशीनरी उपकरण व ऐससरीज, एक्सरे प्लाण्ट, कार-डियोग्राफिक मशीन, आपरेशन थियेटर, आधुनिक टैस्टिंग लेबोरेटरी आदि सुविधायें भी उपलब्ध करवायेगा जिसका समस्त व्यय उक्त ट्रस्ट वहन करेगा व अस्पताल के भवन का निर्माण करवा कर राज्य सरकार को सौंप देगा।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता का सुझाव है कि नव-चोकिया डिस्पेन्सरी शहर की घनी आबादी के बीच स्थित है यह राजकीय पुरानी बिल्डिंग है जिसमें काफी लम्बे अर्से से मरम्मत का कार्य भी नहीं हुआ है, कमरे कम है यह भवन केवल आउटडोर के काम ही आ सकता है इन्डोर की कोई व्यवस्था नहीं है यदि इस बिल्डिंग का नवीनीकरण, री-मॉडलिंग करके पुनर्निर्माण करवाया जाकर 20 शैयाओं वाला आधुनिक अस्पताल बनाये जाने की अनुमति दी जाती है तो पूरे जोधपुर जिले व शहर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन आधुनिक अस्पताल एक ही होगा जहां पर हर प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधा

उपलब्ध हो सकेगी, जिससे जोधपुर शहर की गरीब जनता को महंगी चिकित्सा सुविधायें नि:शुल्क अथवा सस्ती दर पर प्राप्त होगी व महात्मा गांधी अस्पताल पर भार कम.होगा, परिवार कल्याण व बाल कल्याण कार्यक्रम में सुधार आयेगा।

संलग्न—दो पत्र

ह./-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जोधपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

(1) डॉ. कृष्ण बहादुर संयुक्त निदेशक (योजना) चि. एवं स्वा. से. राज. जयपुर।

(2) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।

(3) श्री पनराज मोहनोत व्यवस्थापक ट्रस्टी, अंजली मोहनोत स्मृति संस्था बद्री नारायण की गली बून्दी का मोहल्ला जोधपुर।

ह./-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जोधपुर।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 87–88 के आधार पर 30-6-88 तक की राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बकाया राशि का विवरण ।

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	बकाया का विवरण (रु. लाखों में)					
		अल्पकालीन ऋण	मध्यकालीन	दीर्घकालीन	ब्याज	अन्य ऋण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक जयपुर	962·25	1764·77	82·90	261·80	56·70	3129·12
2.	,, ,, ,, सीकर	346·96	1161·22	0·03	162·02	28·76	1798·99
3.	,, ,, ,, झुंझुनू	335·43	807·34	—	156·26	31·78	1390·81
4.	,, ,, ,, भरतपुर	890·16	·126·36	—	334·97	66·05	1417·54
5.	,, ,, ,, अलवर	1073·31	354·25	—	254·00	4·42	1685·99
6.	,, ,, ,, स. माधोपुर	586·54	678·38	—	207·34	58 41	1530·67
7.	,, ,, ,, जोधपुर	726·46	1921·18	—	468·92	89·42	3185·98
8.	,, ,, ,, नागौर	485·53	1055·10	6·69	268·92	56·20	1871·88
9.	,, ,, ,, बाड़मेर	430·19	1438·35	8·87	268·80	46 56	2192·77
10.	,, ,, ,, पाली	892·49	1431·32	—	351·96	36·62	2712·89
11.	,, ,, ,, सिरोही	214·45	437·78	3·11	116·70	12·98	785·03
12.	,, ,, ,, जालौर	488·80	615·12	0·86	182·53	47·52	1334·83

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केन्द्रीय सहकारी बैंक बीकानेर	362·28	895·78	0·06	331·15	5·78	1595·05
14.	,, ,, ,, चूरू	395·55	1099·90	32·76	247·36	43·21	1818·78
15.	,, ,, ,, गंगानगर	1795·36	411·94	—	179·52	83·43	2470·25
16.	,, ,, ,, उदयपुर	763·25	798·20	5·25	227·19	28·87	1822·76
17.	,, ,, ,, चित्तौड़गढ़	752·41	712·63	38·31	195·19	22·40	1720·94
18.	,, ,, ,, बांसवाड़ा	251·64	438·66	5·44	123·37	40·64	859·75
19.	,, ,, ,, डूंगरपुर	176·09	249·50	6·24	154·90	26·25	612·98
20.	,, ,, ,, कोटा	2121·08	456·46	1·40	264·94	54·40	2898·28
21.	,, ,, ,, बूंदी	426·92	303·01	—	289·67	42·32	1061·92
22.	,, ,, ,, झालावाड़	572·30	780·83	111·78	165·74	66·76	1697·41
23.	,, ,, ,, अजमेर	470·45	565·64	4·63	1080·75	75·65	2197·12
24.	,, ,, ,, टौंक	411·78	649·43	—	105·92	52·83	1219·96
25.	,, ,, ,, भीलवाड़ा	1058·52	880·34	13·93	120·25	38·46	2111·15
	योग	16993·91	20083·49	322·26	6559·61	1116·42	45075·09

229

230

परिशिष्ट "ब"

राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वसूली स्थिति

दिनांक 16 जून, 1989)

वसूली 1.7.88 से 16.6.89

क्र.सं.	नाम बैंक (के.स.बैं.)	वसूली का प्रतिशत
1.	अजमेर	15·99
2.	अलवर	45·57
3.	बांसवाड़ा	17·43
4.	बाड़मेर	26·11
5.	भरतपुर	38·58
6.	भीलवाड़ा	40·97
7.	बीकानेर	16·89
8.	बून्दी	29·29
9.	चित्तौड़गढ़	38·87
10.	चूरू	23·77
11.	डूंगरपुर	9·78
12.	जयपुर	32·36
13.	जैसलमेर	8·96
14.	जालौर	17·93
15.	झालावाड़	39·18
16.	झुंझुनू	37·01
17.	जोधपुर	11·73
18.	कोटा	27·18
19.	नागौर	36·86
20.	पाली	27·21
21.	सवाई माधोपुर	45·88
*22.	सीकर	53·25
23.	सिरोही	16·51
24.	श्रीगंगानगर	46·13
25.	टौंक	12·04
26.	उदयपुर	23·93
	योग	31·09%

* स्थिति दिनांक 9.6.89 की है।

अन्तिम अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सहकारी बैंकों में गबन व दुरुपयोग की स्थिति।

परिशिष्ट–"स"

क्र.सं.	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	अन्तिम आडिट रिपोर्ट वर्ष संख्या	गबन के मामलों की	राशि	वि. वि
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्रीय सह. बैंक लि. जयपुर	87–88	शून्य	शून्य	—
2.	,, ,, ,, सीकर	87–88	,,	,,	—
3.	,, ,, ,, झुंझुनूं	87–88	,,	,,	—
4.	,, ,, ,, भरतपुर	87–88	,,	,,	—
5.	,, ,, ,, अलवर	87–88	,,	,,	—
6.	,, ,, ,, स. माधोपुर	87–88	,,	,,	—
7.	,, ,, ,, जोधपुर	87–88	,,	,,	—
8.	,, ,, ,, नागौर	87–88	,,	,,	—
9.	,, ,, ,, बाड़मेर	87–88	,,	,,	—
10.	,, ,, ,, पाली	87–88	,,	,,	—
11.	,, ,, ,, सिरोही	87–88	5	36904/-	—

231

(232)

1	2	3	4	5	6
12.	,, ,, ,, जालौर	87–88	शून्य	शून्य	—
13.	,, ,, ,, बीकानेर	87–88	,,	,,	—
14.	,, ,, ,, चूरू	87–88	,,	,,	—
15.	,, ,, ,, गंगानगर	86–87	,,	,,	—
16.	,, ,, ,, उदयपुर	87–88	,,	,,	—
17.	,, ,, ,, चित्तौड़गढ़	87–88	,,	,,	—
18.	,, ,, ,, बांसवाड़ा	87–88	1	2·45/- लाख	—
19.	,, ,, ,, डूंगरपुर	87–88	,,	,,	—
20.	,, ,, ,, कोटा	87–88	,,	,,	—
21.	,, ,, ,, बून्दी	87–88	,,	,,	—
22.	,, ,, ,, झालावाड़	87–88	,,	,,	—
23.	,, ,, ,, अजमेर	87–88	,,	,,	—
24.	,, ,, ,, टौंक	87–88	7	57642/-	—
25.	,, ,, ,, भीलवाड़ा	87–88	शून्य	शून्य	—

शुद्धि—पत्र

दिनांक 30 जून, 1989

क्र. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	6	विघान	विधान
2.	2	2	सत्र	सत्र
3.	3	13	श्री घनश्याम तिवाड़ी	श्री घनश्याम तिवाड़ी
4.	9	फुटनोट	आदेशादुसार	आदेशानुसार
5.	10	25	बूटासिह ज	बूटासिह जी
6.	115	1	(ीचुन्नीलाल इन्दलिया)	(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
7.	164	9	प्रतिवेढ़न	प्रतिवेदन
8.	327	1	भाकरनाड़ा	भाकरनाड़ी